दशम माला, खंड 11, अंक 38

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1992
4 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 11, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 38, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1992/4 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—4
(श्री सत्यजित राय का निधन)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 736 से 740	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—256
तारांकित प्रश्न संख्या : 741 से 757	27—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7758 से 7792, 7794 से 7817, 7819 से 7860 और 7862 से 7972	40—224
सभा पटल पर रखे गए पत्र	256—261
लोक लेखा समिति	261
बीसवां और बाइसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	262
आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
समिति के लिए निर्वाचन	262
तम्बाकू बोर्ड	
नियम 377 के अधीन मामले	263—267
(एक) राजस्थान के गंगानगर जिले के उन किसानों को मुवावजा दिए जाने की आवश्यकता, जिनकी भूमि भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है	
श्री बीरबल	263

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) पड़ोसी राज्यों से अत्यावश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए तमिलनाडु में कुवम और बकिंघम नहरों को उपयोग-योग्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अन्बारासु इरा	263
(तीन) महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को जनता से ऋण लेकर धन एकत्र करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सूर्यकांता पाटिल	264
(चार) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ए० प्रताप साय	264
(पांच) अजमेर रेंजीमेंट को फिर से गठित किए जाने और सेना में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से और अधिक जवानों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत	265
(छः) कानपुर देहात में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता	
श्री केशरी लाल	265
(सात) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुडी शहर के नवाब-बाड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	266
(आठ) हरियाणा में "टाडा" के दुरुपयोग के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री जंगबीर सिंह	26
मंत्री द्वारा वक्तव्य	268—26
त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं के साथ कथित बलात्कार	
श्री एम० एम० जैकब	26

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	270—279
श्रम मंत्रालय	
श्री गुमान मल लोढा	
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक	280
(अनुच्छेद 155 में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	280
(दो) गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सिल्चर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	280
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	280
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	280—281
(अनुच्छेद 158 में संशोधन)	
श्री मोहन सिंह	280
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक	284
(अनुच्छेद 371 में संशोधन)	
श्री मोरेश्वर सावे	285
संविधान (संशोधन) विधेयक	281—310 और 312—315
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	281
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	281
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये	285
श्री मोहन सिंह	286
श्री सैफुद्दीन चौधरी	288

विषय	पृष्ठ
(दो) पड़ोसी राज्यों से अत्यावश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए तमिलनाडु में कुवम और बकिंघम नहरों को उपयोग-योग्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अन्बारासु इरा	263
(तीन) महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को जनता से ऋण लेकर धन एकत्र करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सूर्यकांता पाटिल	264
(चार) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ए० प्रताप साय	264
(पांच) अजमेर रेंजीमेंट को फिर से गठित किए जाने और सेना में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से और अधिक जवानों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत	265
(छः) कानपुर देहात में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता	
श्री केशरी लाल	265
(सात) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुडी शहर के नवाब-बाड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	266
(आठ) हरियाणा में "टाडा" के दुरुपयोग के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री जंगबीर सिंह	266
मंत्री द्वारा वक्तव्य	268—269
त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं के साथ कथित बलात्कार	
श्री एम० एम० जैकब	268

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	270—279
श्रम मंत्रालय	
श्री गुमान मल लोढा	
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक	280
(अनुच्छेद 155 में संशोधन)	
श्री सुधीर गिरि	280
(दो) गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सिल्चर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	280
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	280
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	280—281
(अनुच्छेद 158 में संशोधन)	
श्री मोहन सिंह	280
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक	284
(अनुच्छेद 371 में संशोधन)	
श्री मोरेश्वर सावे	285
संविधान (संशोधन) विधेयक	281—310 और 312—315
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	281
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	281
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये	285
श्री मोहन सिंह	286
श्री सैफुद्दीन चौधरी	288

विषय	पृष्ठ
श्री ए० चार्ल्स	292
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	295
श्री चित्त बसु	299
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	303
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	304
श्री स्वरूप उपाध्याय	306
श्री जितेन्द्र नाथ दास	308
श्री पी० सी० थामस	312
श्री मनोरंजन भक्त	314
मंत्री द्वारा वक्तव्य	310—312
23 अप्रैल, 1992 को दिल्ली में हुआ बम विस्फोट	
श्री एम० एम० जैकब	310

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1992/4 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सिनेमा जगत के पितामह और सुविख्यात लेखक भारत रत्न श्री सत्यजित राय के दुःखद निधन की सूचना सूचना देनी है।

श्री राय लगभग चार दशकों तक भारतीय सिनेमा जगत के महती व्यक्तित्व बने रहे, उन्हें भारतीय चलचित्रों को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

श्री राय का जन्म मई, 1921 में एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और उदारवादी परिवार में हुआ था।

वे पहले भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्हें भारत सरकार की ओर से भारत रत्न प्रदान किया गया तथा एकेडमी आफ मोशन पिक्चर्स द्वारा उनके समस्त जीवन की उपलब्धि के लिए विशेष आस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

उन्हें 1967 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1974 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, लन्दन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों की ओर से डी०लिट० की उपाधि से सम्मानित किया, 1983 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीच्यूट की ओर से फैलोशिप प्रदान की गई तथा 1984 में 'लीजन द ऑनर' से विभूषित किया गया है।

श्री राय ने अपना विशिष्ट फिल्म कैरियर 1955 में "पाथेर पांचाली" से शुरू किया जो फिल्म कला में एक विशिष्ट रचना थी और जिसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई तथा इसे विश्व के 50 महान चलचित्रों में गिना जाता है। श्री राय ने रविन्द्र नाथ टैगोर के उपन्यासों, कहानियों, संगीत, परीकथाओं, आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं तथा मानवीय दुर्बलताओं जैसे विषयों पर अनेक खूबसूरत फिल्में बनाईं। उन्होंने 1961 में गुरुदेव टैगोर की वर्षगांठ के अवसर पर उन पर एक उत्कृष्ट वृत चित्र बनाया। श्री राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने न केवल फिल्मों का निर्देशन किया, अपितु उन्होंने उनके सम्पादन में भी योगदान दिया, यहां तक कि वे फिल्मों के लिए पट-कथाएं लिखते और संगीत भी देते थे। फिल्म निर्माण के साथ-साथ श्री राय एक अच्छे लेखक थे और वे बच्चों की पत्रिका 'सन्देश' जिसे उनके दादा श्री उपेन्द्र किशोर राय ने शुरू किया था, के लिए डिजाइन तैयार करते थे।

श्री राय की 80 के दशक के मध्य में यू०एस०ए० के ह्यूस्टन में हृदय की बाई-पास शल्य क्रिया की गयी थी तथा उन्हें 'पेस मेकर' लगाया गया था। यद्यपि यह आपरेशन सफल रहा किन्तु उनका स्वास्थ्य पहले जैसा कभी नहीं हुआ। विगत सात वर्षों के दौरान वे निरन्तर चिकित्सकों की देखरेख में रहे। विगत तीन माह से जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए श्री राय का निधन कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में 23 अप्रैल, 1992 को 71 वर्ष की आयु में एक लम्बी बीमारी के पश्चात हो गया।

श्री राय के निधन से न केवल भारत ने बल्कि समूचे विश्व ने एक महान फिल्म निर्माता खो दिया है। फिल्म क्षेत्र में उनका महान योगदान आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, हम दुःखी हृदय से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने सही कहा है एक महापुरुष चल बसे। हम सभी उनके व्यक्तित्व के समक्ष छोटे हैं। महोदय, जैसा कि आपने कहा है वे बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। यह बात सत्य है कि 'अपुत्रयी' का बनना एक महान योगदान था जो कि उनके द्वारा बनाया गया था। श्री विभूति भूषण बनर्जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास 'पाथेर पंचाली' के मुख पृष्ठ का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। यह अपने आप में क्रांति थी। पहली बार बंगाल में हमने यह महसूस किया कि एक प्रसिद्ध पुस्तक का आवरण ऐसा भी हो सकता है, सिगनत प्रेस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के आवरण को इस प्रकार की सुन्दरता प्रदान की गई।

महोदय, हमने विश्व स्तर के एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो इस देश में बिरले ही हुए हैं। जब कोई उनके बारे में सोचता है तो उन्हें एक मानवतावादी के रूप में देखता है जिन्हें मानव जीवन के सभी पक्षों की जानकारी थी। वह एक बच्चे के रुदन और मां के दुःख को समझते थे। इसके साथ ही समाज में निहित स्वार्थों के सभी पक्षों की वह हमेशा भर्त्सना करते थे और इन सबको उनकी फिल्मों में अभिव्यक्ति मिली है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक क्रांति का सूत्रपात किया। हम सभी फिल्म निर्माण में उनके योगदान से अवगत हैं।

बंगाल में उनकी मृत्यु पर छुट्टी घोषित कर दी गयी है। बंगाली होने के नाते हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था। वह केवल बंगाल के ही नहीं वे भारत के भी थे, बल्कि कहना चाहिए कि पूरे विश्व के थे। उनकी मृत्यु से न केवल हमें बल्कि पूरे विश्व की क्षति हुई है।

आपके माध्यम से हम उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनायें प्रकट करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, इस महान व्यक्ति के निधन पर मैं आपके और श्री निर्मल चटर्जी जी के साथ मिलकर अपना शोक प्रकट करता हूं। वास्तव में वह फिल्म जगत की किवदन्ती बन गये थे। संयोग की बात है कि 1954 में मैं कलकत्ता गया और उस समय 'अपुत्रयी' में उनकी पहली फिल्म जिसके बारे में श्री निर्मल चटर्जी ने कहा है कि यह

श्री विभूति भूषण बनर्जी द्वारा लिखा गया था और पहली बार 'पाथेर पांचाली' प्रदर्शित हुई थी। उस समय तक सत्यजीत राय के बारे में लोगों को पता नहीं था। उस समय मैं थोड़ी बहुत बंगला समझ सकता था और इसमें उप शीर्षक भी नहीं था। इसके बावजूद भी जब मैंने उस फिल्म को देखा तो मेरी धारणा ऐसी बनी कि मैंने अपने सहयोगी, जो मेरे साथ थे, से कहा कि "मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छी फिल्म देखी"। उसके संवाद को समझे बिना ही इस प्रकार से मैं प्रभावित हो गया था। तब से इस महान व्यक्ति के प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा का भाव रहा है। मुझे उनसे मिलने के अनेक अवसर मिले थे।

यह कहने में कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी कि वे एक सर्वोत्कृष्ट फिल्म निर्माता थे। वह खुद में एक संस्था थे। फिल्म निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे यह निर्देशन हो, पटकथा हो या संवाद अथवा चल-चित्रण हो, वह हर क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जिस चीज की भी रचना की, समाज या विश्व के किसी भी वर्ण से परे उसमें सार्वभौमिकता का भाव मुखर रहता है। यदि आप इसे देखते तो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। भारत में फिल्म उद्योग बहुत ही बड़ा है। भारत में श्री सत्यजीत राय के योगदानों के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन विश्व में उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की गयी है।

यह उचित ही है कि देश का यह राष्ट्रीय मंच, हमारी संसद ऐसे महान व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे और मैं आपके साथ और अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके पुत्र तथा उनके शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदनायें व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी भावना और नेता विरोधी दल और निर्मल चटर्जी ने जो भावना व्यक्त की है, उसमें अपने को सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि इस दुनिया में आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज यह है कि जो यहां आया है उसको जाना है, लेकिन उसके बाद भी सब इस तरीके से दुनिया को पकड़ कर बैठे हुए है जैसे कोई जाने वाला नहीं है। तो यहां जो आया है, उसको जाना है। सत्यजित राय आज हमारे बीच में नहीं रहे और उनके संबंध में जो भी कहा जाए एक कलाकार के रूप में, एक फिल्मकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, लेखक के रूप में, जिस दृष्टिकोण से भी देखें तो उसमें कमी तो किसी मामले में नहीं दिखती है, लेकिन उनमें अद्वितीय गुण था। लेकिन न सिर्फ देश में, देश में तो सम्मान कम मिला लेकिन विदेशों में जो उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया, यह हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। वे असाधारण गुणों से भरपूर थे। असाधारण गुण थे उनमें। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के पास दिमाग की कमी नहीं होती है, सबसे बड़ी कमी होती है दिल की। दिल और दिमाग जब एक लाइन पर चलते हैं तो देश में क्रांति होती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके पास न तो दिमाग की कमी थी और न दिल की कमी थी और यही कारण था कि जिस क्षेत्र को उन्होंने चुना अपनी फिल्म के लिए, उसमें उन्होंने एक छाप छोड़ने का काम किया। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं और हम

उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाली और पीढ़ियां जो उनका मार्ग निर्देशन है, उनकी जो प्रतिभा है, उनका अनुसरण करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं शोर-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हू।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय,. श्री सत्यजीत राय हर प्रकार से हमारे देश के महान सपूत थे। बल्कि वे इससे भी अधिक थे। वह एक राष्ट्रीय संस्था के ऐसे प्रतीक हो गये थे जिन्होंने हमारे युग के महान रचनाकारों और कलाकारों को गहन रूप से प्रभावित किया। आंसू और मुस्कान, साहसिकता और रोमानियत, जीवन और मृत्यु की धारणायें यही मानव जीवन और उसके अस्तित्व का आधार है। सत्यजीत राय ने इन सभी भावनाओं को पूरी शिद्दत के साथ अपनी कला में अभिव्यक्त किया है।

कारलाईल ने कहा था कि विस्मय भाव से ही दर्शन का जन्म हुआ है। अपितु सामाजिक सरोकार से प्रेरित होकर विधवाओं के संतप्त एवं वंचित जीवन को अपनी कला का विषय बनाया। उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि उनकी कलाकृतियों में सामाजिक संवेदना का स्वर ही अत्यधिक मुखर हुआ है। वे एक महान कलाकार थे जिन्होंने यह कहा कि सामाजिक संवेदनाओं की सेवा ही कला का उद्देश्य है। उनकी मृत्यु से हमने देश का एक महान सपूत खो दिया है। लेकिन श्री सत्यजीत राय एक ऐसे अभिनेता थे जिनके लिए पूरा विश्व ही एक मंच था। इसलिए उनके निधन से हमने एक ऐसे भारतीय को खो दिया है जिसने समूचे कला जगत में एक गहरी छाप छोड़ी है।

हम, इस सभा के सभी सदस्य भारत के इस महान सपूत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यजीत राय के गुजर जाने से कला जगत और मानवता निर्धन हो गयी है। उनके समान व्यक्तित्व फिर कब इस क्षितिज में उदय होगा, हम नहीं जानते हैं।

इस महान कलाकार की मृत्यु पर हम गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति यह सभा गहरी सहानुभूति प्रकट करेगी।

अब सभा दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

11.17 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जी०आई० पाइपों की दर संविदा

*736. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री† :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी०आई० पाइपों की दर संविदा को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया गया है हालांकि 12 महीने से अधिक समय बीत चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई राज्य सरकारो ने भी दर संविदा के विचाराधीन मामलों के बारे में पूछ-ताछ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। जी० आई० पाइपों की दर संविदा तय करने के लिये टेण्डर दिनांक 26 मार्च, 1991 को खोले गए थे और दिनांक 25 अप्रैल, 1991 को मैसर्स टिस्को के साथ एक दर संविदा विधिवत तय की गई थी। तथापि, मैसर्स टिस्को की न्यूनतम दरों की तुलना में इन फर्मों द्वारा अत्यधिक ऊंची दरों की मांग करने के कारण अन्य फर्मों पर अभी तक समान्तर दर संविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। दरों को कम कराने के लिए बातचीत के कई दौर किए गए। फर्मों से नई दरें दिनांक 20 अप्रैल, 1992 को प्राप्त हो गई हैं जो कि विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

दर संविदा के संबंध में बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने पूछताछ की है।

(ङ) दिनांक 20 अप्रैल, 1992 को प्राप्त संशोधित दरों के आधार पर बहुत शीघ्र निर्णय किए जाने की संभावाना है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, समस्त भारत में पीने का पानी उपलब्ध कराना, यह राज्य सरकारों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लेकिन एक वर्ष से पीने के पानी का संकट हर प्रदेश में विद्यमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक सरकार ने जी०आई० पाइप की दर संविदा तय नहीं की है। एक वर्ष पहले सरकार ने दर संविदा तय की थी लेकिन अभी तक उसकी कोई सप्लाई नहीं की गयी है। सरकार ने अपने उत्तर में नहीं बताया है कि टेंडर मंगाने और तय करने का काम सरकार के किस विभाग ने किया है, वैसे यह कार्य डी०जी०एस० एण्ड

डी० द्वारा किया जाता है। यदि माननीय मंत्री जी जरा ध्यान दें, संरक्षण दें, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे मूल प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मंत्री जी ने सत्य को छिपाया है। सरकार कहती है कि उसने टिस्की कम्पनी को दर संविदा दे दी है लेकिन सत्य यह है कि एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इस दर पर अभी तक कम्पनी ने किसी भी राज्य की मांग पर पाइप्स सप्लाई नहीं किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कम्पनी ने कुछ सप्लाई की है तो किस दर पर की है। क्या सरकार ने इस विषय में टिस्को कम्पनी द्वारा दर-संविदा पर सप्लाई न करने के कारणों की छानबीन कराई है। यदि नहीं करायी है तो उसके क्या कारण हैं। क्या सरकार दर-संविदा को तय करने काम एक सप्ताह में पूरा कर लेगी क्योंकि यह राज्य सरकारों के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से सम्बन्धित है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं, क्या एक सप्ताह में दर-संविदा को तय कराने का आप यहां आश्वासन देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 10 नवम्बर को ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में, राज्य सभा में, सरकार द्वारा कहा गया था कि हम इसे शीघ्र तय कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह प्रश्न गुम हो जाता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं और आज तक ये रेट तय क्यों नहीं किए गए, इसका कारण भी बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न के कई भाग हैं। सर्वप्रथम तो यह सही है कि राज्य सरकारें अनुबन्धित दर संविदाओं के अलावा दूसरी दर पर खरीददारी नहीं कर सकतीं। वे ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं। वे अपनी दर संविदा नियत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन पारम्परिक रूप से, वे डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा तय की गई कुछ सामग्रियों की दर संविदा पर ही अपील कर रहे हैं। वस्तुतः वे उन्हें खरीदते ही रहे हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग है कि 'टिस्को' के द्वारा क्या आपूर्ति की गई? 'टिस्को ने' निर्धारित दर संविदा पर 2000 टन की न्यूनतम मात्रा आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया था और उसने तदनुसार 3,500 मीट्रिक टन की आपूर्ति की। इस तरह उसने प्रस्तावित मात्रा से कहीं अधिक आपूर्ति की है और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत उसे हम और अधिक आपूर्ति करने के लिए दबाव डाल सकें। उसने इस दर संविदा को तो बन्द कर दिया है। लेकिन फिर भी उसने जितने का प्रस्ताव किया था उससे कहीं अधिक मात्रा में आपूर्ति की है। अब जहां तक दूसरी फर्मों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्यों का कुल परिणाम जो हमने प्राप्त किया है, वह इस प्रकार है। छोटे व्यास के पाइप उन्होंने पिछले प्राप्त मूल्यों की अपेक्षा 17 से 23 प्रतिशत और बड़े व्यास के पाइप 6 से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य पर देने का प्रस्ताव किया है। हम मूल्यों में इस बढ़ोतरी के कारण उन फर्मों के साथ दर संविदा तय करने में असमर्थ हैं। वार्ताओं के कई दौर के बाद, उन्होंने अपने प्रस्ताव 20 अप्रैल, 1992 को जमा किए। हमें उनसे वार्ता करके एक स्वीकार्य मूल्य पर पहुंचना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे और उनके बीच किसी खास मूल्य पर सहमति हो सकती है जिसे उल्लेखित दर पर मूल्य-निर्धारण करना कहा जाता है। अतः हमें वार्ता करके मूल्य कम करवाना है, उसके बाद ही उनकी दर संविदा स्वीकार करेंगे। उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य 20 अप्रैल को ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं कोई निश्चित दिन नहीं

बता सकता क्योंकि मैं स्वयं इस वार्ता में शामिल नहीं हूं। लेकिन मैं डी० जी० एस० एण्ड डी० से इस सम्बन्ध में जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी वार्ता समाप्त करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 मार्च, 1991 को जब ये खुले थे, तो कम्पनी के रेट उस समय क्या थे और इस समय के रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि आपने टेंडर खोलने के बाद अन्य कम्पनियों से भी बातचीत की है कि क्या इस प्रकार के टेंडर में काम करने के लिए आप तैयार हैं, आपने मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में भी बताया है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका परिणाम क्या निकला और इस देरी के कारण करोड़ों रुपयों का जो राज्य सरकारों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि राज्य सरकार तय कर सकती है और दूसरी तरफ आप राज्य सरकार को यह सलाह भी देते हैं कि दर-संविदा जो तय किया जाएगा, उस आधार पर आप सप्लाई लें, तो इससे राज्य सरकारों का जो वित्तीय नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे और आखिरी सवाल मेरा इस सम्बन्ध में यह है कि इस समय पर सरकार उचित रेट तय करने के लिए जो डी० जी० एस० एण्ड डी० है, इसकी प्रक्रिया में सुधार करने पर क्या विचार कर रही है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उन्हें कम से कम मेरी इतनी बात तो माननी ही चाहिए कि वे अपना प्रश्न समझने की कोशिश करें। मैं उनका प्रश्न समझ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न इतना जटिल है!

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने बताने की कोशिश की है, उसके बावजूद माननीय सदस्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि चूंकि हमने इनकी दर संविदा तय नहीं की है इसलिए राज्य सरकार इन्हें नहीं खरीद सकती। ऐसा कहना सही नहीं है। राज्य सरकार दर संविदा पर ही खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी से भी, कहीं से भी और कोई भी प्रक्रिया अपनाकर इन्हें खरीदने के लिए स्वतन्त्र है। लेकिन व्यवहार में वे डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा तय दर संविदा को ही अपनाते रहे हैं और मैं यह स्वीकार करता हूं कि उन्हें डी० जी० एस० एण्ड डी० की दर संविदा में विश्वास है। हम उन्हें उसी दर संविदा के अनुसार खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। दूसरे, वह प्रस्तावित मूल्यों के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास वे सभी मूल्य मौजूद हैं। 'टिस्को' को छोड़कर सभी ने चार चार अलग-अलग दिनों में अपने प्रस्ताव भेजे हैं। वे दिन हैं 26 मार्च, 14 अगस्त, 14 दिसम्बर, 1991 और अन्तिम··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी ने अपने प्रश्न में खुद कहा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पूरा होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने जानना चाहा था कि 26 मार्च, 1991 के बाद प्रस्तावित मूल्य क्या हैं। मैं उन्हें वे दिन बता रहा हूं। वार्ता के सभी स्तरों पर उन लोगों ने अलग-अलग

वस्तुओं के मूल्यों का प्रस्ताव रखा। अब उन्होंमें चार अलग-अलग दिनों को वस्तुओं के चार विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों का प्रस्ताव रखा। वे दिन हैं 26 मार्च, 14 अगस्त, 24 दिसम्बर, 1991 और 20 अप्रैल, 1992। यानी कि अन्तिम प्रस्ताव कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुए हैं। अब मैं मूल्यों की रेंज बतलाऊंगा। 20 अप्रैल, 1992 को अर्थात् कुछ दिन पूर्व प्रस्तावित मूल्य छोटे व्यास के पाइपों के पिछले मूल्य से 17 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक अधिक है जबकि बड़े व्यास के पाइपों का मूल्य 6 से 15 प्रतिशत अधिक है। अगर ये किसी खास व्यास के पाइप का मूल्य जानना चाहते हों तो मैं वह भी दे सकता हूं लेकिन वह विवरण तीन पृष्ठों का है। चूंकि मूल्य काफी अधिक हैं, इसलिए मैं डी० जी० एस० एण्ड डी० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए दर संविदा तय करना मुश्किल-सा हो गया है, कारण वर्तमान प्रस्तावित मूल्य पिछली दर से 15-20 प्रतिशत अधिक हैं। यही कारण है कि वे मूल्य दर कम करने के लिए उन फर्मों से बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में अगर वे 15-20 प्रतिशत अधिक दर संविदा तय कर लेते हैं तो फिर यही लोग कहेंगे कि हम उन पर इतनी ऊंची दर संविदा तय करने के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने यह डी० जी० एस० एण्ड डी० को निर्णय करने के लिए छोड़ दिया है कि वे बातचीत करें, मूल्यों को कम करवाएं और फिर दर संविदा तय करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ दो सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप यह बताएं कि दर क्षमता···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। नहीं, इस प्रकार नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : दर क्षमता कितने उत्पादन में तय हो जाएगी। **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं। दूसरे माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप समझ लीजिए कि उन्होंने उत्तर दे दिया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, क्या वाणिज्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जी० आई० पाइप कितनी कम्पनियों से, कितने मूल्य पर डी० जी० एस० एण्ड डी० की दर क्षमता पर वर्ष भर में खरीदी जाती हैं। क्या आपको जानकारी है कि आई० एस० आई० लाइसेंस के बिना जी० आई० पाइप का उत्पादन नहीं कर सकते ? डी० जी० एस० एण्ड डी० ने किस-किस कम्पनी को बिना आई० एस० आई० लाइसेंस के तहत पंजीकृत किया है ? यदि किसी कम्पनी को डी० जी० एस० एण्ड डी० ने बिना आई० एस० आई० मार्क के पंजीकृत किया है तो क्या अधिकारियों पर सी० बी० आई० जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, डी० जी० एस० एण्ड डी० किसी कम्पनी से कोई चीज नहीं खरीदता है बल्कि वह दर संविदा तय करता है। खरीददार तो सरकारी विभाग और राज्य सरकारें होती हैं। **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे अपना उत्तर पूरा करने दें।

जहां तक सरकारी विभागों का सम्बन्ध है, उसके अधिकारी प्रत्यक्ष खरीददार होते हैं लेकिन राज्य सरकारें उसी दर संविदा पर खरीददारी करने को बाध्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : मैं तो सिर्फ यह पूछ रही हूं कि आई० एस० आई० मार्क जरूरी है, उसको पंजीकृत किया गया है या नहीं किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यह तो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है। **(व्यवधान)** महोदय, उनके प्रश्न के दो भाग हैं। मैं अभी पहले भाग का उत्तर दे रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप दूसरे भाग का ही उत्तर पहले क्यों नहीं दे देते ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। कृपया ऐसा ही कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं श्री वाजपेयी से कभी नहीं उलझता हूं। मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वे आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : अभी जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार अभी हमें किसी ऐसे पंजीकरण या बिना आई० एस० आई० निशान वाले पाइप सप्लायर का पता नहीं चला है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्या को किसी बिना आई० एस० आई० निशान वाली इस तरह की कम्पनी की जानकारी है तो कृपया मुझे दें, मैं उसकी जांच कर लूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : मैं अभी बता सकती हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया जरा ठहरें। मेरे पास इसकी जानकारी है। हमें अभी तक ऐसी किसी खरीददारी का पता नहीं चला है जो बिना आई० एस० आई० निशान के किसी कम्पनी से की गई हो। मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्या और श्री बाजपेयी दोनों ही संतुष्ट हो गए होंगे।

अब मैं पहले भाग का उत्तर दे रहा हूं। हम किसी को भी दर संविदा से ही खरीद करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारें खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की बाध्यता की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी के लिए एक मिनट बता दूं।* (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तो अवसर का दुरुपयोग है। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : उन्होने कहा कि मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बता रही हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे समझें। वह अधिकारी यहां उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत गलत तरीका है।

श्री पी० सी० चाक्को : पिछड़े क्षेत्र की इकाइयों और मध्यम तथा लघु श्रेणी की उद्योग इकाइयों के द्वारा प्रस्तावित मूल्यों को स्वीकृति देने में सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाती रही हैं। मैं समझता हूं कि डी० जी० एस० एण्ड डी० अब इन इकाइयों को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। क्या ऐसा नई नीति के तहत किया जा रहा है? क्या सरकार इस सदन को आश्वस्त करेगी कि किसी वस्तु की, विशेषकर जी० आई० पाइप की, दर संविदा तय करते वक्त पिछड़े क्षेत्रों और मध्यम तथा लघु श्रेणी की इकाइयों के मूल्यों को प्राथमिकता देने के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० को निर्देश दिए जाएंगे?

श्री पी० चिदम्बरम : यह तो और भी सामान्य प्रश्न है। मूल्यों को प्राथमिकता देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्षों पूर्व से जो नीति अपनाई जा रही है, आगे भी जारी रहेगी। हमने उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। लघु उद्योगों के मूल्यों को प्राथमिकता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी जाती है। पिछड़े क्षेत्र की इकाइयों को भी प्राथमिकता मिलती है। मैं माननीय सदस्य को मूल्य-प्राथमिकता का विस्तृत विवरण भेज दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्य सरकारों ने टिस्को से सीधी सप्लाई ली है ? हमें यह पता लगा है कि यह विचाराधीन मामला है। उन्होंने पुराने रेट पर खरीद की है, फिर रेट बढ़ा कर कहा कि हमारा समझौता नहीं हुआ है और अभी विचाराधीन मामला है। इन दोनों में क्या सही है ? क्या टिस्को दो तरह के रेट्स के आधार पर चल रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैं दर में वृद्धि नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने प्रस्ताव भेजा है, उन्होंने ही पिछले दर पर खरीद किए गए मूल्य में वृद्धि करके भेजा है। डी० जी० एस० एण्ड डी० उन लोगों से मूल्य कम करने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्य के द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हूं। मुझे मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा सबने खरीद की है। मध्य प्रदेश ने वस्तुत: पिछले मूल्य से से कुछ कम दर पर ही खरीदा है।

चन्दन की लकड़ी और चन्दन के तेल का निर्यात

*737. **श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य की कितनी चन्दन की लकड़ी और कितना चन्दन का तेल निर्यात किया गया; और

(ख) इनके निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. चन्दन के तेल का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

	(करोड़ रु० में)
1988-89	2.13
1989-90	5.71
1990-91	13.27
1991-92 (अप्रैल-फरवरी, 1992)	10.39

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

2. चन्दन की लकड़ी की कतरनें, पाउडर तथा फ्लेक्स आदि के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं :

	(करोड़ रु० में)
1988-89	3.83
1989-90	7.51
1990-91	10.55
1991-92	9.32
(अप्रैल-फरवरी, 1992)	

3. 1 अप्रैल, 1992 को लागू वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार, (क) चन्दन के तेल के खुले निर्यात की अनुमति है।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सभी रूपों में चन्दन के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(i) चन्दन की लकड़ी से बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं।

(ii) मशीन से तैयार चन्दन की लकड़ी के उत्पाद अर्थात् :

(क) परिचय कार्ड (विजिटिंग कार्ड)।

(ख) महिलाओं के हाथ के पंखों के पंखुड़ियां।

(ग) घड़ियों के बाहरी खोल तथा डायल्स।

(घ) उपर्युक्त विशिष्टियों तथा मूल्यवर्धन मानदंडों को पूरा करने वाले इसी प्रकार के कोई अन्य उत्पाद।

4. केवल मूल्यबर्धित मदों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है।

5. सभी निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन चन्दन के तेल तथा चन्दन की लकड़ी के उत्पादों के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वर्ष 1991-92 से चन्दन के तेल और चंदन की अन्य वस्तुओं के निर्यात में गिरावट क्यों आई है? विदेश में इसकी कुल मांग कितनी है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार विदेशों की वर्तमान मांग को पूरा कर सकेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : चन्दन के तेल के निर्यात मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष 1990-91 में, पूरे बर्ष का निर्यात 13.27 करोड़ रुपए के लगभग था। वर्ष 1991-92 में, अप्रैल-

फरवरी, 1992 इन प्रथम ग्यारह महीनों में, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 10.39 करोड़ रुपये मूल्य के चन्दन के तेल का निर्यात हुआ। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें पूरे वर्ष तक इन्तजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थिति लगभग समान थी।

जहां तक मांग का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है। यह कीमत पर निर्भर करता है। भारत चन्दन के तेल और चन्दन की बनी वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक है। वास्तव में केवल इण्डोनेशिया ही चन्दन की वस्तुओं का निर्यात करने वाला ऐसा दूसरा देश है, जहां पर बहुत छोटा बाजार है। विश्व में जितनी भी मांग हो, कुछ भी कीमतें हो, हम अपनी निर्यात नीति के अनुसार उस मांग की पूर्ति कर सकते हैं। पहली अप्रैल से, हम चंदन के तेल और चन्दन की हस्तशिल्प वस्तुओं को छोड़ अन्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं देंगे। हम चन्दन के टुकड़े, छाल अथवा पाउडर के निर्यात की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें इन चीजों को, चन्दन की हस्तशिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए यहीं पर रखना चाहिए।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या यह सच है कि विदेश में चन्दन की अगरबतियों की बहुत मांग है?

क्या यह भी सच है कि निर्यात नीति और कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में सुधार नहीं लाने की वजह से, वे विदेशों की मांग के अनुरूप अधिक अगरबत्तियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अगरबत्तियों की मांग है। मैं इसे अगरबत्तियों की भारी मांग नहीं कहूंगा। कुल निर्यात अपने आप में सीमित है। लेकिन अगरबत्तियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा था कि चन्दन से तेल निकालने के बाद, उसके अवशेष का निर्यात नहीं करेंगे। अवशेष मिल जाता है क्योंकि अगरबत्ती के निर्माता इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में, हमने 1 अप्रैल से जो काम किया है उससे अगरबत्ती के निर्माता को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री ए० प्रताप साय : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के तल्लामला वन क्षेत्र के रायलसीमा प्रदेश में चन्दन की लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसकी तस्करी लम्बे समय से विदेशों को की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाल चन्दन की अवैध तस्करी को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। क्या सरकार ने रायलसीमा में उपलब्ध, चन्दन के मूल्य का आकलन किया है?

श्री पी० चिदम्बरम : तस्करी वाणिज्य का विषय नहीं है। तस्करी वाणिज्य के प्रतिकूल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। हमें यह मालूम है कि लाल चन्दन की कुछ तस्करी हो रही है। मैं, माननीय सदस्य की शंकाओं और चिन्ताओं को पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा सीमा शुल्क विभाग तक पहुंचाऊंगा।

"अल्फांसो" किस्म के आम का निर्यात

*738. श्री सुधीर सावंत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए "अलफांसो" किस्म के आमों की मात्रा और मूल्य का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे आमों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसे निर्यात संवर्धन निकायों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे आमों के उत्पादकों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आमों के निर्यात से संबंधित आंकड़े किस्मवार नहीं रखे जाते हैं । तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आमों के देशवार निर्यात अनुबंध में दिए गए हैं । निर्यात किए आमों में लगभग 75% आम अलफांसो किस्म के हैं ।

(ख) आमों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने चुनिंदा देशों में आम प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, पैकेजिंग संबंधी मानकों का विकास करना, उत्पाद साहित्य तथा वीडियो फिल्मों का विकास आदि जैसे अनेक उपाय किए हैं ।

(ग) अल्फांसो आम मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गुजरात में उगाया जाता है । इन राज्यों की राज्य सरकारों के पास अल्फांसो आमों के किसानों की सहायता करने के लिए योजनाएं हैं । इन योजनाओं में वित्तीय सहायता, आम के बागानों के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आम के पौधों (सैपलिंग) का वितरण तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करना शामिल है । इसके अतिरिक्त, आमों का उत्पादन करने वाले किसान कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

अनुबन्ध

आमों का निर्यात

देश	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा (किग्रा०)	मूल्य (रु०)	मात्रा (किग्रा०)	मूल्य रु०	मात्रा (किग्रा०)	मूल्य (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	8530	165563	—	—	10284	335946
आस्ट्रिया	907	23916	—	—	4363	142704
बहमास	19231	306545	—	—	55	240
बहरीन	533721	2109581	474474	7965870	983714	20298200
बंगलादेश	2733	23134	—	—	94843	366358
बेल्जियम	13905	243888	1510	36114	12292	330876
ब्राजील	1550	16038	—	—	—	—
कनाडा	24337	559046	29487	598282	39560	1266894
साइप्रस	300	8000	—	—	—	—
डेनमार्क	131000	2023901	—	—	8	200
फ्रांस	17224	284143	420	21000	76696	1574537
जर्मनी	110400	1674994	50434	1420904	46148	835243

1	2	3	4	5	6	7
हांगकांग	3825	51523	—	—	21707	481029
इराक	28	6456	—	—	—	—
इटली	3193	40305	—	—	—	—
जापान	700	23072	—	—	—	—
केन्या	500	5000	—	—	1323	69178
कुवैत	1042142	18070749	969313	17354149	1056157	28409102
लेबनान	—	—	—	—	18000	208491
मलयेशिया	35297	393398	8240	83389	15189	257107
मालदीव	1020	12172	—	—	470	11569
मारीशस	—	—	—	—	350	8200
नेपाल	1006	5312	—	—	4833	23320
नीदरलैंड	62086	621907	13100	275898	69664	1386241
न्यूजीलैंड	—	—	—	—	1150	29184
नार्वे	—	—	—	—	3005	79737
ओमान	25644	492242	22067	597465	35642	1049960
कतार	711392	7608007	306681	6504642	633203	12693831
सऊदी अरब	3024866	43089456	3407692	53282968	5798399	78784312
सिंगापुर	23667	457341	40851	743510	33809	985895

स्वीडन	1300	29840	18060	163000	824	5408
स्विट्जरलैंड	126000	252921	2788	71330	6020	195819
थाईलैंड	520	17400	—	—	—	—
सं० अ० अमीरात	9938606	116958669	6351602	70420567	9581608	134947070
स० राज्य अमरीका	9480	89305	26000	544000	35693	833333
ब्रिटेन	—	—	234895	7425693	792572	26553291
सोवियत संघ	1670	33330	—	—	2046	35137
यमन अरब गणराज्य	172000	1861955	—	—	7	100
जाम्बिया	175	3090	—	—	—	—
कुल योग	16839024	221099161	12007614	167518782	19380354	312195542

अध्यक्ष महोदय : अलफांसो आम रसीले हो सकते हैं लेकिन मैं आप सभी को अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी किस्म के अलफांसो आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन निर्यात को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी सरकारी एजेंसियों की दृष्टिकोण निरुत्साहजनक रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि सरकार के निर्यात-आयात नीति सम्बन्धी वक्तव्य में साधारणतः कृषि उत्पाद के निर्यात का और विशेष रूप से अलफांसो आमों का कोई जिक्र नहीं किया गया।

देश में 19 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें हैं। लेकिन इनमें से कोई भी परिषद् कृषि उत्पाद के निर्यात का काम नहीं देखता है।

सब्जियों और फलों के विश्व व्यापार में, भारत का योगदान 0.6 प्रतिशत से घट कर 0.4 हो गया है तथा उसमें और गिरावट आ गई है। उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 1988-89 में 22 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ था। वर्ष 1989-90 में यह निर्यात घट कर 16 करोड़ रुपए हो गया। बाद में यह बढ़ कर 31 करोड़ रुपए हो गया।

यद्यपि निर्यात क्षमता 200 करोड़ रुपयों की है तथापि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। मेरा यह प्रश्न है कि : बाजार विकास, उत्पाद प्रोत्साहन, गुणवत्ता सुधार और पैकेजिंग सुधार के क्षेत्र में, अलफांसो आम के निर्यात के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन से विशिष्ट कदम उठा रही है ?

कृषकों को निर्यात के प्रोत्साहन में सम्मिलित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि कोई भी एजेंसी कृषि निर्यात पर ध्यान नहीं दे रही है। वास्तव में, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए० पी० ई० डी० ए०) एक ऐसी ही एजेंसी है और इस एजेन्सी के द्वारा कई कदम उठाए गये हैं तथा 31 मार्च, 1992 वर्षान्त में जो कृषि निर्यात हुआ वह पिछले वर्षों में हुआ अधिकतम निर्यात है। जब अन्तिम आंकड़े प्रस्तुत होंगे तब माननीय सदस्य प्रशंसा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में कृषि निर्यात अधिकतम स्तर पर था।

महोदय, जैसा भी हो, आमों के संबंध में माननीय सदस्य को एक बात की सराहना करनी चाहिए। विश्व का कुल उत्पादन 15 मिलियन टन है जबकि केवल 0.6 प्रतिशत का ताजा रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। इसका क्या मतलब है ? इसका यह मतलब है कि जिस देश में आम की पैदावार अधिक होती है, उसी देश में उस आम का इस्तेमाल हो जाता है। भारत विश्व के कुल आम उत्पादन का 63 प्रतिशत उत्पादन करता है। लेकिन हम लगभग 62.61 प्रतिशत आम स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए, बहुत कम ही निर्यात होता है। कृपया आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब हमारी आलोचना कर रहे थे तब उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। कुल निर्यात मूल्य जो 1988-89 में 22 करोड़ रुपये था, 1989-90 में घटकर 16 करोड़ रुपये हो गया। लेकिन वर्ष 1991 में वह बढ़कर 31 करोड़ रुपये हो गया।

हम अनेक कदम उठा रहे हैं। मैं ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा उठाए गए कदमों की सूची दिखाऊंगा। ए० पी० ई० डी० ए० ने यूरोप, मलेशिया, मारीशिस और संयुक्त अरब अमीरात में विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। ए० पी० ई० डी० ए० ने उस क्षेत्र में हुए विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आमों पर एक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन भी किया। ए० पी० ई० डी० ए० ने कई क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें क्रेताओं को, निर्यातकों से भेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया। बम्बई के आई० आई० पी० के माध्यम से अलफांसो, केसर, चौसा, दशहरी और बंगेनपल्ली के लिए ए० पी० ई० डी० ए० ने पैकेजिंग प्रतिमानों का विकास किया और ऐसे कई कदम ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा उठाये गये हैं। मैं सलाहकार समिति में अथवा किसी भी सदस्य से इस विषय में पूर्ण रूप से चर्चा करना चाहता हूं। हम इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री सुधीर सावन्त : इससे मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ क्योंकि ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा आयोजित विकास कार्यक्रमों आदि में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी कृषक शामिल नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अलफांसो आमों की अधिक पैदावार होती है। मुझको स्वयं ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा उठाए गए किसी भी कदम की जानकारी नहीं है।

दूसरा मुद्दा यह है कि यह कहा गया था कि आमों के उत्पादक भी ए० पी० ई० डी० ए० से, निर्यात विकास की विभिन्न योजनाओं से सहायता का लाभ उठा सकते हैं। ए० पी० ई० डी० ए० की कोई भी संस्था मेरे जिला अथवा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र में अलफांसो आमों का अधिक उत्पादन होता है और इस ए० पी० ई० डी० ए० का उत्पादनकर्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इसके परिणामस्वरूप बिचौलिये को आमों के उत्पादन को लाभ मिलने लगा है। वहां पर स्थिति यह है कि देशी बाजार में बहुत ही ऊंचे दामों पर आम मिल रहा है लेकिन इससे उत्पादनकर्त्ता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अतः मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उत्पादनकर्त्ताओं और किसानों को निर्यात के लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार इस क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठा रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा आयोजित पिछले सम्मेलन में हो सकता है रत्नागिरि के माननीय सदस्य को आमंत्रित नहीं किया गया हो, क्योंकि मैं सोचता हूं कि वे पहली बार सभा के सदस्य बने हैं। लेकिन मैं ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन में, आम उत्पादन क्षेत्रों से सभी माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित करूंगा और उस क्षेत्र के माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, हम उन पर निःसन्देह विचार करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तभी होगा, यदि आप सम्मेलन में झगड़ा नहीं करेंगे। अब रंगदा और अलफांसो आमों के बीच विवाद है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, केवल अलफांसो की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आमों के सभी प्रकारों की बात कह रहा हूं। यदि मुझे आम खाने वाले सभी सदस्यों को आमंत्रित करना है तो मुझे संसद का विशेष सत्र को बुलाना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सवाल के उत्तर में यह कहा है कि अलग-अलग किस्मों के बारे में विवरण देना संभव नहीं है, लेकिन 70 फीसदी अल्फान्जो आम का निर्यात होता है। बिहार में खासकर पटना के पास दीघा में दूधिया मालदा आम होता है, उसका छिलका (कवर) बिल्कुल पतला होता है और उसमें गुठली न के बराबर होती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके बयान का कैसा विश्वास करें ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप कहें तो इस सीजन में आपको खिला देंगे।

श्री मदन लाल खुराना : आप खिलायें तभी मालूम पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : सबको खिलायेगा।

श्री नीतीश कुमार : इतना अच्छा आम है और उत्तर प्रदेश का दशहरी भी कांफी अच्छा है। यह ठीक है कि अलफांजो की भी अपनी क्वालिटी है और बहुत ज्यादा दिन तक इसे प्रजर्व रखा जा सकता है। लेकिन इन आमों के साथ त्रुटि यह है कि ये दूधिया माल्दहा और लंगड़ा आमों में बहुत नजाकत है, ये ज्यादा दिन तक प्रिजर्व नहीं रखे जा सकते। लंगड़ा और दूधिया माल्दहा आमों के राजा हैं और दशहरी आमों की रानी है। दोनों में बहुत नजाकत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सम्बन्ध हमें मंजूर नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : ये आम जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इनके निर्यात करने की दृष्टि से ज्यादा दिन तक प्रजर्व रखा जा सके इसके लिए सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी ? अगर एक बार इनका निर्यात हो गया तो इनकी बहुत बड़ी मांग होगी, यह भी सत्य है। इसलिए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इनको अधिक दिनों तक प्रजर्व रखा जा सके ताकि इनके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न हमारी भूख को और बढ़ाता है। मुझे विश्वास है, कि यदि वे पहले हमें स्वाद के लिए एक क्रेट आम भेजेंगे तो हम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। महोदय, नि:सन्देह हम इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे। मुझे विश्वास हो गया है कि निर्यात क्षमता अधिक है। वास्तव में, हमारे अपने आकलन के अनुसार निर्यात क्षमता लगभग 200 करोड़ रुपये की है। लेकिन मैं एक वर्ष में 200 करोड़ रुपये की लम्बी उड़ान नहीं भर सकता। मैं सोचता हूं कि हम 200 करोड़ रुपये तक पहुंच सकते हैं। ए० पी० ई० डी० ए० ने

एक व्यापक योजना तैयार की है और मैं नि:सन्देह आम उत्पादक क्षेत्रों से सदस्यों को आमंत्रित करने का अपना वादा पूरा करूंगा। हम उनके साथ चर्चा करेंगे और हम आपके साथ इस योजना के बारे में चर्चा करेंगे और आप जो भी सुझाव देंगे, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : माननीय मंत्री ने आमों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा किए गये कुछ उपायों का जिक्र किया। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि आम के उत्पादों जैसे आम का रस, गूदा के बढ़े हुए निर्यात में अवरोध का एक कारण विशेष पैकेजिंग सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता भी है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार, उन अनेकों निर्यातकों को विशेष पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जोकि अपने आम उत्पादों का निर्यात करने के उत्सुक हैं ? इससे सरकार को निश्चित रूप से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह भी उन अवरोधों में से एक प्रमुख अवरोध है और कृपया आवश्यक कार्य कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। आम अथवा अन्य कृषि उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग और गोदाम की सुविधा न होना भी निर्यात के विकास में एक प्रमुख बाधा है। हम इस विषय में ध्यान दे रहे हैं और मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर प्लेन और पहाड़ी एरिया दोनों हैं। प्लेन एरिया में आम की खेती होती है और पहाड़ी क्षेत्र में सेब तथा अन्य फलों की खेती होती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आम बहुत पैदा होता है और अन्य फल हैं उनका निर्यात करने के लिए आपने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं अभी नहीं बता सकता हूं कि हिमाचल के आमों के लिए कोई योजना है। मेरी जानकारी है कि हिमाचल आमों का प्रमुख उत्पादक नहीं है। आम के मुख्य उत्पादक उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपको बंगाल के रानी बसंत लाकर दूंगी।

श्री पी० चिदम्बरम : हमारा सामान्य नियम है कि यदि कोई माननीय सदस्य इस बात की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आम उगाए जाएं तब वह पहले उन आमों की एक टोकरी हमें भिजवानी होगी।

महोदय, मैं देखूंगा कि इन हिमाचल के आमों के लिए कुछ किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : अध्यक्ष जी, कोंकण प्रदेश में आमों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां से हाफूज आमों का अच्छा निर्यात हो सकता है। अभी निर्यात बहुत कम होता है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार की ओर से जो कोशिश की जा रही है, क्या इस विषय में भी सरकार ध्यान दे रही है कि बिचौलिये या दलाल इस काम में ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और उत्पादक किसान को उचित दाम नहीं मिलता है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है। यदि है तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे खेद है कि सरकार बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। सरकार को आम निर्यात के व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम से आम निर्यात करने के लिए कहेंगे तब आप जानते ही हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें सरकार को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहिए। सरकार को उत्पादकों ने सहकारी संगठन अथवा निर्यात गृह अथवा व्यापार गृह बनाकर निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि उत्पादक सहकारी समिति गठित करें। मैंने प्रत्येक राज्य सरकार को उनके अपने संगठन के अन्तर्गत निर्यात गृह गठित करने, कुछ गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए कहा है। यह मामले व्यापार के लिए छोड़ देने चाहिएं और इन मामलों पर राज्य सरकारों को अवश्य प्रयास करने चाहिएं। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए 'एक्सपोर्ट हाउस' का गठन करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को सहायता देने के लिए तैयार हूं। मैं सभा में यह बता रहा हूं कि मैंने प्रत्येक मुख्य मंत्री को यह लिखा है कि प्रत्येक राज्य सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात गृह स्थापित करे और भारत सरकार उन निर्यात गृहों को पूर्ण सहायता देगी।

भारत पर्यटन वित्त निगम

[हिन्दी]

*739. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन वित्त निगम द्वारा किन-किन कम्पनियों को ऋण प्रदान किए गए हैं; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जनवरी, 1989 में निगमित भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन उद्योग में 149 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं को मंजूर कुल सहायता राशि 241.22 करोड़ रुपए हैं

जिसमें ऋण/ऋण प्रत्याभूति/अंशदान/इक्विटी शेयर की हामीदारी और लीजिंग शामिल हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मंजूरियों में से कुल 100.27 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया ।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भारतीय पर्यटन वित्त निगम अपने किसी घटक से संबंधित सूचना नहीं दे सकता है ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि भारत पर्यटन वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों में किन-किन कम्पनियों को कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया परन्तु माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कम्पनियों के नाम नहीं बताये हैं । इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसका विवरण सभा पटल पर रखवाये जाने की आप व्यवस्था करें अथवा हम लोगों के पास भिजवा दें । मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कुल 149 परियोजनाओं को 241.22 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 100 करोड़ 27 लाख रुपये का संवितरण किया गया । मेरा प्रश्न है कि इन परियोजनाओं या कंपनियों को ऋण देने की पात्रता का आधार क्या है और प्राय: आप उन्हीं को ऋण देते हैं जिनका इस रोजगार में प्रभुत्व है, क्या यह सच है ।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, 19 जनवरी, 1988 को टी० एफ० सी० आई० की स्थापना हुई थी और 1 फरवरी, 1989 से उसने काम करना शुरू कर दिया था । खासकर जो प्रोजैक्ट्स होटल्स से संबंधित हैं, उन्हें बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 3 सालों में लगभग 149 करोड़ रुपये की योजनायें बनीं । टी० एफ० सी० आई० का मुख्य मुद्दा यही है कि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और खासकर इन तीन सालों में 8000 कमरे विभिन्न होटलों में बनाए गए जिससे लगभग 16 हजार लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला, लाभ मिला । इसके साथ माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश को बिलौंग करते हैं, सबसे ज्यादा हमने इन तीन सालों में 15 हजार प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश को इसमें दिये, जिनके लिए 20 करोड़ रुपये हमने आवंटित किये । जहां तक अलग-अलग योजनाओं की जानकारी आपने मांगी है, वह बताने में, मैं अपनी असमर्थता इसलिये व्यक्त करता हूं क्योंकि इंडीवीज्युअल्स और क्याइंट्स के बारे में कोई जानकारी देना उचित नहीं है । यदि माननीय सदस्य फिर भी कोई जानकारी इस बारे में चाहते हैं तो मैं उन्हें अलग से वह सूचना दे दूंगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने पूछा था कि ऋण देने की पात्रता का आधार क्या है?

श्री बलबीर सिंह : इस निगम में ऋण देने की पात्रता यही है कि इसमें यह देखा जाता है कि जो होटल प्रोजेक्ट्स हैं, वे क्या हैं, उसके नौर्म्स क्या हैं और खासकर तीन करोड़ रुपये की लागत तक के जितने प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फाइनेन्शयल इंस्टीट्यूशन्स करते हैं। यदि वे सहायता देने में असमर्थ होते हैं, सहायता नहीं कर पाते हैं तो उस गैप को टी० एफ० सी० आई० फिल करता है । और खासकर इसमें 5 करोड़ के ऊपर का है, इसमें फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स हैं । इसके लिए भी अलग-अलग नार्म्स हैं । इसके अनुसार 3 साल में 139 प्रोजैक्ट्स

को हमने दिया है और इसके जो नार्म्स हैं, टी० एफ० सी० आई० खुद इसके नार्म्स देखता है और जहां-जहां प्रोजेक्ट्स हैं, वहां वे अपने-अपने यहां टूरिज्म को डवलप करने के लिए अपनी-अपनी रैस्पैक्टिव स्टेट्स को भेजते हैं और वहां से वे टी० एफ० सी० आई० को प्रस्ताव भेजते हैं, उसके अनुसार पूरी सहायता की जाती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है—माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर प्रदेश का नाम लिया, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिनांक 25 फरवरी, 1992 को पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को सहायता के बारे में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। देखिए राज्य सभा में क्या हुआ है, उसको यहां रैफर नहीं कर सकते।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत महत्वपूर्ण है सर।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसा मन में आए वैसा हम नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, अक्तूबर, 1991 में उत्तर प्रदेश के लिए 3 करोड़ 97 लाख 87 हजार रुपए दिए गए, अब की बार 20 करोड़ रुपए दिए गए, तो यह आपकी सहायता बराबर घट रही है, 300 करोड़ से 20 करोड़ पर आ गई है, तो इस प्रकार से एकाएक इस राशि को कम करने का क्या कारण है ? और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सहसपुर भीतरी में, जहां से स्पीकर साहब मैं चुनकर आता हूं, वहां पर मौर्यकालीन युग का बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो कि काफी दिनों से उपेक्षित है, क्या उसके विकास के लिए भी आप राज्य सरकार को विशेष धन आबंटित करेंगे जैसा कि आपने अभी कहा है, और भारतीय पर्यटन स्थलों, होटल, क्लब, छोटे मोटल, संग्रहालय आदि खोलने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार नवयुवकों को भारतीय पर्यटन निगम सीधे धनराशि आबंटित कराने में क्या सहायता करेगा ?

श्री बलबीर सिंह : सर, जहां तक माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा है, मैंने पहले ही बताया है कि सबसे ज्यादा धनराशि हमने उत्तर प्रदेश को ही दी है। इसके बाद जो उन्होंने कहा है, जिस क्षेत्र के विकास के लिए कहा है, यह तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसका कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर है। अगर 3 करोड़ से ऊपर का है, तो उसको टी० एफ० सी० आई० जरूर सहायता देगी और अगर 3 करोड़ के अन्दर है, तो स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशंस हैं, वे सहायता देते हैं और जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, जो नार्म्स होंगे, उनके हिसाब से उनको मिलेगा और जैसा मैंने कहा—8 हजार कमरे बने हैं, जिनमें 16 हजार लोगों को रोजगार मिला है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से शे० का० और शे० ट्रा० के व्यक्ति होंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रथाओं और परम्पराओं द्वारा यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि क्या अधिनियम द्वारा अथवा नियम द्वारा गोपनीयता रखी जा रही है। यह प्रश्न संख्या एक है।

इस गोपनीयता से आपका तात्पर्य क्या है ?

दूसरे, क्या आप पांच, चार, तीन और दो सितारा होटलों की संख्या बता सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी में कितना संवितरण हुआ ।

श्री तरित बरन तोपदार : इसे अलग कैसे किया जाता है और इसका नियम क्या है ?

[हिंदी]

श्री दलबीर सिंह : सर, यह तो न टी० एफ० सी० आई० में है, न यह गवर्नमेंटल बॉडी है और न ही यह हमारी गवर्नमेंट की है, न ही कंपनी लिमिटेड है और न ही यह टी० एफ० सी० आई० की सब्सीडियरी है । सर, प्लानिंग कमीशन ने नेशनल कमेटी में यह तय किया था कि हमारे इस तरह के इंस्टीट्यूशन्स हों, ताकि हम होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकें और इसके साथ-साथ आई० डी० बी० आई० है, यू० टी० आई० है और एल० आई० सी० है इसमें जो 50 परसेंट शेयर होल्डर्स हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि नाम देने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा बैंक सर्विसेस में होता है क्लाइंट और उसके बीच में जो है, उसको हमेशा ही गुप्त रखा जाता है, वैसे ही यहां है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप इसे कैसे करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा के अनुसार है या विधि के अनुसार ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रथा है ।

[अनुवाद]

श्री तरित बरन तोपदार : कौन-सा नियम अलग किया गया है ?

[हिन्दी]

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलत प्रथा है, तो वह बंद होनी चाहिए ।

श्री दलबीर सिंह : अगर माननीय सदस्य को आवश्यकता है, तो मैं उनको जवाब दे दे सकता हूं ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने पांच सितारा होटलों को कितनी राशि दी है ? क्या आप ऐसे पांच सितारा होटलों के आंकड़े हमें दे सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि आप चाहें तो वे सदस्यों को नाम दे देंगे।

गोआ को अनुदान

*740. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी-कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य को दी गई अनुदान राशि में भारी कटौती कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गोआ द्वारा केन्द्रीय राजकोष को दिए जाने वाले अत्यधिक अंशदान को देखते हुए इस राज्य को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु केंद्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्य योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए संसाधन ह्रास के अन्तर्गत गोवा को दी गई अनुदानों की राशि क्रमश: 5191.84 लाख, 6502.11 लाख तथा 4832.30 लाख रु० थी।

(ख) और (ग) नव गठित राज्य होने के कारण प्रारम्भिक वर्षों में गोवा को तदर्थ आधार पर अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय सहायता दी गई थी, पिछले वर्ष की तुलना में 1991-92 में गोवा को दिए गए अनुदान में कटौती इस कारण से की गई थी कि गोवा को केन्द्रीय योजना सहायता के सूत्र पर आधारित आबंटन के अन्तर्गत लाया गया था जैसा कि अन्य चौदह गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में है।

(घ) चूंकि केन्द्रीय सहायता का सूत्र पर आधारित आवंटन केंद्रीय राजस्व, बैंक जमाओं या विदेशी मुद्रा अर्जन में राज्यों के अंशदान से सम्बन्धित नहीं है इसलिए और अधिक केंद्रीय सहायता आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : एक छोटा-सा प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैंने उन्हें नहीं सुना है। कृपया उन्हें फिर से बोलने के लिए कहिए।

श्री शांताराम पोतदुखे : सभापटल पर विवरण रख दिया गया है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : गोवा के साथ बहुत अन्याय किया गया है। मैं सभा तथा मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अचानक ही गोवा को दिए जाने वाले अनुदान की राशि 110 करोड़ से घटाकर 48 करोड़ रुपये कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं अपना प्रश्न पूरा नहीं कर पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

*741. **श्री राजेश कुमार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों के लाभ में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उपक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसका कारण इन उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य में हुई वृद्धि है अथवा उनका बेहतर उत्पादन ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्ष 1990-91 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों के करपूर्व-लाभ में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा 25.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1989-90 के मुकाबले 1990-91 में कर पूर्व लाभ में समग्र वृद्धि का आंशिक कारण 1989-90 की तुलना में 1990-91 में बिक्री मूल्य में वृद्धि होना और दूसरा आंशिक कारण कम्पनियों द्वारा बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था को अपनाया जाना है।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 में करपूर्व-लाभ का उपक्रमवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	1989-90	1990-91 (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	34.07	48.68

1	2	3	4
2.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	41.39	53.97
3.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	65.51	67.14
4.	माझगांव डॉक लिमिटेड	(—) 3.13	3.21
5.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स	5.98	17.52
6.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	7.14	13.67
7.	भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड	17.52	6.62
8.	मिश्र धातु निगम	.54	.57
	जोड़	169.02	211.38

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण

*742. श्री अन्ना जोशी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्तकर्ता ऋणों की अदायगी नियमित रूप से कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए (नवीनतम उपलब्ध) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत दिए गए ऋणों की वसूली निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

समाप्त वर्ष (जून)	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशतता
1989	910	356	554	39.1
1990	1069	330	739	30.8
1991	1263	521	742	41.0

वाणिज्यिक बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(क) नियन्त्रण कार्यालय और क्षेत्रीय स्तरों पर संगठनात्मक संरचना का सुदृढ़ीकरण और अनुकूलन;

(ख) ऋणों के सम्बन्ध में योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना;

(ग) उधार पूर्व मूल्यांकन प्रणाली और उधारोत्तर पर्यवेक्षण, तकनीक को तेज करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हिताधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना ताकि कम से कम चूक हो;

(घ) बैंकरों और सरकारी अधिकारियों की जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय बैठकों में अन्य मदों के साथ-साथ वसूली की स्थिति सम्बन्धी मद पर विचार-विमर्श करना;

(ङ) ब्लाक स्तर पर राज्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता से वसूली अभियान शुरू करना; और

(च) ग्रामीण शाखाओं के लिए सप्ताह में एक दिन गैर-बैंकिंग कार्य दिवस के रूप में मनाना।

प्रतिबन्धित और अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

***743. श्री द्वारका नाथ दास :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सीमेंट, टायर, साबुन, टूथपेस्ट और औषधियों के मूल्यों में असामान्य वृद्धि होने का कारण कंपनियों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) एकाधिकार, अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कुछ टायर, सीमेंट, औषधि और उपभोज्य उत्पाद कम्पनियों के विरुद्ध लगाए गए मूल्यों की हेरा-फेरी करने या मूल्य निर्धारण में संगठित सहमति से कार्रवाई करने के आरोपों के संबंध में जांचें संस्थित की हैं। एम० आर० टी०पी० अधिनियम के उपबन्धों को हाल ही में एम०आर०टी०पी० (संशोधन) अधिनियम, 1991 के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है जिससे कि एकाधिकारिक, अवरोधक और अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में आयोग समुचित कार्यवाही करने में सक्षम हो सके।

मुम्बई में नकली दवाओं का अवैध व्यापार

***744. श्री [illegible] :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डी०ई०ए०) ने यह कहा है कि विश्व में जिन पत्तनों से हेरोइन को सबसे अधिक लाया ले जाया जाता है, उनमें मुम्बई का तीसरा या चौथा स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मुम्बई में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने बम्बई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एक क्षेत्रीय एकक स्थापित किया है। बम्बई पुलिस ने केवल नशीले पदार्थों के मामलों को निपटाने के लिए एक स्वापक सैल की स्थापना की है जिसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त द्वारा किया जाता है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के तूफानी दल (फ्लाईंग स्क्वाड) को भी बम्बई निगम के अति संवेदनशील क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में प्रवर्त्तन गतिविधियों का भार सौंपा गया है। अन्य प्रवर्त्तन एजेंसियां जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय आदि इस संबंध में कड़ी सतर्कता रखती हैं। स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत बम्बई में पकड़ी गई हेरोइन तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से प्रमाणित होता है कि नशीले पदार्थों के व्यापारियों के विरुद्ध की गई बहुआयामी प्रवर्त्तन कार्यवाही बहुत अच्छे परिणाम दर्शाती है जैसा कि नीचे दिया गया है :

वर्ष	पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा किलोग्राम में	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1990	990	151
1991	326	241
1992 (7-4-92 तक)	259	36

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त

*745. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक नियुक्ति किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उक्त पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को तैनात करना सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

रक्षा सम्पदा कार्यालय, दिल्ली के अधीन भूमि/परिसर

*746. **श्री मोहन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी स्थित रक्षा सम्पदा कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन खाली और अप्रयुक्त पड़ी भूमि तथा परिसरों का कार्यालय-रिकार्ड के अनुसार क्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी भूमि और परिसर को, जो रक्षा और लोक प्रयोग के लिए अपेक्षित नहीं हैं, रक्षा सम्पदा महानिदेशक द्वारा पट्टे पर या लाइसेंस के आधार पर दिए जाने के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) इन खाली पड़ी भूमि और परिसरों को पट्टे पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली छावनी को ए-2, बी-3 और बी-4 के अंतर्गत वर्गीकृत केवल 1899.08 एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंध सौंपा गया है। इसमें से सिविल क्षेत्र से बाहर की 605.11 एकड़ भूमि खाली पड़ी है। रक्षा भूमि पर निर्मित भवन/परिसर, रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली छावनी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

2. मौजूदा नीति के तहत, जो भूमि अस्थायी रूप से रक्षा जरूरतों से अधिक है उसे रक्षा सम्पदा अधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर कृषि प्रयोजनों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को पट्टे पर दे सकता है :

(1) पट्टे की अवधि सामान्यतः एक बार में 5 वर्ष के लिए होगी।

(2) भूतपूर्व सैनिकों की कुल आय पेंशन सहित 1000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) वे सवेतन नौकरी पर न हों और उनके पास 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ अथवा इससे अधिक गैर-सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।

(4) भूतपूर्व सैनिक के पास पट्टे पर दी गई भूमि और पहले से उपलब्ध भूमि अथवा किसी भी स्रोत से पट्टे पर प्राप्त भूमि 5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) यदि भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को भूमि पट्टे पर दी जाती है तो उस सहकारी समिति के सभी सदस्यों को उपर्युक्त शर्तों को पूरा करना होगा और समिति को पट्टे पर दी गई कुल भूमि प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को उपर्युक्त शर्तों के अनुसार दी जाने वाली भूमि के कुल योग से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपलब्ध भूमि को सभी भूतपूर्व सैनिकों के बीच समान रूप से आबंटित किया जाता है, बशर्ते प्रत्येक सैनिक को कम से कम एक एकड़ सिंचित भूमि और 2 एकड़ गैर-सिंचित भूमि प्राप्त हो सके। इसमें भी सबसे निर्धन सैनिकों को वरीयता दी जाती है। जहां भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी सहकारी समितियां अस्थायी रूप से फालतू घोषित की गई भूमि को पट्टे पर लेने के लिए आगे नहीं आतीं वहां ऐसी भूमि को उन भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को भी पट्टे पर दिया जा सकता है जिनके पास कुल भूमि (अपनी भूमि अथवा अन्य स्रोतों से पट्टे पर प्राप्त भूमि) 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से कम हो और जिनकी कुल मासिक आय 500 रु० अथवा इससे कम हो। ऐसे व्यक्तियों को जो भूमि पट्टे पर दी जाएगी वह 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से अधिक नहीं होगी। इसमें उनके पास पहले से ही उपलब्ध अथवा किसी भी स्रोत से पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है। भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्र स्थानीय सैनिक-नाविक-वायु-सैनिक बोर्ड के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं और भूमिहीन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र जिलाधीशों/तहसीलदारों के माध्यम से मंजूर किए जाते हैं।

3. महानिदेशक, रक्षा सम्पदा को पेट्रोल पम्प पट्टे पर देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं बशर्ते कि उसके लिए रक्षा भूमि उपलब्ध हो। महानिदेशक, रक्षा सम्पदा को पंजीकृत शिक्षा-संस्थाओं को एक बार में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नाममात्र-सा शुल्क अदा करने पर रक्षा प्रयोक्ताओं से फालतू पड़ी भूमि को खेल के मैदान आदि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पट्टे पर देने की भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उक्त लाइसेंस एक माह का पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

मोपेड निर्माताओं को रियायत/सहायता

*747. श्री पी० श्रीनिवासन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मोपेड निर्माताओं को रियायत/सहायता देने की कोई योजना है ताकि अफ्रीकी देशों को मोपेड का निर्यात बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन करना सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। सरकार ने जो विभिन्न उपाय अंगीकार किए

हैं इनके फलस्वरूप अफ्रीका तथा अन्य देशों को मोपेडों का निर्यात करने में सहायता मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) शुल्क छूट योजना और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के तहत निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निवेश साधन मुहैय्या कराना।

(2) निर्यात दायित्व की एवज में निर्यात उत्पादन के लिए रियायती आयात शुल्क दर पर पूंजीगत माल के आयात की व्यवस्था;

(3) विदेशों में मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भाग लेने और अन्य निर्यात संवर्धन उपायों के लिए बाजार विकास निधि से सहायता प्रदान करना;

(4) निर्यात को सुकर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों को एक्जिम बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की मार्फत ऋण तथा ऋण की व्यवस्था मुहैय्या कराना;

(5) निर्यात से प्राप्त सम्पूर्ण आय को आयकर से मुक्त रखना;

(6) वर्ष 1991 में एक्जिम स्क्रिप प्रणाली आरंभ करना और हाल के बजट में बाजार मुद्रा विनिमय दर पर निर्यात आय के 60% भाग के परिवर्तन का प्रावधान;

(7) विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय-दर का पुनर्समंजन जिसके फलस्वरूप हमारी निर्यात कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी बनी हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कर

*748. श्री देवी बक्स सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर दंडात्मक कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब से लागू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मोटर-वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण के संबंध में, मानदंड निर्धारित किए हैं निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाला वाहन दण्डनीय है।

(घ) केन्द्र सरकार ने वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण की जांच के लिए निम्न-लिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं—

(1) सभी मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन स्तर निर्धारित किए गए हैं;

(2) वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं;

(3) सरकार ने कुछ विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किए हैं जिनके अनुसार मोटर वाहनों का निर्माण किया जाना है;

(4) आटोमोबिल निर्माताओं की उत्पादन लाइन से मोटर वाहनों के यादृच्छिक प्रति-चयन की एक प्रक्रिया भी शुरू की गई है जिससे यह पता चल सके कि क्या ये वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करते हैं।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन क्षेत्र

*749. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ख) 1992-93 के दौरान ऐसे क्षेत्रों की स्थापना कहां-कहां की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों का स्थान-निर्धारण करने के लिए जो कारक अभिज्ञात किए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) किसी अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह अथवा हवाई अड्डे का समीप होना;

(2) औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता;

(3) वाणिज्यिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता;

(4) अन्दरूनी स्थानों से सम्पर्क;

(5) संचार सुविधाओं का उपलब्ध होना;

(6) सामुदायिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना।

(ख) अतिरिक्त निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 को चौड़ा करना

*750. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलक्कड के निकट वालयार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 को चौड़ा करने संबंधी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राजमार्ग के इस भाग पर निर्माण शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को किस तिथि तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 92.27 लाख रु० की लागत से पालाक्कड के निकट वालयार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 को चौड़ा करने का प्रस्ताव 30 अक्तूबर, 1991 को मंजूर किया गया था और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य फरवरी, 1992 में सौंपा गया था। इस कार्य को मार्च, 1993 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सोने की मांग

*751. **श्री माण्ये गोवर्धन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाला कारोबार पर सरकार की नई स्वर्ण नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या नई नीति के अन्तर्गत स्वर्ण आयात से देश में सोने की औसत वार्षिक मांग पूरी होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मांग किस तरह पूरी करने का प्रस्ताव है और देश में सोने की तस्करी किस प्रकार रोकी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध सूचना से प्रतीत होता है कि, जैसी कि संभावना थी, नई नीति का हवाला कारोबार को कम करने पर अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, विश्वसनीय मूल्यांकन इस स्कीम और समर्थकारी उपायों का पूर्ण प्रभाव पड़ने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद ही संभव हो सकेगा।

(ख) और (ग) भारी मांग और सीमित घरेलू उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम से घरेलू पूर्ति और मांग के अन्तर के पूरा होने की संभावना नहीं है। यह नई नीति के मुख्य उद्देश्यों में से भी नहीं है। अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार का अन्य कोई विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है। सोने की तस्करी रोकने के लिए प्रयत्नों के रूप में सामान्य सतर्कता और प्रवर्तन कारंवाई जारी रहेगी।

विदेशों में संयुक्त उद्यम

*752. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों के समुचित मूल्यांकन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय भागीदारों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम न लगाये जाने की स्थिति में उन पर दण्ड लगाने का है ताकि भारतीय उद्योग के बारे में दुष्प्रचार को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों का मूल्यांकन एक अन्तःमंत्रालयी समिति द्वारा किया जाता है जो भारतीय दूतावास आर्थिक कार्य विभाग भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सिम बैंक और तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त सूचना आदि को ध्यान में रखती है। इस बारे में व्यापार बोर्ड उप-समूह से हाल ही में जो सिफारिशें प्राप्त हुई हैं वे भी विचाराधीन हैं। इस समय इस तरह का अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुपए में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात

*753. डा० वी० राजेश्वरन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात करने के लिए सरकार ने कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सीमा में कोई ढील देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रुपए में भुगतान करने वाले देशों को दुर्लभ मुद्रा में कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिनांक 31-12-1991 तक रुपया भुगतान देशों के साथ किए गए व्यापार करारों की शर्तों में इन देशों को निर्यात करने अथवा इन देशों से आयात करने की अनुमति नहीं है।

कानूनी सहायता प्रकोष्ठ

*754. श्री बलराज पासी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मुकदमा करने वाले गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु कानून सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक ऐसे कितने प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ग) ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) :(क) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों तथा चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों को छोड़ कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने मुकदमा पूर्व समझौता आदि के लिए कुछ राज्यों में स्वतंत्र सेल भी स्थापित किए हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने उच्च न्यायालय, जिला और अधिकतर राज्यों में तालुका स्तर पर भी विधिक सहायता समितियां स्थापित की हैं जिससे कि समुदाय के कमजोर वर्गों तक विधिक सहायता सरलता से पहुंचाना सुकर हो जाए तथा उसकी व्यवस्था की जा सके।

(घ) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों का वित्तपोषण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जब कभी राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों से अनुरोध प्राप्त होता है तब केन्द्रीय सरकार, गुणागुण के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। निधि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

कनाडा के साथ व्यापार

*755. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा को किए जा रहे निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उस पर कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी भारतीय दल ने कनाडा की यात्रा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कनाडा सरकार के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए की गई चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारत तथा कनाडा के बीच व्यापार अपेक्षतया संतुलित है। वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) में कनाडा को भारत से जो निर्यात हुआ वह कुल भारतीय निर्यात का 1.05 प्रतिशत रहा और भारत को कनाडा से किया गया निर्यात कनाडा के कुल निर्यात का 0.20 प्रतिशत रहा। भारत का कनाडा के साथ आम तौर पर प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा है। कनाडा को भारतीय निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश है।

इन दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार किसी द्विपक्षीय करार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है और सरकारों की व्यापार में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। एक ऐसी संयुक्त व्यापार परिषद कार्यरत है जिसमें व्यापार संवर्धन के लिए दोनों देशों के उद्योग प्रतिनिधि समय-समय पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

भारत-कनाडा संयुक्त व्यापार परिषद् की छठी बैठक माह सितम्बर, 1991 में टोरन्टो तथा मान्ट्रियल में आयोजित की गयी थी। बैठक में अन्य बातों के अलावा, भारत तथा कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में हुई गतिविधियों, भारत-कनाडा व्यापार और भारत-कनाडा औद्योगिक सहयोग पर विचार किया गया। परिषद् ने यह बात महसूस की कि भारत की व्यापार नीतियों में जो प्रमुख परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं उनके फलस्वरूप आगामी वर्षों में भारत-कनाडा के व्यापार में वृद्धि होगी। कनाडा को निर्यात किए जाने हेतु अनेक मदों को अभिज्ञात किया गया जैसे — काफी, रंजक तथा उसके उत्पाद, टायर, चमड़े का सामान, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, आभूषण, इंजीनियरी माल, कंप्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान

*756. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत चाय व्यापार निगम के प्रबन्धाधीन चाय बागानों का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम को सौंपने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) से (ग) टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के पश्चिम बंगाल स्थित बागानों के प्रबन्धन को पश्चिम बंगाल टी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है। उनके इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

इलायची का निर्यात

*757. **श्री वी० कृष्णा राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इलायची की भारी मांग है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष इलायची के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	छोटी इलायची		बड़ी इलायची	
	मात्रा एम० टी०	मूल्य करोड़ रु०	मात्रा एम० टी०	मूल्य करोड़ रुपए
1989-90	180	3.06	787	2.95
1990-91	400	10.87	961	4 31
1991-92 (अनन्तिम)	553	16.07	932	4.76

(ग) इलायची के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड की अनेक योजनाएं हैं जिसका अन्तिम उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत के निर्यात में वृद्धि करना है। इनमें शामिल हैं :

(1) अच्छी किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति और टिस्यू कल्चर पौधशालाएं शुरू करना;

(2) इलायची पुनर्रोपण कार्यक्रम;

(3) सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यक्रम;

(4) इलायची उद्योग में बीमारियों तथा कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं आदि की इमदादी आपूर्ति;

(5) वैज्ञानिक शोधन कार्य को लोकप्रिय बनाना;

(6) कीमत को स्थिर रखने के लिए नीलामी प्रणाली का विनियमन।

मसाला बोर्ड मध्यपूर्व में हमारे बाजारों पर विशेष बल देते हुए क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित करता है।

[हिन्दी]

मुम्बई में पंजीकृत कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

7758. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों के विरुद्ध जुलाई से दिसम्बर, 1991 के बीच सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) बम्बई में जुलाई से लेकर दिसम्बर, 1991 तक कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों के विरुद्ध सरकार को 567 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जहां तक ऐसी कंपनियों के नामों का सम्बन्ध है, आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आगामी यथोचित कार्यवाही शुरू करने हेतु वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने और कंपनी का उत्तर प्राप्त करने के लिए मामलों पर कार्यवाही की गयी थी।

[अनुवाद]

जल का शुद्धिकरण

7759. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स" में "पानी शुद्ध करने की तकनीक पर कब्जा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी गत पांच वर्षों से प्रदूषित पानी शुद्ध करने की बहुत आसान स्वदेशी तकनीक का उपयोग रोके हुए है;

(ग) यदि हां, तो उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। यह प्रौद्योगिकी किसी विशेष एजेंसी तक सीमित न रखकर एक से अधिक एजेन्सियों को हस्तान्तरित की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

फालतू पुर्जों का आयात

7760. **श्री जंगबीर सिंह :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों के लिए परियोजना आयात के अन्तर्गत फालतू पुर्जों के आयात हेतु दी गई विभिन्न रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिसूचना सं० 9801 के अन्तर्गत परियोजना आयात के अधीन फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) इस समय, सीमा शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष सं० 9801.00 के अन्तर्गत उल्लिखित किसी संयंत्र अथवा किसी परियोजना के रख-रखाव के लिए अपेक्षित फालतू कल-पुर्जों, अन्य कच्ची सामग्रियों (अर्द्ध परिष्कृत सामग्री सहित) अथवा उपभोज्य भण्डारों के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि ऐसे फालतू कल-पुर्जों, अन्य कच्ची सामग्रियों अथवा उपभोज्य भण्डारों का मूल्य उक्त उपशीर्ष में उल्लिखित माल के मूल्य के 10% से अधिक न हो। इन उपबंधों की शर्तों पर आयातित फालतू कल-पुर्जों पर शुल्क की वही दर लगाई जाती है जो उस परियोजना पर लागू होती है जिसके वह एक अंग हैं। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए आयात किए जाने वाले फालतू कल-पुर्जों पर प्रभार्य शुल्क की विद्यमान दरें इस प्रकार हैं :

परियोजना का प्रकार	शुल्क की दर
सामान्य परियोजनाएं	55%
इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनाएं	50%
विद्युत परियोजनाएं	30%
कोयला खनन परियोजनाएं	30%
कच्चे पेट्रोलियम को साफ करने की परियोजनाएं	30%
उर्वरक परियोजनाएं	15%

(घ) इसका प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण

7761. श्री बाइल बान अंजलोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में कितने हाई स्कूलों और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को केरल में कुछ और स्कूलों में नेशनल कैडेट कोर के डिवीजन खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में कुछ और अधिक स्कूलों में नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 448.

(ख) केरल राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय को और अधिक विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था प्रारम्भ करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) केरल राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में दो वर्षों 1991-92 और 1992-93 के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों की 20,000 अतिरिक्त टुकड़ियों की व्यवस्था की जानी है। इसमें नवोदय विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाती है। केरल को आबंटित की जाने वाली टुकड़ियों की निश्चित संख्या अभी निर्धारित की जानी है।

कोचीन शिपयार्ड

7762. श्री पी० सी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कितना पूंजी निवेश है;

(ख) वह किन तरीकों से जुटाया गया तथा ऋण पर लिये गये धन का वार्षिक ब्याज कितना है;

(ग) क्या पूंजी निवेश पर ब्याज को कम करने के लिये सरकार का विचार कोचीन शिपयार्ड को दिये गये ऋण को इक्विटी शेयरों में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत सरकार का कुल निवेश 193.38 करोड़ रु० है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	विवरण	इक्विटी	ऋण (करोड़ रुपए)	कुल
1.	मूल परियोजना	62.96	54.46	117.42
2.	कार्य पूंजी मार्जिन	—	4.67	4.67
3.	सातवीं योजना	11.40	25.18	36.58
4.	वार्षिक योजना 91-92	2.93	2.93	5.86
5.	अर्थोपाय अग्रिम	—	28.85	28.85
	कुल (करोड़ रु०)	77.29	116.09	193.38

ऋण अलग-अलग ब्याज दरों पर संस्वीकृत किए जाते हैं जो संस्वीकृति की तारीखों पर निर्भर करता है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(प्रतिशत में)

	सामान्य दर	पेनल दर
1. मूल परियोजना ऋण	10.5 से 13.0	13 से 15.5
2. कार्य पूंजी मार्जिन	12.5 से 15.0	15 से 17.5
3. सातवीं योजना ऋण	12.5 से 17.0	15 से 17.75
4. वार्षिक योजना 91-92 ऋण	16	18.75
5. अर्थोपाय अग्रिम	17 से 18	19.5 से 20.75

(टिप्पणी : मूल परियोजना ऋणों के संबंध में प्रभावी दर 6% है, अन्तर के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है।)

(ग) और (घ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत पुनः संरचना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें परियोजना विकास ऋणों को इक्विटी में बदलना, ब्याज माफी, ब्याज को बट्टे खाते में डाला जाना आदि शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समिति का गठन किया गया है और समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1992 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात

7763. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कितने मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर

का निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात के आंकड़े मात्रात्मक रूप में नहीं रखे जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कम्प्यूटर हार्डवेयर का मूल्य निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपए में)

1990-91	रु० 300
1991-92	रु० 262

स्रोत : इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद।

वर्ष 1992-93 में निर्यात किए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर के मूल्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) सरकार का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों इत्यादि में भारतीय कम्प्यूटर हार्डवेयर उत्पादकों की भागीदारी में सहायता देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

7764. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय आवास बैंक से राज्य में अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास और शहरी विकास निगम ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए उसने किसी योजना को मंजूरी या उसका वित्त पोषण नहीं किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक को भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि

7765. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987 को केन्द्रीय सड़क निधि में शेष धनराशि कितनी थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस निधि में कुल कितनी धनराशि की प्राप्ति हुई;

(ख) इस योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि दी गयी; और

(ग) 31 मार्च, 1992 को इस निधि में शेष धनराशि कितनी थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1-4-87 को केन्द्रीय सड़क निधि में 2900.24 लाख रु० शेष थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस निधि में निम्नलिखित कुल संभूतियां हुई :

वर्ष	लाख रु०
1985-86	1018.38
1986-87	1140.49
1987-88	1290.31
1988-89	1415.18
1989-90	1639.46

(ख) एक वितरण संलग्न है।

(ग) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में 3018.06 लाख रु० शेष हैं।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों का नाम	जारी की गई निधियां				
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	115.00	130.00	46.26	7.39	4.49

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	आसाम	10.00	25.00	26.00	25.00	31.50
4.	बिहार	—	3.00	30.00	12.00	—
5.	गोआ	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	55.00	128.00	120.00	229.23	100.00
7.	हरियाणा	35.00	28.00	9.00	15.10	15.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	31.00	28.31	6.00	6.00
9.	जम्मू और कश्मीर	20.00	—	—	1.77	10.00
10.	कर्नाटक	80.00	130.00	70.00	78.00	6.024
11.	केरल	180.00	11.50	57.43	10.06	135.016
12.	मध्य प्रदेश	20.00	—	—	45.40	30.00
13.	महाराष्ट्र	250.00	—	—	64.05	19.01
14.	मणिपुर	—	5.50	19.50	10.00	5.00
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—8.00	5.00	1.00	—6.00	—1.96
18.	उड़ीसा	—	20.00	25.00	—	—
19.	पंजाब	—	—	1.50	—	—
20.	राजस्थान	12.00	49.00	23.00	15.00	161.00
21.	सिक्किम	10.00	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	100.00	30.00	20.00	15.00	10.00
23.	त्रिपुरा	2.00	2.00	3.00	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	20.00	—	20.00	160 00	315.00
25.	पश्चिम बंगाल	22.00	52.00	—	—	50.00
	योग :	959.00	650.00	500.00	700.00	900.00

[हिन्दी]

सोने का आयात

7766. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों, किन-किन अभिकरणों के माध्यम से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सोने के आयात को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अनिवासी भारतीयों और वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा सोने के आयात के लिए स्कीम हाल में शुरू करने तक निर्यात उत्पादन के प्रयोजन के अलावा सोने के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रयोजन के लिए एस० बी० आई०, एम० एम० टी० सी० और एच० एच० ई० सी० द्वारा आयातित सोने का ब्यौरा दिया गया है :

वर्ष	एस० बी० आई०		एच० एच० ई० सी०		एम० एम० टी० सी०	
	मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1989-90	6446	143.38	1804	38.07	800	15.97
1990-91	5204	107.71	957	21.02	900	18.61
1991-92	—	—	3943	132.83	2400	70.00

(ख) और (ग) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि घरेलू खपत के लिए अभी हाल तक सोने का कोई आयात करने की अनुमति नहीं दी गई थी। निर्यात उत्पादन के लिए भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह आयात 1-10-1990 से बंद कर दिया गया था और तत्पश्चात् एस० बी० आई० को सोना सरकार के पास जब्त शुदा सोने के भण्डारों में से उपलब्ध कराया गया था।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

7767. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हमीरपुर तथा सागर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 की पट्टी जो अभी तक दो लेनों वाली नहीं, को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 झांसी तथा शिवपुरी के बीच की पट्टी केवल एक हा लेन वाली है; और

(घ) यदि हां, तो इन पट्टियों को चौड़ा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) ऐसा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर को मध्य प्रदेश में सागर से जोड़ता हो। हमीरपुर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है, जबकि सागर राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर स्थित है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-25 पर।

(ग) और (घ) झांसी और शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-25 से जुड़े हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-26 से। झांसी और शिवपुरी के बीच कुल 92.40 कि० मी० लम्बाई में से 24 कि० मी० लम्बाई में पहले ही दोहरी लेन का कैरिजवे है और 22.25 कि० मी० में सड़क को चौड़ा करके दोहरी लेन का बनाने का काम चल रहा है। शेष 46.15 कि० मी० लंबाई में सड़क को चौड़ा करने का काम चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा जो निधियों की उपलब्धता और आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

7768. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देने के सम्बन्ध में सरकार को राज्यवार कुल कितने आवेदन-पत्र मिले थे;

(ख) राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन पहले ही मंजूर की जा चुकी है और कितने मामले लंबित पड़े हैं अथवा अस्वीकृत कर दिए गए हैं; और

(ग) लंबित मामलों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन दावों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

31-3-92 को समाप्त पिछले एक वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त पेंशन दावों की संख्या नीचे दी गई है :

			सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन दावे		निशक्तता पेंशन दावे
(एक)	सेना		39,939		
(दो)	नौसेना		1,792		15,012
(तीन)	वायुसेना		4,651		
		कुल	46,382		15,012
		कुल योग		61,394	

उपर्युक्त में से स्वीकृत, अस्वीकृत तथा/या अन्तिम निर्णय के लिए बकाया पेंशन दावों की कुल संख्या इस प्रकार है :

	स्वीकृत मामलों की संख्या	अस्वीकृत मामलों की संख्या	बकाया पड़े मामलों की संख्या
1. सेवानिवृत्ति सेवा पेंशन			
सेना	39,774	शून्य	165
नौसेना	1,792	शून्य	शून्य
वायुसेना	4,633	1	17
	46,199	1	182
2. निशक्तता पेंशन			
	स्वीकृत	अस्वीकृत	बकाया
	9,925	4,967	120
	56,124	4,968	302

[अनुवाद]

बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना

7769. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी में शामिल होने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी में शामिल न होने के अपने पहले वाले निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस एजेंसी में शामिल होने से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) बैंक सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम० आई० जी० ए०) के प्रावधानों के लिए समयावधि अपनाने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) एम० आई० जी० ए० भारत में विदेशी निवेशों की गारंटी प्रदान करने और विदेशों में भारतीय निवेशों को संरक्षण भी देने में सहायक होगा।

[हिन्दी]

खनिज और धातु व्यापार निगम को घाटा

7770. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का घाटा हो रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी

7771. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने भारत में एक नई परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी चलाने के लिए अमरीका के एक प्रमुख पारस्परिक निधि के साथ सहयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया और अमरीका के अलायन्स कंपनी के बीच इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अमरीका की एलाइन्स केपिटल मैनेजमेंट इन्कोरपोरेशन के साथ भारत में एक परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 मिलियन और निर्गम पूंजी 100 मिलियन होगी। शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत भाग का अंशदान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव है और शेष राशि एलाइन्स केपिटल मैनेजमेंट इंकोरपोरेशन द्वारा दी जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ जिन बातों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, वे अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों की परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन, देशी निधि, परामर्श, भारत के अन्दर एवं बाहर अनुसंधान तथा परामर्शी सेवाओं से सम्बन्धित हैं। यह प्रस्ताव है कि संयुक्त उद्यम कम्पनी में सात निदेशक होंगे जिनमें से चार निदेशक भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा नामित किए जाएंगे।

कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

7772. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में वर्ष 1990-91 के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा इनमें जमा की गयी राशि का जिले-वार अनुपात कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मार्च, 1991 और सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जिलावार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(ऋण जमा अनुपात % में)

राज्य/जिला	मार्च, 91	सितम्बर, 91
कर्नाटक	85.8	80.8
बंगलोर ग्रामीण	85.5	86.2
बंगलोर शहरी	97.7	89.1
बेलगांव	64.8	64.0
बेल्लारी	104.5	103.0
बीदर	78.0	73.6
बीजापुर	66.2	65.4
चिकमंगलूर	94.1	99.9
चित्रदुर्ग	91.5	86.6
दक्षिण कन्नड़	76.2	69.9
धारवाड़	68.5	69.1
गुलबर्ग	72.6	70.6
हसन	78.9	81.8
कड़ा	67.1	75.3
कोलार	77.4	75.0
मंड्या	81.0	77.4
मैसूर	75.3	74.6
रायचूर	96.9	88.3
शिमोगा	106.4	100.7
तुमकुर	71.0	68.3
उत्तर कन्नड़	52.3	48.6

काली मिर्च का उत्पादन/निर्यात

7773. श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी काली मिर्च का उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान काली मिर्च का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कितनी काली मिर्च का निर्यात किया गया और इसकी कीमत कितनी थी और काली मिर्च के निर्यात हेतु प्राप्त आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में काली मिर्च का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार रहा :

वर्ष	उत्पादन (एम० टी०)
1988-89	44160
1989-90	55190
1990-91 (अनन्तिम)	48980

राज्यों से वर्ष 1991-92 के लिए आंकड़े प्राप्त करने का अभी समय नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान काली मिर्च के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1990-91	29985	102.40
1991-92 (अनन्तिम)	10565	74.21

स्रोत : लदान-पत्र/निर्यात-आय/वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता।

(घ) मसाला बोर्ड काली मिर्च सहित मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय करता है। इनमें विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, काली मिर्च का तेल और तेलीय राल, हरी काली

मिर्च के उत्पाद, आदि जैसे काली मिर्च के मूल्यवर्धित रूपों के निर्यात को बढ़ावा देना, काली मिर्च की क्वालिटी को उन्नत बनाना, ब्रान्ड संवर्धन और लोगो संवर्धन आदि शामिल हैं।

सहकारी बुनकर समितियों द्वारा निर्मित हथकरघा वस्तुएं

7774. श्री बापू हरि चौरे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में फिलहाल प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन समितियों द्वारा निर्मित हथकरघा वस्तुओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों तथा शीर्ष संस्था द्वारा वस्तुओं का कोई स्टाक रखा गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) देश में इस समय लगभग 20,002 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनमें से महाराष्ट्र राज्य में 842 समितियां बताई जाती हैं। सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित हथकरघा मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

वर्ष	मदों का उत्पादन
1989	2904
1990	2189
1991	2681

(ग) जी, हां। महाराष्ट्र की प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों में इकट्ठा हुए हथकरघा उत्पादों की स्थिति इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

विवरण	1989	1990	1991
1. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां	690	770	720
2. शीर्ष समितियां	612	711	624
कुल	1302	1481	1344

(घ) (1) इस इकट्ठा हुए स्टाक की बिक्री के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर आधार पर सहायता देने वाली इस समय लागू विपणन विकास सहायता योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य भी ले रहा है जिसके अन्तर्गत हथ-करघा क्षेत्र में तैयार उत्पादों और इकट्ठा हुए हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने में मदद मिली है।

(2) इकट्ठा हुए हथकरघा उत्पादों को कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले अभिकरणों को सरकार 20 प्रतिशत की रिबेट देती है जिसे केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं।

(3) हथकरघा स्टाक कम करने के लिए केंद्र सरकार हथकरघा उत्पादों की उप-लब्धता पर प्राथमिकता देती है। हथकरघा समितियों द्वारा उत्पादित जनता कपड़े के विपणन में सहयोग देने तथा अन्य इसी प्रकार के लिए केंद्र सरकार 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जनता कपड़े के उत्पादन पर सब्सिडी देती है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रा० हथ० बुन० सह० समिति की सं०
1	2	3
1.	बम्बई	11
2.	थाणे	2
3.	सिंधुदुर्ग	1
4.	नासिक	13

1	2	3
5.	धूले	8
6.	जलगांव	8
7.	अहमदनगर	34
8.	पुणे	12
9.	सतारा	5
10.	संगली	10
11.	सोलापुर	178
12.	कोल्हापुर	20
13.	औरंगाबाद	3
14.	जलना	8
15.	परभणी	5
16.	बीड़	19
17.	नन्देड़	25
18.	उसमानाबाद	5
19.	लतुर	9
20.	अकोला	2
21.	अमरावती	7
22.	वर्धा	9
23.	नागपुर	404
24.	भंडारा	33
25.	चंदरापुर	8
26.	गढ़चिरौली	3
	कुल	842

[हिन्दी]

बिहार में बैंक शाखायें खोलना

7775. **श्री नवल किशोर राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलने हेतु कितने लाइसेंस जारी किये गये थे; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बिहार में राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में प्रति व्यक्ति निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के तहत बिहार के लिए कोई विशेष लक्ष्य नियत नहीं किया गया था। शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985-90 [सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त (को-टर्मीनस)] की रचना ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लाक में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की जनसंख्या को कवर करने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में अत्यधिक स्थानिक अन्तर को समाप्त करने के लिए तैयार की गयी थी।

(ख) बिहार सरकार द्वारा प्रेषित पहचान किए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को 384 केन्द्र आबंटित किए थे, जिनमें बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित 164 केन्द्र भी शामिल हैं। शाखा लाइसेंसिंग नीति, 1985-90 के तहत उपर्युक्त आबंटनों के अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों को सेवा क्षेत्र योजना शुरू किए जाने पर 239 अतिरिक्त केन्द्र आबंटित किये गए थे, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित 4 केन्द्र भी शामिल हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में बिहार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए प्रति व्यक्ति निवेश संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और यथा-संभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को दीर्घकालिक ऋण देना

7776. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई अनुरोध अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सहकारी कताई

मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एन०सी०डी०सी० को महाराष्ट्र में सरकारी कताई मिलों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव या अनुरोध या ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में मिधानी फैक्टरी के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा

7777. श्री धर्म भिक्षम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में मिधानी फैक्टरी के लिए भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामवार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए रोजगार अथवा मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार अथवा मुआवजा दिया जाना शेष है; और

(च) उन्हें कब तक रोजगार अथवा मुआवजा दे दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1975 में आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के करमनघाट और जिल्लेलागुडा नामक गांवों में छः व्यक्तियों से 64 एकड़ और 26 गुंटा भूमि अधिग्रहीत की थीं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) मुआवजे के रूप में 26.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। 1978 में एक व्यक्ति ने रोजगार के लिए आवेदन किया था, और उसे रोजगार दे दिया गया।

(ङ) कोई नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय साधारण बीमा निगम की जल्द राहत योजना

7778. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने हाल ही में सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को शीघ्र निपटाने के लिए "जल्द राहत योजना" लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने दावे निपटाए गए हैं;

(ग) 1 फरवरी 1992 की स्थिति के अनुसार सड़क दुर्घटना संबंधी कितने दावे एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन दावों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण, सारे देश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एम०ए०सी०टी०) के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या में अभी कुछ समय से भारी वृद्धि हुई है। इसलिए बीमा कम्पनियां इन न्यायाधिकरणों के पास लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए समझौतों तथा लोक अदालतों जैसे मंचों का उपयोग करती रही हैं। इन सबके बावजूद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों के पास दिनांक 1-2-1992 की स्थिति के अनुसार 1.75 लाख मामले लम्बित पड़े हैं। मोटर तृतीय पक्ष संबंधी ऐसे दावों के शीघ्र निपटान के लिए, हाल ही में जलद राहत योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य कानूनी सहायता बोर्ड द्वारा गठित एक पैनल, जिसके सदस्यों में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का एक सेवानिवृत न्यायाधीश, एक चिकित्सा व्यवसायी और एक सेवानिवृत बीमा प्रबंधक, जो मोटर बीमा संबंधी मामलों से सुपरिचित होता है, शामिल हैं, द्वारा न्यायालय के निर्णयों की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, तृतीय पक्ष दावों में प्रभावित पक्ष को निष्पक्ष और समुचित क्षतिपूर्ति दी जाने की सिफारिश की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, जो अभी केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ही लागू है, दावेदार क्षतिपूर्ति भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए सीधे ही उस बीमा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं, जहां पर वाहन का बीमा करवाया गया हो।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

7779. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अदालती मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालयवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में दर्ज मुकदमे

7780. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्ष 1991 के दौरान, न्यायालय-वार, कितने मुकदमे दायर किये गये तथा कितने मुकदमों का निपटारा किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उच्चतम न्यायालय और छह उच्च न्यायालयों की बाबत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। शेष 12 उच्च न्यायालयों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा वर्ष 1991 के दौरान फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम	मामलों की संख्या	
	फाइल किए गए	निपटाए गए
उच्चतम न्यायालय	42215	93102
उच्च न्यायालय		
1. मुंबई	81378	73595
2. आंध्र प्रदेश	33990	24746
3. केरल	64837	51627
4. पंजाब और हरियाणा	79869	77352
5. मध्य प्रदेश	52398	49217
6. सिक्किम	117	113

[अनुवाद]

जब्त माल के निपटान में अनियमितताएं

7781. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आई सीमा शुल्क केन्द्र में जब्त माल की लेखा और निपटान से संबंधित अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) क्या सीमा-शुल्क द्वारा अन्य अभिकरणों को बेचे गये जब्त माल का बिक्री मूल्य सीमा-शुल्क खुदरा दुकानों द्वारा बेचे गये गये मूल्य से काफी ऊंचा होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तथा विक्रय के लिए और मद रखने हेतु किसी अन्य एजेंसी से करने की बजाए सीधी सीमा-शुल्क खुदरा दुकानों से करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सीमा-शुल्क गृह में जब्तशुदा माल के लेखे तथा निपटान के संबंध में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आई है।

(ग) दिल्ली सीमा-शुल्क गृह के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(घ) सामान्यत: जब्तशुदा उपभोक्ता माल को थोक मात्रा में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ/पंजीकृत सहकारी समितियां/राज्य नगर आपूर्ति निगमों आदि को बेचा जाता है और फिर इनको आगे सहकारी भंडारों, सुपर बाजारों आदि के माध्यम से खुदरा रूप में बेचा जाता है। जब्तशुदा उपभोक्ता माल के एक छोटे भाग को सीमा-शुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से भी बेचा जाता है, परन्तु प्रतिफल शीघ्रता से प्राप्त होने तथा भंडार स्थान आदि का इष्टतम प्रयोग किए जाने की दृष्टि से थोक बिक्री को ही वरीयता दी जाती है। तथापि, दिल्ली सीमा-शुल्क गृह का, दिल्ली सीमा-शुल्क गृह की खुदरा दुकान के जरिये बेचे जाने वाले माल की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

साफ्टवेयर का निर्यात

7782. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "साफ्टवेयर" के निर्यात की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने साफ्टवेयर निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कई कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं साफ्टवेयर निर्यात अर्जन पर आयकर से छूट, पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत साफ्टवेयर निर्यात के लिए आयात शुल्क की रियायती दर पर कम्प्यूटर प्रणाली के आयात को उदार बनाना, इलेक्ट्रानिक्स विभाग की एक योजना के अन्तर्गत भारत में साफ्टवेयर तकनालॉजी पार्कों की स्थापना, बाजार सर्वेक्षण करना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन।

(ग) और (घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं।

काली मिर्च का निर्यात

7783. प्रो० सावित्री लक्ष्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उगाई जाने वाली काली मिर्च की किसी किस्म पर कुछ देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली उच्च न्यायालय में सेवा मामलों पर लम्बित पड़ी रिट याचिकाएं

7784. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठों में स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों की कितनी स्वीकृत रिट याचिकाएं अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कितनी याचिकाओं का अन्तिम निपटारा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रबड़ की खेती

7785. श्री उद्धव बर्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों में रबड़ का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कितनी क्षेत्र में रबड़ की खेती होती है;

(ग) रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1991-92 में प्रत्येक राज्य को कितना धन आवंटित किया गया;

(घ) क्या रबड़ के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोई अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में रबड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान रबड़ की खेती के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र तथा खर्च की राशि नीचे दी गई है :

राज्य	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खर्च की गयी राशि (लाख रुपए में)
त्रिपुरा	17,120	152.00
असम	9,380	110.00
मेघालय	3,880	58.00
नागालैंड	1,395	20.00
मणिपुर	1,215	8.00
मिजोरम	1,100	2.00
अरुणाचल प्रदेश	41	2.00
कुल	34,131	352.00

(घ) और (ङ) रबड़ बोर्ड ने 1985 के दौरान गुवाहाटी में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की एक इकाई की स्थापना की है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के रिसर्च कम्पलेक्स के रूप में जाना जाता है। कंपलेक्स के असम में सरूतारी, मेघालय में तुरा, मिजोरम में कोलासाब तथा त्रिपुरा में तारानगर में क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

उत्तर प्रदेश में पुलों का निर्माण

7786. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में बनाए जाने वाले पुलों के लिए कोई सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अनुदान देने के नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाराणसी के निकट बहुनिया में गंगा नदी पर पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास बहुत दिनों से लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस पुल के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी मूलत: राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव की है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी अनिवार्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, सड़क विकास में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पुलों के लिए और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ऋण सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पुलों के लिए 50 प्रतिशत ऋण और अन्तर्राज्यीय पुलों के लिए 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंक

7787. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकों के क्या नाम हैं जिन्हें देश में कार्य करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) उन्हें किन शर्तों पर कार्य करने की अनुमति दी गयी है;

(ग) गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, उन भारतीय बैंकों के राष्ट्रवार नामों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें विदेशों में कार्य करने की अनुमति दी गयी है; और

(घ) क्या इन भारतीय बैंकों के लिए वही शर्तें हैं जो भारत में विदेशी बैंकों के लिए रखी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विदेशी बैंकों के नाम जिनकी शाखाएं भारत में हैं, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अनुसार विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति देता है। विदेशी बैंकों को ऐसी

अनुमति देते समय भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखता है :

(I) आवेदक बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसकी वित्तीय स्थिति।

(II) आवेदक बैंक के मूल देश और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध।

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को विभिन्न बैंककारी और अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं को भी पूरा करना पड़ता है।

(ग) भारतीय बैंकों के नाम और वे देश जहां उनकी शाखाएं है, सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) विदेशों में भारतीय बैंकों के प्रवेश की शर्तें प्रत्येक देश में अलग-अलग हैं और वह सम्बन्धित देश के मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित विनियमों/विवेकपूर्ण अपेक्षाओं पर निर्भर करती हैं।

विवरण-I

भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के नाम

क्र० सं०	विदेशी बैंक का नाम
1	2
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
2.	बैंक आफ अमेरिका एन० टी० एण्ड एस० ए०
3.	सिटी बैंक एन० ए०
4.	ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडिल ईस्ट
5.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
6.	बार्कलेज बैंक पी० एल० सी०
7.	बांके नेशनल दे पेरिस
8.	बांको इण्डोसुएज
9.	सोसाइटी जनरल
10.	क्रेडिट लिओनिस
11.	बैंक आफ टोकियो लिमिटेड
12.	सकूरा बैंक लिमिटेड
13.	दि सान्वा बैंक लिमिटेड

1	2	
14.	ड्येस बैंक	
15.	ए० एन० जेड० ग्रिन्डलेज बैंक पी० एल० सी०	
16.	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	
17.	आबेधाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	
18.	बैंक आफ ओमान लिमिटेड	
19.	ओमान इण्टरनेशनल बैंक एस० ए० ओ०	
20.	बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत बी० एस० सी०	
21.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	
22.	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इण्टरनेशनल (ओवरसीज) लि०	
23.	ए० बी० एन०—एमरो बैंक एन० बी०	
24.	सोनाली बैंक	

*(6 जुलाई, 1991 से प्रचालन स्थगित)

विवरण-II

भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं का बैंक-वार और देश-वार ब्यौरे की अद्यतन स्थिति

देश	बैंक आफ बड़ोदा	बैंक आफ इण्डिया	भारत-ओवरसीज बैंक लि०	केनरा बैंक	इंडियन बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	सिंडीकेट बैंक	यूको बैंक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बंगलादेश	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
बहामास	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
बहरीन	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
बेलजियम	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
केमे द्वीप	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
चनेल द्वीप	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
फिजी द्वीप	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
फांस	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
गुयाना	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
हांगकांग	—	2	—	—	—	2	1	—	2	7
जापान	—	2	—	—	—	—	2	—	—	4
केन्या	6	2	—	—	—	—	—	—	—	8
मारीसस	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7

मालद्वीव द्वीप	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
ओमान	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
पानामा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
दक्षिण कोरिया	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
श्रीलंका	—	—	—	—	2	2	2	—	—	6
सिंगापुर	—	1	—	—	1	1	1	—	3	7
स्विटज़र्लैंड	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
थाईलैंड	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
यू० एस० ए०	1	2	—	—	—	3	3	—	—	6
यू० के०	11	13	—	1	—	—	5	1	2	33
यू० ए० ई०	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
एफ० आर० जर्मनी	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
योग :	48	25	1	1	3	6	23	1	7	115

ऊनी कपड़ों पर निर्यात

7788. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए के अवमूल्यन के फलस्वरूप ऊनी कपड़ों के निर्यात में काफी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो रुपए के अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात में किस सीमा तक कमी आएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) अवमूल्यन के कारण आयातित ऊन की लागत बढ़ गयी है। तथापि, उपलब्ध अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान ऊनी वस्त्रों का निर्यात अधिक होगा।

[हिन्दी]

न्यायालय के मामलों की समय-सीमा

7789. श्री फूल चन्द वर्मा :
प्रो० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री वी० एस० शर्मा प्रेम

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायालय उनमें दर्ज मामलों का फैसला करने में कई वर्ष लगाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी मामले के फैसले के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) न्यायालयों में मामलों को निपटाने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नियत करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है क्योंकि इस प्रकार मामलों का निपटाया जाना अनेक बातों पर

निर्भर करता है जैसे कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभिकथित विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना, पुराने मामलों का इकट्ठा हो जाना, नए मामलों का बड़ी संख्या में संस्थित किया जाना, आदि।

वस्त्रों की तस्करी

7790. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान देशी वस्त्रों की बिहार से नेपाल को तस्करी के पकड़े गए मामलों का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तरह के तस्करी के कार्यों में लिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वस्त्रों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों को वर्ष 1991 के दौरान बिहार से नेपाल को स्वदेशी कपड़े की तस्करी करने के किसी मामले का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बैंक ऋण

7791. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक प्रदत्त ऋण कुल कितना-कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 7 फरवरी, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक ऋण की कुल बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	बैंक का नाम	(करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	3015.0
2.	आंध्रा बैंक	1750.5
3.	बैंक आफ बड़ौदा	6643.5

1	2	3
4.	बैंक आफ इण्डिया	6381.3
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1811.6
6.	केनरा बैंक	7178.0
7.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	6290.9
8.	कारपोरेशन बैंक	943.6
9.	देना बैंक	1690.9
10.	इण्डियन बैंक	4710.1
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	2954.1
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1047.3
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1640.5
14.	पंजाब नेशनल बैंक	7511.2
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1412.9
16.	सिंडिकेट बैंक	3334.8
17.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	3595.5
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	2668.4
19.	यूको बैंक	3160.6
20.	विजया बैंक	1510.8

[हिन्दी]

तांबे का आयात

7792. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना तांबा आयात किया गया है और इसका मूल्य कितना-कितना था; और

(ख) देश में तांबे की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तांबा और तांबे से बनी वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (000 किग्रा०)	मूल्य (लाख रुपया)
1989-90	182493	74055 (अन०)
1990-91	192258	82413 (अन०)
1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर)	96172	43490 (अन०) (अन० : अनन्तिम)

(ख) चालू निर्यात और आयात नीति में तांबे का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

मनिन्द्रा बी० टी० मिल्स

7794. श्री मानी महतर्कार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनिन्द्रा बी० टी० मिल्स, कासिम बाजार, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे अर्थक्षम बनाने के लिए इसके वस्त्र उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने 1985 में संयंत्रों तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण करने तथा इसका पुनर्गठन करने जैसे अनेक उपाय करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिकों के वेतनमान

7795. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कार्यरत वैज्ञानिकों के वेतनमान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत वैज्ञानिकों के वेतनमान के अनुरूप करने के लिए 1984 में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सिल्क बोर्ड में इन निर्णयों को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये वेतनमान कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, जून, 1991 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आई० सी० ए० आर० के वैज्ञानिक कर्मियों पर लागू अनुसार अपने वैज्ञानिक कर्मियों के लिए संशोधित वेतनमान अपनाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अक्तूबर, 1991 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कहा गया था कि वह अपने प्रस्ताव से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा बोर्ड ने जनवरी, 1992 में वे प्रस्तुत कर दिए। अब इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा रहा है और इस पर निर्णय वित्तीय तथा अन्य अड़चनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

खनिजों का निर्यात

7796. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार खनिजों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इनका निर्यात बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों तथा अयस्कों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की वर्षवार राशियां नीचे दी जा रही हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु०)
1989-90	1715.63 (अ)
1990-91	1739.72 (अ)
1991-92 (अप्रैल 91-जन० 92)	1841.59 (अ)

(अ) : अनन्तिम

(ख) और (ग) खनिजों के निर्यात की अनुमति नियंत्रित तथा अनियंत्रित दोनों आधारों पर दी जाती है। वर्ष 1992-93 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों के पदों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

7797. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के मध्यस्थता पंचाट के अनुसरण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों को 2375-3500 रुपये (रुपये 840-1040 तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग का) का वेतनमान दिया गया था और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 पाइंट्स रोस्टर का पालन किया जा रहा था;

(ख) क्या कार्मिक विभाग ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि यह वेतनमान प्रोन्नत वेतनमान नहीं हैं और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 पाइंट्स रोस्टर लागू नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर पुन: विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा गया तो उन्होने सलाह दी है कि यह मामला पदोन्नति से संबंधित नहीं है इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मामले पर कार्मिक विभाग के सुझावों के आधार पर विचार किया जा रहा था परंतु इसी बीच गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण बंगलौर में एक मामला दर्ज कर दिया। अधिकरण ने अपने निर्णय में इस आरक्षण को गैर-कानूनी ठहराया है। इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि एक विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश कारों की तस्करी

7798. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंटेज कारों की तस्करी जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक ऐसी कितनी कारों की तस्करी की गयी है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) मार्च, 1991 में अन्तदर्शीय आधान डिपो (आई० सी० डी०) अहमदाबाद से तीन विंटेज कारों तथा एक टॉय कार का "भारतीय हस्तशिल्पीय एसेम्बली यूनिट (एल० एम० बी०)" के रूप में इनकी गलत घोषणा करके झूठे दस्तावेजों के आधार पर निर्यात किया गया था। इसमें अपनाई गई कार्य पद्धति का विश्लेषण किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को, जिन्हें ऐसी तस्करी के विरुद्ध सतर्क भी किया गया था, इसकी सूचना दी गई थी। तब से विंटेज कारों की तस्करी की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

फलों का निर्यात

7799. **श्री एम० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फलों के निर्यात क. बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधायें विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से फलों के निर्यात का विचार किया गया है; और

(घ) कौन-कौन से देशों को इनका निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) की अवस्थापना संबंधी सुविधा के विकास के लिए एक योजना है जिसके अन्तर्गत फसल-पश्चात् कार्य में सुधार के लिए और खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए विशेष परिवहन यूनिटों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत सभी किस्म के फलों के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। किन्तु, भारत से निर्यात किए जा रहे प्रमुख फलों में आम, अंगूर, चीकू, शरीफा, अनार, तरबूज, सेब तथा विभिन्न किस्म के खट्टे फल, आदि शामिल हैं तथा प्रमुख बाजार यू० ए० ई०, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यू० कें० आदि हैं।

[हिंदी]

ताइवान के व्यापार शिष्टमंडल का दौरा

7800. **श्री छत्रपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ताइवान के एक व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इस शिष्टमंडल ने रुचि दिखायी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। चाइनीज नेशनल एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री एंड कामर्स (सी० एन० ए० आई० सी०) द्वारा प्रायोजित एक ताइवानी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के आमंत्रण पर भारत का दौरा किया।

(ख) सी० एन० ए० आई० सी० तथा फिक्की ने एक संयुक्त व्यापार सहयोग समिति बनाने के लिए दिनांक 25 मार्च, 1992 को एक करार पर हस्ताक्षर किए।

(ग) इंजीनियरी सामान, वस्त्र, पेट्रो-रसायन, सीमेंट, इलैक्ट्रानिक मदें, रंजक तथा आटो कास्टिंग्ज कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श में शामिल किया गया।

मध्य प्रदेश में किसानों के ऋण माफ करना

7801. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले किसानों को पाइप लाइन और बिजली की मोटरें लगाने के लिए 50 हजार से 3 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन किसानों के ऋण माफ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पाइप लाइनों पर पचास प्रतिशत राजसहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इन बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो नदी के किनारों पर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण की मात्रा तथा इस पर लगने वाला ब्याज, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निवेश पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत, पात्र उधार-कर्ताओं को ऋण राहत के लिए अर्ह अतिदेय राशियों को बट्टे-खाते डाल दी गई थी। सार्वजनिक रूप से ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राहत प्रदान करने संबंधी किसी विपत्ति के किसी मामले पर बैंकों द्वारा गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी परियोजनाओं को सब्सिडी उपलब्ध कराने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव की सूचना उनके पास नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम का योगदान

7802. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना योगदान किया; और

(ख) जीवन बीमा निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का योगदान करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90) के दौरान निर्विष्ट क्षेत्रों के निवेशों में कुल 15,358 करोड़ रुपए की राशि का योगदान किया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1992-93 से वर्ष 1996-97 तक) के दौरान निगम द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

हिन्दी में विधि पुस्तकें

*7803. **श्री बारे लाल जाटव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विधि पुस्तकों का हिन्दी संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुस्तकों का हिन्दी संस्करण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सभी उपलब्ध विधि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने की कोई स्कीम नहीं है। अन्य पुस्तकों की भांति विधि पुस्तकों का भी अनुवाद केवल प्रतिलिप्यधिकार के धारक की अनुमति से ही किया जा सकता है। हिन्दी में अनुवाद कार्य के साथ मूल विधि पुस्तकों के लेखन का कार्य विभिन्न अभिकरणों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। हिन्दी में विधि पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास स्कीम है। इस स्कीम के अधीन, हिन्दी में लिखित या प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। हिन्दी में मूल विधि पुस्तकों के लेखन और संविदा के आधार पर चुने गए लेखकों द्वारा विधि के गौरव ग्रंथों के अनुवाद को भी इस स्कीम के अधीन प्रायोजित किया जाता है। अभी तक

इस स्कीम के अधीन, 28 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं। इनमें से 21 पुस्तकों की प्रतियां विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। एक पुस्तक का पुनरीक्षित संस्करण, मुद्रणाधीन है और शेष 6 पुस्तकों के लिए कोई मांग नहीं है। इन 6 पुस्तकों के नामों को देने वाला विवरण, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिन्दी में मूल विधि पुस्तक लिखने की स्कीम के अधीन लिखित उन पुस्तकों की सूची जिनकी प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं

1. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व। लेखक—डा० प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी।
2. मध्य प्रदेश भू-विधि। लेखक—शिवदयाल परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव।
3. प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि, लेखक—पारस दीवान।
4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय। लेखक—डा० सुभाष चन्द्र खरे।
5. उत्तर प्रदेश भूधृति विधि—लेखक—श्री उमेश कुमार।
6. आय-कर विधि। लेखक—श्री एन० एल० जैन।
7. अपकृत्य विधि के सिद्धान्त। लेखक—शरमन लाल अग्रवाल (मुद्रणाधीन)।

चीनी मिलों से प्राप्त कर राशि

7804. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश में चीनी मिलों से प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि का कर प्राप्त हुआ; और

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चीनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के तहत लगाये गये उत्पाद शुल्क से तथा चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के तहत लगाये गये उपकर से 1990-91 में राज्यवार वसूल किये गये कर की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यवार चीनी से प्राप्त उत्पाद शुल्क राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	उत्पाद शुल्क राजस्व* 1990-91
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.81
2.	आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश	0.76
3.	बिहार	18.19
4.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	18.56
5.	हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	17.13
6.	गोआ	0.56
7.	गुजरात और संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीव	87.24
8.	कर्नाटक	42.95
9.	केरल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	0.50
10.	मध्य प्रदेश	3.93
11.	महाराष्ट्र	214.55
12.	उड़ीसा	0.81
13.	राजस्थान	0.95
14.	तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	50.66
15.	उत्तर प्रदेश	164.55
16.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09
	जोड़	602.24

*विभागीय रिकार्ड के अनुसार तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा उपकर को वित्तीय।

टिप्पणी : ये आंकड़े राज्य के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क समाहर्तालियों में उत्पादन की निकासियों पर आधारित हैं, और अधिक विस्तृत ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बजट का निर्यात पर प्रभाव

7805. श्री आवम्बूर एम० आर० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री ने निर्यात पर बजट प्रस्तावों के प्रभावों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां !

(ख) बम्बई चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी विनिमय दर पर निर्यात से संबंधित आयात की उपलब्धता अग्रिम लाइसेंस देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने, माने गए निर्यात के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने, दिनांक 29-2-1992 तक किए गए निर्यात के लिए सरकारी दर पर एक्जिम स्क्रिप्स देने, निर्यातकों द्वारा रखे गए 15% विदेशी मुद्रा के अन्य प्रयोग को उदार बनाने, निर्यात सदन, व्यापार सदन तथा चोटी के व्यापार सदनों के लिए विशेष लाभ, निर्यात ऋण ब्याज दरों में छूट, आदि का सुझाव दिया है।

(ग) सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित अप्रैल, 1992 मार्च, 1997 की अवधि के लिए नई निर्यात-आयात नीति में चेम्बर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में निहित व्यापार से सम्बन्धित अधिकांश सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

जोंक और इन्द्रावती नदियों पर ऊपरि पुल

7806. श्री मानकूराम सोढ़ी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जोंक और इन्द्रावती नदियों पर ऊपरि पुलों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जोंक नदी पर पुल के निर्माण के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह पुल मध्य प्रदेश में नहीं आता तथापि मध्य प्रदेश सरकार ने 8वीं योजना के दौरान जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 220/2 कि०मी० पर वर्तमान अवगाहन-क्षम पुल के स्थान पर इन्द्रावती नदी पर एक उच्च तलीय पुल के निर्माण की सिफारिश की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संबंध में विचार-विमर्श

7807. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और एशियाई बैंक के अधिकारियों के साथ भारत में रुग्ण सरकारी उपक्रमों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशिष्ट मुद्दों और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) इन वार्ताओं के क्या संक्षिप्त परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के साथ हुई बातचीत में उठाया गया है और इस बारे में भारत सरकार का निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 1991 के विकास नीति पत्र और 27 अगस्त, 1991 के आशय पत्र में बता दिया गया है जिन्हें सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सेना को वस्त्रों की सप्लाई

7808. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री 28 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 916 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सेना द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम से खरीदारी करने के निदेश को नवम्बर, 1990 में वापस लिए जाने के क्या कारण थे;

(ख) क्या सेना द्वारा खरीद का आदेश देने से पहले वर्दी के कपड़ों के नमूनों का नेशनल टैस्ट हाऊस, कानपुर द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपडा निगम के नमूनों को नेशनल टैस्ट हाऊस द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी और इसके बाद की जाने वाली सप्लाई गुणवत्ता नियमों और विशिष्टताओं के अनुरूप थी; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए सप्लाई किए गए वस्त्रों की मात्रा और उनकी कीमत सहित सेना को वर्दी के लिए वस्त्र के मुख्य सप्लायरों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार ने नवंबर, 1990 से एन०टी०सी० को खरीद आर्डर न देने के बारे में सेना को कोई निर्देश नहीं दिया है। इसके बजाए सरकार का अब निर्णय यह है कि सेना पहले की सिंगल टेंडर आधार वाली प्रणाली के विरुद्ध कीमत अधिमानता की संशोधित प्रणाली पर एन०टी०सी० को फैब्रिक के लिए अपने क्रय आदेश दे ।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) जानकारी वस्त्र मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय डी०टी०सी० बसों के किरायों में वृद्धि

7809. **श्री मुमताज अंसारी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली डी०टी०सी० की बसों के किरायों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो किराये में कितने प्रतिशत वृद्धि किये जाने की संभावना है;

(ग) यह वृद्धि कब से प्रभावी होने की संभावना है; और

(घ) किराये में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली परिवहन निगम अपनी अन्तर्राज्यीय बसों में उन टैरिफ दरों के आधार पर किराया वसूल करता है जो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होती हैं।

[अनुवाद]

महिला वादियों को कानूनी सहायता

7810. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कोई अलग योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) मुकदमा लड़ने वाली महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई अलग स्कीम नहीं है। किन्तु महिलाओं को, स्वयं एक वर्ग मानकर ध्यान दिया गया है और उन्हें, उनकी आय की अधिकतम सीमा पर विचार किए बिना, मुंसिफ न्यायालय/सिविल न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक, विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आई०एम०एफ० टीम का दौरा

7811. **श्री रूप चंद मुरमु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1992 के दौरान आई०एम०एफ० टीम ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) टीम के साथ बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विस्तारित धन सुविधा के अंतर्गत आई०एम०एफ० से अधिक ऋण लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) मार्च, 1992 में एक मिशन ने भारत का दौरा किया था जिसका प्रयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई वैकल्पिक व्यवस्था की सरकार के साथ पुनरीक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार अनुच्छेदों के अनुच्छेद-IV के अंतर्गत सामयिक विचार-विमर्श करना था। यह बातचीत संतोषजनक रही।

(घ) और (ङ) इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) के वैज्ञानिकों के लिए सुरक्षा ड्यूटी

7812. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को अपनी ड्यूटी के बाद देश भर की डी०आर०डी०ओ० प्रयोगशालाओं में सुरक्षा ड्यूटी करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात वैज्ञानिक इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं;

(ग) क्या सरकार की इन वैज्ञानिकों के स्थान पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को अनुसंधान कार्य सौंपने की कोई योजना है जिससे कि वे अनुसंधान कार्य के साथ न्याय कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पंवार) : (क) जी, नहीं। फिर भी, सामान्य ड्यूटियों के लिए कार्यालय समय के बाद, बारी-बारी से एक ड्यूटी अफसर की तैनाती की प्रथा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सुरक्षा ड्यूटियां पहले ही प्रशिक्षित रक्षा सुरक्षा कार्मिकों, जिनमें रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक भी शामिल हैं, द्वारा की जा रही हैं।

[हिन्दी]

ग्रीन लाइन बसों का परिचालन बंद करना

7813. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन दिनों दिल्ली में तथा अन्तर्राज्यीय रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी-कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बसों की संख्या सहित इनके रूट में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को हटा लिया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी बसें हटा ली गई हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 20-4-92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की 3950 और 415 बसें क्रमशः शहरी मार्गों (रूटों) और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलाई जा रही थीं।

(ख) 20-4-1992 की स्थिति के अनुसार ग्रीन लाइन मार्गों (रूटों) पर 240 बसें चलाई जा रही थीं, इन मार्गों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। ग्रीन लाइन मार्गों से 36 बसें हटा ली गई हैं क्योंकि यात्रियों द्वारा उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था।

विवरण

20-4-92 की स्थिति के अनुसार ग्रीन लाइन सेवाओं का विवरण

क्र०सं०	रूट सं०	प्रारंभिक स्थान	गंतव्य स्थान	बसें	इसके अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1. जी एल	11	रानी बाग—	कमला मार्किट	6	रामपुरा, करोलबाग, पहाड़गंज, कनाट सर्कस

1	2	3 4	5	6
2. जी एल	13	संत नगर—केन्द्रीय टर्मिनल	1	जी०टी०बी० नगर, आई० एस०बी०टी०, आई०टी० ओ०, कनाट सर्कस
3. ,,	17	अशोक विहार—सी०जी०ओ० फेस-II कम्पलेक्स	2	लिबर्टी, कनाट सर्कस, लोधी रोड
4. ,,	19	केशवपुरम थाना—प्रगति मैदान	3	सराय रोहिल्ला, पहाड़गंज, कनाट सर्कस, दिल्ली गेट
5. ,,	25	नई सीमापुरी—रेलवे स्टेशन	2	शाहदरा, आई०एस०बी० टी०, जमुना बाजार
6. ,,	31	नोएडा सेक्टर 37—आर०के०पुरम	5	रोड ब्रिज, रिंग रोड, नेहरू प्लेस
7. ,,	32	नोएडा सेक्टर 12—शादीपुर डिपो	5	मदर डेयरी, आई०टी०ओ०, पूसा रोड
8. ,,	34	विवेक विहार—नई दिल्ली रे० स्टे०	3	शक्करपुर, आई०टी०ओ०, कनाट सर्कस
9. ,,	35	नोएडा सेक्टर 37—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	3	मदर डेयरी, आई०टी०ओ०, दिल्ली गेट
10. ,,	36	नोएडा सेक्टर 37—के० टर्मिनल	2	रोड ब्रिज, प्रगति मैदान, कृषि भवन
11. ,,	37	मनजपुरा—नोएडा सेक्टर 12	3	बाबरपुर, पी०जी० डिपो, दल्लुपुरा
12. ,,	41	बदरपुर बार्डर ओ ब्लाक—नई दिल्ली, सरिता विहार, रे० स्टे०	5	आश्रम, ए० आई० आई० एम०एस०, कृषि भवन
13. ,,	61	बसंत कुंज—नई दिल्ली रे० स्टे०	4	कनाट सर्कस, सरोजनी नगर
14. ,,	62	बसंत कुंज—मोरी गेट टर्मिनल	4	कुतुब, ए०आई०आई०एम० एस०, आई०टी०ओ०
15. ,,	72	मानसरोवर—शाहदरा टर्मिनल गार्डन	2	वेस्ट पटेल नगर, आइस फैक्टरी, आई०एस०बी०टी०, सीलमपुर

1	2	3 4	5	6
16. जी एल	81	जनकपुरी सी-1—शक्करपुर	4	पटेल नगर, कनाट सर्कस, आई०टी०ओ०
17. ,,	82	विकासपुरी—जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फेस-1		नक सेतु, धौलाकुआं, साउथ स्टेशन
18. ,,	83	पालम गांव —ओखला औ० क्षे०	3	पालम एअरपोर्ट, एम०सी० के०आर० अस्पताल, कालका जी डिपो
19. ,,	86	जनकपुरी बी ब्लाक—आजादपुर ट०	2	शिवाजी मार्ग, आउटर रिंग रोड
20. ,,	87	जनकपुरी ए-1—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	2	मायापुरी, पटेल नगर, एन० डी०पी०ओ०
21. ,,	90	रोहिणी—केन्द्रीय टर्मिनल सेक्टर 16	2	वजीरपुर डिपो, पंजाबी बाग टर्मिनल, करोल बाग
22. ,,	96	गुरू हरकिशन नगर—रेलवे स्टेशन	2	मुलतान नगर, लिबर्टी, डी० सी०एम०, न्यू कोर्ट
		कुल	68	

20-4-92 की स्थिति के अनुसार मौजूदा रूटों पर ग्रीन लाइन सेवा का विवरण

1. जी एल	405	बदरपुर बार्डर से—रेलवे स्टेशन	4	आश्रम, सुप्रीम कोर्ट, लाल-किला
2. ,,	419	अम्बेडकर नगर—रेलवे स्टेशन टर्मिनल	4	पुष्प भवन, एम०सी०के०आर० हस्पताल, सुप्रीम कोर्ट
3. ,,	423	देवली गांव—मोरी गेट टर्मिनल	2	मदनगीर, मूलचंद, सुप्रीम कोर्ट, रिंग रोड
4. ,,	425	नेहरू प्लेस ट०—रेलवे स्टेशन	5	कालकाजी, मूलचंद अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट, लाल किला
5. ,,	427	महरौली—निजामुद्दीन रे० स्टेशन	1	नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, आश्रम
6. ,,	429	डी०डी०ए०—रेलवे स्टेशन कालकाजी	7	कालकाजी, लाजपत नगर, सुप्रीम कोर्ट, लाल किला

1	2	3	4	5	6
7. जी एल	442	नेहरू प्लेस(ट०)	—आजादपुर(ट०)	10	मूलचंद हस्पताल, धौलाकुआं, पंजाबी बाग (ट०)
8. ,,	447	तारा अपार्टमेंट	—मोरी गेट (ट)	1	मूलचंद अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट, राजघाट
9. ,,	449	डी०डी०ए० कालकाजी	—मोरी गेट (ट)	1	ओखला डिपो, आश्रम, दिल्ली गेट, रिंग रोड
10. ,,	480	डी०डी०ए० कालकाजी	—केन्द्रीय टर्मिनल	2	गोविन्दपुरी, लाजपत नगर, उद्योग भवन
11. ,,	500	साकेत	—सुपर बाजार	6	खेल गांव, ए०आई०आई०एम० एस०, कृषि भवन, कनाट सर्कस
12. ,,	502	महरौली	—रेलवे स्टेशन	7	ए०आई०आई०एम०एस०, शाहजहां रोड, आई०टी०ओ०, लाल किला
13. ,,	515	हौजखास (ट)	—रेलवे स्टेशन	1	डिफेंस कालोनी, कनाट सर्कस, आई०टी०ओ०, लाल किला
14. ,,	514	कालकाजी एक्स०	—सरोजिनी नगर डिपो	1	चिराग दिल्ली, आई०आई० टी० गेट, ए० आई० आई० एम०एस०
15. ,,	522	अम्बेडकर नगर (ट०)	—आर्य समाज रोड रोड	4	मूलचंद अस्पताल, लोदी कॉलोनी, कनाट सर्कस
16. ,,	540	तारा अपार्टमेंट	—केन्द्रीय (ट)	3	चिराग दिल्ली, साउथ एक्स-टेंशन, उद्योग भवन
17. ,,	622	आर०के०पुरम-1	—कृष्णा नगर	5	ए०आई०आई०एम०एस०, शाहजहां रोड, लाल किला, गांधी नगर
18. ,,	680	अम्बेडकर नगर सेक्टर-4	—केन्द्रीय (ट)	2	आर०के० पुरम, शान्ति पथ, तीनमूर्ति, भवन
19. ,,	702	धौलाकुआं	—शाहदरा	1	ए० आई० आई०एम० एस०, लाजपत नगर, आई०टी०ओ०, सीलमपुर

1	2	3	4	5	6
20.	जी एल 711	लाजपत नगर—सी-1 जनकपुरी		5	ए० आई० आई० एम० एस०, आर०के० पुरम, धौलाकुआं, दिल्ली कैंट
21.	जी एल (+) एम०एस०	ए०आई०आई०एम०एस०—आजादपुर		5	धौला कुआं, राजागार्डन, पंजाबी बाग (ट)
22.	जी एल (—) एम०एस०	नौरोजी नगर—नौरोजी नगर		5	आई० एस० बी० टी०, जी० टी०बी० नगर, राजा गार्डन, धौला कुआं
23.	,, 118	कल्याणपुरी—राणा प्रताप बाग		1	मदर डेयरी, आई०टी०ओ०, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, शक्ति नगर
24.	,, 260	यमुना विहार—केन्द्रीय (ट) सी-4		2	भजनपुरा, पुराना सचिवा०, लाल किला, आई०टी०ओ०, केन्द्रीय (ट)
25.	,, 261	नन्द नगरी (ट)—प्रगति मैदान		2	भजनपुरा, पुराना सचिवालय, लाल किला, आई०टी०ओ०
26.	,, 264	नन्द नगरी (ट)—शिवाजी स्टेडि०		2	भजनपुरा, मौरिस नगर, बर्फखाना, गोल मार्किट
27.	,, 212	नन्द नगरी (ट)—आनन्द पर्वत		2	जमुना विहार, तिमारपुर, मल्कागंज, करोलबाग
28.	,, 281	दिलशाद गार्डन (ट)—केन्द्रीय (ट)		2	विवेक विहार, शक्करपुर, आई०टी०ओ०, कनाट सर्कस
29.	,, 320	शाहदरा—केन्द्रीय (ट)		2	जगतपुरी, शक्करपुर, आई० टी०ओ०, कृषि भवन
30.	,, 361	बाबरपुर एक्सटेंशन—केन्द्रीय (ट)		2	जगतपुरी, शक्करपुर, आई० टी०ओ०, कृषि भवन
31.	,, 332	नोएडा से० 6—आई०एस०बी०टी०		2	नयाबांस, कल्याणपुरी, आई० टी०ओ०, लाल किला
32.	,, 350	शाहदरा—करोल बाग (ट)		3	कृष्णा नगर, शक्करपुर, आई० टी०ओ०, पहाड़गंज
33.	,, 234	नन्द नगरी(सी०सी०)—कर्मपुरा(ट)		3	यमुना विहार, माल रोड, शक्ति नगर, इन्द्रलोक

1	2	3 4	5	6
34. जी एल	237	बाबरपुर एक्सटेंशन—जहांगीरपुरी	1	यमुना विहार, माल रोड, माडल टाउन, आदर्श नगर
35. ,,	215	शाहदरा—लक्ष्मीनारायण मंदिर	2	सीलमपुर, लाल किला, अजमेरी गेट, कनाट सर्कस
36. ,,	270	करावल नगर—केन्द्रीय (ट)	2	भजनपुरा, तिमारपुर आई० एस०बी०टी०, लाल किला
37. ,,	307	त्रिलोकपुरी—कमला मार्किट 27 ब्लाक	1	लक्ष्मी नगर, आई०टी०ओ०, दिल्ली गेट
38. ,,	300	नोएडा सेक्टर-6—केन्द्रीय (ट)	2	लक्ष्मी नगर, आई०टी०ओ०, कनाट सर्कस
39. ,,	317	शाहदरा—शिवाजी स्टेडियम	2	कृष्णा नगर, आई०टी०ओ०, राउज एवेन्यू
40. ,,	335	नन्द नगरी (ट)—हौजखास (ट)	1	रामनगर, सीलमपुर, आई० टी०ओ०, ए०आई०आई० एम०एस०
41. ,,	344	कल्याणपुरी—हौजखास (ट)	1	पटपड़गंज, प्रगति मैदान, शाहजहां रोड, ए०आई० आई०एम०एस०
42. ,,	342	विवेक विहार—केन्द्रीय (ट)	1	आनंद विहार, शक्करपुर, आई० टी०ओ०, कनाट सर्कस
43. ,,	391	कल्याणपुरी केन्द्रीय (ट)	2	लक्ष्मी नगर, आई०टी०ओ०, कृषि भवन
44. ,,	309	कल्याणपुरी—आनन्द पर्वत	1	लक्ष्मी नगर, आई०टी०ओ०, कनाट सर्कस, अजमेरी गेट
45. ,,	832	शाहदरा—जनकपुरी डी-ब्लाक	1	सीलमपुर, बर्फखाना, किशन-गंज, तिलक नगर
46. ,,	88	उत्तम नगर—आई०एस०बी०टी०	2	राजा गार्डन, जखीरा, किशन-गंज, न्यू कोर्ट
47. ,,	10	कल्याण विहार—केन्द्रीय (ट)	3	शक्ति नगर, बर्फखाना, करोल बाग, कनाट सर्कस

1	2	3 4	5	6
48. जी एल	16	शालीमार बाग —पालिका केन्द्र	7	अशोक विहार, सराय रोहिल्ला, कनाट सर्कस
49. ,,	91	नांगलोई—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	7	पंजाबी बाग, सराय रोहिल्ला, करोल बाग, कनाट सर्कस
50. ,,	93	सरस्वती विहार—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	2	कन्हैया नगर, सराय रोहिल्ला, करोल बाग, कनाट सर्कस
51. ,,	94	रोहिणी सेक्टर-3—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	3	प्रीतमपुरा, पंजाबी बाग, करोल बाग, कनाट सर्कस
52. ,,	232	मंगोलपुरी—रेलवे स्टेशन	2	पंजाबी बाग (ट) जखीरा, किशन गंज, न्यू कोर्ट
53. ,,	901	मंगोलपुरी—कमला मार्किट वाई ब्लाक	4	पीतमपुरा, जी०टी०बी० नगर, पुराना सचिवा०, लाल किला
54. ,,	568	मंगोलपुरी—सफदरजंग (ट) एस ब्लाक	1	पंजाबी बाग (ट), मायापुरी, धौलाकुआं, आर०के०पुरम
55. ,,	601	उत्तरी पीतमपुरा—आर० के० पुरम-1	2	महेन्द्र पार्क, राजा गार्डन, मायापुरी, धौलाकुआं
56. ,,	944	सुल्तानपुरी—केन्द्रीय (ट)	1	पीरागढ़ी, कर्मपुरा, पटेलनगर, आर०एम०एल० हस्पताल
57. ,,	151	निरंकारी—करोल बाग (ट) कालोनी	2	जी०टी०बी० नगर, मल्कागंज, सदर थाना, पहाड़गंज
58. ,,	117	सरस्वती विहार—केन्द्रीय (ट) (डब्ल्यू०टी०)	2	पीतमपुरा, पंजाबी बाग, पूसा रोड, आर०एम०एल० हस्पताल
59. ,,	231	मंगोलपुरी—रेलवे स्टेशन एस ब्लाक	2	पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, सराय रोहिल्ला, आई०एस०बी०टी०
60. ,,	247	कृष्ण विहार—आई०एस०बी०टी०	1	मंगोलपुर स्कूल, पीतमपुरा, शास्त्री नगर, आई०एस० बी०टी०
61. ,,	964	सरस्वती विहार—नेहरू प्लेस (ट) (डब्ल्यू०टी०)	2	महेन्द्र पार्क, राजा गार्डन, धौला कुआं, कैलाश कालोनी
62. ,,	970	आवंतिका—केन्द्रीय (ट)	1	मधुबन चौक, महेन्द्र पार्क, कर्मपुरा (ट) और आर०एम० एल० अस्पताल

1	2	3	4	5	6
63.	जी एल 984	रोहिणी सेक्टर-3(ट)—सफदरजंग(ट)	1		मधुबन चौक, पंजाबी बाग (ट), झण्डेवालान, कृषि भवन
64.	जी एस (—) एम०एस०	आजादपुर—आजादपुर		5	रिंग रोड
				172	

[अनुवाद]

आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक के उप कार्यालय स्थापित करना

7814. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों पर आयात और निर्यात महानियंत्रक के उप-कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार ऐसे स्थानों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गंगटोक में ऐसा कार्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के इस समय 32 उप-कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। ये उप-कार्यालय समय-समय पर स्थापित किए गए हैं। इन उप-कार्यालयों का कार्यक्षेत्र, स्थिति और स्तर का ब्यौरा प्रक्रिया विषयक नियम पुस्तिका 1990-93 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट 2-ख में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

*7815. श्री बी० देवराजन :

श्री एस० बी० शिवनाथ :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कितने आपराधिक तथा दीवानी मामले लंबित हैं;

(ख) उनमें से श्रेणीवार कितने मामले तीन, पांच तथा दस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(ग) काफी समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी, संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं, जैसे कि विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, शीघ्र निपटारे की अपेक्षा रखने वाले मामलों को पूर्विकता देना, विशेषज्ञ न्यायपीठ गठित करना, आदि। बकाया मामला विषयक समिति की जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की जांच की थी, विभिन्न सिफारिशें सभी संबंधित मंत्रालयों, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

उच्च न्यायालयों के नाम	लंबित दांडिक/सिविल मामलों की संख्या		निम्नलिखित से अधिक वर्ष से लंबित मामलों की संख्या						निम्नलिखित तारीख को
			3 वर्ष		5 वर्ष		10 वर्ष		
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. इलाहाबाद	438368	97617	234862	61634	157167	41969	36963	5711	31-12-90
2. आंध्र प्रदेश	80658	1989	15017	शून्य	4679	शून्य	125	—	31-12-90
3. मुंबई	158105	12707	73028	2934	43752	1079	10291	92	30-6-91
4. कलकत्ता	194711	15849	126084	9469	95258	6916	30306	859	31-12-90
5. दिल्ली	120795	6107	60756	3239	37125	2166	10894	862	30-6-91
6. गुवाहाटी	18857	3642	7446	1621	2941	622	138	1	30-6-91
7. गुजरात	74509	12176	37046	2959	23138	1522	4216	—	30-6-91
8. हिमाचल प्रदेश	11109	2467	4981	228	3778	97	727	1	31-12-91
9. जम्मू-कश्मीर	40788	4628	23738	2203	11299	1128	1113	65	31-12-90
10. कर्नाटक	83888	3083	28075	740	10294	25	439	—	30-6-91
11. केरल	83681	2940	16569	278	4475	26	95	—	31-12-91

12. मध्य प्रदेश	48525	22602	8190	3818	3890	921	1152	61	31-12-91
13. मद्रास	223988	25099	86995	9579	41791	1805	855	7	30-6-91
14. उड़ीसा	31754	4268	10742	1672	5553	467	819	4	30-6-91
15. पटना	51680	16097	21362	2194	11077	408	4534	2	31-12-90
16. पंजाब और हरियाणा	85518	12239	39624	3453	23595	1224	5034	4	31-12-91
17. राजस्थान	72278	14694	32356	8048	17873	5449	2974	1091	30-6-91
18. सिक्किम	62	—	25	शून्य	23	शून्य	शून्य	शून्य	31-12-90

एफ० सी० वी० तम्बाकू का मूल्य

7816. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एफ० सी० वी० तम्बाकू का चालू मौसम में औसत मूल्य गत वर्ष की तुलना में बहुत नीचे गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एफ० सी० वी० तम्बाकू का बाजार मूल्य पूर्व स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) दिनांक 10-4-92 अर्थात् नीलामियों के 9वें सप्ताह के अन्त में बेची गई 50.13 मिलियन कि० ग्रा० तम्बाकू की मात्रा के लिए प्राप्त की गई औसत कीमत 30.05 रु० प्रति कि० ग्रा० है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बेची गई 67.54 मिलियन कि० ग्रा० के लिए प्राप्त की गई औसत कीमत 32.23 रु० प्रति कि० ग्रा० थी। तथापि, प्रचलित (रूलिंग) औसत कीमत कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि लागत और कीमत सम्बन्धी आयोग द्वारा वर्ष 1991-92 की फसल के लिए तम्बाकू की विभिन्न ग्रेडों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक है तथा उपजकर्त्ताओं तथा व्यापारियों के बीच परस्पर रूप से सहमत न्यूनतम गारंटी मूल्य (एम० जी० पी०) से काफी अधिक है। इसकी तुलना वर्ष 1989-90 के लिए प्राप्त की गई। 14.69 रु० प्रति कि० ग्रा० की औसत कीमत से भी की जा सकती है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

7817. श्री नारायणभाई अमलाभाई राठवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात प्रयोजन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त धनराशि का उपयोग न करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण में से आयात प्रयोजन हेतु पहले ही कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त धनराशि को केवल भारत की विकास प्रगति को बढ़ाने वाली योजनाओं पर व्यय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त राशि विशिष्ट आयातों के लिए निर्धारित नहीं की जाती हैं अपितु यह समेकित प्रारक्षित भण्डार में समाविष्ट हो जाती है। ये प्राप्तियां हमारी विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे भुगतान संतुलन को सशक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाहों में वृद्धि करती हैं।

[अनुवाद]

तस्करों की गिरफ्तारी

7819. श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा कितने विदेशियों को तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है और वे किन-किन देशों के हैं; और

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान तस्करी से सम्बन्धित मामलों का पता लगाने के लिए कितने सीमा शुल्क कर्मचारियों को पुरस्कृत किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों के द्वारा तस्करी गतिविधियों में लिप्त नाईजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की, इन्डोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी, बांगलादेश, ब्रिटेन, म्यनमार, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों के 216 व्यक्तियों (संख्या अनन्तिम है) को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को 38973 मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किए गए थे। बहुत से अधिकारियों को ऐसी अदायगियां एक से अधिक बार प्राप्त हुई हैं। कैलेण्डर वर्ष-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राज्यों को विदेशी ऋणों का वितरण

7820. श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने योजना आयोग की हाल ही में आयोजित की गई बैठकों में दूसरे देशों तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से प्राप्त विदेशी सहायता का राज्यों को वितरण करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी सहायता की एक अनुचित रूप से बड़ी राशि केन्द्र सरकार अपने पास रख लेती है, और उसे राज्यों को नहीं देती है, चाहे इसका नियतन किसी विशेष राज्य सरकार के लिए क्यों न किया गया हो तथा इन धनराशियों का निवेशन केन्द्र सरकार अपनी ही कुछ परियोजनाओं के लिए कर देती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सम्बन्धित राज्यों को विदेशी सहायता की पूरी धनराशि समय पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं और गरीबी-उन्मूलन लक्ष्योन्मुखी परियोजनाओं के संबंध में राज्यों को शत-प्रतिशत विदेशी सहायता जारी की जाती है। अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत

प्राप्त सहायता राज्यों को अन्तरित की जाती है। राज्य, विदेशी सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत सहायता के अन्तरण का अनुरोध करते रहे हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। राज्यों को विदेशी सहायता का केन्द्रीय अन्तरण का प्रश्न 1976 से लगातार समीक्षाधीन रहा है, अर्थात् उस समय जब पहली बार राज्यों को विदेशी सहायता के 25 प्रतिशत के अन्तरण का निर्णय किया गया था।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और टकसाल

7821. श्रीमती रीता वर्मा :
श्री एम० के० बालियान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसों और टकसालों के स्थानों का तथा तत्संबंधी जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : देश में दो प्रतिभूति मुद्रणालय और चार टकसालें हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

मुद्रणालय

1. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड
2. प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद

टकसालें

1. भारत सरकार टकसाल, बम्बई
2. भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता
3. भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद
4. भारत सरकार टकसाल, नोएडा

प्रमुख पत्तनों के विस्तार हेतु ऋण

7822. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख पत्तनों को उनके विस्तार कार्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋणों से धन जुटाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महापत्तन

न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधान के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से महापत्तन संस्थागत निधियां जुटा सकते हैं।

(ख) और (ग) अब तक इस प्रकार से उधार लेने की आवश्यकता नहीं हुई है।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु सुविधाएं

7823. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की बदलती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारतीय उद्यमियों के लिए विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के अधिक अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में भारतीय उद्यमियों को सुविधाओं में पर्याप्त छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेशों में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां स्थापित करने के दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है।

सूती धागा एकक

7824. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूती धागे का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है;

(ख) 1990-91 के दौरान देश में सूती धागे के एककों की उत्पादन क्षमता कितनी है और एकक-वार कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार का सूती धागा उत्पादन एककों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का विचार है ताकि स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 में देश में स्थापित तकुओं की क्षमता 26.53 मिलियन थी। वर्ष 1990-91 के दौरान सूती यार्न का उत्पादन 1467 मिलियन कि० ग्राम था। चूंकि यार्न के उत्पादन में 1100 एकक लगे हुए हैं इसलिए एकक-वार उत्पादन और क्षमता के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) रूई सलाहकार बोर्ड घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए रूई की उपलब्धता तथा मांग की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करता है ताकि पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जा सकें। हाल ही में सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न में विशेष रूप से परिवर्तित करने के लिए कपास की 2 लाख की गांठ तक का आयात करने का निर्णय लिया है ताकि देश के भीतर कपास की उपलब्धता सुगम बनाई जा सके।

कतिपय क्षेत्रों के निर्यातकों को अधिक
निर्यात-आयात का अधिकार

7825. **श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एग्जम स्क्रिप" योजना में कतिपय क्षेत्रों के निर्यातकों को 40 प्रतिशत निर्यात-आयात करने का कुछ अधिकार दिया गया है जबकि अन्य उद्योगों के मामलों में यह अधिकार केवल 30 प्रतिशत है;

(ख) क्या नई रुपया विनिमय योजना में ये सभी भेदभाव समाप्त हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्यातकों को इसके लिए क्या वैकल्पिक सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कपास का शुल्क मुक्त आयात

7826. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महावीपक सिंह शाक्य :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ वस्त्र मिलों को कपास का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में कपास के आयात की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस तरह के निर्णय लिए जाने के कारण क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) उचित मूल्य पर हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए हथकरघा क्षेत्र की मांग को देखते हुए सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए एक कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कताई मिलों द्वारा शुल्क मुक्त कपास की 2 लाख गांठों तक का आयात करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता

7827. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान विश्व व्यापार में भारत के सहभागिता का प्रतिशतता क्या थी;

(ख) सहभागिता की प्रतिशतता में लगातार गिरावट आने के क्या कारण थे; और

(ग) सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान विश्व व्यापार में भारत का भाग 0.59 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वर्ष 1991 के लिए विश्व व्यापार के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए जिनका उद्देश्य निर्यात/प्रोत्साहन को मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। वर्ष 1992-93 के बजट में, विदेशी मुद्रा के सृजन को प्रोत्साहित करने और टैरिफ के अलावा कीमत प्रक्रिया के जरिए आयात को विनियमित करने के लिए रुपये को आंशिक तौर पर परिवर्तनीय बना दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति में इन्हें और समेकित किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर इसकी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं : लाइसेंसिंग के जरिए कंट्रोल को कम करना, निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय-विचार-विमर्श करना, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ आपसी विचार-विमर्श, आदि।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

7828. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :
श्री महेश कनोडिया :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए किसानों को ऋण देने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक राज्य-वार/वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कुल अग्रिमों का 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दें। कृषि (संबद्ध गतिविधियों सहित) को दिया गया प्रत्यक्ष वित्त उनके कुल ऋण का 18 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। कमजोर वर्गों को, जिनमें छोटे और सीमांतिक किसान तथा भूमिहीन किसान और कारीगर शामिल हैं, दिए जाने वाले अग्रिम उनके कुल ऋण का 10 प्रतिशत या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत होना चाहिए।

चाय बागानों की उत्पादन क्षमता

7829. **श्री जीतेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तरी बंगाल में भारतीय चाय व्यापार निगम के अन्तर्गत चाय बागानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) टी० टी० सी० आई० के अन्तर्गत आने वाले सभी बागानों के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के आधार पर टी० टी० सी० आई० उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के अनुसार पुनर्रोपण, भराई' नवीकरण आदि जैसे विकास संबंधी कार्यकलाप करने का प्रयास कर रहा है।

मेटल एंड स्टील फैक्टरी में सुरक्षा

7830. **श्री राम कापसे** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक ने 1991 की अपनी रिपोर्ट संख्या 8 के पैरा 30 (केंद्रीय सरकार) में मेटल एंड स्टील फैक्टरी के स्टील मेल्टिंग शाप में सुरक्षा व्यवस्था के बार में कुछ टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

28 नवम्बर, 1988 को रात 9 बजकर 25 मिनट पर मेटल एवं स्टील फैक्टरी की स्टील मेल्टिंग शॉप (एस० एम० एस०) की 15 टन आर्क भट्टी में एक दुर्घटना हुई थी जिसके परिणाम-स्वरूप 7 श्रमिकों को चोटें आई तथा शॉप की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में एक श्रमिक की बेस अस्पताल (बैरकपुर) में मृत्यु हो गयी। इस फैक्ट्री के महाप्रबन्धक द्वारा नवम्बर, 1988 में गठित जांच बोर्ड का यह मत था कि भट्टी में लगी लिडिल के पोरस प्लग एरिया के जरिए पिघली

हुई धातु के पिट में रिसाव हो जाने के कारण तथा पिट के तले में जमा पानी के पिघली हुई धातु के मिल जाने के कारण हुए विस्फोट से यह दुर्घटना हुई थी।

2. इस संदर्भ में नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 1991 की रिपोर्ट संख्या 8 (संघ सरकार) के पैरा 30 में यह टिप्पणी की है कि यदि सुरक्षा पहलुओं को नजरअंदाज न किया गया होता तो उत्पादन में हुई 1.47 लाख रुपये की हानि मरम्मत पर हुए 8.23 लाख रुपये के खर्च और जनहानि (एक मामले में) तथा 6 श्रमिकों को लगी चोटों से बचा जा सकता था।

3. आयुध निर्माणी बोर्ड ने लेखा परीक्षा के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया है कि इसमें सुरक्षा पहलुओं को नजरअन्दाज किया गया था क्योंकि उस समय मौजूद सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया जा रहा था। तथापि, नियन्त्रक किरकी पुणे ने इस दुर्घटना के उपरांत दिसम्बर, 1988 में सुरक्षा की जांच के लिए एक निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान सभी सुझावों को केवल एक सुझाव को छोड़कर, जिसका कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं है, कार्यान्वित किया जा चुका है। जांच बोर्ड द्वारा सुझाये गए सुरक्षा उपायों को भी कार्यान्वित किया जा चुका है। इस संबंध में किए गए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) पिट की मरम्मत कर ली गई है तथा पानी के रिसाव पर नियन्त्रण पा लिया गया है। पिट तथा धातु मल पिट की नियमित रूप से सफाई की जा रही है। अधिक ताप वाली चिंगारियों से बचने के लिए क्रेन केबिन में सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

(2) भार उठाने वाली घिरनी तथा चैनों का आवधिक रूप से परीक्षण किया जाता है।

(3) पोरस प्लग की स्थिति को ठीक करने तथा बॉटम प्लेट को कसने, नट और बोल्टों की स्थिति, स्पिलिट पिन, स्प्रिंग वाशर आदि की प्रत्येक ताप के बाद जांच की जाती है तथा यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें उपयुक्त रूप से बदला जाता है।

(4) स्टील मैल्टिंग शॉप में काम करने वालों को फाइबर ग्लास हेलमेट, हाथ के दस्ताने, चश्मे, चमड़े के जूते, एस्बेसटस अप्रोन आदि सुरक्षा के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। कर्मियों को यह सलाह दी जाती है कि काम करते हुए इन साधनों का इस्तेमाल किया जाए।

[हिन्दी]

भर्ती केन्द्र

7831. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में स्थित सशस्त्र बलों के लिए भर्ती केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक भर्ती केंद्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) हरियाणा में निम्नलिखित भर्ती केन्द्र हैं :

(1) शाखा भर्ती कार्यालय, रोहतक

(2) शाखा भर्ती कार्यालय, हिसार

(3) शाखा भर्ती कार्यालय, चरखी दादरी

(4) शाखा भर्ती कार्यालय तथा मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, अम्बाला

(5) वायुसैनिक चयन केंद्र, अम्बाला

(ख) और (ग) फिलहाल नए भर्ती केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1988 में आरम्भ की गई भर्ती की आवेदन पत्र प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मौजूदा भर्ती केंद्रों को पर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

रेशम उत्पादन का विकास

7832. **श्री के० तुलसिऐया वाण्डायार** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम उत्पादन व्यवसाय ने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) किन राज्यों में इसका तेजी से विकास हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने देश में रेशम उद्योग के विकास हेतु कुछ और क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ धनराशि आबंटित की है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(छ) देश में उक्त उद्योग में प्रति वर्ष कुल उत्पादन कितना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है जिसमें कृषि-आधारित क्रियाकलापों (जैसे शहतूती कृषि, रेशम कीट पालन आदि) और फैब्रिक उत्पादन तक कोसों की प्रोसेसिंग सहित कुटीर उद्योग पर आधारित क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ख) शहतूती रेशम उत्पादन परम्परागत राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर और पश्चिम बंगाल में कारगर ढंग से हो रहा है। टसर उत्पादन (वन आधारित क्रियाकलाप) बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। मूंगा और एरी उत्पादन मुख्य रूप से असम और मेघालय राज्य में होता है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना रेशम उत्पादन के विकास के लिए परम्परागत राज्यों के अतिरिक्त 12 गैर परम्परागत राज्यों (अर्थात असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) और (च) विशेष गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना के अलावा केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम उत्पादन उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए आर० एण्ड डी० एवं सहायता कार्यक्रमों सहित कई योजनाएं/कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम सामान्य किस्म के हैं और सभी राज्यों पर लागू होने वाली हैं। आठवीं योजना (1992-97) के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत रेशम उत्पादन विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रावधान के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(छ) रेशम उत्पादन/रेशम उद्योग के अनन्तिम उत्पाद रेशम फैब्रिक है। देश में वार्षिक रेशम उत्पादन के आधार पर रेशम फैब्रिक्स का कारोबार लगभग 2200 करोड़ रु० मूल्य का होने का अनुमान है।

विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आठवीं योजना (1992-97)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	513.46
2.	असम	1443.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	121.24
4.	बिहार	1732.43
5.	गुजरात	66.38
6.	हिमाचल प्रदेश	36.48
7.	जम्मू व कश्मीर	644.39
8.	कर्नाटक	2416.18

1	2	3
9.	मध्य प्रदेश	433.41
10.	महाराष्ट्र	381.37
11.	मणिपुर	263.51
12.	मेघालय	491.60
13.	मिजोरम	80.83
14.	नागालैंड	140.61
15.	उड़ीसा	631.32
16.	पंजाब	36.48
17.	राजस्थान	94.61
18.	सिक्किम	23.80
19.	तमिलनाडु	515.68
20.	त्रिपुरा	32.11
21.	उत्तर प्रदेश	864.39
22.	प० बंगाल	1365.45
23.	केरल	80.22
24.	हरियाणा	36.48
	योग	12446.00

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रिक्त पद

7833. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु दिल्ली परिवहन निगम में एक सेल की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह सेल किस तारीख को गठित किया जाएगा;

(ग) निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम में दि० 4-2-1978 को एक कक्ष स्थापित किया गया था।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) स्थायी अनुदेशों के अनुसार रोजगार कार्यालय से अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर रिक्त पदों को भरा जाता है।

विवरण

1-1-1992 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व तथा बैंक-लॉग दर्शाने वाला विवरण

वर्ग	रजिस्टर में	रजिस्टर में		बैंक-लॉग		प्रतिशतता	
	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा
ग्रुप "क"	58	5	—	7	1	8.62%	—
ग्रुप "ख"	272	31	—	27	20	11.40%	—
ग्रुप "ग"	33685	6817	138	868	815	20.24%	00.40%
ग्रुप "घ" (सफाई वाला, एस/क्लीनर और सीवर-मैन को छोड़ कर)	5921	1423	02	161	147	24.03%	00.03%
ग्रुप "घ" (सफाई वाला एस/क्लीनर सीवरमैन)	1240	1240	—	—	—	100.00%	—

अ० जा०/अ० ज० जा० का कुल प्रतिनिधित्व : 23.45%

अनुसूचित जाति 23.11%

अनुसूचित जनजाति 00.34%

[अनुवाद]

प्राइवेट म्युच्वल फंड

7834. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा म्युच्वल फंड शुरू करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को निपटाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्राइवेट म्युच्वल फंडों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को 16 अप्रैल, 1992 तक पारम्परिक निधियां जारी करने के लिए 30 आवेदन प्राप्त हुए थे

(ख) पारस्परिक निधियों के लिए मार्ग निर्देशों में प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए किसी समयसीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार प्राइवेट पारस्परिक निधियों सहित पारस्परिक निधियों को मूलतः पूंजी बाजार में अन्तरणीय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

"इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर मेडिकल एण्ड एलाइड सर्विसेज"

7835. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर मेडिकल एण्ड एलाइड सर्विसेज" (इनमास) को अनुसंधान संस्थान के बजाय अस्पताल में बदल दिया गया है;

(ख) "इनमास" द्वारा इस समय रोगियों के रोग का पता लगाने और अनुसंधान पर किस अनुपात में प्रयास किया गया/ संसाधनों का प्रयोग किया गया;

(ग) क्या "इनमास" में दन्त चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार "इनमास" में प्रबन्धकों को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है जिससे अनुसंधान कार्य को कोई नुकसान न हो ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) लगभग 25 प्रतिशत रोगी-निदान और 75 प्रतिशत अनुसंधान कार्य के लिए।

(ग) अनुसंधान एवं विकास अध्ययन परियोजना की सहायता के लिए "इनमास" में एक लघु दन्त-चिकित्सा यूनिट स्थापित की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

व्यापार समझौते

7836. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान सरकार ने विदेशों के साथ कितने व्यापार समझौते किए;

(ख) इन समझौतों की मुख्य वित्तीय विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन समझौतों के कारण भारतीय वस्तुओं के निर्यात में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया और रुआंडा के साथ किए गए व्यापार करारों में परिवर्तनीय मुद्रा में व्यापार किए जाने की व्यवस्था है जबकि चैकोस्लोवाकिया के साथ किए गए व्यापार करार में यह व्यवस्था है कि व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

जहां तक रुआण्डा का सम्बन्ध है, अप्रैल-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि की तुलना में भारत से रुआण्डा को किए गये निर्यात मे लगभग 85 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसी अवधि में पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया को किये गये निर्यात में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टैंक के लिए अग्नि शमन प्रणाली का आयात

7837. **श्री जीवन शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने अपनी 1990 के रिपोर्ट संख्या 12 (संघ सरकार, रक्षा सेवाएं, सेना तथा आयुध कारखाने) में टैंक के लिए अग्नि शमन प्रणाली का आयात करने के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों पर की गयी उपचारात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में "की गयी कार्रवाई टिप्पणियों" को रक्षा लेखा सेवा के महानिदेशक के माध्यम से लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट के पैरा 17 के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों को लोक लेखा समिति को स्वीकृति प्रस्तुत करने से पूर्व, महानिदेशक, रक्षा लेखा सेवा को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

7838. **श्री एम० बी० थोरात :**
श्री सोम सिंह पटेल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अलग-अलग वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए वर्षवार और राज्य-वार प्रदान की गई निधियां और तदनुरूपी किया गया खर्च दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। इसी अवधि के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी कार्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रदान की गई निधियों और किए गए खर्च को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
		आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1225.67	1308.33	1328.28	1350.56	1279.42	
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.50	39.09	50.88	36.27	84.36	चूंकि लेखों को अभी बन्द किया जाना है अत: खर्च के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं।
3.	असम	588.88	683.70	959.38	986.64	1018.09	
4.	बिहार	981.90	974.75	1148.83	1147.50	1012.30	
5.	चंडीगढ़	13.00	12.93	11.55	11.56	16.00	
6.	दिल्ली	97.53	190.22	125.16	127.76	163.00	
7.	गोआ	265.71	237.20	215.87	218.87	191.97	
8.	गुजरात	824.67	1107.81	1043.02	1335.37	918.89	
9.	हरियाणा	297.90	289.69	252.67	254.72	362.29	
10.	हिमाचल प्रदेश	742.76	733.36	595.88	606.96	518.77	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	275.66	225.04	141.65	86.44	45.00	
12.	कर्नाटक	671.77	847.94	942.83	883.32	990.02	
13.	केरल	479.21	436.90	434.60	493.42	586.54	
14.	मध्य प्रदेश	1009.51	1097.90	1046.09	1174.41	1195.69	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	1308.91	1388.87	1489.15	1848.56	1620.90	
16.	मणिपुर	82.50	94.04	54.82	78.28	51.67	
17.	मेघालय	171.30	181.48	181.19	181.19	205.19	
18.	नागालैंड	3.53	3.26	2.00	2.00	3.50	
19.	उड़ीसा	613.34	607.62	654.73	654.72	859.98	
20.	पॉंडिचेरी	6.52	3.62	6.52	787	6.83	
21.	पंजाब	434.36	652.90	474.54	515.38	579.98	
22.	राजस्थान	889.43	906.01	962.68	1064.87	1054.61	
23.	तमिलनाडु	844.95	871.00	940.80	967.90	979.91	
24.	उत्तर प्रदेश	1220.46	1265.66	1108.51	1142.80	1312.05	
25.	पश्चिम बंगाल	916.03	1082.50	1060.47	1366.73	1284.35	
	कुल	139905.00	15240.82	15032.00	16544.10	16341.31	

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
		आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1.	आंध्र प्रदेश	2000.00	2168.82	2200.00	2219.59	2455.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	25.00	24.49	48.00	चूंकि लेखों को अभी बंद किया जाना है अत: खर्च के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।
3.	असम	1100.00	1088.48	1150.00	1101.85	1225.00	
4.	बिहार	700.00	699.10	800.00	1085.35	1142.00	
5.	चंडीगढ़	30.00	29.89	50.00	10.99	28.00	
6.	दिल्ली	375.00	376.25	350.00	349.58	550.00	
7.	गोवा	950.00	911.32	700.00	700.00	930.00	
8.	गुजरात	3200.00	3150.32	3250.00	3300.03	4770.00	
9.	हरियाणा	477.00	494.93	1250.00	1251.61	1060.00	
10.	हिमाचल प्रदेश	1145.00	1088.61	1125.00	1126.87	1140.00	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	395.00	390.80	300.00	298.60	50.00	
12.	कर्नाटक	1800.00	1816.72	1800.00	1920 43	1775.00	
13	केरल	1500.00	1481.41	1300.00	980.81	1120.00	
14.	मध्य प्रदेश	1850.00	1800.01	1850.00	1918.34	1850.00	
15.	महाराष्ट्र	2006.00	2013.28	2750.00	2751.09	3358.00	
16.	मणिपुर	300.00	311.45	300.00	291.91	250.00	
17.	मेघालय	400.00	425.75	300.00	300.00	450.00	
18.	नागालैंड	100.00	81.91	50.00	12.16	48.00	
19.	उड़ीसा	1295.00	1293.51	1050.00	1050.03	1384.00	

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी क्षेत्र का निवेश

7839. **श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी राशि ली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार, पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं करती है। यथापि, सरकारी उद्यम विभाग "विदेशी पार्टियों" और "अन्य भारतीयों" द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए जाने वाले निवेशों की सीमित सूचना समेकित करती है। जहां तक अन्य भारतीयों का सम्बन्ध है, 31-3-91 की स्थिति के अनुसार ऐसे निवेशों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

	इक्विटी पूंजी	ऋण
अन्य भारतीय	97.87	23067.13

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई० आर० बी० आई०) द्वारा संवितरित कुल राशि निम्नलिखित है :

संवितरण

	1989-90	1990-91	19991-92 (अनन्तिम)
आई० डी० बी० आई०	3309.4	2780.9	3782.3
आई० एफ० सी० आई०	875.3	1245.4	1340.5
आई० सी० आई० सी० आई०	782.8	1239.4	1673.3
आई० आर० बी० आई०	116 5	111.6	144.2
कुल	5084.0	5377.3	6940.3

बंगलौर में रिंग रोड का निर्माण

7840. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से बंगलौर नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को टालने के लिए एक रिंग रोड के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) बंगलौर बाईपास के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव फरवरी, 1992 में प्राप्त हुआ है। इस पर 1992-93 की अनुदान मांगों को अन्तिम रूप दिए जाने पर बाद में विचार किया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों में एन० सी० सी० योजना

7841. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को एन० सी० सी० योजना में शामिल नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का देश के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को उक्त योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम बन्दरगाह को ऋण सहायता

7842. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :
श्री बोल्लाबल्ली रामय्या :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने पता लगाया है कि यदि मछलीपत्तनम बन्दरगाह देश के आयात-निर्यात मामले में पर्याप्त सेवा कर सकता है यदि इसका थोड़ा नवीकरण और उन्नयन कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार मछलीपत्तनम बन्दरगाह के विकास हेतु ऋण सहायता अथवा विदेशी ऋण उपलब्ध करवाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्यम और लघु पत्तनों का विकास और उनका प्रबन्ध संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इस मंत्रालय को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत को संयुक्त अरब अमीरात से सहायता

7843. **डा० परशुराम गगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात भारत को 200 मिलियन की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन परियोजनाओं के लिए यह सहायता दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

काले धन के बारे में सूचना देने वालों को पुरस्कार

7844. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर विभाग को काले धन के बारे में सूचना देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इस योजना के फलस्वरूप कितने काले धन का पता लगाया गया;

(घ) क्या सूचना देने वाले लोगों को पुरस्कार देने में अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दिशा-निर्देशों के तहत वसूले गए अतिरिक्त कर के 10 प्रतिशत से अनधिक रकम के पुरस्कार के भुगतान की व्यवस्था है जो सीधे ही किसी मुखबिर द्वारा दी गई विशेष सूचना के कारण देय हुई है ।

(ग) इस योजना के फलस्वरूप इन दो वर्षों के दौरान पता लगाए गए काले धन के बारे में सही आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। तथापि, इन वर्षों के लिए ऐसे पुरस्कारों के लिए क्रमश: 1.08 करोड़ रुपये और 1.16 करोड़ रुपये की कुल बजट व्यवस्था की गई थी, इसलिए इन दो वर्षों में इस योजना के फलस्वरूप पता लगाए गए काले धन की रकम दस-दस करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा सकता है ।

(घ) और (ङ) चूंकि अन्तिम पुरस्कार कर-निर्धारण, अपील संबंधी तथा वसूली संबंधी कार्यवाहियां पूरी होने के बाद ही दिया जाता है इसलिए पुरस्कार दावों को अन्तिम रूप से निपटाए जाने से पूर्व पर्याप्त समय लगता है। इस पहलू के मूल्यांकन की कमी के कारण पुरस्कारों की राशि के भुगतान में विलम्ब के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ।

पावरलूम में बने कपड़े की खरीद की योजना

7845. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत करघे (पावरलूम) द्वारा निर्मित कपड़े को खरीदने की कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत किस प्रकार कपड़े को खरीदने की योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कपड़ों को न खरीदने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युत् करघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन बाजार की मांग और पूर्ति के प्रतिबलों द्वारा निर्दिष्टत होता है। वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को उनकी क्रमानुगत सुदृढ़ता तथा क्षमताओं के आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है।

[अनुवाद]

भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा सेवा में वरिष्ठ लेखा-परीक्षकों और लेखाकारों के वेतनमान

7846. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** 20 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा सेवा में कार्यरत वरिष्ठ लेखा-परीक्षकों और

लेखाकारों के वेतनमान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान के समान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय परिषद में विचाराधीन है।

लौंग का निर्यात

7847. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए लौंग की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए लौंग की मात्रा तथा मूल्य तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य/अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रुपए में) (अनन्तिम)
1989-90	186.0	63.92 (अनन्तिम)
1990-91	48.0	19.88
1991-92	0.3	0.42 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) वर्ष 1990 में लौंग का विश्व आयात अनुमानतः 9000 एम० टी० था। भारत लौंग का आयात करता रहा है, क्योंकि घरेलू उत्पादन देश की आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अति क्रमण

7848. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए कोई गति सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने वाहनों का निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके कारण दुर्घटना हुई; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे वाहनों के लिए कोई विशिष्ट गति सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि केन्द्र सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जाती।

विवरण

वाहनों की श्रेणी	प्रति घंटा अधिकतम गति— किलोमीटर में
1	2
(1) यदि वाहन के सभी पहियों में न्यूमेटिक टायर लगे हैं और वाहन के साथ ट्रेलर नहीं लगा है :	
(क) यदि वाहन, परिवहन वाहन से भिन्न हल्का मोटर वाहन है,	कोई सीमा नहीं
(ख) यदि वाहन हल्का मोटर वाहन है और एक परिवहन वाहन है,	65
(ग) यदि वाहन मोटर साइकल है,	50
(घ) यदि वाहन मंझोला या भारी यात्री मोटर वाहन है,	65
(ङ) यदि वाहन मंझोला या भारी माल वाहक वाहन है।	65
(2) यदि वाहन एक आर्टिकुलेटेड वाहन है, जिसके सभी पहियों में न्यूमूटिक टायर लगे हैं, जो एक भारी माल वाहक वाहन है या भारी यात्री मोटर वाहन है।	50
(3) यदि वाहन के साथ एक से अधिक ट्रेलर नहीं लगा है या आर्टिलरी उपस्कर के मामले में दो ट्रेलर से अधिक नहीं लगे हैं और उस वाहन तथा ट्रेलर के सभी पहियों में न्यूमेटिक टायर लगे हैं :	

1	2
(क) यदि वाहन हल्का मोटरवाहन है और ट्रेलर दो पहियों वाला है और कुल वाहन भार 800 कि० ग्रा० से अधिक नहीं है,	60
(ख) यदि वाहन हल्का मोटर वाहन है और ट्रेलर में दो से अधिक पहिए हैं या कुल वाहन भार 800 कि० ग्रा० से अधिक है।	50
(ग) यदि वाहन मंझोला माल वाहक वाहन है या मंझोला यात्री मोटर वाहन है,	50
(घ) यदि वाहन भारी माल वाहक वाहन है या भारी यात्री मोटर वाहन है,	40
(ङ) यदि वाहन भारी माल वाहक वाहन है या भारी यात्री मोटर वाहन है जिसे अग्निशमन दस्ते द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।	50
(4) कोई अन्य मामला जो प्रविष्टि (1), (2) या (3) के अन्तर्गत नहीं आता।	30

[हिन्दी]

रबड़ का उत्पादन

7849. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार रबड़ का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार रबड़ उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल रबड़ उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ के राज्यवार उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है .

(मी० टन में)

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
केरल	2,75,397	3,07,521	3,41,500
तमिलनाडु	14,065	13,645	14,500
कर्नाटक	6,475	6,665	7,100
त्रिपुरा	702	1,066	1,100
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	433	453	500
अन्य	228	265	300
कुल	2,97,300	3,29,615	3,65,000

(ख) और (ग) रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

(i) रबड़रोपड़ विकास योजना के अन्तर्गत नवरोपण और पुर्नरोपण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देना ।

(ii) अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण करना ।

(iii) परामर्शी, विस्तार और प्रशिक्षण सेवायें देना ।

(iv) छोटी जोत वाले उपजकर्ताओं में सामुदायिक प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित करना ।

(v) रबड़ की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना ।

(घ) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कोई निर्यात नहीं किया गया । लेकिन वर्ष 1992-92 की अन्तिम तिमाही में एस० टी० सी० ने 5362 एम० टी० प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया है जो वर्ष में कुल रबड़ उत्पादन का 1.47% है ।

[अनुवाद]

विनिर्दिष्ट सोने की जानकारी देने वाले को इनाम

7850. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने देश में पिछले दो वर्षों के दौरान कितना विनिर्दिष्ट सोना जब्त किया; और

(ख) सोने की इस जब्ती के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों तथा जानकारी देने वालों को कितनी धनराशि के इनाम दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध सोने की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (किलो ग्राम में)
1990-91	5843
1991-92	4229*

* आंकड़े अनन्तिम हैं और फरवरी, 1992 तक के हैं ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों और मुखबिरों को दिए गए पुरस्कार की कुल राशि 26.58 करोड़ रुपये थी । वर्ष 1991-92 की सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तथापि, केवल सोने के अभिग्रहणों के परिणामस्वरूप दिए गए पुरस्कारों की राशि का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है ।

[हिन्दी]

जनता/नियंत्रित कपड़े की बिक्री

7851. **श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों से जनता कपड़े और नियंत्रित कपड़े की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक राज्य में इस कपड़े की बिक्री जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) जनता कपड़ा कार्यान्वयन अभिकरणों के विक्रय केन्द्रों और उपभोक्ता सहकारी समितियों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राष्ट्रीय हथकरघा

विकास निगम जैसे राज्य/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कंट्रोल कपड़ा उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा विक्रय केन्द्रों और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्राधिकृत डीलर के माध्यम से बेचा जाता है।

(ग) से (ङ) जनता/कंट्रोल कपड़े के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को समय-समय पर विशेष और सामान्य प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं। जनता/कंट्रोल कपड़ा योजना के कार्यान्वयन का कार्यभार राज्य सरकारों के अन्तर्गत राज्य स्तर की कार्यान्वयन समितियों को सौंपा गया है।

जनता कपड़ा योजना के संबंध में प्राप्त सामान्य शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तथापि भारत सरकार विशेष मामलों में शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल करती है जैसा कि गत वर्ष पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और त्रिपुरा राज्यों के लिए किया गया था। तथापि भारत सरकार समय-समय पर इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है ताकि इस कार्यक्रम को सुचारू बनाया जा सके। भारत सरकार राज्य सरकारों और राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका भी जारी करती है ताकि अनियमितताओं को कम किया जा सके। इस कार्यान्वयन के मूल्यांकन के आधार पर इस मार्गदर्शिका में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। अगस्त, 1990 में ही जनता कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है। जनता कार्यक्रम में उत्पादन और वितरण में और सख्त नियंत्रण लागू किए गए हैं जिसमें किन-किन उत्पादों का कितना-कितना उत्पादन किया जाना है वह भी शामिल है। मुख्य सचिव/विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसे निदेश दिए गए हैं कि जनता कपड़े के उत्पादन और वितरण से संबंधित सभी पहलुओं की तिमाही में एक बार अवश्य देखरेख करें। इसी के साथ-साथ इन समितियों को यह भी छूट दी गई है कि वे राज्यों की उत्पादों की आवश्यकताओं का भी पता लगाएं जो इस योजना के अंतर्गत तैयार की जा सकें। इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका में और संशोधन करेगी तथा साथ ही इस बात को मद्देनजर रखेगी कि उत्पादन और वितरण कार्यक्रम दोनों से ही पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिले।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा एजेंटों की नियुक्ति

7852. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कुछ एककों ने रक्षा तथा अन्य विभागों को माल की सप्लाई के लिए एजेंट नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का क्या औचित्य है;

(ग) क्या ऐसे एजेंटों की नियुक्ति से सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है जिससे कि दुबारा ऐसी गलतियां न हों ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों से किसी भी एजेंट की नियुक्ति नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं के मूल्य

7853. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रचलित घरेलू दरों की तुलना में सस्ती दरों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को उच्च दरों पर बेचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) किसी मद के निर्यात से प्राप्त किया गया इकाई मूल्य उत्पादन लागत, आन्तरिक परिवहन/प्रबंध लागत, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा, आयात करने वाले देश की आर्थिक स्थिति, आयातकों के साथ वाणिज्यिक संबंध, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा/बीमा छूट और बट्टा, नए बाजार में नए उत्पादों के लिए प्रवेश जैसे परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करते हैं। किसी अकेले निर्यातक द्वारा निर्यात की गई किसी विशेष मद के लिए निर्यातक द्वारा समय-समय पर और एक देश से दूसरे देश में इकाई मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है। तथापि यह कहा जा सकता है कि निर्यातक आयातकों के साथ वाणिज्यिक निविदाओं को अन्तिम रूप देते समय, आम तौर पर लाभ को ध्यान में रखते हैं।

(ग) सरकार प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को प्रभावित नहीं करती है। फिर भी, सरकार विभिन्न प्रकार की पहलों के द्वारा मूल्यवर्धित मदों का निर्यात सुनिश्चित करती है जिससे कि अधिकतम निर्यात आय हो सके। कुछ वस्तुओं के मामलों में सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य स्थिर करती है। इसके अतिरिक्त सरकार उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतर मूल्यों का मुद्दा उठाती है जिससे कि हमारे उत्पादों के लिए लाभकारी और उच्चतर मूल्य सुनिश्चित हो सके।

केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को धनराशि का आवंटन

7854. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री प्रवीन डेका :
श्री उद्धव बर्मन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सड़कों/पुलों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उन योजनाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि दी गई है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सड़कों/पुलों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से विभिन्न राज्यों का जारी की गई राशि को संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

(ख) चालू तथा नई स्कीमों, जिनके लिए वर्षवार तथा राज्यवार राशि प्रदान की गई थी, के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राशियां एक मुश्त जारी की जाती हैं न कि कार्यवार।

(ग) चूंकि, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदित कार्य राज्य सड़कों का भाग है इसलिए राज्य सरकारें मुख्यत: उनके कार्यान्वियन तथा कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, 1989-90 के दौरान सी० आर० एफ० के तहत चालू 224 कार्यों में से 31 कार्य पूरे हो गए हैं।

वर्ष 1990-91 के दौरान 193 कार्य प्रगति पर थे और 52 कार्य पूरे हुए। वर्ष 1991-92 के दौरान 141 कार्य प्रगति पर थे तथा 71 नए कार्यों को मंजूरी दी गई। 71 नए कार्यों को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, और अत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी उनका कार्यान्वियन प्रारंभ किया जाना है। 31-3-92 की स्थिति के अनुसार चालू 141 कार्यों की प्रगति के स्तर के बारे में राज्य सरकारों से सूचना नहीं मिली है।

विवरण-I

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जारी की गई राशि 1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.49	5.00	50.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.50	—	—
3.	आसाम	—	—	25.00
4.	बिहार	—	—	20 00
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	100.00	150.00	60.00
7.	हरियाणा	15.00	50.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	9.81	—
9.	जम्मू और कश्मीर	10.00	—	20.00
10.	कर्नाटक	6.024	7.00	45.00
11.	केरल	135.016	150.00	40.00
12.	मध्य प्रदेश	30.00	50.00	60.00
13.	महाराष्ट्र	19.01	4.50	90.00
14.	मणिपुर	5.00	10.50	1.00
15.	मेघालय	—	—	20.00
16.	मिजोरम	—	—	10.00
17.	नागालैंड	1.96	1.19	—
18.	उड़ीसा	—	—	30.00
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	161.00	207.00	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	10.00	—	60.00
23.	त्रिपुरा	—	—	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	315.00	250.00	—
25.	पश्चिम बंगाल	50.00	5.00	34.00
	जोड़ :	900.00	900.00	580 00

विवरण III

चालू केन्द्रीय सड़क निधि-स्कीमों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं० राज्य का नाम	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92
1. आन्ध्र प्रदेश	3	2	3
2. आसाम	12	—	8
3. बिहार	—	—	1
4. गुजरात	32	32	18
5. हरियाणा	6	6	6
6. हिमाचल प्रदेश	5	5	—
7. जम्मू और कश्मीर	1	—	2
8. कर्नाटक	13	19	19
9. केरल	26	18	25
10. मध्य प्रदेश	1	1	8
11. महाराष्ट्र	30	26	19
12. मणिपुर	2	2	2
13. मेघालय	—	—	3
14. नागालैंड	7	2	—
15. उड़ीसा	—	—	2
16. मिजोरम	—	—	3
17. राजस्थान	63	63	—
18. तमिलनाडु	9	—	17
19. उत्तर प्रदेश	8	12	—
20. पश्चिम बंगाल	6	5	2
21. त्रिपुरा	—	—	3
जोड़	224	193	141

परमल चावल और गेहूं का निर्यात

7855. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमल चावल, गेहूं, जौ, ज्वार-बाजरा और मक्का तथा उनके उत्पादों के निर्यात करने पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त वस्तुएं/उत्पाद निर्यात करने का विचार किया गया है तथा उक्त वस्तुओं/उत्पादों की मात्रा कितनी होगी;

(ग) इससे कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) जनवरी, 1992 से किन-किन देशों ने उपरोक्त वस्तुओं का आयात करने के लिए सरकार को अपनी मांग की सूचना भेजी है और इस संबंध में क्या दरें निर्धारित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। सरकार इन मदों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इच्छुक है बशर्ते कि बेशी उपलब्ध हो।

(ख) और (ग) भारत से अनाजों के निर्यात सामान्यतया पश्चिम एशिया, यूरोप तथा सुदूर पूर्व को किए जाते हैं।

वर्ष 1992-93 के दौरान गेहूं और मक्का के निर्यात का कोई प्रस्ताव नहीं है। चावल और अन्य अनाजों के लिए अस्थायी लक्ष्य क्रमशः 800 करोड़ रु० तथा 50 करोड़ का रखा गया है।

(घ) मलेशिया, पोलैंड तथा ईरान ने चावल की अपनी मांग बता दी है। बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एन०ई०पी०) 555 अमरीकी डालर प्रति मी० टन तथा गैर-बासमती चावल का 231 अमरीकी डालर प्रति मी० टन है। प्रत्येक अलग-अलग क्रेता के साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य (एन०ई०पी०) स्तर अथवा इससे अधिक पर अलग से संविदा की जाती है।

[अनुवाद]

रुग्ण चाय कम्पनियां

7856. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1991 की स्थिति के अनुसार चाय बोर्ड और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्येक चाय कंपनी को कितना ऋण दिया है;

(ख) क्या कुछ चाय कंपनियां रुग्ण हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) चाय बोर्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक चाय कंपनी को दिए गए ऋण के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें एकत्र किया जाएगा। कुछ चाय कंपनियां जिन्हें ऋण प्रदान किया गया था, रुग्ण हो गई हैं। इस बारे में भी ब्यौरे एकत्र किए जाने हैं।

(घ) अभिज्ञात रुग्ण बागानों को चाय बोर्ड ने कहा है कि वे बागानों को पुनर्जीवित करने और इस संबंध में सामने आ रही कठिनाइयों को दर्शाते हुए उत्पादकता को बढ़ाने के बारे में और इस बारे में प्रस्ताव भेजें कि उन्हें किस प्रकार की बाहरी मदद चाहिए।

डंकेल प्रस्तावों पर भारत-फ्रांस रणनीति

7857. **श्री पांडुरंग पुंडलीक फुंडकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने ऊरुग्वे में चल रहे "गैट" (जी०ए०टी०टी०) राष्ट्रों की बातचीत के दौर में कृषि संबंधी डंकेल प्रस्तावों को विरोध करने हेतु एक सामान्य रुख अपनाने की दृष्टि से एक सामान्य रणनीति बनाने के लिए भारत की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अपने अभिमत के पक्ष में समर्थन जुटाने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम): (क) से (ग) फ्रांस ने उरुग्वे दौर में डंकल प्रस्तावों विशेषत: कृषि में व्यापार के क्षेत्र और आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे स्पष्ट करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति का एक विशेष दूत हाल ही में भारत आया। भारतीय पक्ष ने डंकल प्रस्तावों के विभिन्न पक्षों के संबंध में अपने विचार रखे, हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार ने डंकल दस्तावेज के मसौदे पर अपने दृष्टिकोण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। इस विचार-विमर्श से एक-दूसरे की स्थिति को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिली।

पूंजी का विदेशों में जाना

7858. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी पूंजी विदेशों को गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने हेतु सरकार का कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशों में पूंजी जाने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक विनिमय दर का अधिक मूल्यांकन, राजकोषीय घाटा और

घरेलू निवेश से सम्बद्ध जोखिम रही हैं। लेकिन, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से पूंजी बाहर जाने की राशि का यथार्थ अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) सरकार ने जुलाई, 1991 से स्थिरीकरण और सुधारात्मक उपायों की एक श्रृंखला आरम्भ की है जिसमें विनिमय दर समायोजन, नई औद्योगिक नीति, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता, स्वर्ण आयातों का उदारीकरण और 1992-97 के लिए आयात और निर्यात नीति को अपेक्षाकृत अधिक उदार बनाना शामिल हैं। इनसे आशा है कि अनाधिकारिक चैनलों के माध्यम से देश से बाहर पूंजी भेजने के प्रोत्साहनों को कम करते हुए पूंजी के बाह्य प्रवाह की समस्या कम होगी।

निर्यात वृद्धि

7859. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए निर्यात हेतु कोई विकास दर निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा डालर में क्या है; और

(ग) आयात में कमी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन को मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना, तथा आयात को इष्टतम स्तर तक कम करना है। पी०ओ०एल० उर्वरक, आदि जैसी संवेदनशील मदों को छोड़कर, कच्चे माल तथा संघटकों के अन्य सभी आयात को निर्यात निष्पादन से सम्बद्ध कर दिया गया था। रुपए में आंशिक परिवर्तनीयता तथा दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति द्वारा इन उपायों को सुदृढ़ किया गया है। नई निर्यात-आयात नीति का उद्देश्य आयात को सुविधाजनक बनाना और निर्यात को बढ़ाना है। नई नीति का उद्देश्य विदेशी मुद्रा सृजन को प्रोत्साहित करना और टैरिफ के अलावा कीमत प्रक्रिया के जरिए आयात को विनियंत्रित करना भी है।

जीवन बीमा निगम का डिवीजनल कार्यालय

7860. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवन बीमा निगम के डिवीजनल कार्यालयों की स्थापना और रखरखाव हेतु व्यापार, जनसंख्या और क्षेत्र संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन वाली डिवीजनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में जीवन बीमा निगम के

मण्डल कार्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण किसी विशेष क्षेत्र में पर्यवेक्षित शाखाओं की संख्या और व्यवस्था की गई पालिसियों की संख्या, कारोबार संभावना और प्रीमियम आय के संदर्भ में इसकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा मूलभूत संरचना और जनशक्ति की उपलब्धता जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करते हैं। चूंकि ये घटक क्षेत्र दर क्षेत्र और समय-समय पर विभिन्न होते हैं, इसलिए विशेष रूप से केवल कारोबार, जनसंख्या और क्षेत्र के संदर्भ में किन्हीं मानदण्डों को निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ख) किसी मण्डल का कार्य-निष्पादन बीमित राशि में वृद्धि या जीवन बीमा पालिसियों में वृद्धि के संदर्भ में मापा जा सकता है। पिछले तीन वर्षों में इन दो परिमापों के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले मण्डल निम्नलिखित विवरण में दिए गए है—

वर्ष	सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन	
	बीमित राशि में वृद्धि के प्रतिशत के आधार पर	पालिसियों की वृद्धि के प्रतिशत के आधार पर
1988-89	सम्बलपुर	मुजफ्फरपुर
1989-90	हल्द्वानी	हल्द्वानी
1990-91	गोरखपुर	गोरखपुर

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग-कर की वसूली के लिए प्राधिकरण

7862. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग-कर सुविधाओं और यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक पृथक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) मार्ग-कर की वसूली से प्राप्त धन का संबंधित राज्यों में किस तरह से उपयोग और बंटवारा किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र द्वारा इनलैंड कन्टेनर डिपुओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का संचालन

7863. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री पी० वेदराजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में इनलैंड कन्टेनर डिपुओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना, इनके प्रबन्ध और संचालन में निजी क्षेत्र की भागेदारी की अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है; और

(ग) ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी राजस्व में कमी न हो और रेल यातायात की सुविधा वाले स्थानों पर रेलों की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा में कन्टेनर कार्गो प्राप्त होता रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। इनलैन्ड कन्टेनर डिपुओं और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रस्तावों के एक ही स्थान पर क्लियरेन्स के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

(ग) सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने तथा आर्थिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं को क्लियर करने को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्राचल और मानदंड तैयार किए जा रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से एक ही स्थान पर ऋण देने की योजना

7864. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक/अनुसूचित बैंक भारत के लघु औद्योगिक विकास बैंकों से एक ही स्थान पर ऋण देने की योजना और अन्य अनुसूचित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण करने के पात्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पात्र लघु उद्योग एककों को सावधि ऋणों और कार्यशील पूंजी सहायता देने के लिए एकल खिड़की योजना और अन्य पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत सिडबी से पुनर्वित्त के पात्र हैं। तथापि, महिला उद्यम निधि योजना, भूतपूर्व सैनिकों के सहायतार्थ विशेष योजना और साथ ही बीज पूंजी योजना के तहत इक्विटी प्रकार की सहायता केवल राज्य वित्त निगमों और दोहरा कार्य करने वाली राज्य औद्योगिक विकास निगमों के मार्फत प्रदान की जाती है। इसी प्रकार उपस्कर पुन-र्वित्त योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता केवल राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के मार्फत दी जाती है क्योंकि सिडबी की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत बैंक उपस्कर की खरीद के लिए सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह योजना राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों में प्रचलित नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करना

7865. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक यात्रियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान अब तक महीनेवार बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं; और

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि का जुर्माना किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में फरवरी, 1992 की तुलना में मार्च, 1992 में मामूली वृद्धि हुई है। 1992 के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

महीना	बगैर टिकट पकड़े गए व्यक्ति	किया गया जुर्माना (रु०)
जनवरी	37009	7,40,180
फरवरी	29412	5,88,240
मार्च	31301	6,26,020
अप्रैल (15 तारीख तक)	16106	3,22,120

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा प्रेषण

7866. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीयों की संख्या का उन देशों के नाम सहित राष्ट्रवाद ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा भारत को भेजी गई विदेशी मुद्रा का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशों में अपना व्यापार करने वाले भारतीयों की संख्या का उन देशों के नाम

सहित राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा भारत भेजी गई विदेशी मुद्रा का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर विदेश भारतीयों की सन्निकट संख्या निम्न प्रकार है :

देश	भारतीयों की संख्या (लाख में)
संयुक्त राज्य अमरीका	7.5
ब्रिटेन	7.6
कनाडा	2.61
जर्मनी	0.44
मध्य पूर्व	9.21
दक्षिण पूर्व एशिया	17.21
दक्षिण अफ्रीका	10.00
आस्ट्रेलिया	0.55
मारिशस	7.07
फिजी	3.40
त्रिनीदाद एवं टबागो	5.06
अन्य	27.35
जोड़	98.00

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेश में बसे भारतीय नागरिकों द्वारा निधियों का जो निजी अंतरण किया है, उसके बारे में आंकड़े वित्तीय वर्ष 1989-90 तक ही उपलब्ध है जिसे निम्न प्रकार से दिखाया गया है—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1987-88	3533
1988-89	3865
1989-90	3824

चावल का निर्यात

7867. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को इस समय चावल निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या इंडोनेशिया ने चावल के आयात के लिए आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले चावल की मात्रा कितनी है;

(घ) उस देश को चावल निर्यात करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इंडोनेशिया तथा अन्य देशों को चावल निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और कितनी अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सऊदी अरब, जोर्डन, यू० के०, इंडोनेशिया, यू० ए० ई०, कुवैत, बहरीन, यू० एस० ए०, ब्राजील इत्यादि हमारे मुख्य बाजार हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इंडोनेशिया ने चावल के आयात का आर्डर दिया तथा उक्त अवधि के दौरान 77,000 एम टन चावल का निर्यात किया गया।

(ङ) बंदरगाहों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 1991-92 के दौरान इंडोनेशिया को चावल के निर्यात से 46 करोड़ रुपये तथा अन्य देशों को निर्यात से 635 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। वर्ष 1992-93 के दौरान, चावल के निर्यात का अस्थायी लक्ष्य 800 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

रंगराजन समिति

7868. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगराजन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की किन-किन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) शेष सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डाकघर मासिक आय स्कीम में ब्याज की दर में वृद्धि, किसान विकास-पत्र की परिपक्वता अवधि में कमी और निवेश को पांच वर्ष में दुगुना करने और डाकघर सावधि जमा खातों पर तिमाही मिश्रित आधार पर ब्याज का परिकलन करने से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। राष्ट्रीय बचत पत्रों (आठवां निर्गम) पर ब्याज की दर बढ़ाने से संबंधित

सिफारिश को इस पत्र पर मिल रहे पर्याप्त कर संबंधी रियायतों को देखते हुए स्वीकार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

7869. **प्रो० सावित्री लक्ष्मन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गए घायल लोगों की राज्यवार संख्या क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1988-1990 के दौरान उपलब्ध ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1988-90 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं और इन दुर्घटनाओं में मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988			1989			1990		
	दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	4407	1496	3910	4345	1580	4503	5248	1941	5890
2. अरुणाचल प्रदेश	40	14	47	55	11	72	33	9	64
3. असम	1067	520	1436	1104	561	1530	1141	587	1588
4. बिहार	1724	455	1086	2300	591	777	2248	1006	0
5. गोवा	547	62	460	614	50	564	723	73	626
6. गुजरात	5072	878	3786	5664	933	5912	6063	990	6200 (अ)
7. हरियाणा	1452	640	1618	1947	707	1600(अ)	1778	794	1800 (अ)
8. हिमाचल प्रदेश	234	55	251	398	193	666	352	146	570
9. जम्मू और कश्मीर	532	138	445	588	132	455	360	120	300
10. कर्नाटक	4677	963	4837	5624	1213	6174	5913	1323	6274
11. केरल	4410	565	5091	4951	599	6781	5590	615	7260
12. मध्य प्रदेश	3747	651	3155	3868	624	3443	5719	741	4429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. महाराष्ट्र	14561	2088	9684	15349	2182	10718	13461	2087	8798
14. मणिपुर	190	37	225	192	47	221	197	43	336
15. मेघालय	116	37	125	333	47	254	310	54	212
16. मिजोरम	47	18	75	35	23	81	34	18	38
17. नागालैंड	52	15	80	83	11	71	81	22	82
18. उड़ीसा	1660	431	2268	2026	460	2359	2012	442	1938
19. पंजाब	310	190	250(अ)	409	207	270(अ)	423	296	360
20. राजस्थान	1548	467	1141	3237	1278	3307	3642	1493	3714
21. सिक्किम	50	17	99	49	13	56	35	9	36
22. तमिलनाडु	9556	2018	8957	10867	2265	7790	12263	2284	10068
23. त्रिपुरा	183	50	268	221	86	320	176	57	344
24. उत्तर प्रदेश	4827	2280	3400(अ)	4307	2238	3207	5197	2694	4014
25. पश्चिम बंगाल	1573	420	1050(अ)	2299	721	1122	2301	985	1863
26. अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. चंडीगढ़	48	25	23	75	22	61	82	35	56
28. दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. दिल्ली	722	240(अ)	575 (अ)	720	237	581	787	240	679

30. दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	111	19	103	115	20	138	231	41	222
समस्त भारत के लिये जोड़	63453	14789	54435	71633	17051	63033	76400	19145	68521

(अ) : अनुमानित

लंदन स्थित फर्म द्वारा सोने की बिक्री

7870. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी लंदन स्थित फर्म ने भारत में सीमा शुल्क केन्द्रों के माध्यम से सोना बेचने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(घ) भारत में उक्त फर्म द्वारा कितने मूल्य और कितनी मात्रा में सोना बेचा जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। सीमा-शुल्क केन्द्रों (कस्टम हाउसिज) के माध्यम से भारत में सोना बेचने के लिए लंदन स्थित किसी फर्म से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

किरकी शस्त्र और गोलीबारूद कारखाने में विस्फोट

7871. **श्री अन्ना जोशी** :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 को किरकी शस्त्र और गोलीबारूद कारखाने में विनाशकारी विस्फोट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने जान माल की क्षति हुई है;

(घ) क्या मृत और घायल व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे सभी कारखानों डिपुओं में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) गोला-बारूद निर्माणी, खड़की में 8-4-1992 को आग लगने की एक दुर्घटना हुई थी।

(ख) एक जांच बोर्ड आग लगने के कारणों का पता लगा रहा है;

(ग) इस दुर्घटना में दस कर्मचारी मारे गए और चार को मामूली चोटें आई। जांच बोर्ड आग लगने से हुए सम्पत्ति के नुकसान का जायजा भी लेगा।

(घ) प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 6,100 रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। दो घायल व्यक्ति जो अभी अस्पताल में हैं, को एक-एक हजार रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य दो घायल व्यक्तियों, जिन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, को पांच-पांच सौ रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया के लिए तत्काल कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(ङ) जांच बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

7872. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन मिलों के आधुनिकीकरण पर वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इन उद्योगों में अभी तक शुरू किये गये विशिष्ट आधुनिकीकरण कार्य का, यूनिटवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 की अवधि के दौरान इन मिलों के आधुनिकीकरण पर एन० टी० सी० द्वारा खर्च की गई राशि निम्नांकित अनुसार है :

(करोड़ रुपये)

1989-90	1990-91	1991-92
12.89	24.54	26.65 (दिसम्बर, 91 तक)

(ग) और (घ) मिलों के आधुनिकीकरण में नई मशीनों द्वारा पुरानी मशीनों को बदलना, मौजूदा मशीनों का नवीकरण तथा कमी-कमी तकुओं/करघों की क्षमताओं को एकलों की अर्थक्षम बनाने के लिए जोड़ना शामिल है जोकि एकक की स्थिति पर निर्भर करता है। 31-12-91 तक इन मिलों में किए गए एकक-वार निवेश का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एन० टी० सी० (एम० पी०), लि० इंदौर के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं० मिल का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1. इन्दौर माल्वा मिल्स	4.71
2. कल्याणमल मिल्स	4.52
3. स्वदेशी टैक्स० मिल्स	3.73
4. हीरा मिल्स	3.80
5. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	4.89
6. बंगाल नागपुर काटन मिल्स	3.15
7. न्यू भोपाल टैक्स० मिल्स	5.19
योग	29.99

एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०, कानपुर के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं० मिल का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1. न्यू विक्टोरिया मिल्स	6.96
2. मयूर मिल्स	6.45
3. लार्ड कृष्णा टैक्स० मिल्स	3.45
4. बिजली काटन मिल्स	1.43
5. श्री विक्रम काटन मिल्स	1.17
6. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	0.03
7. लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	1.84
8. अथर्टन मिल्स	1.82
9. स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन	0.34
10. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	0.49
11. रायबरैली टैक्स० मिल्स	—
12. सेन्ट्रल टैक्सटिंग लेबोरेट्री	0.03
योग :	24.01

एन० टी० सी० (डी० पी० आर०) लि०, नई दिल्ली के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं० मिल का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1. एडवर्ड मिल्स	3.36
2. महालक्ष्मी मिल्स	2.77
3. श्री विजय काटन मिल्स	4.22
4. अजुध्या टैक्स० मिल्स	2.04
5. खरड़ टैक्स० मिल्स	2.73
6. सूरज टैक्स० मिल्स	3.77
7. दयालबाग स्पि० एण्ड वी० मिल्स	2.00
8. पानीपत वूलन मिल्स	5.93
9. उदयपुर काटन मिल्स	0.25
योग :	27.07

एन० टी० सी० (गुजरात) लि० के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं० मिल का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1. अहम० जुपीटर टैक्स मिल्स	3.71
2. अहम० न्यू० टैक्स० मिल्स	4.70
3. हिमादरी टैक्स० मिल्स	3.01
4. जहांगीर टैक्स० मिल्स	4.94
5. न्यू मानकचौक टैक्स० मिल्स	3.59
6. राजनगर टैक्स० मिल्स	6.45
7. महालक्ष्मी टैक्स० मिल्स	4.10
8. पेटलैड टैक्स० मिल्स	3.18
9. राजकोट टैक्स० मिल्स	1.83
10. वीरमगांव टैक्स० मिल्स	2.34
योग :	37.85

एन० टी० सी० (एम० एम०) लि०, बम्बई के अधीन मिलों में 31-12-91 तक
तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं० मिल का नाम	राशि (करोड़ रु० में)
1. इंडिया यूनाई० मिल्स 1	9.18
2. ,, ,, ,, 2	3.94
3. ,, ,, ,, 3	11.15
4. ,, ,, ,, 4	
5. ,, ,, ,, 5	4.85
6. ,, ,, ,, 6	4.57
7. माडल मिल्स	4.20
8. आर० एस० आर०	1.52
9. सवतराम रामप्रसाद	2.87
10. आर० बी० बी० ए०	5.57
11. विदर्भ मिल्स	1.49
12. सेन्ट्रल टैस्टिंग लेबोरेट्री	0.11
योग :	49.45

एन० टी० सी० (एस० एम०) लि०, बम्बई के अधीन मिलों में 31-12-91 तक
आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं०	मिल का नाम	राशि (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	अपोलो टैक्स० मिल्स	4.59
2.	भारत टैक्स० मिल्स	3.62
3.	दिग्विजय टैक्स०	6.18
4.	जुपीटर टैक्स० मिल्स	5.37
5.	मुम्बई टैक्स० मिल्स	8.89
6.	न्यू हिंद टैक्स० मिल्स	7.79

1	2	3
7.	औरंगाबाद टैक्स० मिल्स	1.68
8.	बर्शी टैक्स० मिल्स	1.47
9.	चालीसगांव टैक्स० मिल्स	3.80
10.	धुले टैक्स० मिल्स	4.09
11.	नान्देद टैक्स० मिल्स	4.00
	योग :	51.48

एन० टी० सी० (ए० पी० के० के० एम०) लि०, बंगलोर के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं०	मिल का नाम	राशि (करोड़ रु०)
1.	आजमजाही मिल्स	3.71
2.	एम० एस० के० मिल्स	3.45
3.	मिनर्वा मिल्स	10.68
4.	मैसूर स्पि० एण्ड मै० मिल्स	6.09
5.	पार्वती मिल्स	14.07
6.	अदोनी मिल्स	2.55
7.	अलगप्पा मिल्स	7.03
8.	आनन्तापुर काटन	5.04
9.	कन्नानेर, कन्नानोर	1.58
10.	कन्नानोर, माहे	3.45
11.	केरल लक्ष्मी मिल्स	6.55
12.	नटराज स्पि०	3.71
13.	नेथा स्पि० मिल्स	2.09
14.	तिरुपति मिल्स	4.27
15.	विजय मोहिनी मिल्स	3.88
16.	श्रीयलम्मा मिल्स	6.04
	योग :	84.09

एन० टी० सी० (टी० एन० पी०) लि०, कोयम्बटूर के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं०	मिल का नाम	राशि (करोड़ रु०)
1.	ओम पराशक्ति	4.47
2.	कम्बोडिया	7.37
3.	कृष्णावाणी	3.53
4.	श्री रंगविलास	8.76
5.	कोयम्बटूर मुरूगन	5.73
6.	सोमासुन्दरम्	6.18
7.	कालीश्वरर 'ए'	7.29
8.	पंकज	7.18
9.	पायनीयर	4.03
10.	श्री भारती	7.71
11.	कोयम्बटूर स्पि० एंड वी०	14.93
12.	बलराम वर्मा	3.29
13.	श्री शार्दा	5.86
14.	कालेश्वरर 'बी'	5.58
15.	स्वदेशी पाण्डिचेरी	4.78
16.	सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब०	0.04
	योग :	96.73

एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि०, कलकत्ता के अधीन मिलों में 31-12-91 तक आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि के मिल-वार ब्यौरे

क्रम सं०	मिल का नाम	राशि (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	3.41

1	2	3
2.	सेन्ट्रल काटन मिल्स	0.82
3.	रामपुरिया काटन मिल्स	3.17
4.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	1.65
5.	बंगाश्री काटन मिल्स	2.03
6.	गया काटन एण्ड जूट मिल्स	2.21
7.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स नं० 1	2.00
8.	मनेन्द्रा मिल्स	0.43
9.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	0.55
10.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	2.19
11.	आरती काटन मिल्स	2.46
12.	कनोरिया इण्डस्ट्रीज	0.76
13.	बंगाल टैक्स० मिल्स	1.45
14.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स नं० 2	1.32
15.	सीदपुर काटन मिल्स	1.82
16.	बिहार कोआ० स्पि० मिल्स	0.69
17.	एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज	2.08
18.	उड़ीसा काटन मिल्स	3.06
	योग :	32.10

मनिन्द्रा बी० टी० मिल्स में सेवा की शर्तें

7873. **श्री मानी भट्टाचार्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनिन्द्रा बी० टी० मिल्स को इसके राष्ट्रीयकरण के बाद संयुक्त मिल माना जाता है क्योंकि इसकी बुनाई और कताई विभाग अपने पास ही रखने की अनुमति दी गयी थी ;

(ख) क्या यह विलय महाप्रबन्धक द्वारा रुग्ण उपक्रमों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सितम्बर, 1991 में जारी की गयी सूचना से शुरू हुआ है। इस सूचना के द्वारा मनिन्द्रा मिल के बुनाई विभाग को बन्द कर दिया गया और इसके श्रमिकों को बी० टी मिल के श्रमिक माना गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मनिन्द्रा मिल के श्रमिकों की सहमति से कभी किसी स्तर पर इस मिल के श्रमिकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दोनों मिलों के श्रमिकों की सेवा शर्तों में समानता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । बंगाल टेक्सटाइल मिल्स और मनिन्द्रा मिल्स का विलय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है । कामगार, मशीन, परिसम्पत्ति और देयताओं सहित सारे मनिंद्रा मिल्स का बी० टी० मिल्स के साथ विलय किया गया । यह कार्य दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप सम्पन्न किया गया है जिसे कामगारों और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । मनिंद्रा मिल्स के कामगारों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस व्यवस्था पर पश्चिम बंगाल सरकार, एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) और सभी मिलों की वस्त्र कामगार यूनियनों के परिसंघ के मध्य 15 अगस्त, 1991 को हुए त्रिपक्षीय समझौते में सहमति हुई थी, जिसमें कि कार्यभार के मानकों और दो मिलों का विलय भी शामिल है । इसके पश्चात् 19-10-1991 को एक दूसरा त्रिपक्षीय करार हुआ जिसमें सम्बन्धित मिलों में कार्यरत ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों के परिसंघ ने भाग लिया था ।

मेवों का मुक्त आयात

7874. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-अफगान वाणिज्य मंडल द्वारा किए गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मेवों का मुक्त आयात की अनुमति देने के सम्बन्ध में अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत-अफगान वाणिज्य मंडल ने इस सम्बन्ध में और क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) वर्ष 1992-97 के लिए नई निर्यात आयात नीति बनाते समय भारत अफगान वाणिज्य मंडल सहित विभिन्न भागों से सूखे मेवों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा गया था । इस नई नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि भारतीय विदेश व्यापार के ढांचे में लाइसेंसिंग को तथा स्वविवेक से लगाये गये नियंत्रणों को कम से कम कर दिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए तदनुसार नई नीति में टैरिफ को छोड़ कर अन्य किसी प्रतिबन्ध के बिना सूखे मेवों के आयात का प्रावधान है ।

कलकत्ता में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की खंडपीठ की स्थापना

7875. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित पड़े मामलों की संख्या को देखते हुए कलकत्ता में इसकी एक खंडपीठ की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, फरवरी, 1990 के पूर्व के संदर्भ के उत्तर में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया था कि कलकत्ता अथवा दिल्ली से बाहर कहीं भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अलग बेंच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक केंद्रीय स्थान से कार्य करने से सदस्य महत्वपूर्ण मामलों में, जहां कहीं आवश्यक हो, एक दूसरे से विचार-विमर्श कर सकते हैं तथा दृष्टिकोणों एवं निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड विभिन्न प्रशासनिक कारणों से दिल्ली के बाहर बेंच स्थापित करना व्यवहार्य नहीं समझता है। तथापि, बोर्ड की बेंचों द्वारा राज्यों की राजधानियों में नियमित आधार पर सुनवाई करने की प्रथा शुरू की गयी है।

भारत-मिश्र व्यापार मंच

7876. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में काहिरा में भारत-मिश्र व्यापार मंच शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापार हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने तथा उत्पाद निर्माण क्षेत्र में भारत-मिश्र के संयुक्त उद्यम लगाने में सहायता करने हेतु कोई कंपनियां स्थापित की गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जनवरी, 1992 में केंद्रीय विदेश मंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान एक मिस्र-भारत बिजनेस फोरम की शुरुआत की गयी थी जिसे अन्ततः मिस्र में मिस्र-भारत बिजनेसमेन्स एशोसिएशन के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एशोसिएशन के बनने से एक ऐसा मंच उपलब्ध उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है जिससे पारम्परिक वाणिज्यिक हितों के मामलों पर कार्रवाई हो सकेगी और इसके

क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों की इच्छुक पार्टियों के लिए निवेश/व्यापार के अवसर अभिज्ञात करना और इस बारे में उन्हें सूचना देना शामिल है।

[हिंदी]

किसानों को ऋण के लिए एकल खिड़की प्रणाली

7877. **श्री राजेश कुमार : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार सरकार ने किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) अपनाने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण स्वीकृत करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू किए जाने के बारे में बिहार की राज्य सरकार से उन्हें कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि के विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जहां परियोजनायें तकनीकी रूप से सम्भाव्य हों तथा आर्थिक रूप से अर्थक्षम हों, अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋण स्वीकृत तथा संवितरित करते हैं। अल्पावधि एवं सावधि दोनों ऋण एक ही शाखा द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं। कृषकों को ऋण स्वीकृत करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, कृषकों द्वारा साधारण आवेदन फार्मों को भरा जाता है। इन्हें भरने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऐसे फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करार जाते हैं। आवेदन फार्म का एक भाग अल्पावधि तथा सावधि ऋण दोनों के लिए समान है। बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर तथा 25,000 रुपए से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाया जाना चाहिए। ग्रामीण शाखा प्रबन्धकों को मंजूरी देने की उपयुक्त शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं, ताकि कमजोर वर्गों के अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही स्वीकृत किया जा सके।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की नियुक्ति

7878. **श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की नियुक्ति कितनी अवधि के बाद की जाती है;

(ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति कब की गयी थी; और

(ग) पांचवें वेतन आयोग की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) वेतन आयोग नियुक्त करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है।

(ख) चौथा वेतन आयोग 29-7-1983 को नियुक्त किया गया था।

(ग) पांचवां वेतन आयोग नियुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

काजू का निर्यात

7879. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का काजू निर्यात किया गया;

(ख) इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान निर्यात की गई काजू गिरी के अनन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1989-90	45807	365.07
1990-91	49817	441.40
(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय)		
1991-92	45649	636.41

(स्रोत : काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोची)

(ख) आस्ट्रेलिया, जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, यू० एस० ए० और भूतपूर्व सोवियत संघ भारतीय काजू गिरी के मुख्य आयातक हैं।

(ग) सरकार ने निर्यात हेतु नीति वातावरण में सुधार के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। नयी आयात और निर्यात नीति जो 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी हुई है, के द्वारा इन उपायों को और सुदृढ़ किया गया है। उसके अतिरिक्त काजू निर्यात संवर्धन परिषद् विदेश के कुछ चुनिंदा मेलों तथा क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेता रहेगा तथा काजू निर्यातकों के प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न देशों के आयातकों से सम्पर्क करेंगे।

[हिन्दी]

पोत मरम्मत सुविधाएं

7880. **श्री यशवन्त पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर पोत मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़क कर में वृद्धि

7881. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सड़क कर में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वृद्धि से कितना अतिरिक्त धन प्राप्त करने की संभावना है; और

(घ) इस धनराशि का उपयोग किन योजनाओं के लिए करने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने 1-4-1992 से सड़क कर में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। सड़कों के रख-रखाव की लागत और एकत्रीकरण प्रभारों में वृद्धि होने के कारण संशोधन आवश्यक हो गया था।

(ग) और (घ) इस संशोधन से 5 करोड़ रु० वार्षिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। अतिरिक्त राजस्व से दिल्ली में नई सड़कों के निर्माण मौजूदा सड़कों की मरम्मत अनुरक्षण तथा उनको चौड़ा करने की लागत पूरी की जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्थानांतरण सम्बन्धी नीति

7882. **श्री माग्ये गोवर्धन : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के निदेशकों का स्थानांतरण एन० टी० सी० लिमिटेड के एककों में और एन० टी० सी० लिमिटेड तथा उसके एककों के बीच करने के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति के कार्यान्वयन में कोई योजना तैयार की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एन० टी० सी० के सहायक निगमों में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कार्यकारी निदेशकों को प्रशासनिक कारणों से एक सहायक निगम से दूसरे सहायक निगम में स्थानांतरित किया जा सकता है। एन० टी० सी० लि० के पूर्णकालिक निदेशक देश के किसी भी भाग में सेवा करने के पात्र हैं। चूंकि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के अपवाद का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काफी का निर्यात

7883. **डा० बी० राजेश्वरन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी के निर्यात के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, क्या लक्ष्य निर्धारित किये;

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान काफी के निर्यात के लिए निदेशक योजना तथा उसकी उपलब्धि निम्नानुसार है :

वर्ष	योजना		उपलब्धि	
	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य करोड़ रु० में)
1989-90	1,10,000	400	1,34,052	363.15
1990-91	1,00,000	400	1,00,110	278.89
1991-92	1,17,000	400	1,10,334	344.98 (अनन्तिम)

वर्ष 1989-90 और 1990-91 में योजनाओं में कमी अन्तर्राष्ट्रीय कोटों के बन्द होने से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई कमी के कारण थी। वर्ष 1991-92 में कमी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बहुत कम (पिछले अनेक वर्षों में सबसे कम) होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सोवियत संघ के क्षेत्रों के साथ व्यापार में व्यवधान हुआ जिससे उन क्षेत्रों के निर्यातों में कमी हुई।

तस्करी किए हुए सोने का जब्त किया जाना

7884. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सोना लाने की सुविधा देने के बाद तस्करी किया हुआ कितना सोना जब्त किया गया और इसका मूल्य कितना है; और

(ख) सोने की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; अथवा उठाने का विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पहली मार्च, 1992 से 16 अप्रैल, 1992 की अवधि के दौरान लगभग 12.27 करोड़ रुपए के मूल्य का लगभग 287 किलोग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया है।

(ख) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है और सोने सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। एक्स-रे मशीनों, धातु खोजियों, रात को काम में आने वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। सोने सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के कार्य से जुड़ी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन का एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० के कार्यकरण पर प्रभाव

7885. **श्री सुखदेव पासवान** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात नीति में हाल ही में किए गए भारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के काफी प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन दोनों संस्थानों के कार्यभार में कमी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन दोनों संस्थानों को नई जिम्मेदारियां सौंपने के पहलुओं पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) आयात और निर्यात नीति में किए गए उदारीकृत व्यापार नीति उपायों के संदर्भ में जिनमें बड़ी संख्या में निर्यात और आयात मदों को असरणीकृत किया गया है, एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० ने मुख्य रूप से असरणीकृत व्यापार पर आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घराने बनने के उद्देश्य से अपने निगम उद्देश्य पुन: प्रतिवादित किए हैं।

असरणीयन के कारण कम कारोबार के सन्दर्भ में, एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० उपयुक्त प्रशिक्षण देकर बेशी मानव शक्ति की पुन: तैनाती कर व्यापार के नए क्षेत्रों में उनका उपयोग करने के लिए अपने अतिरिक्त खर्चों को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आयकर अधिकारियों द्वारा छिपे हुए धन का पता लगाया जाना

7886. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने राजधानी में करोड़ों रुपयों के छिपे हुए धन, जिसे एक अनुसूचित बैंक में जमा किया हुआ था, का पता लगाया है;

(ख) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों ने अपनी छिपी हुई पूंजी की सारी धनराशि उजागर कर दी है और उस पर आयकर का भुगतान कर दिया है;

(ग) इस छिपे हुए धन पर कितनी कर राशि दी गई और कितना जुर्माना भरा गया; और

(घ) इस मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अन्य कारंवाई की गयी है अथवा की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) करों के रूप में 7.45 करोड़ रु० की वसूली की गयी है। कर निर्धारणों के पूरा होने के पश्चात् ही दांडिक कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं। इस मामले में आयकर अधिनियम के अधीन यथापेक्षित जांच-पड़ताल तथा अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियां शुरू की गयी हैं।

पूंजी बाजार में विदेशी निवेश

7887. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों को घरेलू पूंजी बाजार में बिना शर्त प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) घरेलू पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देने सम्बन्धी मार्ग-निर्देश विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

तैयार माल का निर्यात

7888. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने मूल्य के निर्यात किए गए;

(ख) उपर्युक्त निर्यातों में से मशीनों द्वारा विनिर्मित तैयार माल, हीरे के आभूषणों, सोने के आभूषणों तथा अर्द्ध-विकसित माल का अलग-अलग कितने मूल्य के बराबर निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान तैयार माल के निर्यात में वृद्धि करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी, 1991-92 के दौरान जिस अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत से कुल 38929.69 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था।

(ख) अप्रैल-जनवरी, 1991-92 की अवधि के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रमुख वस्तु समूहों के लिए उपलब्ध हैं। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान भारत से इंजीनियरी वस्तुओं तथा रत्न और आभूषणों के निर्यात क्रमशः 3723.45 करोड़ रु० तथा 5313.92 करोड़ रुपए के हुए थे।

(ग) से (ङ) दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देना तथा इसके द्वारा निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। नई नीति में मूल्य वर्द्धित

तैयार वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ई० पी० सी० जी०) योजना का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस शुरू करना, हीरा, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन योजनाओं तथा निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात संसाधन क्षेत्रों के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन मानदंडों का निर्धारण शामिल है। इसके अतिरिक्त, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता से मूल्यवर्धित तैयार वस्तुओं के निर्यात का अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है।

उत्तर प्रदेश में लोक अदालतें

7889. **श्री राजेंद्र कुमार शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया तथा उनमें कितने मामले निपटाये गए; और

(ख) वर्ष 1992-93 में कुल कितनी लोक अदालतों का आयोजन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गयी लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित हैं :

वर्ष	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामले
1989-90	186	2,14,400
1990-91	200	2,22,326
1991-92	244	2,10,734

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयोजित की गयी लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की जिला-वार संख्या दर्शाते करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) लोक अदालतें समय-समय पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और जिला विधिक सहायता समिति द्वारा आयोजित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का वर्ष 1992-93 के दौरान 250 लोक अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1989-90, 1999-91 और 1991-92 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिला का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
		आयोजित की गई लोक अदालतों की सं०	लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की सं०	आयोजित की गई गई लोक अदालतों की सं०	लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की सं०	आयोजित की गई लोक अदालतों की सं०	लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आगरा	2	3185	1	583	1	1031
2.	अलीगढ़	4	2448	3	1292	4	3837
3.	इलाहाबाद	4	10481	—	—	—	—
4.	अल्मोड़ा	4	193	2	232	3	198
5.	आजमगढ़	2	3382	4	4948	1	2378
6.	बदायूं	1	2396	3	3083	4	4359
7.	बहराईच	5	4174	4	4834	2	2234
8.	बलिया	3	4752	4	2851	3	4707
9.	बांदा	4	1798	3	2946	4	1739
10.	बाराबंकी	2	2550	2	2941	2	2500
11.	बरेली	1	2233	2	2668	5	4083

12. बस्ती	2	1707	5	3916	3	3325
13. बिजनौर	1	893	2	2512	2	2318
14. बुलन्दशहर	2	2124	3	2475	7	2670
15. चमोली	3	305	4	385	3	291
16. देहरादून	2	919	4	3156	1	51
17. देवरिया	3	8229	2	4854	2	4705
18. एटा	3	848	3	1599	2	731
19. इटावा	7	6490	4	3009	5	3196
20. फैजाबाद	2	9735	2	6998	3	6993
21. फर्रुखाबाद	4	5079	4	3300	4	3400
22. फतेहपुर	3	7827	3	7718	3	7200
23. गाजियाबाद	3	520	3	587	5	3801
24. गाजीपुर	15	10453	8	5844	5	4624
25. गोंडा	1	2786	1	2924	—	—
26. गोरखपुर	4	7715	5	7289	5	6707
27. हमीरपुर	2	1617	2	2181	3	2018
28. हरदोई	2	7672	4	6337	3	2566
29. जालौन	2	1114	1	876	2	1339
30. जौनपुर	4	3652	9	15482	8	27031
31. झांसी	5	4969	3	3906	6	6311

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	कानपुर शहर	4	12095	4	11959	6	4104
33.	कानपुर देहात	2	2627	2	3532	2	2115
34.	खीरी	7	4545	9	4595	8	2399
35.	ललितपुर	3	1376	3	1081	12	1840
36.	लखनऊ	2	7700	4	18661	8	10460
37.	मैनपुरी	2	1533	2	1528	2	1028
38.	मथुरा	1	612	2	1279	4	1403
39.	मेरठ	7	10462	3	2193	6	3148
40.	मिर्जापुर	2	2003	4	3380	7	2576
41.	मुरादाबाद	2	1891	3	2354	3	1116
42.	मुजफ्फरनगर	1	3385	3	3365	5	6570
43.	नैनीताल	4	1727	5	1985	3	1123
44.	पौढ़ी गढ़वाल	1	41	3	138	1	144
45.	पीलीभीत	2	1974	1	896	3	1661
46.	पिथौरागढ़	—	—	3	549	1	232
47.	प्रतापगढ़	3	4062	5	7126	5	5920
48.	रायबरेली	4	3613	5	7905	5	4141
49.	रामपुर	8	4989	3	1079	5	3736

50. सहारनपुर	3	2353	3	1979	5	4279
51. शाहजहांपुर	4	2227	2	3030	4	4815
52. सीतापुर	4	2722	2	2402	2	2481
53. सुल्तानपुर	4	6319	2	3339	5	5072
54. टिहरी-गढ़वाल	5	968	7	992	9	821
55. उन्नाव	2	3908	3	8154	4	7628
56. उत्तरकाशी	2	36	3	462	—	—
57. वाराणसी	4	8814	6	11203	5	8444
58. उच्च न्यायालय इलाहाबाद	—	—	—	—	7	231
59. उच्च न्यायालय लखनऊ	1	101	1	41	1	21
60. हरिद्वार	—	—	1	387	3	587
61. सोनभद्र	—	—	2	2099	7	3182
62. फिरोजाबाद	—	—	1	713	1	480
63. मऊ	—	—	—	—	2	1120
64. सिद्धार्थ नगर	—	—	1	1082	1	1284
65. महाराजगंज	—	—	2	649	—	—
योग	186	214400	200	222326	244	210734*

*11 लोक अदालतों से रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

[अनुवाद]

फर्जी खातों पर जारी किए गए ऋणों का पता लगाना

7890. श्रीमती रीता वर्मा :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में वर्ष 1991 और 1992 के दौरान अब तक फर्जी खातों पर ऋण स्वीकृत करने संबंधी कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इस तरह से कितनी धनराशि का ऋण दिया गया और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक-वार क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनकापलकी और विशाखापत्तनम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

7891. श्री रामकृष्ण कोंताला :
श्री महासमुद्रम नगेन्द्र रेड्डी :

जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के अनकापलकी और विशाखापत्तनम के बीच के भाग को चार लेन वाला बनाने के कार्य को धन न दिए जाने के कारण रुकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी ऋण सहायता जारी की गई है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के लिए कौन-सी तिथि नियत की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना का कार्यान्वयन विश्व की सहायता से नहीं बल्कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा जा रहा है । मार्च, 1992 तक इस परियोजना के लिए बैंक द्वारा 5.59 करोड़ रु० की धनराशि दी जा चुकी है ।

(ग) परियोजना के पूरा होने की संभावित तरीख जून, 1996 है।

(घ) परियोजना पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं उन्हें जल्दी से निपटाया जा रहा है ताकि कार्य में शीघ्र प्रगति हो।

दुर्लभ विदेशी मुद्रा में व्यापार

7892. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्लभ विदेशी मुद्रा में व्यापार करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत का व्यापार सामान्यत: मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा (अर्थात दुर्लभ मुद्रा) में किया जाता है। तथापि कुछ देशों के मामले में भारत के पास द्विपक्षीय क्लियरिंग व्यवस्थाएं हैं जिनमें अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में संतुलित व्यापार का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-47 पर पुल चौड़ा करना

7893. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय संख्या-47 पर शिद्रम में पम्मूर नदी पर पुल को चौड़ा करने और इसका नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु 1992-93 में कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है;

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

7894. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा देश में बाढ़, भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए बेसहारा लोगों को ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में यदि कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूचालों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सहायता एवं पुनर्वास हेतु राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने, (ii) वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना और आवश्यकता पर आधारित फसल/पूंजी निवेश ऋणों आदि की परिकल्पना की गयी है। बैंकों द्वारा ऋण सहायता के प्रावधान के बारे में ठीक-ठीक ब्यौरे, स्थिति की आवश्यकताओं, बैंकों की अपनी प्रचालन क्षमताओं तथा ऋणकर्ताओं को वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

"मोरा पोर्ट" और मुंबई के बीच स्टीमर सेवा

7895. **श्री राम कापसे** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मोरा पोर्ट" और मुंबई के बीच सस्ती और तेज यात्री स्टीमर सेवा शुरू करने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या निष्कर्ष रहे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय एककों द्वारा सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की अदायगी

7896. **श्री के० तुलसिऐया वाण्डायार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमितताएं बरतने वाले बहुराष्ट्रीय एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों द्वारा कुल कितने-कितने सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की चोरी की गई;

(ग) इन शुल्कों का भुगतान न करने वाले एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) इन एककों पर कितना जुर्माना किया गया;

(ङ) अब तक कितना जुर्माना वसूल किया गया है; और

(घ) क्या इन एककों के विरुद्ध न्यायालय में कोई मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात

7897. श्री के० राममूर्ती टिंडिवनम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योगों के लिए कच्चा माल के आयात पर प्रत्येक वर्ष विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) चमड़ा के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1989-90 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल (यानि अपरिष्कृत खाल और चमड़ी, अर्ध परिष्कृत चमड़े तथा परिष्कृत चमड़े) के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	खर्च की गई विदेशी मुद्रा
1987-88	21.61
1988-89	44.83
1989-90	99.71

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय)

(ख) सरकार की नीति कच्चे माल के निर्यातों को उत्तरोत्तर रूप से कम करने तथा उसके बदले मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात करने की है।

अफीम और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी पर सेमिनार

7898. श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की बढ़ती तस्करी को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए हाल ही में कोई सेमिनार आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में क्या सिफारिशें की गयीं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल में ऐसे किसी सेमिनार का आयोजन नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी, नई दिल्ली द्वारा 9 से 13 मार्च, 1992 तक डी०आई० जी०/एस०एस०पी०/सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर समाहर्ताओं/सहायक समाहर्ताओं के लिए नशीले पदार्थ संबंधी कानून प्रवर्तन के बारे में एक उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

[हिंदी]

"वारियर अवार्ड" विजेताओं के परिवार के सदस्यों को सहायता

7899. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के प्रत्येक राज्य में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें आजादी से पूर्व की भारत सरकार द्वारा "वारियर अवार्ड" से सम्मानित किया गया था और उन्हें उनकी दो पीढ़ियों तक पांच रुपए माहवार दिए गए थे;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) स्वतन्त्रता पूर्व "जंगी इनाम" प्राप्त जीवित पेंशनरों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। यह सूचना पूरे देश में फैले 500 से अधिक कोषागारों तथा 58 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों से एकत्र करने में पर्याप्त समय लग सकता है और संभवतः वह सूचना प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

"जंगी इनाम" वीरता पुरस्कार नहीं हैं अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन इनामों से संबंधित वित्तीय भत्ते नहीं बढ़ाए जाएं।

रक्षा कार्यों हेतु बिहार में भूमि का अधिग्रहण

7900. श्री राम टहल चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में रक्षा कार्यों हेतु बिहार में अधिगृहीत की गई आवासीय और कृषि भूमि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों को इसके बदले में भूमि और रोजगार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) बिहार में, पिछले तीन वर्षों के दौरान, गया जिले में रक्षा प्रयोजनों के लिए 1,26,914.45 रुपए की लागत पर 1.465 एकड़ आवासीय भूमि अधिगृहीत की गयी थी। इस अवधि में रक्षा प्रयोजनों के लिए कोई कृषि योग्य अधिगृहीत नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) जिन व्यक्तियों की जितनी भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भूमि देने या रोजगार प्रदान करने की भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की सूचना के प्रकाशन की तारीख को उस पर बने निर्माणों तथा भूमि के लिए निर्धारित पूरा मुआवजा सरकार मंजूर कर चुकी है।

[अनुवाद]

आयकर निर्धारण के मामलों में विलम्ब

7901. श्री जीवन शर्मा :
श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषत: दिल्ली में अपील प्राधिकारियों के पास आय कर संबंधी कितने मामले हैं;

(ख) क्या सरकार को आय कर निर्धारण के मामलों को पूरा करने में विलम्ब के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार से विलम्ब होने के कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आयकर के मामलों के संबंध में विचाराधीन पड़ी अपीलें निम्नानुसार हैं :

विचाराधीन अपीलें

	समूचा भारत	दिल्ली
(i) उप आयकर आयुक्त (अपील)	1,49,000 (लगभग)	4,300
(ii) आयकर आयुक्त (अपील)	1,63,000 (लगभग)	20,210
(iii) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	2,18,091	31,166

(ये आंकड़े प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत सभी मामलों के संबंध में हैं।)

(ख) से (छ) आयकर अधिनियम, 1961 में कर-निर्धारणों को पूरा करने के निमित्त समय-सीमा को निर्धारित किए जाने से संबंधित उपबंध निहित हैं। विचाराधीन पड़े कर-निर्धारणों को समय बाधित हुए मामलों में कर-निर्धारणों को पूरा करने के निमित्त दी जा रही प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाता है। वैधानिक समयावधि के भीतर कर-निर्धारणों के पूरा नहीं होने के कारण जारी नहीं की जा रही वापस अदायगियों के दृष्टांत सरकार की जानकारी में आए हैं। ऐसे मामलों में से अधिकांश मामलों में कर-निर्धारण नहीं किए गए थे तथा वैधानिक समयावधि के भीतर संगत रिकार्डों तथा दस्तावेजों का पता नहीं चल पाने के कारण वापस अदायगियों को जारी नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में समय-सीमा में छूट देकर वापस-अदायगियों की मंजूरी दी गई है। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराने तथा उसके खिलाफ कार्यवाही करने के निमित्त क्षेत्रीय प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तीन वर्षों के लिए मांगी गई सूचना को समूचे देश से एकत्रित करने का कार्य काफी भारी भरकम तथा समय-खपाने वाला होगा। इसलिए, इस सूचना को देना संभव नहीं होगा।

कुवैती ऋण का पुनर्भुगतान

7902. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आई० आर० डी० एफ० से कुवैती ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है;

(ग) रुपया के अवमूल्यन के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को राहत प्रदान करने के लिए किसी समान नीति बनाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मैसर्स आर० सी० एफ० के ऊपर 300 लाख कुवैती दिनार का एक विदेशी ऋण है जो एक ऋण करार नोट के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया है। करार के अनुसार इन नोटों का भुगतान 19-12-93 को किया जाना है। लेकिन मैसर्स आर० सी० एफ० ने नियत तारीख से पूर्व शीघ्र ही वापसी अदायगी का प्रस्ताव किया था और 19-12-1991 को भुगतान करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय भुगतान संतुलन की प्रचलित बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित वापसी अदायगी अनुसूची पर सहमत होना संभव नहीं था। इसलिए, मैसर्स आर० सी० एफ० को सलाह दी गई थी कि वह ऋण की वापसी अदायगी नियत तारीख को करे।

(ग) अवमूल्यन से न केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बल्कि वे सभी प्रभावित हुए हैं जिनकी विदेशी मुद्रा के बाह्य प्रवाह की वचनबद्धताएं अधिक थीं। रुपए के अवमूल्यन से उन उपक्रमों को लाभ हुआ जिनका निर्यात प्रदर्शन मजबूत है, हालांकि इससे विदेशी ऋण के ऋण परिशोधन को वित्तपोषित करने की रुपया लागत बढ़ती है। इस बढ़े हुए रुपए के बोझ का प्रबन्ध उच्च निर्यातों, पूर्व-क्रियात्मक ऋण प्रबन्धन और किसी उपक्रम की पूंजी ढांचे को पुनः संरचित करके किया जा सकता है। इसलिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर रुपए के मूल्य ह्रास के प्रभाव को पृथक् करना कठिन है। तथापि, विदेशी ऋण के बोझ वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) चूंकि रुपए के मूल्य ह्रास का प्रभाव, किसी उपक्रम की निर्यात क्षमता, वित्तीय प्रवीणता और पूंजी ढांचे पर निर्भर करते हुए पर्याप्त भिन्न होगा, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एकरूप नीति बनाना संभव नहीं माना गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. मैसर्स एयर इंडिया
2. मैसर्स भारत अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
3. मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
4. मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि०
5. मैसर्स बंबई सुबुरबन इलेक्ट्रिक सप्लाई लि०
6. मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
7. मैसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट
8. मैसर्स कोल इंडिया लि०
9. मैसर्स दामोदर घाटी निगम
10. मैसर्स दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

11. मैसर्स ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
12. मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
13. मैसर्स गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि०
14. मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०
15. मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि०
16. मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०
17. मैसर्स हिन्दुस्तान फ्लोरकार्बन्स लि०
18. मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
19. मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
20. मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
21. मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि०
22. मैसर्स इण्डियन एयरलाइन्स
23. मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन
24. मैसर्स इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन
25. मैसर्स इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि०
26. मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
27. मैसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०
28. मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लि०
29. मैसर्स मारुति उद्योग लि०
30. मैसर्स नेशनल अल्युमीनियम कं० लि०
31. मैसर्स नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
32. मैसर्स नेशनल थर्मल कारपोरेशन
33. मैसर्स ओ० एम० सी० एलॉय लि०
34. मैसर्स तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
35. मैसर्स ऑयल इण्डिया लि०
36. मैसर्स पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन लि०
37. मैसर्स प्राग टूल्स लि०

38. मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि०

39. मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

40. मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि०

41. मैसर्स शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया

42. मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि०

43. मैसर्स तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०

44. मैसर्स तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लि०

45. मैसर्स टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी लि०

46. मैसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट

47. मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि०

अफीम और अन्य स्वापक पदार्थों का निर्यात

7903. श्री० के० ओ० बासवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी अफीम और अन्य स्वापक पदार्थों का निर्यात किया गया; और

(ख) इन पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गयी अफीम और अन्य स्वापक औषधियों की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद	वर्ष		
	1989-90	1990-91	1991-92
(i) कच्ची भारतीय अफीम	539 मीट्रिक टन	850 मीट्रिक टन	617 मीट्रिक टन
(ii) भारतीय औषधि युक्त अफीम चूर्ण	650 कि० ग्रा०	500 कि० ग्रा०	800 कि० ग्रा०
(iii) भारतीय औषधि युक्त अफीम केक	500 कि० ग्रा०	1000 कि० ग्रा०	1200 कि० ग्रा०
(iv) डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफीन	14618 कि० ग्रा०	12637 कि० ग्रा०	13711 कि० ग्रा०
(v) डाईफिनोक्सीलेट	405 कि० ग्रा०	627 कि० ग्रा०	764 कि० ग्रा०

(ख) इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात मूल्य निर्धारित करने, विदेशी क्रेताओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने, अफीम की मानक गुणवत्ता बनाये रखने और विदेशों में ऐसे संभावित क्रेताओं का पता लगाना, जो इस समय हमारे नियमित रूप से क्रेता नहीं हैं, आदि शामिल हैं।

विदेशी व्यापार मिशनों को रियायतें

7904. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार मिशनों ने कुछ रियायतें मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कपड़ों का निर्यात/आयात

7905. **डा० परशुराम गंगवार :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान कितने कपड़े का निर्यात/आयात करने का विचार है; और

(ख) कपड़े के निर्यात से हमारे देश को कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात का पूर्वानुमानित स्तर लगभग 4100 करोड़ रुपये का है। केवल लाइसेंस के आधार पर ही कपड़े का आयात करने की अनुमति है।

"फेरा" मामले

7906. **श्री लाल बाबू राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा-विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) इन मामलों में राज्यवार कितने मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई;

(ग) मुम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अनियमितताओं संबंधी मार्च, 1992 में प्राप्त हुई सूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान जांच किए गए मामलों की संख्या जब्त की गई विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा की राशि को दर्शाने वाले निम्नलिखित सांख्यिकीय आंकड़े क्षेत्र-वार दिए गए हैं—

		मुम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	जालंधर	मद्रास
1. जांच किए गए मामलों की संख्या	1989	1962	1922	1606	274	2288
	1990	1857	1636	1681	286	1927
	1991	2008	1407	2151	358	1687
2. जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि (रु० लाखों में)	1989	110.83	8.95	40.14	12.40	19.66
	1990	66.37	0.99	26.75	5.20	37.59
	1991	75.30	20.86	120.69	5.57	91.43
3. जब्त की गई भारतीय मुद्रा की राशि (रु० लाखों में)	1989	255.77	114.59	100.56	19.31	311.50
	1990	187.07	27.16	40.33	9.47	378.82
	1991	542.14	121.07	53.35	20.19	391.46

आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं बल्कि क्षेत्र-वार रखे जाते हैं।

(ग) से (घ) जब कभी कोई सूचना/आसूचना प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। प्रक्रिया तेज की जाती है। प्राप्त की गई सूचना/आसूचना का ब्यौरा प्रकट करना जनहित में वांछनीय नहीं होगा।

पावरलूम निर्मित वस्त्रों वस्त्रों का निर्यात

7907. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का विचार पावरलूम कपड़ों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को यह निर्यात किया जाएगा तथा तत्संबंधी मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

7908. **श्री पी०पी० थामस** : क्या विधि, न्याय और कंपनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसाई समुदाय में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

निर्वसीयता उत्तराधिकार के लिए वर्ष 1956 से 1986 के दौरान, 24 फरवरी, 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या पूर्व तिथि से लागू करने के कारण इस समुदाय के लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को गिरवी रखने में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) क्रिश्चियन समुदाय से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि श्रीमती मैरी राय बनाम केरल राज्य और अन्य [रिट पिटीशन (सिविल) सं० 8260/83 और अन्य] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस समुदाय के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे अनेक कुटुंबों में अत्यधिक तनाव और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय सदस्य ने सरकार को लिखे अपने तारीख 25-3-1992 के पत्र में यह बताया है कि ऐसे व्यक्ति, जिनके पास अपनी संपत्ति है, उक्त संपत्तियों पर बैंक से ऋण प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।

(ग) से (घ) सरकार इस विषय को केरल राज्य की सरकार की जानकारी में लाई है क्योंकि निर्णय से उठने वाले विवाद्यक उस राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग से संबंधित हैं और यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार इस मामले में कोई विनिश्चय करने और, यदि वह आवश्यक समझे तो, उपयुक्त विधि बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि पूर्ववर्ती त्रावनकोर—कोचीन के क्रिश्चियनों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 5 को केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए एक विधान उसके विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंकों के साथ कारोबार

7909. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंकों के साथ कारोबार करने संबंधी विद्यमान नीति की समीक्षा पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने अपनी विद्यमान नीति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम विदेशी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अपनी पसन्द के किसी बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

औषधीय पौधों का निर्यात

7910. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औषधीय पौधों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों को भिन्न-भिन्न प्रकार के औषिधीय पौधों को कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) औषधीय पौधे काफी मात्रा में निर्यात किए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत औषधियों के निर्यात निम्नानुसार रहें :

1989-90	87.7 करोड़ रु०
1990-91	126.6 ,,
1991-92 (अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 तक)	98.4 ,,

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतर निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। निर्यात लक्ष्य औषधीय पौधे के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। निर्यात किए जा रहे विभिन्न औषधीय पौधे हैं :

कुलंजन प्रकंद	सनाय के पत्ते और फलियां
आमा हल्दी की जड़ें	तुकमारिया
ईसबगोल की भुस्सी	पोस्ता के बीज/भुस्सी और
ईसबगोल के बीज [illegible]	सदाबहार गुलाब की जड़ें

चालू वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

साफ्टवेयर निर्यात

7911. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से साफ्टवेयर निर्यात पर जापान, आस्ट्रेलिया और डेनमार्क द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए योजना

7912. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रेशम उत्पादन के विकास हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को दो परियोजना प्रस्ताव अर्थात (1) शहतूत और टसर की संयुक्त परियोजना तथा (II) विशेष रूप से टसर कृषि की परियोजना प्रस्तुत की हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अतिरिक्त तकनीकी ब्यौरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। केन्द्रीय सरकार तकनीकी व्यवहारिकता संबंधी केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात उन परियोजनाओं पर विचार करेगी।

महाराष्ट्र में बैंकों में घाटा

7913. **श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में किन-किन बैंकों को घाटा हो रहा था ;

(ख) इन बैंकों को कितना घाटा हुआ और तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अन्तिम लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड में तम्बाकू के उत्पादकों को प्रतिनिधित्व

7914. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू बोर्ड के गठन का और इस बोर्ड में तम्बाकू के उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने बोर्ड में केवल वास्तविक उत्पादकों को नियुक्त करने और छोटे और मझौले किसानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड में अध्यक्ष को शामिल करके 26 सदस्य हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 और तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 में प्रावधान है कि बोर्ड के 6 सदस्य तम्बाकू उपजकर्ताओं से होंगे जिनमें से कम से कम ऐसे दो सदस्य लघु या सीमान्त उपजकर्ताओं से होंगे। नियमों में यह भी प्रावधान है कि केवल पंजीकृत उपजकर्ता ही नियुक्त किए जाएंगे।

तमिलनाडु में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र

7915. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए जिलावार कितने पुनर्वास केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्वास केन्द्र ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के लिए तमिलनाडु में कोई पुनर्वास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा गृह-निर्माण-ऋण

7916. श्री धर्मभिक्षम् : क्या वित्त मन्त्री 6 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम तथा इसकी एच०एफ०एल० यूनिट को भवन निर्माण हेतु ऋण के लिए आवेदन-पत्र दिए थे और जिन्हें ऋण दिया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त की तुलना में कितनी ऋण राशि दी गई; और

(ग) कितने-कितने पालिसी धारकों और गैर-पालिसीधारकों को वर्षवार ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जैसा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जैसा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 19898-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आवासीय ऋण के आवेदकों और जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड द्वारा आवासीय ऋण प्रदान किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

राज्य	1988-89		1989-90		1990-91		1991-92*	
	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर किए गए आवेदन-पत्र	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर किए गए आवेदन-पत्र	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर किए गए आवेदन-पत्र	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर किए गए आवेदन-पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3501	3234	5392	5168	6380	6006	6271	5277
असम	247	218	509	481	777	747	871	674
बिहार	511	389	774	753	991	906	1194	824
दिल्ली	1121	1030	2368	2283	2017	1907	1804	1672
गोआ	143	126	404	414	415	413	408	403
गुजरात	1468	1106	2837	2418	4375	3851	6585	4357
हरियाणा	244	175	258	260	370	354	359	305
हिमाचल प्रदेश	14	4	137	117	344	322	361	344
जम्मू तथा कश्मीर	25	17	47	31	—	17	94	50
कर्नाटक	1871	1470	3004	2661	3526	3236	5594	4448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	1911	1605	2040	2054	1922	1861	3103	2567
मध्य प्रदेश	1725	1502	1955	1701	2667	2384	2604	1998
महाराष्ट्र	2939	1839	6253	5869	9659	8479	11364	9070
उड़ीसा	210	165	312	256	423	392	484	385
पंजाब	470	441	890	744	1030	951	1033	963
राजस्थान	954	815	1548	1397	1992	1831	1707	1354
तमिलनाडु	4304	3634	8557	8063	10416	10009	10431	9425
उत्तर प्रदेश	968	817	2192	2036	3240	2867	3113	2576
पश्चिम बंगाल	2433	2035	6469	5795	8094	5543	5858	3278
जोड़ :	25059	20622	45946	42501	58638	52076	63238	49970

*अद्यतन आंकड़े 31-1-1992 तक उपलब्ध हैं ।

विवरण-II

वर्ष 1890-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड द्वारा आवासीय ऋण प्रदान प्रदान किए गए पालिसीधारक एवं गैर-पालिसीधारक आवेदकों की कुल संख्या का वर्षवार ब्यौरा

राज्य	1988-89 जिन्हें ऋण प्रदान किए गए		1989-90 जिन्हें ऋण प्रदान किए गए		1990-91 जिन्हें ऋण प्रदान किए गए		1991-91* जिन्हें ऋण प्रदान किए गए	
	पालिसी धारक सं०	गैर पालिसी धारक सं०	पालिसी धारक सं०	गैर पालिसी धारक सं०	पालिसी धारक सं०	गैर पालिसी धारक सं०	पालिसी धारक सं०	गैर पालिसी धारक सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2755	479	4757	411	5574	432	4952	325
असम	189	29	454	27	305	42	647	27
बिहार	364	25	721	32	877	29	800	24
दिल्ली	847	183	2147	136	1809	98	1605	67
गोआ	118	8	394	20	402	11	400	3
गुजरात	1096	10	2410	8	3806	45	4336	21
हरियाणा	161	14	250	10	339	15	283	22
हिमाचल प्रदेश	4	—	103	14	309	13	334	10
जम्मू तथा कश्मीर	17	—	31	—	17	—	50	—
कर्नाटक	1260	210	2313	348	2696	540	3969	479
केरल	1583	22	2035	19	1832	29	2522	45
मध्य प्रदेश	1335	167	1645	56	2331	53	1977	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	1776	63	5791	78	8376	103	8968	102
उड़ीसा	153	12	242	14	378	14	370	15
पंजाब	416	25	721	23	929	22	951	12
राजस्थान	770	45	1360	37	1818	16	1333	21
तमिलनाडु	3318	316	7650	373	9586	423	9047	378
उत्तर प्रदेश	756	61	1982	54	2789	78	2537	39
पश्चिम बंगाल	1947	88	5691	104	5464	79	3094	184
जोड़ :	18865	1757	40737	1764	60034	2042	48175	1795

*अद्यतन आंकड़े 31-1-92 तक उपलब्ध हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साधनों की सीमा का निर्धारण

7917. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साधनों की सीमा किस आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(ख) 1 अप्रैल, 1991 तथा 1 अप्रैल, 1992 को प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह सीमा वास्तव में कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली अर्थोपाय की सुविधा मूलत: उनकी प्राप्तियों तथा व्यय के कारण नकदी प्रवाह में अल्पकालिक असंतुलन से उभरने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु सीमित प्रयोजन के लिए अधिकतम तीन महीने के लिए दी जाती है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमाओं की पर्याप्तता या अन्यथा का निर्धारण करने के लिए संगत पैरामीटर, प्राप्तियों तथा व्यय के बीच होने वाला अन्तर है। बैंक समय-समय पर इन अग्रिमों के लिए सीमाओं की समीक्षा करता है और इन्हें 1 मार्च, 1988 से सभी राज्यों के लिए काफी उदार बना दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अर्थोपाय मंजूर नहीं किए जाते चूंकि उनका वित्तपोषण संघ सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(ख) राज्य सरकारों को स्वीकृत अर्थोपाय अग्रिमों (सामान्य और विशेष) की सीमाएं जो 1 अप्रैल, 1991 को लागू थीं तथा 1 अप्रैल, 1992 को भी लागू रहीं, नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रुपए में)

राज्य	अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमाएं		
	सामान्य	विशेष*	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	56.00	20.00	76.00
2. अरुणाचल प्रदेश	5.60	2.00	7.60
3. असम	22.40	8.00	30.40
4. बिहार	39.20	14.00	53.20
5. गोवा	5.60	2.00	7.60
6. गुजरात	39.20	14.00	53.20
7. हरियाणा	16.80	6.00	22.80

1	2	3	4
8. हिमाचल प्रदेश	11.20	4.00	15.20
9. कर्नाटक	44.80	16.00	60.80
10. केरल	33.60	12.00	45.60
11. मध्य प्रदेश	44.80	16.00	60.80
12. महाराष्ट्र	84.00	30.00	114.00
13. मणिपुर	5.60	2.00	7.60
14. मेघालय	5.60	2.00	7.60
15. मिजोरम	5.60	2.00	7.60
16. नागालैंड	5.60	2.00	7.60
17. उड़ीसा	33.60	12.00	45.60
18. पंजाब	33.60	12.00	45.60
19. राजस्थान	33.60	12.00	45.60
20. तमिलनाडु	61.60	22.00	83.60
21. त्रिपुरा	5.60	2.00	7.60
22. उत्तर प्रदेश	95.20	34.00	129.20
23. पश्चिम बंगाल	56.00	20.00	76.00
जोड़ :	744.80	266.00	1010.80

* राज्य सरकारों द्वारा धारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के प्रति स्वीकृत अग्रिम प्राप्त किए गए।

चीन को क्रोम अयस्क का निर्यात

7918. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रोम अयस्क का उपयोग सामरिक युद्ध सामग्री के निर्माण में किया जा रहा है; और

(ख) क्या इसका निर्यात चीन को किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान अयस्क कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कच्ची क्रोम का .युद्ध-सामग्री में कोई सीधा उपयोग नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) चीन को पिछले दो वर्षों में कच्ची क्रोम के निर्यात का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा लाख टन में	मूल्य करोड़ों में
1990-91	1.78	33.94
1991-92	2.88	55.84 (अ)

(अ) : अस्थायी

[अनुवाद]

विश्व व्यापार समझौते सम्बन्धी बाधाओं पर भारत का दृष्टिकोण

7919. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार समझौते में भाग लेने वाले कुछ देशों द्वारा अपने और क्षेत्रों के उन सेवा बाजारों को खोलने के सम्बन्ध में, जहां वे अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त किये जाने से विश्व व्यापार समझौते में एक बाधा खड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चिरप्रतीक्षित विश्व व्यापार समझौते में इस नयी निर्णायक बाधा के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है और चालू उरुग्वे दौर की वार्ता के पूरा होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) उरुग्वे दौर की वार्ताओं में सेवाओं के सम्बन्ध में करार ढांचे के मसौदे में सहभागी देशों के लिए प्रत्यक्ष रूप से दो प्रमुख प्रतिबद्धताओं का प्रावधान है। ये प्रतिबद्धताएं सुस्पष्टता तथा परम मित्र राष्ट्र (एम० एफ० एन०) व्यापार की है।

सहभागी देशों से उनके हितों के क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में रियायतों के आदान-प्रदान की उम्मीद की गई है। सभी क्षेत्रों अथवा किसी खास क्षेत्र के सम्बन्ध में रियायतों के आदान-प्रदान का कोई दायित्व नहीं है।

अब तक प्रारम्भिक प्रतिबद्धताओं के संबंध में 47 भागीदारों ने पेशकश की है और 32 भागीदारों ने परम मित्र राष्ट्र की छूट से सम्बन्धित मसौदा सूचियां प्रस्तुत की हैं। कुछ प्रमुख भागीदारों ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र, मूलभूत दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के संबंध में परम मित्र राष्ट्र छूट की मांग की है। फिर भी उन्होंने संकेत किया हैं कि वे परम मित्र राष्ट्र छूटों के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं बशर्ते कि अन्य भागीदारों की अन्तिम पेशकश से उन्हें सन्तोष हो।

भारत इन क्षेत्रों में प्रवेश का प्रयास नहीं कर रहा है। इसने विशेष रूप में परम मित्र राष्ट्र दायित्व के अपवादों से बचने का निश्चय किया है। परम मित्र राष्ट्र दायित्वों से मुक्ति पाने के प्रयासों से उरूग्वे दौर की वार्ताओं को और भी जटिल बना दिया है।

उड़ीसा में पटसन उद्योग

7920. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विशेष रूप से केन्द्रपाड़ा जिले में, पटसन उद्योग का विकास और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके लिए 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिले सहित देश में पटसन उद्योग का विकास तथा विविधीकरण करने के लिये अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में शामिल हैं : पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 150 करोड़ रुपये की पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था का पुनर्निमाण करने के लिये 100 करोड़ रुपये की विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, अनुसंधान व विकास के क्रियाकलापों तथा उत्पादन विविधीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, उत्पाद शुल्क में छूट, रियायती आयात शुल्क, मुख्यत: आंतरिक विपणन सहायता तथा बाह्य विपणन सहायता योजना जैसी विपणन सहायता की सुविधाएं प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन देना तथा विविधीकृत पटसन उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये बिक्री केन्द्रों को खोलना।

पारी पासु संबंधी उत्तरदायित्व

7921. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पारी पासु" उपबंध को समाप्त करने का है, जिसके अन्तर्गत घरेलू शिपयार्डों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उद्योग का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। "पारी-पासु" उपबंध को समाप्त करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पारी-पासु उत्तरदायित्वों के बारे में वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, यदि नौवहन कम्पनियां विदेश से कोई जहाज खरीदती हैं, तो उन्हें उसके समान टनेज के एक जहाज के लिए भारतीय शिपयार्ड को आदेश देना पड़ता है। जैसे कि स्वदेशी शिपयार्ड, विशेष रूप से जो सार्व-

अधिक क्षेत्र में है और कठिन आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक निर्धारित समयावधि में आशोधा कार्यान्वित करना कठिन होगा। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पारी-पासु उत्तरदायित्वों को लागू करना कठिन होगा।

[हिन्दी]

विमान पत्तनों पर सीमा-शुल्क की वसूली

7922. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर 1990-91 और 1991-92 के दौरान अलग-अलग वसूल किये गये सीमा-शुल्क की राशि क्या है;

(ख) क्या देश के अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों पर वर्ष 1991-92 के दौरान सीमा-शुल्क की वसूली में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक विमान पत्तनों पर उक्त राशि की वसूली में कमी का प्रतिशत वर्ष 1990-91 की तुलना में कितना है;

(घ) तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की इटली यात्रा

7923. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि-मंडल हाल ही में इटली की यात्रा पर गया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) द्विपक्षीय सहयोग हेतु चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इटली के व्यापारियों ने भारत में निवेश करने की भी इच्छा जाहिर की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत इतालवी संयुक्त आर्थिक समिति के नवें

सत्र में भाग लेने के लिए जनवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह में इटली का दौरा किया। इस विचार-विमर्श में व्यापार, उद्योग, वित्त तथा संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में भारत इटली सहयोग पर बल दिया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी सहमति हुई थी :

(i) इतालवी ऋण करार का 3 वर्षों की और अवधि के लिए नवीकरण;

(ii) अभिज्ञात क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उद्यमों के संवर्धन के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना; और

(iii) विशिष्ट संयुक्त उद्यम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए दोनों देशों के अग्रणी उद्योगपतियों की उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन करना।

द्विपक्षीय सहयोग के लिये अधिक गुंजाइश वाले अभिज्ञात कुछ क्षेत्र हैं चमड़े के सामान, रसायन तथा पेट्रो रसायन, खाद्य पदार्थ तथा समुद्री उत्पाद।

इतालवी पक्ष ने स्वीकार किया है कि भारत की आर्थिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों से भारत में निवेश की संभावना बेहतर हो गई है।

[हिन्दी]

एस० टी० ए० परमिट

7924. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार परमिट प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ 25 हजार रुपए की राशि जमा करानी पड़ेगी ताकि दिल्ली—दिल्ली परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इस बारे में कोई छूट नहीं दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 3000 स्टेज कैरिज परमिट दिए जाने की स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार एक आवेदक को राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25,000 रु० की प्रतिभूति जमा करानी होती है। अनु० जाति/अनु० जनजाति के मामले में जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि केवल 5,000 रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई उच्च न्यायालय की गोआ न्यायपीठ में न्यायाधीश

7925. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय की गोआ न्यायपीठ में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस न्यायपीठ में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए गोआ सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1981 की धारा 9 के अनुसार "मुम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो संख्या में दो से कम नहीं होंगे, जैसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करें, गोवा, दमण और दीप संघ राज्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों के सम्बन्ध में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित की गई अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पणजी में आसीन होंगे।" इस प्रकार, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नामनिर्देशित न्यायाधीशों की संख्या दो से कम न हो, पणजी न्यायपीठ में आसीन करने के लिए उतने न्यायाधीशों को ही नामनिर्दिष्ट करते हैं, जितने वह पर्याप्त समझते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदेन मुख्य न्यायाधीश

7926. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे न्यायाधीशों का न्यायालय-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन उच्च न्यायालयों में नियमित आधार पर मुख्य न्यायाधीशों को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) तारीख 20-4-92 को विद्यमान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में उनके सामने दर्शित तारीखों से मुख्य न्यायमूर्ति के पद रिक्त हैं :

1. गुजरात	—	7-10-91
2. मद्रास	—	18-11-91

इन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सम्बन्धित सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। यह बताना संभव नहीं है कि ये पद कब तक भर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार योजना

7927. श्री अन्ना जोशी :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिसमें स्व-रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने की योजना अभी तक कार्यान्वित की गयी है;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान इस योजना से राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को और अधिक शहरों में भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) नए जिलों में इस योजना को लागू किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर प्रत्येक के औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण-I

ऐसे जिलों के नाम जहां भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के लिए इस योजना को (सेस्रेम योजना), उसके आरंभ (1988) से आज तक लागू किया गया है

राज्य	जिले का नाम
1	2
पंजाब	पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और होशियारपुर।

1	2
हरियाणा	नरनौल, भिवानी, रोहतक, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, और फरीदाबाद।
उत्तर प्रदेश	बस्ती, गाजीपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर।
राजस्थान	झुनझुनू, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और नागौर।
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग।
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, हमीरपुर, ऊंना और मण्डी।
तमिलनाडु	उत्तर अरकोट, मदुरै, धर्मापुरी और तिरुनेलवेलि।
केरल	त्रिवेन्द्रम और कन्नानोर।
आंध्र प्रदेश	चित्तूर, विशाखापत्तनम, गुंटूर, काकीनाडा और प्रकाशम्।
उड़ीसा	धनकेनल और गंजाम।
मणिपुर	इंफाल।
असम	नौगांव।

विवरण-II

1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि में भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिए तैयार करने की योजना (पेंसेम) के के अन्तर्गत लाभान्वित भूतपूर्व सैनिकों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	लाभान्वित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2
पंजाब	345
हरियाणा	1041
उत्तर प्रदेश	351
राजस्थान	627

1		2
पश्चिम बंगाल		20
तमिलनाडु		308
हिमाचल प्रदेश		346
केरल		195
उड़ीसा		79
आन्ध्र प्रदेश		25
	कुल :	3337

ओ० जी० एल० के अन्तर्गत माल का आयात

7928. श्री ऑस्कर फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत माल के आयात पर लगे नियंत्रण को वापस लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1992-97 के लिए निर्यात एवं आयात नीति के अनुसार आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल मदों को छोड़ कर अन्य सभी मदों का आयात बिना किसी नियंत्रण के किया जा सकता है। सरकार ने साख-पत्र खोलने के लिए न्यूनतम नकद राशि जमा करके पहले जो खुला सामान्य लाइसेंस शुरू किया था उसमें शामिल आयात मदों पर से भी अब नियंत्रण समाप्त कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि

7929. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद अनिवासी भारतीयों की जमा राशि घट गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) 31-3-1991 तक

तथा 29-2-92 तक की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीय निक्षेपों की स्थिति नीचे दी गयी है :

बैंक निक्षेप की किस्म	करोड़ रुपए में शेष 31-7-91	29-2-92
अनिवासी बाह्य	7,450	7,784
विदेशी मुद्रा अनिवासी	15,013	13,992
जोड़	22,463	22,776

इसके अतिरिक्त, 29 फरवरी, 1992 तक भारत विकास बाण्ड स्कीम के अन्तर्गत 16,20,690 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि एकत्रित की गयी है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों पर सीमा शुल्क

7930. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विशिष्ट कीटनाशकों का नाम और ब्यौरा क्या है जिनके लिए 75 प्रतिशत सीमा शुल्क को बढ़ा कर 110 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) तकनीकी श्रेणी के उन कीटनाशकों के नाम क्या है; जिनके लिए 110 प्रतिशत सीमा शुल्क को कम करके 75 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ग) उन विशिष्ट कीटनाशक इन्टरमीडिएट्स के नाम क्या हैं जिन पर सीमा शुल्क 120 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है; और

(घ) उन विशिष्ट कीटनाशक इन्टरमीडिएट्स के नाम और ब्यौरा क्या है, जिन पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1992-93 के बजट में ऐल्ड्रिन, क्लोरडेन तथा डेप्टाक्लोर नामक कीटनाशक दवाइयों पर सीमाशुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत कर दिया गया था;

(ख) 1992-93 के बजट में विशिष्ट तकनीकी ग्रेड की 15 कीटनाशक दवाइयों पर सीमा शुल्क को 110 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत कर दिया गया था। इन कीटनाशक दवाइयों के नाम इस प्रकार हैं—ट्राएडिमिफोन, मेट्रिबुजिन, क्लोरपायरिफोस, डाइनोकैप, माइक्लोबुटानिल, ट्राइसाइक्लेजोल, आक्सीफ्लोरेन, प्रोफेनल, डोडाइन, इथेफोन, फोसोटाइल-अल, फेन्थोएट, डिफ्लूबेन्जूरॉन, पेंडिमेथोलिन तथा ब्रोमोडाथोलीन।

(ग) 1992-93 के बजट में दो विशिष्ट कीटनाशक मध्यवर्तियों नामशः फेनवेलीरेट के

निर्माण के लिए पैराक्लोरोटोल्यून तथा कार्बेनडैजिम के निर्माण के लिए थियो यूरिया पर सीमा-शुल्क को 120 प्रतिशत से कम करके 65 प्रतिशत कर दिया गया था।

(घ) 1992-93 के बजट में तीन विशिष्ट कीटनाशक मध्यवर्तियों, नामशः क्यूमेन, पैराक्लोरो-एन-आइसोप्रोपाइल एनिलीन तथा मिथाइल क्लोरोफर्मेट को उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। दिनांक 1-3-88 की यथा संशोधित अधिसूचना सं० 43/88-के०उ०शु० में उन अन्य कीटनाशक मध्यवर्तियों की सूची शामिल है जिन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। उक्त अधिसूचना तथा संशोधनकारी अधिसूचनाएं संसद के दोनों सदनों में विधिवत रूप से रखी जा चुकी है।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात

7931. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात-निर्यात नीति के कारण 1992-93 के दौरान आयात-निर्यात में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या अधिक श्रम वाले एककों द्वारा उत्पादित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना अथवा सुझाव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) किसी वर्ष में आयात और निर्यात का स्तर बहुत-सी बातों पर निर्भर करता है जैसे विश्व व्यापार वातावरण, हमारे खरीदार देशों में आर्थिक वातावरण, हमारे उत्पादों की विदेशों में मांग तथा घरेलू कारक जैसे निर्यात के लिए बेशी की उपलब्धता, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, मुद्रास्फीति की दर और घरेलू मांग आदि नई आयात-निर्यात नीति में जो नए कदम उठाए गए हैं उनका हमारे निर्यात और आयात पर वास्तविक प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देगा। इसलिए वर्ष 1992-93 के दौरान होने वाले आयात और निर्यात के स्तर का सही-सही आकलन इस समय कर पाना कठिन है।

(ख) और (ग) नई आयात-निर्यात नीति का उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता आधुनिकीकरण गुणवत्ता और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है, ताकि विदेशों में भारतीय उत्पादों की रुचि में सुधार हो। नई आयात-निर्यात नीति में जो पहल की गई हैं उनमें शामिल हैं—100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना तथा निर्यात संसाधन जोन योजना का विस्तार करके उन्हें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और पशुपालन, जैसे प्राथमिक तौर पर श्रमसाध्य क्षेत्रों के लिए भी लागू करना।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम पत्तन पर गोदियों का निर्माण

7932. श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन पर निर्माणाधीन गोदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन गोदियों से कितना माल उतारा-चढ़ाया जा सकेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) :(क) और (ख) विशाखापत्तनम पत्तन में 15.2 करोड़ रु० और 14.9 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से क्रमश: एक नये बर्थ और एक बहुउद्देश्यीय बर्थ निर्माणाधीन हैं।

(ग) दोनों नई बर्थों पर चूने का पत्थर, थर्मल कोयला, लोहे तथा स्टील की सामग्री, लौह उत्पादन तथा अन्य बल्क कार्गो को हैंडल किए जाने की संभावना है।

संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव

7933. श्री के० वी० तंगकबालू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले एक साल के दौरान आज तक विदेशों से प्राप्त कुल कितने संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों की जांच की है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार ने ऐसे कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने जनवरी, 1991 से विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 76 प्रस्तावों की जांच की है और उनमें से 53 को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

भारतीय नौवहन निगम का बेड़ा

7934. श्री मदन लाल खुराना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में कितने जहाज हैं;

(ख) निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक जहाज की संचालन अवधि कितनी है;

(ग) कितने जहाजों की उपयोगिता अवधि समाप्त हुई है; और

(घ) बेड़े में नये जहाज शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में इस समय 51 लाख डी० डब्ल्यू० टी० के 128 जहाज हैं।

(ख) विभिन्न श्रेणी के जहाजों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार एक जहाज की प्रचालन आयु नीचे दी गई है—

1. बल्क कैरियर और लाईनर जहाज : 20 वर्ष
2. टैंकर, खाद्य तेल कैरियर, ईजी कैमिकल कैरियर : 20 वर्ष
3. तटीय जहाज : 24 वर्ष
4. अन्य रसायन और फासफोरिक एसिड कैरियर : 15 वर्ष
5. एल पी० जी० कैरियर : 25 वर्ष
6. ओ० एस० वी० : 16 वर्ष
7. ड्रिल जहाज : 25 वर्ष

(ग) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में चार ऐसे जहाज हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक आयु पूरी कर ली है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के 21 जहाजों की खरीद के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। भारतीय नौवहन निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 114 जहाज खरीदने का भी प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

7935. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता का नियतन किया गया है;

(ख) क्या राज्य के लिए नियत की गयी पूरी धनराशि दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान सरकार को उनकी वार्षिक योजना के लिए आबंटित/दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है—

(करोड़ रुपए में)

	आबंटित	दी गई
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	354.00	346.35
2. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7.00	7.00
3. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	26.00	39.89
योग	387.00	393.24

(ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में 1991-92 के दौरान दी गई राशि आबंटन से 7.65 करोड़ रुपए कम है। यह कमी अनुमोदित परिव्यय के प्रति राज्य सरकार द्वारा व्यय में की गयी कमी के कारण केन्द्रीय सहायता में कटौती की वजह से है।

सिले हुए वस्त्रों का निर्यात

7936. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को देशवार कितने-कितने मूल्य के कितनी-कितनी मात्रा में सिले हुए वस्त्रों का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) ऐसे वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) व्यापार नीति में परिवर्तन से वस्त्र उत्पादों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को देश-वार वर्ष उत्पादों के निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त अनुसार था :

क्रम सं० देश का नाम	निर्यात (करोड़ रु०) अनन्तिम
1. जर्मनी	1245.00
2. ब्रिटेन	1181.76
3. फ्रांस	548.13
4. इटली	464.65
5. बेनेलक्स	392.40
6. स्पेन	127.21
7. डेनमार्क	93.42
8. आयरलैंड	24.35
9. पुर्तगाल	18.18
10. यूनान	13.54

(ख) सरकार ने वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं—

(1) वर्ष 1992-97 के लिए निर्यात-आयात नीति को उदार बनाना जिसका उद्देश्य वस्त्र उत्पादों सहित विभिन्न मदों का निर्यात अधिकतम बढ़ाना है।

(2) उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली शुरू करना।

(3) रियायती शुल्क पर वस्त्र/परिधान मशीनों की आयात की अनुमति।

(4) उपर्युक्त कोटा नीति-परक उपायों के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना।

(5) निर्यात उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों आदि का आयोजन करना।

(6) अमरीकी डालरों के रूप में विभिन्न वस्त्र उत्पादों की न्यूनतम निर्यात कीमतों को निर्धारित करना ताकि निरन्तर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से विदेशी मुद्रा आय को बचाया जा सके।

(ग) व्यापार नीति में परिवर्तनों से संभवता वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी तथा उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी।

भारत तथा पाकिस्तान के समुद्र-तटों की अमेरिका द्वारा चौकसी

7937. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1992 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "यू०एस० सर्वेलेंस आफ इण्डियन एण्ड पाक कोस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चौकसी संबंधी मामले को उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ उठाया गया था जो भारत के समुद्र-तटीय इलाकों के आस-पास स्कड प्रक्षेपास्त्र ले जा रहे कोरियाई जहाज का पता लगा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तटवर्ती स्थलों पर अमेरिकी अधिकारियों को जाने देने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) अमेरिका द्वारा निगरानी किए जाने के संबंध में समाचार-पत्रों में छपे समाचार के बारे में सरकार के पास कोई ब्यौरे नहीं हैं। तथापि, सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना वायुयान/पोतों द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र/समुद्री-क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

कोकीनीसा संबंधी मामले

7938. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान, राज्यवार, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कितने मुकदमे चलाए गए; और

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जारी नजरबंदी आदेशों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है;

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई निवारणात्मक है और कार्रवाई दाण्डिक नहीं है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी आदेश	वर्ष 1991-92 के दौरान जारी नजरबन्दी आदेश
महाराष्ट्र	534
केरल	48
तमिलनाडु	45
कर्नाटक	83
पंजाब	44
दिल्ली	64
गोआ, दमन और दीव	8
गुजरात	48
राजस्थान	9
बिहार	9
उत्तर प्रदेश	45
आन्ध्र प्रदेश	12
मध्य प्रदेश	0
उड़ीसा	0
चण्डीगढ़	0
केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश	359
	योग : 1308

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

7939. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेटिंग एजेंसियों के लिए उनकी कार्यकुशलता और निष्पक्षता के आधार पर मान्यता देने की प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का आयात

7940. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से किए गए आयात के बदले में अखबारी कागज की सप्लाई करते हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया था; और

(ग) अखबारी कागज के बदले में, देश-वार सप्लाई की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मैसर्स सुकब आफ स्वीडन के साथ एक समान प्रति व्यापार दायित्व सहित लगभग 11.07 करोड़ रुपए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के मानक अखबारी कागज के आयात के लिए की गई केवल एक संविदा चल रही है। भारत से निर्यात की गई मदें तथा देशों के नाम नीचे दिए गए हैं—

मद	देश
पटसन माल	संयुक्त राज्य अमरीका, यूगोस्लाविया
पुदीना तेल/पिपरमिन्ट तेल	स्पेन, हांगकांग, जापान
चमड़े का सामान	संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, स्वीडन

मद	देश
परिष्कृत (रिक्लेम) रबड़	स्वीडन
ग्रे शीटिंग	ताइवन, ब्रिटेन

वर्ष 1992 के लिए कुछ माल/वस्तुओं के निर्यात के बदले में अखबारी कागज सहित कुछ माल/वस्तुओं के आयात के लिए रोमानिया और रूस परिसंघ के साथ व्यापार संलेख किए गए हैं।

(ख) एस०टी०सी० ने वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 2.26 लाख एम०टी० अखबारी कागज का आयात किया।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को ऋण

7941. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कितने ऋण की मांग की है;

(ख) किस उद्देश्य हेतु यह ऋण लिया गया; और

(ग) राज्य सरकार को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) आंध्र प्रदेश को उसकी राज्य योजना के लिए वर्ष 1991-92 से दौरान स्वीकृत ऋणों की राशि 569.30 करोड़ रुपये थी। योजना आयोग द्वारा आवंटित राशि से अधिक ऋण सहायता के लिए 1991-92 में राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात

7942. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों का आयात किन देशों से किया जाता है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन देशों से खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था; और

(ग) खाद्यान्नों का आयात कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन देशों से खाद्यान्नों का आयात किया गया वे हैं—कनाडा, यू० एस० ए०, थाईलैंड,

वियतनाम समाजवादी गणराज्य, भूटान, हंगरी, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, बलगारिया, चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, ईरान, केन्या, कोरिया गणराज्य, मलयेशिया, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, तंजानिया गणराज्य, तुर्की, बेल्जियम, नेपाल, जर्मन संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया, चीनी-ताईपेइ, मयामार, इंडोनेशिया, बलन्डी, ब्राजील, जापान, मैक्सिको, पोलैंड, यू० एस० एस० आर०, यूगोस्लाविया।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 92 तक) के दौरान आयातित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित थे :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपया)
1990-91	925554	53690.32
1991-92 (जनवरी, 92 तक)	278754	22478.90

(ग) हालांकि देश दालों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन मानसून की प्रवृत्ति और खाद्यान्नों पर उनके प्रभाव, बफर स्टाक बढ़ाने की आवश्यकता के आधार पर कभी-कभी खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है।

[अनुवाद]

न्यायालयों में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लम्बित मामले

7943. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अलग-अलग कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और उसमें पृथक-पृथक कितनी राशि लगी हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क)

	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपयों में)
सीमा शुल्क	12075	401.23
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8662	2074.13

(ख) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ताओं को न्यायालय में पड़े महत्वपूर्ण मामलों पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखने और इनके शीघ्रता से निपटाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी गयी है। ऐसे मामलों को, जिनमें अधिक मात्रा में राजस्व ग्रस्त होता है, शीघ्रता से सूचीबद्ध करने के लिए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष पीठें निश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन

7944. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री माण्ये गोवर्धन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन परीक्षणों के पश्चात् सेवा में लिए जाने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कार्यक्षमता उपयुक्त स्तर के अनुरूप नहीं है जैसा कि पुणे में प्रकाशित 27 मार्च, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसमें आई खामियों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) खामियों को दूर किए जाने के पश्चात् इसे कब तक सेवा में लिए जाने की आशा है;

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा परियोजना के पूरा होने तक अनुमानतः और कितनी धनराशि खर्च होने की आशा है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का परीक्षण-कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

(ख) और (ग) समाचार-पत्रों में छपी खबरें काफी त्रुटिपूर्ण हैं। जैसा कि परीक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः होता है। इस टैंक के परीक्षण के दौरान गोला दागने तथा ट्रैकलिंग के सम्बन्ध में कुछ कमियां पाई गई थीं जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। गोले दागने के सम्बन्ध में हाल ही में किए गए परीक्षणों के दौरान टैंक का कार्य बहुत उत्साहवर्धक देखा गया है। परीक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत टैंक की विश्वसनीयता में बराबर सुधार किए जा रहे हैं। परीक्षणों के पूरा हो जाने पर जब यह उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा तो यह अर्जुन टैंक अत्याधुनिक टकनालाजी से युक्त एक ऐसा टैंक होगा जिसकी तुलना विश्व के इस श्रेणी के किसी भी टैंक से की जा सकेगी।

(घ) आशा है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन 1993 तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा।

(ङ) इस पर अब तक 225.44 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इस टैंक के विकास का कार्य पूरा होने तक इस पर अनुमानतः 80.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।

हल्दी का निर्यात

7945. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान किस राज्य में हल्दी का अधिकतम उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान हल्दी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष हल्दी के निर्यात में कुछ वृद्धि होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश में हल्दी की सर्वाधिक पैदावार हुई। वर्ष 1991-92 के अनुमानित आंकड़े अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान हल्दी के निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1990-91	13624	15.48
1991-92 (अनन्तिम)	16565	31.58

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता, शिपिंग बिल

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान हल्दी के निर्यात से वर्ष 1991-92 में सर्वाधिक आमदनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान, चीन, पेरू आदि अन्य प्रतिस्पर्धी देशों में इसकी अच्छी फसल नहीं हुई। मसाला बोर्ड फसल के आकार, घरेलू मांग आदि को ध्यान में रखते हुए हल्दी का निर्यात बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करता है।

ऊनी उत्पादों का निर्यात

7946. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊनी उत्पादों का उत्पादन स्थिर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में ऊनी उत्पादों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऊन विकास बोर्ड द्वारा सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान कितनी तथा कितने मूल्य की ऊन का आयात किया गया और हाथ से बुने जाने वाले गलीचों तथा अन्य वस्तुओं की भारी निर्यात क्षमता की उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) ऊन विकास बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए और क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ऊनी उत्पादों के उत्पादन में कोई स्थिरता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्पादन को बढ़ावा देने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(घ) ऊन विकास बोर्ड ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये योजनाएं और परियोजनाएं कालीन प्रशिक्षण केन्द्र, ऊन प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ऊन विपणन आदि से सम्बन्धित हैं।

(ङ) आयातित कच्ची ऊन

वर्ष	मात्रा	मूल्य रु०
1988-89	27.59 मि० किग्रा०	175.80 करोड़
1989-90	21.35 मि० किग्रा०	171.99 करोड़
1990-91	29.21 मि० किग्रा०	179.84 करोड़

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेषीकृत मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रदर्शनियों में सहभागिता, मशीनों का आयात करने आदि की योजना है।

(च) बोर्ड को विधानिक दर्जा प्रदान करना तथा वित्तीय आबंटन बढ़ाना।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

7947. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के बागवानी उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी उत्पादों के निर्यात लक्ष्य निश्चित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या नीति अपनायी जाने वाली है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(मूल्य लाख रु०)

	1988-89	1989-90	1990-91
ताजे फल और सब्जियां	12894	15214	19173
संसाधित फल और सब्जियां	5167	6637	5731
पुष्पोत्पादन	474	657	865
योग :	18535	22508	25769

(ख) और (ग) ताजे/संसाधित फल और सब्जियों, पुष्पोत्पादन तथा ऊतक संवर्धन के निर्यात के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1240 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया हैं। इसे बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता और पैकेजिंग सुधार आदि द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में हथकरघा उद्योग को सहायता

7948. श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान हथकरघा उद्योग के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु केन्द्रीय और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए योजना-वार उन योजनाओं सहित जिनके लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया था बिहार को कोई सहायता दी है;

(ख) प्रत्येक मामले में, योजना-वार कुल कितनी केंद्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या बिहार सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य निकायों से इस बारे में, वर्ष 1992-93 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार/सम्बन्धित निकायों से इस प्रकार के प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु कोई समयसीमा निश्चित की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

विवरण

(अ) गैर-योजना	राशि (लाख रुपयों में)
1. जनता सब्सिडी	475.93
2. एम० डी० ए०/रिबेट	—
(ब) योजना	
1. थ्रिफ्ट फंड योजना	—
2. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	—
3. प्रोजेक्ट पैकेज योजना	—
4. कार्यशाला सह-आवास योजना	—
5. प्रवर्तन	—
6. प्रचार व प्रदर्शनी	—
7. सहकारी प्रशिक्षण	—
8. अनुसंधान और विकास	—
9. एकल और प्रर्वतीय क्षेत्रों के हथकरघा उत्पादों के विपणन और क्वालिटी उत्पादन की योजना	—
10. हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	—

पंजाब में भारतीय वायु-सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

7949. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 31 मार्च, 1992 को भारतीय वायु-सेना के दो विमानों के आकाश में रहस्यमय ढंग से दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की कोई अदालती जांच शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा दुर्घटनाग्रस्त विमानों की लागत कितनी है; और

(घ) भविष्य में आकाश में इस प्रकार की टक्करों को रोकने हेतु रोकथाम के क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) जांच अदालत का कार्य चल रहा है।

(ग) इस दुर्घटना में नौ कार्मिकों की मृत्यु हुई। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए दोनों वायुयानों की हानि का सही अनुमान जांच अदालत का कार्य पूरा होने के पश्चात् ही लग पाएगा।

(घ) जांच अदालत द्वारा जब तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लगा लिया जाता तब तक के लिए रात्रि में छतरी से सैनिक उतारने का कार्य स्थगित रखा गया है। जांच अदालत के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर आगे आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे।

साधारण बीमा निगम द्वारा प्रदत्त/प्राप्त दावा/रियायत

7950. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पुनर्बीमा के संबंध में साधारण बीमा निगम द्वारा प्राप्त/प्रदत्त दावा या रियायत की राशि कितनी है;

(ख) अग्नि, मेरीन और विविध बीमा कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त (क) में से कितनी राशि विदेशी मुद्रा में प्रदान की गई; और

(घ) उन विदेशी कम्पनियों के नाम और प्रासंगिक ब्यौरा क्या है जिन्होंने "पुनर्बीमाकर्ता" की भूमिका निभाई और जिनको विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा पुनर्बीमा कारोबार के संबंध में दावों पर खर्च की गई राशि तथा स्वीकार/अदा किए गए कमीशन की राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

विदेशों में पुनर्बीमित भारतीय कारोबार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	दावों पर किया गया खर्च				प्राप्तव्य कमीशन			
	अग्नि	समुद्रीय	विविध	जोड़	अग्नि	समुद्रीय	विविध	जोड़
1989-90	36.80	21.96	123.01	181.77	5.36	2.39	5.69	13.44
1990-91	82.73	14.49	111.01	208.23	4.87	4.48	7.82	17.17

भारत में स्वीकार किया गया विदेशी पुनर्बीमा कारोबार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	दावों पर किया गया खर्च				देय दलाली			
	अग्नि	समुद्रीय	विविध	जोड़	अग्नि	समुद्रीय	विविध	जोड़
1989-90	4.71	5.27	—1.82	8.16	2.67	0.80	0.47	3.94
1990-91	12.30	5.29	2.51	20.10	2.31	1.04	0.38	3.73

वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए तदनुरूप आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उपरोक्त सारणी में उल्लिखित राशियां केवल विदेशी मुद्रा में प्राप्त/अदा की गई थीं।

(घ) उन प्रमुख पुनर्बीमा कम्पनियों, जिनके साथ भारतीय साधारण बीमा निगम पुनर्बीमा कारोबार के संबंध में लेन-देन करता है, के नाम तथा उन देशों के नाम, जहां पर इन कम्पनियों की संस्थापना की गई, निम्नलिखित हैं :

कम्पनी का नाम	देश
म्यूनिख रिइंश्योरेंस कम्पनी	जर्मनी
स्विस रिइंश्योरेंस कम्पनी	स्विटजरलैंड
विंटरथुर स्विस रिइंश्योरेंस कम्पनी	स्विटजरलैंड
सिमना रिइंश्योरेंस कम्पनी	बेल्जियम
आबेली रिइंश्योरेंस कम्पनी	फ्रांस
आबा रिइंश्योरेंस कम्पनी	फ्रांस
म्यूच्वेले जनरल डि फ्रांस एसोसिएटिड	फ्रांस
रायल रिइंश्योरेंस कम्पनी	यू० के०
जी० आई० ओ० (गवर्नमेंट इंश्योरेंस आफिस), सिडनी	आस्ट्रेलिया
टोकियो फायर एण्ड मैराइन इंश्योरेंस कम्पनी	जापान
तोआ फायर एण्ड मैराइन कम्पनी	जापान
अरब इंश्योरेंस ग्रुप	बहरीन
केन्या रिइंश्योरेंस कम्पनी	केन्या
ब्लू शील्ड इंश्योरेंस कम्पनी	केन्या

चीनी का उत्पादन और निर्यात

7951. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 में चीनी का उद्योग द्वारा रिकार्ड उत्पादन किया गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 में चीनी के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) चीनी वर्ष अक्तूबर में शुरू होता है और सितम्बर के अन्त तक रहता है, अतः अभी यह बताना मुश्किल होगा कि वर्ष 1991-92 रिकार्ड उत्पादन का वर्ष होगा या नहीं।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1993) के दौरान निर्यात के लिए अस्थायी तौर पर 2.5 लाख मी० टन चीनी निर्धारित कर दी गई है।

काजू का आयात

7952. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का काजू आयात किया गया; और

(ख) यह आयात किन देशों से किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 (जनवरी, 92 तक) के दौरान आयात की गई काजू गिरी की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1989-90	56248	7666.16
1990-91	81720	13236.85
1991-92 (जनवरी, 92 तक)	86576	21926.48

(ख) जिन देशों से आयात किया गया वे हैं, अर्जेन्टीना, बंगलादेश, बेनिन, आइवरीकोस्ट, गिनी बीसू, नाइजीरिया, फिलीपीन्स, तन्जानिया गणराज्य, यू० के०, वियतनाम, समाजवादी गणराज्य, टोगो, इन्डोनेशिया, यू० एस० ए०, मलगेसी गणराज्य, सिंगापुर, सेनेगल, गिनी, केन्या,

इल-सल्वाडोर, होण्डूराम, थाइलैण्ड, जाम्बिया, डेनमार्क, गुआटेमाला, मयान्मार, पराग्वे और वेनजुएला।

परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

7953. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परम्परागत वस्तुओं के व्यापार में गत तीन वर्षों से निरन्तर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। परम्परागत वस्तुओं का निर्यात वर्ष 1988-89 में 6278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो 1989-90 में बढ़कर 7634 करोड़ रुपए का और वर्ष 1990-91 में 9256 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 1991-92 के दस महीनों (अप्रैल. जनवरी) के दौरान इन मदों का निर्यात बढ़कर 10090 करोड़ रुपए हो गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लाभ का पुनर्निवेश करने पर आयकर में छूट

7954. श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है कि विशेषत: निर्धनों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं में लाभ का पुनर्निवेश करने पर आयकर में छूट दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के द्वारा सामाजिक-आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए एक नई धारा 35 एसी पुर:स्थापित की गई थी।

(ख) इस धारा के अधीन तैयार की गई योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं—किसी कारोबार अथवा व्यवसाय को करने वाले करदाता किसी कारोबार अथवा व्यवसाय से उन्हें प्राप्त हुए करयोग्य लाभों की संगणना करते समय उनके द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण अथवा जनता के उत्थान के संवर्धन के लिए पात्र परियोजनाओं तथा योजनाओं के वित्त-पोषण पर किए गए खर्च की कटौती करने के पात्र हैं। अर्हताकारी व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा व्यक्तियों की किसी एसोसिएशन को अथवा राष्ट्रीय समिति द्वारा

अनुमोदित किसी ऐसी संस्था को की गई अदायगियां शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल किसी पात्र परियोजना अथवा योजना के लिए किया जा रहा हो। कंपनियों के मामले में यह भी व्यवस्था की गई है कि वे इस प्रकार की परियोजना अथवा योजना पर सीधे खर्च कर सकती हैं। सरकार ने पात्र परियोजनाओं तथा योजनाओं को निष्पादित कर रही एसोसिएशनों तथा संस्थाओं को अनुमोदित करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित किए जाने हेतु उनकी सिफारिश करने के बारे में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। इस प्रकार अधिसूचित योजना के अधीन किया गया व्यय कर-रियायत पाने का पात्र है।

[हिन्दी]

भारत के निर्यात पर अमरीकी नीति का प्रभाव

7955. श्री मोहन सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गेट" (टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार) ने अमरीका द्वारा विश्व के विकासशील देशों के निर्यात को रोकने हेतु अनुचित व्यापार कानूनों का खुले तौर पर उपयोग करने के लिए आलोचना की है जैसा कि 27 मार्च, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के निर्यात पर अमरीका की इस नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उक्त प्रेस-समाचार का संबंध गाट सचिवालय द्वारा तैयार की गई उस रिपोर्ट से है जोकि गाट परिषद में दिनांक 11-12 मार्च, 1992 को की गई संयुक्त राज्य अमरीका की व्यापार नीति की समीक्षा के सन्दर्भ में है। गाट सचिवालय की इस रिपोर्ट में माह दिसम्बर, 1989 में की गई पिछली समीक्षा के बाद अमरीकी व्यापार नीतियों में हुए संशोधनों का उल्लेख किया गया है। गाट सचिवालय की रिपोर्ट में संस्थागत तथा कानूनी ढांचे की चर्चा करते हुए वर्ष 1990 में समाप्त सुपर 301 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और साथ ही, धारा 301 की क्रियाविधियों तथा स्पेशियल 301 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जो अब भी लागू है। यह भी बताया गया है कि एकस्व उल्लंघन संबंधी अमरीकी टैरिफ अधिनियम, 1930 की धारा 337 में अब तक संशोधन नहीं किया गया है जबकि 1989 की पैनल रिपोर्ट में कानून के कुछ ऐसे खास कार्यपद्धति संबंधी पहलुओं को इंगित किया गया है जिनसे गाट नियमों का उल्लंघन होता है। रिपोर्ट में यह बात नोट की गई है कि पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका ने धारा 301 के प्रयोग में संयम बरतने का दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 1990 में सुपर 301 के तहत कोई नई जांच शुरू नहीं की गई और वर्ष 1989 से धारा 301 की जांच संख्या में भी कमी आई है। संयुक्त राज्य अमरीका ने वर्ष 1989 से किसी प्रकार की बदले की कार्यवाही नहीं की है। किन्तु, धारा 301 और उससे संबंधित कानूनों के संभावित प्रभाव की चिन्ता बनी हुई है।

उक्त रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि संयुक्त राज्य अमरीका की गिनती ऐसे देशों में आती है जिन्होंने पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क की कार्रवाई का बार-बार और सर्वा-

धिक प्रयोग किया है। वर्ष 1990 के पूर्वार्द्ध में नई पाटनरोधी जांचों की संख्या अपेक्षतया कम रही थी लेकिन बाद में उसमें तेजी से वृद्धि हो गई।

संयुक्त राज्य अमरीका ने वर्ष 1989 में सुपर 301 के तहत भारत के विरुद्ध जांच आरंभ की थी किन्तु, वर्ष 1990 में ये कार्रवाहियां बन्द कर दी गई। दिनांक 26 मई, 1991 को संयुक्त राज्य अमरीका ने स्पेशियल 301 के तहत भारत के विरुद्ध एक जांच आरंभ कर दी। यह जांच दिनांक 26 फरवरी, 1992 को समाप्त कर दी गई।

भारत से होने वाले निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा की जाने वाली प्रतिकारी शुल्क तथा पाटनरोधी जांच कार्यों के भी अध्यधीन रहे हैं। इन जांच कार्यों के फलस्वरूप जो उत्पाद प्रभावित हुए हैं, वे ये हैं—लोहा तथा धातु कास्टिंग, इस्पात के पाइप तथा ट्यूबें, इस्पात की तार के रस्से और आईबूप्रोफेन।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने संबंधी उपाय

7956. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के अपवंचन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन में सहायता तथा इसके लिए उकसाने के दोषी पाये गये सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों का समाहर्तालय-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राज्यों को गैर-न्यायिक स्टाम्पों/पेपरों की सप्लाई

7957. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कुछ राज्य सरकारों के पास गैर-न्यायिक स्टाम्पों/पेपरों और सम्बद्ध फार्मों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का राज्यों को इन पेपरों/स्टाम्पों की पर्याप्त संख्या में सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को किसी राज्य सरकार

से गैर-न्यायिक स्टाम्पों/पेपरों (संबंधित फार्मों) की नितान्त कमी होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जब भी कुछ राज्यों में किसी प्रकार की कमी का पता चलता है, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक और प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

तमिलनाडु को ऋण सहायता

7958. **श्री के० तुलसिऐया वांडायार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु को कितनी ऋण सहायता दी है;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 हेतु राज्य को कोई अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) वर्ष 1989-80, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को उनकी राज्य योजनाओं के लिए क्रमशः 494.22 करोड़ रुपये, 644.55 करोड़ रुपये तथा 823.24 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एक्जिम स्क्रिप का विक्रय

7959. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को "एक्जिम स्क्रिप" का जारी किया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 29 फरवरी, 1992 से पहले एक्जिम स्क्रिप धारा निर्यातकों को इन्हें मुनासिब दाम पर बेचने की अनुमति दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उदार विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल० ई० आर० एम० एस०) के आरम्भ हो जाने से एक्जिम स्क्रिप लाइसेंस योजना समाप्त कर दी गई है;

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक की नामोद्दिष्ट शाखाएं एक्जिम स्क्रिपों की मई, 1992 के अन्त तक अंकित मूल्य के 20% के प्रीमियम पर उन धारकों से खरीदेंगी जो अपने एक्जिम स्क्रिपों को बेचना चाहेंगे।

सेना की भूमि का अतिक्रमण

7960. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी किले के निकट सेना की भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अवैध कब्जाधारी ने कितनी भूमि का अतिक्रमण किया है और इसका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है; और

(ग) इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारंवाई की जा रही है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) झांसी किले के निकट 547.088 वर्ग मीटर रक्षा भूमि के कुछ हिस्से पर अनधिकृत कब्जा किया गया है। प्रत्येक अवैध कब्जाधारी द्वारा अनधिकृत रूप से हथियाए गए भू-क्षेत्र और उसके वर्तमान बाजार मूल्य का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	अवैध कब्जाधारी का नाम	अनधिकृत रूप से हथियाए गए भू-क्षेत्र का विवरण	अनधिकृत रूप से कब्जे में ली गई भूमि का क्षेत्र	उस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य
1.	श्री गोपाल	लकड़ी का खोखा	4.459 वर्ग मी०	2675.52 रु०
2.	श्रीमती शान्ती	लकड़ी का खोखा और मकान	41.679 वर्ग मी०	19007.34 रु०
3.	श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता	लकड़ी के कोयले का चट्टा लगाने के लिए	278.70 वर्ग मी०	1,67,220.00 रु०
4.	श्री प्रमोद कुमार	वर्कशाप	232.25 वर्ग मी०	1,39,350.00 रु०
			547.25 वर्ग मी०	3,28,253.86 रु०
			अर्थात् 3,28,253 रुपये	

भूमि का बाजार भाव, वर्तमान मानक किराया सारणी के अनुसार 600 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से आंका गया है। इस आधार पर 547.088 वर्ग मीटर भूमि की कुल लागत 3,28,253 रु० बैठती है।

उपर्युक्त चार मामले, बेदखली की कार्रवाई करने तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अनधिकृत रूप से किए गए कब्जे के संबंध में हुए नुकसान की वसूली की कार्रवाई करने के वास्ते सम्पदा अधिकारी को भेज दिए गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

7961. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 29 फरवरी, 1992 तक लघु बचत योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य जमा योजनाओं में कितनी धनराशि जमा हुई; और

(ख) उक्त जमा राशि में से आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं में कितनी राशि का निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में डाकघरों के माध्यम से लोक भविष्य निधि सहित अल्प बचत योजनाओं में सकल और निवल संग्रह इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल	निवल
1988-89	557.37	255.00
1989-90	812.23	487 18
1990-91	931.93	524.24
1991-92 (फरवरी, 1992 तक)	696.81	243.81

निवल संग्रहों का तीन-चौथाई भाग राज्य को दीर्घावधि ऋणों के रूप में देने के लिए मंजूर किया गया है।

अन्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

7962. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण के वास्ते विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहे हैं। ऐसे ऋण के विस्तृत ब्यौरे अर्थात् राशि, शर्तें आदि का पता विश्व बैंक के साथ इस संबंध में करार हो जाने के बाद ही चलेगा।

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से होकर सोने का आयात

7963. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सोने की नीति संबंधी घोषणा के बाद इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के आयात में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सोने की नीति संबंधी घोषणा के बाद इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कितना सोना दर्ज किया गया और इसकी कीमत कितनी थी इससे अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 21-4-92 तक लायात किये गये सोने की मात्रा और उसका मूल्य और उससे प्राप्त की गयी सीमा-शुल्क की राशि इस प्रकार है :

मात्रा (कि० ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	सीमा-शुल्क की राशि (लाख रुपयों में)
141.50	424.52	63.67

दिल्ली परिवहन निगम के निजी बसों के साथ अनुबंध

7964. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम निजी बस मालिकों से डी० टी० सी० बस स्टैंडों के उपयोग के लिए 250 रुपये प्रतिमाह लेता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम अपने पास धारकों को ले जाने के लिए निजी बसों को कोई धनराशि दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम के अधीन प्रचालित की जा रही प्रत्येक निजी बस के मालिक को 1-3-1992 से, दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों, टर्मिनलों, इत्यादि को इस्तेमाल करने के लिए 250 रु० प्रति बस प्रति माह दिल्ली परिवहन निगम को देने होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों को पेंशन

7965. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) वित्तीय देयताओं की अन्तर्ग्रस्तता को देखते हुए तृतीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों की पेंशन की मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

असम के मंगलदोई में उप-मार्ग का निर्माण

7966. **श्री प्रवीण डेका** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के मंगलदोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप-मार्ग के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम में मंगलदोई राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक बाईपास के निर्माण हेतु संरेखण कार्य को फरवरी, 1992 में अनुमोदित कर दिया है। अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि काम कब तक शुरू होने की संभावना है क्योंकि यह इस परियोजना के आठवीं योजना में शामिल होने पर निर्भर करेगा, जिस पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

भारतीय वायु-सेना स्टेशन, चकेरी में फायरमैनों को पदोन्नति

7967. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री श्याम बिहारी मिश्र :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रक्षा मंत्री 28 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु-सेना में वर्ग-1 फायरमैन से लीडिंग हैंड फायर के पद पर पदोन्नति हेतु शर्तों तथा न्यूनतम अनिवार्य योग्यताओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या वायु-सेना केन्द्र चकेरी में वर्ग-1 फायरमैन से लीडिंग हैंड फायर के पद पर पदोन्नति हेतु हाल ही में एक बोर्ड बनाया गया था;

(ग) क्या पदोन्नति हेतु सिफारिश किए गए सभी लोग आवश्यक योग्यताएं पूरी करते थे;

(घ) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा जिन व्यक्तियों पर विचार किया तथा जिनकी पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई है उनका ब्योरा क्या है और उनकी योग्यताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : भर्ती नियमों के अनुसार यदि फायरमैन ग्रेड-1 ने इस ग्रेड में तीन वर्ष की लगातार सेवा की हो, ऐसा नहीं होने पर फायरमैन-1 तथा फायरमैन-2 के ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर छः वर्षों की सम्मिलित सेवा पूरी की हो और विभागीय ट्रेड परीक्षा पास कर ली हों तो वह लीडिंग हैंड फायर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है।

(ख) से (घ) वायु सेना स्टेशन, चकेरी में लीडिंग हैंड फायर के रिक्त पदों को भरने के लिए हाल ही में एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी। विभागीय पदोन्नति समिति ने 7 फायरमैन ग्रेड-1 के मामले पर जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते थे, विचार किया था और उनमें से तीन फायरमैनों की लीडिंग हैंड फायर ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित सेवा-संबंधी मामलों पर विशेष अनुमति याचिकाएं

7968. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री 6 सितम्बर, 1991 के और 29 नवम्बर 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० क्रमशः 6073 और 1408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 नवम्बर, 1991 को लम्बित पड़ी याचिकाओं में से कितनी निपटा दी गई हैं तथा इनमें और कितनी याचिकाएं जुड़ गई हैं;

(ख) सेवा-संबंधी मामलों पर सरकार द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें दायर करने के वास्तविक कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने पर विचार कर रही है जहां कानून का कोई भारी मसला अथवा लोक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कारों/वाहनों की खरीद

7909. **श्री [illegible] :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नई कारों/वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्ध में ढील देने के बाद 1990-91 तथा 1992-92 के दौरान अलग-अलग मंत्रालय/विभागवार कितनी नई कारों/कितने वाहनों की खरीद हेतु अनुमति दी गई थी;

(ग) मंत्रालय/विभागवार उक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) उक्त प्रतिबन्ध में ढील देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (घ) जी, हां। हालांकि नए वाहनों की खरीद पर पूर्णतः रोक लगाई गई है किन्तु कार्यात्मक/प्रचलनात्मक आवश्यकता, सुरक्षा के दृष्टिकोण, नए संगठनों के लिए वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए और कंडम/नाकारा वाहनों के बदले खरीद के बदले खरीद के कुछ मामलों में छूट दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्टॉक एक्सचेंजों का व्यापार समय

7970. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में विश्व के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज व्यापार के लिए अधिक समय तक खुलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के स्टॉक एक्सचेंजों के कार्य घंटों में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत के स्टॉक एक्सचेंजों की तुलना में विश्व के बहुत से स्टॉक एक्सचेंज व्यापारिक गतिविधियों के लिए अधिक समय तक खुलते हैं।

(ख) से (घ) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के कार्य घण्टे सम्बद्ध स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियम और विनियमों से नियंत्रित होते हैं। हाल ही में, स्टॉक एक्सचेंजों ने कार्य घंटों में 30 मिनट की वृद्धि की है।

सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क की वसूली

7971. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान इसमें कितनी धनराशि प्रत्येक राज्य को वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विभागीय रिकार्डों के अनुसार वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में राज्यवार एकत्र किए गए सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में उत्पाद शुल्क का राज्यवार कैसे-कैसे वितरण किया गया, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता।

विवरण-I

सीमा शुल्क राजस्व के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	सीमा-शुल्क राजस्व (विभागीय रिकार्ड के अनुसार) 1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	632.42	832.08	985.24
2.	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश	1.28	1.72	1.27
3.	बिहार	25.66	18.42	15.85
4.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	139.26	118.85	109.78
5.	हरियाणा तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	942.38	1001.48	956.67
6.	गोवा	46.95	59.42	80.73
7.	गुजरात तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव	1242.19	1471.86	1560.69
8.	कर्नाटक	467.75	518.39	499.03
9.	केरल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	285.55	345.44	387.86
10.	मध्य प्रदेश	66.86	48.08	57.13
11.	महाराष्ट्र	8408.83	9628.68	10617.30
12.	उड़ीसा	83.41	83.47	138.63
13.	राजस्थान	137.08	109.46	109.73
14.	तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	2631.99	3047.54	3023.71
15.	उत्तर प्रदेश	594.22	779.51	787.73
16.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2201.96	2503.3	2846.48

टिप्पणी : यह आंकड़े राज्य में आने वाले समाहर्तालियों/सीमाशुल्क गृहों राजस्व की वसूलियों पर आधारित हैं; और अधिक विस्तृत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

उत्पाद शुल्क राजस्व का राज्यवार ब्योरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	उत्पाद शुल्क राजस्व* (विभागीय रिकार्डों के अनुसार)		
		1989-90	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1411.56	1476.95	1828.80
2.	आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश	745.72	696.54	704.73
3.	बिहार	903.48	1024.48	1130.00
4.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	527.34	535.97	637.02
5.	हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	1132.96	1344.06	1641.63
6.	गोआ	104.69	122.44	146.63
7.	गुजरात और संघ शासित क्षेत्र दादरा व नागर हवेली तथा दमन और दीव	2428.30	2652.92	3087.38
8.	कर्नाटक	1271.23	1403.88	1651.15
9.	केरल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	489.99	543.53	634.47
10.	मध्य प्रदेश	1079.97	1208.01	1464.75
11.	महाराष्ट्र	6602.16	7205.56	7948.95
12.	उड़ीसा	326.33	406.95	446.11
13.	राजस्थान	612.63	675.84	831.95
14.	तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	1645.01	1798.26	2138.58
15.	उत्तर प्रदेश	1923.74	2173.59	2509.92
16.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1284.00	1374.81	1497.63

* उन उप करों को छोड़ कर जो राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाए जाते। परन्तु इसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कच्चे तेल पर उपकर और राजस्व विभाग द्वारा एकत्र किए गए अन्य उपकर शामिल हैं।

टिप्पणी : यह आंकड़े राज्य में आने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों द्वारा की गई वसूलियों पर आधारित हैं और अधिक विस्तृत ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में उत्पाद शुल्क राजस्व का राज्यवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1989-90 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 1990-91 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 1991-92 के दौरान जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	665.59	755.78	877.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.74	79.07	93.73
3.	असम	350.43	379.22	440.19
4.	बिहार	1066.77	1104.17	1282.28
5.	गोआ	22.69	48.76	57.37
6.	गुजरात	310.62	376.94	437.00
7.	हरियाणा	111.48	134.64	156.03
8.	हिमाचल प्रदेश	134.07	180.28	210.16
9.	जम्मू व कश्मीर	230.02	324.62	377.55
10.	कर्नाटक	438.27	457.29	530.43
11.	केरल	315.77	332.61	386.01
12.	मध्य प्रदेश	711.33	752.09	872.99
13.	महाराष्ट्र	574.90	652.35	755.90
14.	मणिपुर	74.75	106.19	123.88
15.	मेघालय	58.00	81.15	84.66
16.	मिजोरम	74.63	96.69	114.29
17.	नागालैण्ड	76.34	119.83	139.89
18.	उड़ीसा	414.21	525.84	609.73
19.	पंजाब	145.59	177.95	206.14

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	456.57	559.59	649.48
21.	सिक्किम	15.03	23.59	27.52
22.	तमिलनाडु	647.78	676.12	784.74
23.	त्रिपुरा	94.72	140.47	163.75
24.	उत्तर प्रदेश	1587.89	1613.80	1873.41
25.	पश्चिम बंगाल	664.92	715.39	828.29

दिल्ली में व्हाइट लाईन एक्सप्रेस बस सेवा

7972. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में व्हाइट लाइन एक्सप्रेस बस सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेवा को किन-किन रूटों पर चलाया जाएगा;

(घ) इन बसों में क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी; और

(ङ) इस नई सेवा के किराया ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा सफेद बाडी की लकजरी बसों के लिए 100 स्टेज परमिट देने की एक योजना लागू की है।

(ग) जिन रूटों पर प्रथम चरण में ये वाहन प्रचलित किए जाएंगे, उनकी जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) इन बसों के 2×2 की आरामदायक सीटें होंगी, खिड़कियों के शीशों पर पर्दे, पंखे, आडियो सिस्टम, अग्नि शमन सिस्टम होंगे और ये बसें अन्दर से सुसज्जित होंगी। इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और इनके बस स्टाप सीमित होंगे।

(ङ) भाड़ा ढांचा निम्न प्रकार है—

8 कि०मी० तक	—	4 रु०
8 कि०मी० से अधिक	—	6 रु०

विवरण

प्रथम चरण में निम्नलिखित 20 रूटों का पता लगाया गया है।

1.	जनकपुरी	—	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
2.	जनकपुरी	—	लाल किला
3.	विकास पुरी	—	दिल्ली गेट
4.	हरि नगर	—	आई०एस०बी०टी०
5.	पश्चिम विहार	—	कनाट प्लेस
6.	शाहदरा	—	निजाममुद्दीन रेलवे स्टेशन
7.	दिलशाद गार्डन	—	नेहरू प्लेस
8.	मयूर विहार फेज-II	—	आई०एस०बी०टी०
9.	मयूर विहार फेज-II	—	केन्द्रीय टर्मिनल
10.	नोएडा सेक्टर-22	—	नेहरू प्लेस
11.	रोहिणी	—	आई०एस०बी०टी०
12.	रोहिणी	—	कनाट प्लेस
13.	पीतमपुरा	—	कनाट प्लेस
14.	वसन्त कुंज	—	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
15.	ग्रीन पार्क	—	आई०एस०बी०टी०
16.	नेहरू प्लेस	—	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
17.	वसन्त कुंज (सेक्टर—ए)	—	रेलवे स्टेशन
18.	न्यू फेंड्स कालोनी	—	केन्द्रीय टर्मिनल
19.	मेहरौली	—	शाहदरा%दिलशाद गार्डन
20.	छत्तरपुर मंदिर	—	आई०एस०बी०टी०

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई से नागपुर और नागपुर से बम्बई 1005 डाउन और 1006 अप विदर्भ एक्सप्रेस चलाई जाती है। जब से यह रेल शुरू हुई है वहां के लोगों की मांग है कि इसे प्रतिदिन चलाया जाए मगर यह प्रतिदिन नहीं चलाई जा रही है। हफ्ते में कुछ दिन चलाई जाती है, कुछ दिन नहीं चलाई जाती है। वहां यह ट्रेन पॉपुलर हो गयी है और वहां की जनता की पुरजोर मांग है कि इसे प्रतिदिन चलाया जाए। अभी लोगों ने वहां पर 27 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है।

मैं रेल मन्त्री जी से विनती करना चाहती हूं कि इसे प्रतिदिन चलाया जाए जिससे वहां की जनता को सुविधा हो और वहां जो बम्बई तक हावड़ा एक्सप्रेस जाती थी वह भी अब कुरला टर्मिनस तक जाती है। लोग गलती से कुरला स्टेशन उतर जाते हैं। उसका नाम तिलक नगर टर्मिनस रखना चाहिए, ठीक तो यह होगा कि उसको दादर तक ले जाया जाए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल 23 अप्रैल को रात पहाड़-गंज के एक रेस्टोरेंट में बम विस्फोट में 13 लोग घायल हुए। इसमें अधिकतर विदेशी टूरिस्ट थे। घायलों में 5 जर्मन, 3 पोलिस और 1 कैनेडियन हैं।

इस माह के शुरू में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कैलाश कालोनी में भी आतंकवादियों को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था। किसी पब्लिक मैन की सूचना पर वे पकड़े गए थे। आतंकवादी अपने पैर पसार रहे हैं। दिल्ली उनकी शरणस्थली बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में कई अड्डे आतंकवादियों के हैं परन्तु पुलिस उन अड्डों को ढूंढने और आतंवादियों या उनके आश्रयदाताओं को गिरफ्तार करने में पूर्णतया असफल सिद्ध हो रही है। रेस्टरेंट, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन आदि सोफ्ट टारगेट होते हैं। इस घटना में भी रेस्टोरेंट के 50 गज की दूरी पर छः टूटी चौक पर पुलिस पिकेट थी। मैं स्वयं रात को ग्यारह बजे घटनास्थल पर गया, लोगों ने मुझे बताया कि पुलिस एक घंटा देरी से आयी जबकि पुलिस पिकेट 50 गज की दूरी पर है। घायलों को स्थानीय निवासियों ने थ्री व्हीलर स्कूटर पर हास्पिटल पहुंचाया। जो उन घायलों को स्कूटर पर ले गए थे पुलिस ने उन व्यक्तियों को लाठियों से मारा। पुलिस नहीं चाहती थी कि श्रेय उन लोगों को मिले। पुलिस की लाठियों से जो मुकेश कुमार और दर्शन कुमार घायल हुए हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। दिल्ली में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लेटेस्ट एग्जाम्पल आर० के० पुरम की हवालात से दो खूंखार हत्यारों का भाग जाना है। मेरा सुझाव है कि दिल्ली सहित आसपास के राज्यों के प्रमुखों की संयुक्त बैठक बुला कर बढ़ते आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाई जाए। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण यहां अनेक वी० आई० पीज० रहते हैं। उनको इससे खतरा है। इसके लिए अतिरिक्त कुछ करना पड़े या पुलिस को साजो-सामान देना पड़े तो वह देना चाहिए। पिछली बार जब पटेल नगर में कांड हुआ था तो केन्द्रीय गृह मन्त्री ने आपके सामने यह आश्वासन दिया था कि एक महीने में दिल्ली के एम० पीज० की लॉ एंड आर्डर के बारे में मीटिंग हुआ करेगी क्योंकि दिल्ली में कोई असेम्बली नहीं है लेकिन जब से हमारे मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने एक भी मीटिंग लॉ एंड आर्डर के बारे में दिल्ली के एम०

पीज० की नहीं की है। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के एम० पीज० की एक मीटिंग हर महीने, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था, की जाए।

श्री ताराचन्द खंडेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बात है जो अभी खुराना जी ने कहा है। कल पहाड़गंज में जो बम कांड हुआ यह दिल्ली की कानून और व्यवस्था का पर्दाफाश करता है। पुलिस वहां 40 मिनट के बाद पहुंची। मैं वहां के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक-एक व्यक्ति को स्कूटरों में बैठा कर वहां भेजा। जब पुलिस के लोगों ने उनको घेरा तो उन्होंने अपना अकर्मण्यता दिखाने के लिए उन पर लाठी-चार्ज किया। आठ घंटे तक पुलिस इसको एवॉयड करती रही, यह कह कर कि यह गैस का सिलेण्डर फटा है। जब वहां मेज के नीचे बम फटा तो पुलिस 8 घंटे तक चूंकि पुलिस पर कोई आक्षेप न आए, उसने यह कोशिश की कि यह बम कांड होने की बजाय एक गैस के सिलेंडर का मालला बने। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दो महीने पहले वहां के ए० सी० पी० के साथ वहां के निवासियों की बैठक हुई जिसमें वहां के निवासियों ने कहा कि यह ऐसी व्यवस्था है कि जो विदेशी वहां रहते हैं, उनसे एक फार्म भरवाया जाता है, चूंकि पुलिस स्टेशन के सामने ही इस प्रकार के बहुत सारे होटल्स और रैस्टोरैन्ट्स हैं, जो इस तरह से आतंकवादी आते हैं, वे वहां छिप जाते हैं। अगर वह फार्म भरवाया जाता तो ऐसा कांड नहीं हो पाता। **(व्यवधान)**

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दूंगा। जब आपका दो दफा नाम बुलाया तो आप रहते नहीं हैं। फिर बाद में उठते हैं। मैं आपको एलाऊ करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, उग्रवाद की समस्या बढ़ती जा रहा है। प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं और वह कोई न कोई अखबार में आती हैं। हम इससे चिन्तित हैं। कल की पहाड़गंज की घटना में विदेशी लोग थे और उनको चोटें आई हैं तो शायद इसका ज्ञापन विश्व भर में बहुत ज्यादा होगा और जिसके परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र आज ही इसके बारे में वक्तव्य दे। आज शुक्रवार है और उसके बाद दो दिन की छुट्टी हो जाएगी। इसके बारे में सरकार ने क्या कारंवाई की है, हम यह जानना चाहेंगे ? मेरे दोनों मित्र कल वहां से हो आए है। दोनों का यह कहना है कि पुलिस पिकेट बिल्कुल निकट में है। वहां उनकी तरफ से यह कोशिश की गयी कि यह गैस सिलेंडर फटने का मामला है, यह उग्रवाद का मामला नहीं है। ऐसी बात पुलिस की तरफ से हो, यह गंभीर बात है। एक पहलू मेरी बात का यह है और दूसरा पहलू यह है कि दिसम्बर के महीने में दिल्ली के संदर्भ में विधान सभा की व्यवस्था करते हुए यह वचन दिया गया था कि 6-8 महीने में, चव्हाण साहब का यह बयान था कि हम दिल्ली में विधान सभा का चुनाव करवा देंगे। लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस सदन की समाप्ति से पहले सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि इसके बारे में क्या कारंवाई की जा रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः सरकार इस बारे में एक वक्तव्य देगी।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, कल पहाड़गंज में जो बम विस्फोट हुआ, वास्तव में यह एक गंभीर मामला है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ भी उत्तर देने से पूर्व मेरे विचार में हमें सारे तथ्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें तथ्य प्राप्त हो जाएगा तभी सरकार इस पर अपना जवाब देगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री चंदूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, दुर्ग शहर और देश की सबसे बड़ी इस्पात नगरी भिलाई, जो सबसे बड़ा असम क्षेत्र बन गया है। उसका कारण यह है कि भिलाई शहर में कल बुलडोजर से लगभग डेढ़-दो हजार झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिनको पट्टा हाजिर था, जिनको पट्टा मिला हुआ था झुग्गी-झोंपड़ी में रहने का, उनके भी वहां पर बुलडोजर चलाने लगे। हमारे वहां के एक बहुत बड़े श्रमिक नेता और भूतपूर्व विधायक, श्री रवि आर्या, लगभग 20-25 वहां की महिलाएं, युवकों और अन्य लोगों पर बहुत लाठी चार्ज हुआ, जिसके कारण सब के सब, रवि आर्या वगैरह आज अस्पताल में हैं। उसके बाद आज भिलाई में पूरा शहर बन्द है। बन्द का आह्वान किया गया हैं। वहां पर पुलिस राज बहुत जोरों से चल रहा है और वहां पर बुलडोजर से झुग्गी-झौंपड़ियों को गिराने का प्रयत्न चल रहा है। इतना ही नहीं, दुर्ग शहर में वहां के नवयुवकों ने सोचा कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ काम करना चाहिए और जब वहां के युवकों ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोशिश की, तो वहां कुछ असामाजिक तत्व बन्दूकधारियों ने उनके विरुद्ध षड्यन्त्र किया। इस कारण वहां एक युवक नेता, श्री वीरभद्र सैंगर तथा अन्य लोगों को लाठी से पीटा गया, जिसकी वजह से वहां लोग अस्पताल में हैं। वहां दुर्ग शहर के तमाम नागरिकों ने सर्वदलीय सम्मेलन किया और उसके बाद वे सबके सब क्लैक्टर के पास गए। उनसे अनुरोध किया, चूंकि वहां पर पुलिस का राज है, आप तीन-चार कदम उठाइए।

पहली बात तो यह है कि वहां के असामाजिक तत्व, जिनको सभी लोग जानते हैं,* हैं और एक मध्य प्रदेश के हैं, सुप्रिन्टेंडेंट आफ पुलिस के लड़के हैं, इन लोगों ने वहां के युवकों को बहुत बुरी तरह से पीटा। नाले पर पीटा और वहां से घसीट कर घर पर ले आए और वहां भी कुटाई की। ... (व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) : आपको भिलाई घटना की पूरी जानकारी नहीं है...। (व्यवधान) ...

श्री चंदूलाल चंद्राकर : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।... (व्यवधान)...

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पट्टे दिए जा रहे थे, कांग्रेस

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लोगों ने वहां उत्पाद किया और गड़बड़ी मचायी गयी।···(व्यवधान)···राज्य सरकार ने तो वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी है···(व्यवधान)···

श्री चंदूलाल चंद्राकर : बार-बार टेलीफोन आने से तथा उनके रिश्तेदारों ने इन लोगों की ज्यादा कुटाई की है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और आपके जरिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि* और उनके साथी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कलैक्टर तक गए हैं बन्दूक का लाइसेंस है और 20-25 असामाजिक तत्व लेकर साथ चलते हैं ···(व्यवधान)···तीन साल से वहां कोई भी ठेकेदारी नीलाम होती है, तो बन्दूक की नोक पर होती हैं। ऐसे असामाजिक तत्व* और उनके साथियों को न केवल जिलाबदर किया जाए, बल्कि पांच सौ किलोमीटर दूर भेज दिया जाए। जिलाबदर का मतलब यदि पांच, छः, सात किलोमीटर की दूरी तक है, तो फिर वे आ जाएंगे···(व्यवधान)···

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : जिला बदर करने की कार्यवाही राज्य सरकार करेगी। ···(व्यवधान)···

श्री चंदूलाल चन्द्राकर : श्रमिक नेता और भूतपूर्व विधायक जख्मी हो गये हैं। वहां के अधिकारी एक्शन लेते हुए डरते हैं, किसी दिन हमारे यहां ये आई० जी० होकर आ जाएंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का अनुरोध किया है, मेरा खुद का अनुरोध नहीं है। इन लोगों ने कलैक्टर से अनुरोध किया है कि*को वहां से हटाइए और इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए ···(व्यवधान)···

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : यह सही नहीं है। भिलाई के बारे में मुझे ज्ञान है। ···(व्यवधान)···आपने आई० जी० के लड़के का नाम लिया है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के बारे में सरकार ने पूरा इन्तजाम कर रखा है।···(व्यवधान)···

श्री चंदूलाल चंद्राकर : सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस को हटाए जाए।···(व्यवधान)···इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।···(व्यवधान)···

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : यह बिल्कुल उचित नहीं है।···(व्यवधान)···

श्री चंदूलाल चंद्राकर : झुग्गी-झोंपड़ियों को बुलडोजर से बरबाद न करें।···(व्यवधान)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जिन अफसरों के नाम लिए हैं, वे रिकार्ड से हटा देने चाहिए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकार किया जाता है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह ज्ञात हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की जांच के लिए गठित तेलंगाना की राज्य जांच समिति को भंग करके एक नयी समिति गठित की गयी है जिसमें श्री शरीफ, श्री कोदतिनारायण राव और कर्नाटक के कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

मैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के उन लोगों का सम्मान करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। निजाम सरकार के विरुद्ध अधिकतर सशस्त्र संघर्ष तेलंगाना क्षेत्र में ही हुआ था। स्वतंत्रता संघर्ष का यह निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य है।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले से चल रही राज्य जांच समिति के भंग करना और नई समिति गठित करके उसमें केवल सत्तापक्ष के लोगों सदस्य के रूप में शामिल करना अत्यन्त निंदनीय, मनमाना, आलोकतांत्रिक व्यवहार है और इस निर्णय का उद्देश्य जाली मामलों को आराम से शामिल होने का अवसर देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह खुला सत्य है कि उन सभी मंजूरी प्राप्त मामलों में साठ प्रतिशत मामला जाली है।

अब नवगठित समिति, जो कि मनमानी और अलोकतांत्रिक है और अधिक जाली मामलों को शामिल होने का खुला अवसर प्रदान करेगी। इससे तेलंगाना के हजारों वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अन्याय होगा, जिन्होंने उग्र एवं ऐतिहासिक निजाम विरोधी सशस्त्र संघर्ष में हानि उठाई थी।

अत: केंद्र सरकार से मेरा यह एक मात्र निवेदन है कि तेलंगाना क्षेत्र के लिए एक पृथक जांच समिति गठित की जाए जिसमें सभी दलों विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भा० क० पा०) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) को प्रतिनिधित्व दिया जाए और दूसरे, जाली मामलों के विरुद्ध जांच कराई जाए और सभी जाली स्वतंत्रता सेनानी मामलों को निरस्त किया जाए और वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति न्याय किया जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं श्री रेड्डी के विचार से पूरी तरह सहमत हूं। यह सर्वविदित है कि तेलंगाना संघर्ष कम्युनिस्टों द्वारा चलाया गया था। भा० क० पा० एवं मा० क० पा० (मा०) के प्रतिनिधियों को समिति में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जो तेलंगाना संघर्ष से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में विशेषकर मांडला जिले में सूखे की भयावह स्थिति है। ऐसी भयावह स्थिति है कि···**(व्यवधान)** निवास तहसील के ग्राम सतोकलां में एक आदिवासी महिला इन्दोबाई की मृत्यु हो गई है। बार-बार हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, आंदोलन किया है और चक्का-जाम किया है। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लोग पेट भरने के लिए गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस पर महिला की मृत्यु होने पर वहां की सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मेरा निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाए।···**(व्यवधान)**

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान निजामुद्दीन पुल की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह निजामुद्दीन पुल 21-4-92 को धराशाही हो गया। उस पुल को बने हुए बस दस-बारह साल हो गए हैं और एक साल तक वह बंद रहा, उस पर कोई भी चल नहीं सकता था। उसकी दोनों साइड बिल्कुल टूट गई हैं और बहुत गड्ढा हो गया है। क्या हमारे अधिकारियों का यह कर्तव्य हो गया है। सी० बी० आई० की उसमें जांच होनी चाहिए। इस पुल को उड़वा दें। उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने पांच करोड़ रुपया सैंक्शन किया है।··· (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। उसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। वह पुल इस काबिल नहीं है कि उस पर चला जा सके। उस पुल के बराबर नए पुल का निर्माण होना चाहिए। आप देखिए, यमुना पुल दो सौ साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। उस पर कितनी सवारियां चली गईं और आज भी उस पर रेल चलती है और वह खड़ा हुआ है। वह नहीं गिरा है। कितनी जनता यमुनापार रहती है, जो डेली यहां पर काम करने के लिए आती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जरूरी है कि मैं प्रतिदिन आपको यह बताऊं कि मैं एक व्यक्ति के बाद ही दूसरे को बोलने का मौका दूंगा ? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि एक सदस्य बोल रहे हैं ? ऐसा कब तक चलेगा ? मुझे प्रतिदिन आपको यह बताना पड़ता है कि आप क्रम से एक के बाद एक ही बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : मेरा अनुरोध है कि इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाये और जो अधिकारी दोषी पाये जायें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कारंवाई करके उनको सख्त सजा दिलाई जाये।

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच चलने वाली एकमात्र सुपर फास्ट गाड़ी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है। इस ट्रेन में प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा करते हैं। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर ढाई बजे चलती है और 36 घंटे के बाद दूसरे दिन आधी रात को हैदराबाद पहुंचती है। जैसा कि सर्वविदित है देश में रेल गाड़ियां, विशेषकर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां बहुत देर से चलती हैं। जब यह गाड़ी दूसरे दिन आधी रात को हैदराबाद पहुंचती है तो स्टेशन से यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती। कई कर्मचारी दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए इस गाड़ी को पकड़ते हैं और दो कीमती दिन इस रेलगाड़ी में नष्ट हो जाते हैं। हमने कई बार संसद में और रेल विभाग से सम्बन्धित सदन की समितियों में भी इस सवाल को उठाया है, लेकिन इस गाड़ी के छूटने का समय अभी तक नहीं बदला गया है। इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली से दिन के ढाई बजे के स्थान पर सुबह 6 बजे रवाना हो। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार इस पर विचार करेगी और हजारों यात्रियों की इच्छा को पूरा करेगी।

*श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान फिरोजपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि पंजाब का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। जहां यह पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है वहां उस इलाके में सतलुज नदी भी बहती है। फिरोजपुर जिले के लोगों की समस्यायें पंजाब के बाकी लोगों की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं। मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना आवश्यक समझता हूं। फिरोजपुर जिले में सीमा पर जो कांटेदार तार लगाई गई हैं, उसके बारे में सरकार ने पालिसी बनाई थी कि तार इण्टर नेशनल लाइन से 50 गज पीछे लगाई जाएगी और जहां बार्डर टेढ़ा-मेढ़ा है वहां तार 150 गज पीछे की ओर लगाई जाएगी। लेकिन सरकार की इस नीति को अनदेखा करके तार 50 गज की बजाए, डेढ़ कि० मी० अन्दर की ओर लगाई गई है और इस कारण हजारों एकड़ भूमि तार के उस पार चली जाती है। किसानों को खेती करने के लिए उस तार के पार जाना पड़ता है। वहां बी० एस० एफ० के लोगों द्वारा उनकी तलाशी ली जाती है। गेट सुबह आठ बजे खोले जाते हैं और उसके बाद शाम के छ: बजे तक गेट बंद रहते हैं। जहां लोग खेती करने के लिए जाते हैं वहां उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे किसी को दो घंटे का ही काम क्यों न हो, फिर भी उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह तार के बाहर सारा दिन बैठना पड़ता है। यह लोगों पर ज्यादती है, बेइन्साफी है। इस तरह की तंगी का सामना तो सीमा पर रहने वाले लोगों को अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं करना पड़ा। दूसरी प्राब्लम यह है कि जिन लोगों ने देश की सबसे बंजर धरती और जंगलों को आबाद किया है, नदियों पर बांध बांधे, धरती को समतल किया, आज केन्द्रीय सरकार ने उन लोगों की जमीनों की बोली लगाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है, जो लोग खेती करते हैं, अगर उन लोगों की जमीन की सरेआम बोली लगा दी गई, तो पैसे वाले लोग बोली देकर जमीन खरीद लेंगे। लेकिन जब भूमि उन लोगों से छीनी जाएगी, जिनके अब यह कब्जे में है, तो लड़ाई-झगड़े, दंगे बढ़ेंगे। स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनका इस पर कब्जा है, ताकि लोगों में किसी तरह की परेशानी या बेचैनी न हो। एक प्वाइंट मैं बार्डर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यानि "एजुकेशन" के बारे में उठाना चाहता हूं। सीमा के लोगों को शिक्षा बिल्कुल नहीं प्रदान की जा रही। शेष पंजाब में 46 सरकारी कालेज हैं लेकिन जिला फिरोजपुर में एक भी सरकारी कालेज नहीं खोला गया। यह फिरोजपुर जैसे एक पिछड़े क्षेत्र के साथ ज्यादती है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार फौरी तौर पर इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें और उन्हें दूर करने के लिए कोई उपाय करे ताकि लोग इस परेशानी से बच सकें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे शून्य-काल के समय बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में जानकारी मिली है कि कालाहांडी जिले के कोमाना ब्लाक के खंडेथारे गांव में अविवाहित युवतियों को—मुम्बई के रेड-लाईट एरिया में बेचा गया। यह अत्यन्त दुखद बात है। इससे मात्र बोलंगीर और कालाहांडी जिलों के सम्मान को ही धक्का नहीं पहुंचता है बल्कि यह राष्ट्र के सम्मान को भी क्षति पहुंचाता है। बोलंगीर संसदीय क्षेत्र में कृषि व्यवस्था के विफल होने से इन क्षेत्रों में सूखा और पेयजल की नितान्त कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के अभाव के

* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कारण वहां के लोग, महिलाओं सहित अमानवीय जीवन जीने के लिये बाध्य हो गए हैं। यह मामला हिन्दी और अंग्रेजी समाचार-पत्रों में भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह समाचार-पत्रों पर आधारित तथ्य है या और किसी अन्य माध्यम से सूचना मिली है ?

श्री शरत चन्द्र पटनायक : मुझे ग्रामीणों से पत्र प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया आगे बोलिये।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : यह हिन्दी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को छोड़िये। आपके पत्र अधिक महत्वपूर्ण हैं।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : इन जिलों के उच्चाधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा राज्य के अन्य उच्चाधिकारियों को भी ज्ञापन दिया था। लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उड़ीसा की राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य ऐसे अमानवीय कृत्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इन अमानवीय स्थितियों पर रोक लगाने के लिये जनता की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस क्षेत्र में महिलाओं के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में राज्य के मामलों में वह हस्तक्षेप करे और उड़ीसा के इस पिछड़े क्षेत्र के लिये कुछ करे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से जो करेंसी नोट 20, 10 और 5 के जारी किये जाते हैं, जिनको मैं बैंकों से लेकर आया हूं और ऐसे सिक्के भी मेरी जेब में हैं—5, 10, 20, 50 पैसे और एक रुपये के सिक्के हैं—जिनके बीच में इनके पहले की सीरिज में······दलबीर सिंह जी आ गये हैं, मेरी इस बात की ओर ध्यान देंगे कि जो करेंसी नोट्स हैं····· बीच की सीरिज ए, सी और एस सीरिज से लेकर बीच की सीरिज में हमारे राष्ट्र का जो राजचिन्ह है और जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" लिखा होता है···यह भारत सरकार के आर्डर···इज रिलेटिंग टू दॉ स्टेट एम्बलस ऑफ इण्डिया···के मान से जिनमें उल्लेख किया है···

[अनुवाद]

यह मंत्र वाक्य "सत्यमेव जयते" अर्थात् "केवल सत्य की विजय होती है" देवनागरी लिपि में सिंह के चित्र के नीचे लिखा होता है जोकि हमारे राष्ट्र का राज चिन्ह है। यह मंत्र वाक्य मंडूक उपनिषद से उद्धृत है।

[हिन्दी]

यह पार्ट एण्ड पार्सल है। जो अशोक का चिन्ह है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा ही आना चाहिये···यह आर० बी० आई० की प्रैस कम्युनीक है। इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इस "सत्यमेव जयते" के बिना वे नोट गैर-कानूनी हो जाएंगे। इस तरह के नोट भारत सरकार की ओर से चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार ये सिक्के और नोट गैर-कानूनी होते जा रहे हैं। इस प्रकार की सीरिज के कई नोट मेरे पास हैं। यह आर्डर इज रिलेटिंग टू दॉ स्टेट एम्बलम ऑफ इण्डिया 1950 का है।

[अनुवाद]

भारत के राजचिन्ह, 1950 के संबंध में आदेश हैं।

[हिन्दी]

उसके नीचे यह दिया गया है और इसमें अपेंडिक्स 1 और 2 दिया गया है जिसमें अशोक चिन्ह के नीचे "सत्यमेव जयते" लिखा हुआ है। उसका क्या डिजाइन रहेगा यह भी अपेंडिक्स 1 और 2 में दिया गया है। उसको बदला नहीं जा सकता, न उसको हटाया जा सकता है और यदि अशोक चिन्ह के नीचे "सत्यमेव जयते" नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह गैर-कानूनी है।···(व्यवधान)···जाली नोट इसको नहीं कह सकते हैं, नकली भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह भारत सरकार की इच्छा से चल रहे हैं। ये नोट गैर-कानूनी हैं। इसलिए किसकी इच्छा से यह हो रहा है, ये सिक्के और नोट जो गैर-कानूनी चल रहे हैं और भारत सरकार का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है, इसलिए इन सब सिक्कों और नोटों को गैर-कानूनी घोषित करना चाहिए और जिनके पास ये हैं, उनको सरकार विदड्रॉ करे और नए नोट दे। क्या सरकार इस बात का आदेश देगी कि भविष्य में इसका उल्लंघन नहीं होगा ?

इसके साथ मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि "सत्यमेव जयते" उसमें लिखा जाना चाहिए, यह सरकार ने माना है। इसका अर्थ यह भी होता है कि वह पढ़ा जाना चाहिए। इतने बारीक अक्षरों में नहीं लिखा जाए कि वह पढ़ा नहीं जाए। मेरे पास ऐसे सिक्के और नोट हैं जिनमें नाममात्र के लिए यह लिखा रहता है और पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए कानून यह कहता है कि यह पढ़ा जाना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर बयान देना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि उसके नीचे वह इतने बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि वह पढ़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप उसको रिपीट मत कीजिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। अभी पिछले पखवाड़े में प्रकृति के प्रकोप से बिहार के उत्तरी भाग में और उत्तरी बिहार में लगभग 25 से 30 हजार के बीच घर अग्नि में जलकर राख हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर बिहार में कम से कम 100 लोग जलकर मर गए हैं और ऐसे ही भैंस, बकरी, गाय,

मुर्गा-मुर्गी लगभग हजारों-हजार की संख्या में जल गए हैं। करोड़ों रुपए की सम्पत्ति जलकर राख हो गई है। वहां पर खलिहान में भी फसलों को काट कर रख दिया गया था, वे सब जल गए हैं। अरबों की बरबादी पूरे उत्तरी बिहार में हुई है। मैं बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से आता हूं। केवल मेरे जिले में लगभग 5,000 घर जले, मैं वहां विद्यमान था। सभी जगह जाने का काम मैंने किया है। लगभग 22 लोगों की जानें गई हैं और अरबों रुपए की सम्पत्ति जलकर राख हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो रिलीफ बोर्ड है, यह जा सहायता समिति बनी हुई है, अभी महंगाई गगनचुंबी हो रही है, आकाश को छू रही है। 60 से 70 और 70 से 100 रुपए फूस के घर बनाने में बांस का दाम हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिए भारत सरकार से कि जो बरसों पुराना यह रिलीफ बोर्ड है जिसमें जो रिलीफ की व्यवस्था की गई है, इस रिलीफ को मान सकते हैं कि "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान ही यह व्यवस्था है। इसलिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि सैकड़ों बरस पुराने इस रिलीफ बोर्ड को बदलकर नए सिरे से समीक्षा करके आज के पैमाने पर महंगाई को देखते हुए रिलीफ बोर्ड की व्यवस्था की जाए ताकि गरीबों को, जिनका घर जलता है, बाढ़ में बह जाते हैं, प्राकृतिक आपदा में लोग बरबाद होते हैं, वह समस्या हल हो सके। इसके साथ ही मैं आपके जरिए भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर बिहार में अरबों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, उसका सर्वेक्षण भारत सरकार कराएगी और बड़े पैमाने पर भारत सरकार बिहार सरकार को राहत के रूप में सहयोग करने का काम करेगी ?

[अनुवाद]

श्री हराधन राय : महोदय, 22 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2529 के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से इंकार किया है। मैं बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफैक्टरी एंड सीरेमिक यूनिट्स का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो भारत भारती उद्योग निगम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जहां विगत दस वर्षों से वेतन पुनरीक्षण किए जाने से इंकार किया गया है। यहां तक कि बी० पी० ई० आदेश, जो कि 8-9-1987 को परिचालित किया गया था, के तहत अंतरिम राहत नहीं दी गयी है, यद्यपि अंतरिम राहत के साथ वेतन पुनरीक्षण किया गया था और मुख्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं इन यूनिटों के प्रमुखों के मामले में इसे कई बार लागू किया गया।

महोदय, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26-7-1991 के अपने आदेश एवं निर्णय के द्वारा चार सप्ताह के अन्दर इन कार्मिकों को अन्तरिम राहत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। प्रबन्धन ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की और कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने पुन: 28-11- 1991 को एक आदेश और निर्णय दिया तथा प्रबन्धन से अपील को खारिज कर दिया। अत: मैं यह मांग करता हूं कि बर्न स्टैंडर्ड लिमिटेड के रिफैक्टरी एण्ड सीरेमिक ग्रुप के कार्मिकों को अविलम्ब अन्तरिम राहत राशि का भुगतान किया जाये। ताकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान हो। मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि भारती

उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष को यह आदेश दें कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्तरिम राहत सम्बन्धी आदेश और निर्णय को लागू करें।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि स्टोव के फटने से 91 महिलाओं की मृत्यु हुई। यह भी बताया गया कि यह संख्या अधिकतम नहीं है। विगत वर्षों और मृत्यु की घटनाएं हुई हैं। मेरे विचार में यह अत्यन्त चिंताजनक मामला है और इसकी गहन जांच करने की आवश्यकता है और वास्तव में इनमें से कई मामलों के बारे में उनके रिश्तेदारों ने न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी शिकायत की हैं कि इन महिलाओं के मृत्यु के सम्बन्ध में उन्हें शंका है। अत: मेरा यह सुझाव है कि किसी विशिष्ट दल अथवा एजेंसी द्वारा दिल्ली में स्टोव फटने से इतनी बड़ी संख्या में हुई मृत्यु के कारणों की तहकीकात करें। मेरे विचार में ऐसी घटनाएं केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर हो रही हैं। मेरे विचार में यह या तो स्टोवों के निम्न कोटि के निर्माण के कारण हो रहा या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। मेरे विचार से इस मामले में एक संपूर्ण जांच होनी चाहिए। मैं यह मामला सभा और सरकार के दोनों के समक्ष रख रहा हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में गंभीर कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई दूरदर्शन के चैनल 2 से प्रसारित होने वाले गुजराती भाषा के कार्यक्रमों के समय और फिक्वेंसी में भारी कटौती कर दी गयी है, और इस सम्बन्ध में, मैं जनहित मे अति आवश्यक सवाल को इस सदन में शून्य काल के दौरान उठाना चाहता हूं।

मुम्बई दूरदर्शन के दूसरे चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मुम्बई शहर और उसके आसपास रहने वाली जनता के लिए होते हैं जिसमें 35 प्रतिशत गुजराती लोग हैं, जो महाराष्ट्रीयन समुदाय के बराबर ही है। इसी कारण आरम्भ से मुम्बई दूरदर्शन बड़ी संख्या में गुजराती भाषा के प्रोग्राम प्रसारित करता रहा है परन्तु हाल ही में इन गुजराती भाषा के प्रोग्राम्स के समय और फिक्वेंसी में, जो दूसरे चैनल से प्रसारित होते रहे हैं, भारी कटौती कर दी गयी है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और अति लोकप्रिय कार्यक्रम भी थे—जैसे "आवो मारी साथे", "सपनान सरजक", "संता कुकड़ी", "पारिजात", 'मौज-मजा", और काव्य संध्या जैसे सीरियल और नाटकों का समय पहले से 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे गुजराती लोगों को धक्का लगा है। मेरी मांग है कि सूचना और प्रसारण मंत्री जी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर, इन सभी गुजराती भाषा के प्रोग्रामों के प्रसारण समय को पूर्ववत् करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार के ध्यान में एक बहुत ही गंभीर विषय लाना चाहता हूं जो कि दार्जिलिंग में घटित हो रहा है। श्री सुभाष घीसिंग, जो जी० एन० एल० एफ० के सर्वोच्च नेता और गोरखा पर्वतीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ने यह कहते हुए दार्जिलिंग के दर्जे के बारे में सवाल उठाया है कि दार्जिलिंग ने तो भारत का ही एक हिस्सा है

वहीं नेपाल का हिस्सा है। गृह मंत्री के साथ दिल्ली में बातचीत के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने लोगों को 12 मार्च से लगातार 12 दिनों तक अपनी जीत मनाने के लिए कहा था। मुझे यह नहीं मालूम है कि किसलिए वह यह जीत का दिन मना रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि श्री सुभाष घीसिंग ने नेपाल के प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं कि क्या वह ये दावा कर सकते हैं कि दार्जिलिंग अराजक भूमि है और उन्होंने यह भी प्रश्न किया कि यह न तो भारत का ही हिस्सा है न ही नेपाल का हिस्सा है।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि परसों 22 अप्रैल का पश्चिम बंगाल विधान सभा के जी० एन० एल० एफ० से सम्बद्ध दो विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया। इस तरह वह दार्जिलिंग में बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण में एक समाचार छपा है कि एक जी० एन० एल० एफ० के नेता ने स्पष्ट किया है कि अराजक भूमि का मतलब है कि यह संघ शासित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। मैं नहीं जानता कि उनका इससे क्या तात्पर्य है। इस तरह तो विभिन्न प्रकार के वक्तव्य देकर और कई प्रकार के तरीके अपना कर वह दार्जिलिंग में समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह केवल पश्चिम बंगाल की ही समस्या नहीं है बल्कि यह भारत की समस्या है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। और इस तरह वह इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक समस्या पैदा हो जायेगी।

यह बहुत गंभीर विषय है, अतः मेरी मांग है कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के पटना और हाजीपुर के बीच में एस० टी० डी० सेवा को लोकल कॉल में परिणत करने के सवाल पर इस सदन में अर्ज करना चाहता हूं।

पटना के बिलकुल बगल में हाजीपुर शहर बसा हुआ है जिसका एरियल डिस्टेंस 20 किलोमीटर से भी कम है—जबकि विभागीय नियम है कि जिन दो शहरों के बीच जिसका एरियल डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम होगा वहां लोकल कॉल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विभागीय नियम होने के बावजूद हाजीपुर और पटना के बीच में एस० टी० डी० से सम्पर्क करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से दूर संचार मन्त्री महोदय से मांग करूंगा कि नियम होते हुए भी स्थानीय कॉल का न होना यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अतः अविलम्ब पटना और हाजीपुर के बीच में एस० टी० डी० सेवा को लोकल कॉल में परिणत कराया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अवसर दूंगा। आपको हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या भ्रष्टाचार को मान्यता दे रही है ?

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र को लूटने के लिए पुरस्कार देना—आर० सी० एफ० के अध्यक्ष जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से डरे हुए हैं, को आरोप पत्र दिया गया लेकिन···

[हिन्दी]

करोड़ों रुपयो का जिन्होंने घोटाला किया है, जिनके ऊपर सी० बी० आई० की इंक्वायरी चल रही है, जिसके पीछे सी० बी० आई० ने चार्ज लगाए हैं और उनको वापस नहीं लिया है, उन्हीं,··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप किसी अधिकारी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। इसको रिकार्ड न किया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। हम अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर चर्चा नहीं करते हैं।

यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिंदी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या इसको म्युनिसिपैलिटी समझ रहे हैं या ग्राम पंचायत समझ रहे हैं। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ ऐसे मामले यहां नहीं उठाए जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

[हिंदी]

आप मेरे पास आइए मैं बता दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रहने दीजिए।

[अनुवाद]

मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरे कक्ष में आइए। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि वह इस पर गौर करें।

[हिंदी]

श्री राम प्रसाद सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके की जनता के दुख-दर्द और पीड़ा को बताना चाहता हूं। आरा से सासाराम, पेजलेजा, डेरी होते हुए रोहतास तक एक छोटी लाइन चला करती थी। लेकिन 1977 से पहले उस लाइन को यह कह कर उखाड़ दिया गया कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा। 1983 में भारत सरकार द्वारा सर्वे भी करवाया गया, रिपोर्ट भी है, आरा से सासाराम, पेहलेजा, नोहट्टा, रोहतास, भवनातपुर और बिलासपुर तक 300 किलोमीटर तक का प्रावधान भी सरकार का था लेकिन आज तक उक्त रेल लाइन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस लाइन का सर्वे करवा कर यथाशीघ्र जनहित में निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान एक गंभीर स्थिति की तरफ दिलाना चाहूंगा।

जैसे कि आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा डालर के आंशिक रूप से परिवर्तनीय किये जाने की घोषणा से आयातित दवाइयां अधिक महंगी हो गयी हैं। इनकी कीमतें आकाश छू रही हैं।

यह इसलिए हुआ क्योंकि 29 फरवरी को यह घोषणा की गयी थी कि जीवन रक्षक दवाइयों को केवल सरकारी दर पर ही आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

यह भी घोषणा की गयी थी कि वित्त मन्त्रालय इस तरह से आयात की जाने वाली 200 दवाइयों की सूची तैयार करेगा।

चूंकि वे इस सूची को जारी नहीं कर पाये हैं अतः बैंक डालर के ऐवज में केवल बाजार मूल्य ही ले रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप कैंसर के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों सहित आयातित दवाइयों की कीमतें आकाश छू रही हैं।

मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा कि वह इस मामले में यथाशीघ्र हस्तक्षेप करे और इस स्थिति में सुधार लाएं।

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मुझे इसका पूरा ध्यान है। मैं केवल एक शुद्धि करना चाहता हूं।

जीवन रक्षक दवाइयां बाजार दर पर किसी लाइसेंस के लिए आवेदन किए बगैर आयात की जा सकती है।

यदि आप सरकारी दर पर चाहते हैं तो आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

वह सूची अभी तैयार की जानी है। वस्तुत: स्वयं मैंने भी इस सम्बन्ध में अप्रसन्नता जाहिर की थी क्योंकि इस सूची को बनाने में कुछ विलम्ब हुआ है।

लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह सूची जल्दी ही तैयार कर दी जायेगी और हम इस समस्या पर गौर करेंगे।

हम पूरी तरह से इस समस्या से अवगत हैं। जीवन रक्षक दवाइयां हमेशा बाजार मूल्य पर आयातित की जा सकती हैं।

श्री रूपचंद पाल : जीवन रक्षक दवाइयों की यह सूची तुरन्त तैयार कर दी जानी चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस समस्या से पूरी तरह से अवगत हूं।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक लोक महत्व के प्रश्न को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के समक्ष उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसकी शिक्षा का अनुपात मात्र सत्ताइस प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण साधनों की कमी और आर्थिक अभाव ही रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सारभौमीकरण और निरक्षरता को समाप्त करने के लिए दिनांक एक अप्रैल इक्यानवे को केन्द्रीय शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से विचार किया गया कि स्पैशल इनवैस्टमैंट प्रोग्राम के आधार पर एजूकेशन फार आल उत्तर प्रदेश नाम की योजना की संरचना की जाए। तत्पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया और एजूकेशन फार आल उत्तर प्रदेश योजना को अन्तिम रूप देकर दिनांक बारह अगस्त इक्यानवे को उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करके केन्द्र सरकार के पास इस विनम्र निवेदन के साथ भेज दिया कि केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के पास आर्थिक सहायता के लिए भेजे। परन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार ने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्व बैंक के पास नहीं भेजा है। अर्थाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में शिक्षा का कार्य रुक गया है। सरकार को इससे एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह एजुकेशन फॉर ऑल उत्तर प्रदेश योजना को अविलम्ब विश्व बैंक के पास आर्थिक सहायतार्थ भेज दें ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को शीघ्र ही सहायता उपलब्ध हो और शिक्षा का विकास होकर निरक्षरता का अभिशाप समाप्त हो सके। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको तुरन्त भेजें। आपने बोलने का जो समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: आप एक माननीय

सदस्य के बोलने के बाद उनकी पुष्टि में दूसरे सदस्य को अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस पर बल देना चाहूंगा। विश्व बैंक उत्तर प्रदेश की सहायता करने के लिये तैयार है, लेकिन केन्द्रीय मंत्रालय इसमें आड़े आ रहा है। हमारा यह संदेह करने का पूरा कारण है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है। जो विवरण माननीय सदस्य ने रखा है, उससे स्पष्ट है कि वह विवरण तथ्यों पर आधारित है और सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की गई है। विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में साक्षरता के प्रसार के लिये और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये बड़े पैमाने पर मदद देने के लिये तैयार है, लेकिन मामला मानव संसाधन मंत्रालय में खटाई में पड़ा है। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी का ध्यान इस ओर दिलायें और इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दिलवायें।

[अनुवाद]

श्री कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, यह उड़ीसा में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में है। जो पैसा केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी किया है वह समुचित ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यान्वयन के मानकों का सही ढंग से अनुसरण नहीं किया गया है। संसद सदस्य के सुझावों और सिफारिशों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राम स्तर की समितियों की सिफारिशों की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है। योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। आवश्यक परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है। किसी भी चीज को पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया जाता है। आरोपों की ठीक ढंग से जांच नहीं की जाती है। पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है।

अतः महोदय, मैं आपके जरिये माननीय प्रभारी मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह इस कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठायें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का महत्व सारे देश के अन्दर बहुत बड़ा माना गया है। नया शिक्षा वर्ष शुरू हो रहा है लेकिन आज स्कूलों के अन्दर गरीब लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती है। मां-बाप बच्चों की एडमिशन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। छोटी-मोटी शिक्षण संस्थाओं में भी डोनेशन देकर एडमिशन मिलता है। गुजरात के अन्दर जिस तरह कालेज में एडमिशन के लिये जनरल लिस्ट बाहर निकाली जाती है, उसी तरह प्रत्येक राज्य के अन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसी तरह की एडमिशन लिस्ट बनाई जाये जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को सही जगह में एडमिशन मिल सके। इससे उनके मां-बाप को मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी और बच्चों को भी सही शिक्षा मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित एक बहुत गंभीर मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। कुछ कामगारों के आन्दोलन की वजह से, जो कि पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं में कार्यरत हैं, अब विजयवाड़ा और आस-पास के क्षेत्रों में डीजल का भंडार सबसे कम स्तर पर आ गया है। यह

वह समय है जब इसका अधिकतम उपभोग होता है। आज, कृषि उत्पाद, मत्स्य उत्पाद, समुद्री उत्पाद के साथ-साथ अन्तर्देशीय मछलियां, जो भी पकड़ी जाती हैं उन्हें देश के विभिन्न भागों जैसे, मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य स्थानों में भेजा जाता है। इस भण्डारण से परिवहन की गंभीर समस्या पैदा हो जायेगी और परिणामस्वरूप इससे ये वस्तुयें नष्ट हो जाती हैं क्योंकि वे सभी नष्ट होने वाली वस्तुयें हैं, वे नष्ट हो जायेंगी और उनकी कीमतें घट जायेंगी।

अत: महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाये ताकि डीजल का भण्डारण आवश्यकता के अनुरूप बरकरार रखा जा सके।

महोदय, एक बार फिर आपके जरिये मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1990 में ऋण राहत योजना घोषित की थी, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकों को कुल 644 करोड़ रुपए का क्लेम्स मिलना था। अब तक उत्तर प्रदेश के इन सहकारी बैंकों का क्लेम लगभग 390 करोड़ रुपए ही मिल पाया है, जबकि अन्य प्रान्तों में क्लेम 80 परसेंट से ज्यादा मिल चुका है। शेष राशि न मिलने के कारण आज उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अब तक लगभग 66 करोड़ रुपए का सहकारी बैंकों को घाटा हो चुका है और ढाई करोड़ रुपए प्रति माह सहकारी बैंक घाटा उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियां, कृषि और ग्रामीण विकास से जितने भी संबंधित बैंक हैं, ये बन्द होने की स्थिति में हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि जो क्लेम्स की शेष राशि है, बैंक की जो ब्याज दर है, ब्याज दर पर अविलंब क्लेम्स भुगतान करने का कार्य करे। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं और मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : महोदय, बंगलादेश सरकार पूर्वोत्तर के विद्रोह में लिप्त गुटों को बंगलादेश में शिविर लगाने की अनुमति देकर उनका समर्थन कर रही है।

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न गुटों और बंगलादेश तथा म्यांमार में दोनों जगह उनके शिविरों की जगहों का विस्तार से वर्णन किया है और यह सब आत्म-समर्पण किये उग्रवादियों से पूछताछ करने के बाद पता चला है। वहां इन उग्रवादियों को न केवल आश्रय मिला है बल्कि उन्हें बंगलादेश से अस्त्र-शस्त्रों में प्रशिक्षण भी मिल रहा है। कुछ मामलों में तो इन उग्रवादियों का इस्तेमाल विद्रोही बंगलादेशीय गुटों को समाप्त करने में किया जा रहा है। बोडो सिक्यूरिटी फोर्स, मेघालय यूनाईटेड लीबरेशन आर्मी, पीपुल्स लीबरेशन आर्मी आफ मणिपुर, आल त्रिपुरा ट्रायबल फोर्स आफ त्रिपुरा, नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड, यूनाईटेड लीबरेशन फ्रण्ट आफ असम, मिजो नेशनल फ्रण्ट आफ मिजोरम आदि ने बंगलादेश में अपने शिविर लगाये हैं और बंगलादेश सरकार की सहायता से किसी भी उपयुक्त अवसर पर हमला करके हमारे देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने पर तुले हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बंगलादेश की सरकार के विरुद्ध कोई निश्चित कदम उठाना चाहती है ताकि वे इन विद्रोहियों को सहायता न दें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर साहब, तीन हफ्ते हुए हैं, चंडीगढ़ में पंजाब हाई कोर्ट के सादिक जज, श्री अजित सिंह बेन्स, को गिरफ्तार किया है, उनके अपने घर से। वे

दिल के मरीज हैं और उनके लिए दवा ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। उन्हें हैंडकफ किया गया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि हाई कोर्ट के जज को आम तौर से गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए। एक मुजरिम को भी हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए, जब तक कि उसकी जरूरत न हो और डर इस बात का न हो कि वह भाग जाएगा। जस्टिस बेन्स उनकी जो भी सर-गर्मी रही, वे एक जानी-मानी शख्सियत हैं और पंजाब में जाने जाते हैं।

1.00 म० प०

वहां की ह्यूमन राइट्स आरगेनाइजेशन के सदर हैं और उनकी गिरफ्तारी से पंजाब की जनता को बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं यह समझता हूं कि पंजाब के दिल पर जो जख्म हैं, वे और गहरे हो गए हैं। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के नामी अखबारों के लिखने वालों ने, जिनमें श्री पटवंत सिंह और श्री निखिल चक्रवर्ती तथा दूसरे लोग शामिल हैं, ने भी इसकी मजम्मत की है। मैं आपके जरिए हकूमत पंजाब से यह अपील करना चाहता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, वे बीमार हैं और वे अपने तरीके से एक ढंग से अवामी खिदमत का काम कर रहे हैं, उन्हें आजाद करें।

[جناب سید شہاب الدین (کشن گنج) : اسپیکر صاحب تین ہفتے ہوئے ہیں چنڈیگڑھ میں پنجاب ہائی کورٹ کے سابق جج شری اجیت سنگھ بینس کو گرفتار کیا گیا۔ انکے اپنے گھر سے۔ وہ دل کے مریض ہیں اور ان کے لئے دوا لے جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی انہیں ہینڈ کف کیا گیا۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کی رولنگس ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کو عام طور سے گرفتار بھی نہیں کرنا چاہئیے اور ایک مجرم کو بھی ہتھکڑی نہیں لگانی چاہئیے جب تک کہ اس کی ضرورت نہ ہو اور ڈر اس بات کا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے گا۔ جسٹس بینس کی جو بھی سرگرمی رہی ہو۔ وہ ایک جانی مانی شخصیت ہیں اور پنجاب میں جانے جاتے ہیں۔ وہاں کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صدر ہیں اور گرفتاری سے پنجاب کی جنتا کو بہت تکلیف پہونچی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے دل پر جو زخم ہیں وہ اور گہرے ہو گئے ہیں ۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے نامی اخباروں کے لکھنے والوں نے جن میں شری پٹونت سنگھ اور نکھل چکرورتی اور دوسرے لوگ شامل ہیں، بھی اسکی مذمت کی ہے ۔ میں آپ کے ذریعے حکومت پنجاب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے ۔ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ بیمار ہیں اور وہ اپنے طریقے سے ایک ڈھنگ سے عوامی خدمت کا کام کر رہے ہیں انہیں آزاد کر دیں ۔]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रदूषण मंडल और सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, दोनों का ध्यान बार-बार आकर्षित करने के बावजूद सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की एक फैक्टरी नयागांव मंदसौर जिले में है, जिसमें से धूल निकल रही है। इससे सारे आम नागरिकों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। चारों तरफ खेत के अन्दर धूल ही धूल दिखाई देती है और रास्ते पर चलने वालों को आंख में भी धूल गिरती है जिससे वे कठिनाई महसूस करते हैं। खेती के ऊपर धूल की परत जम गई है और लाखों रुपए की खेती नष्ट हो रही है, किसान परेशान हैं। उसके बारे में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कार्यवाही शीघ्र करें। बार-बार लिखने के बावजूद वहां कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। इसके कारण जन-जीवन पर भी प्रभाव है और लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है। आस-पास के 15-20 गांवों में उसका असर है। इसके बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें।

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर और जालौन में पीने के पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। पानी का स्तर नीचे चला गया है। दो-तीन किलोमीटर से महिलाएं दूसरे गांवों से पानी ला रही हैं जिससे भारी कठिनाई होती है। कुएं सूखने के बावजूद कीचड़ निकलता है और पानी को पीने से सैंकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। एक पांडव नगर कानपुर नगर के पास है और लोहिया मशीन का कारखाना है, सारा दूषित पानी पांडव नगर में चला गया है जिससे सैंकड़ों जानवर मर रहे हैं। इस प्रदूषण को दूर करने की व्यवस्था है और पीने के पानी के संकट को दूर करने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, करीमगंज, असम का एक पिछड़ा हुआ सीमावर्ती जिला है जिसमें मुख्यतः ग्रामीण लोग रहते हैं। आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण इस जिले में रेडियो सैट द्वारा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं सुना जाता। इसके अलावा बांग्लादेश का उच्च क्षमता का ढाका रेडियो स्टेशन हमारे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दबा देता है क्योंकि यह करीमगंज से नजदीक है, इसलिए दिल्ली अथवा कलकत्ता पर भी रेडियो सैट लगाना संभव नहीं है। इसलिए इन सभी प्रयोजनों तथा सुरक्षा कारणों से भी इस जिले में एक रेडियो स्टेशन स्थापित हो।

मैं इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि करीमगंज में एक रेडियो रिले स्थापित किया जाए ताकि इस जिले के लाखों लोगों के लिए आसानी से इस संचार माध्यम का प्रसारण हो सके।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान उत्तर भारत के प्रमुख असंगठित उद्योग ईंट भट्टे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विकास के लिए ईंटों की उतनी आवश्यकता है जितनी सीमेंट की है। उत्तर भारत में साठ हजार ईंट भट्टे हैं जिसमें 90 लाख अशिक्षित अकुशल मजदूर कार्य करते हैं। इन ईंट भट्टों का प्रमुख कच्चा माल कोयला है। ईंट भट्टे के लिए 120 रैक प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं जबकि इसे 20 प्रतिशत

से ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। इसमें जब रेलवे वैगन देता है तो कोयला विभाग कोयला नहीं देता है, कोआर्डिनेशन दोनों विभागों में नहीं हैं। ये ईंट भट्टे बिल्कुल बंद होने के कगार में खड़े हैं। ये बंद हो जायेंगे तो 90 लाख अकुशल मजदूर बेकार हो जायेंगे और विकास कार्य के लिए ईंट उपलब्ध नहीं होगी। इस विषय पर मैं पूर्व में भी लिखित अनुरोध कर चुका हूं, परन्तु उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आजकल सीजन का समय है, क्योंकि यह सीजनल उद्योग है जो कि नवम्बर से जून तक चलता है और दिसम्बर तथा जनवरी में भी ईंट भट्टे को रैक देने के लिए मनाही कर दी गई थी। मेरा अनुरोध है कि दूसरे उद्योगों को 50 पर्सेंट जितना मिनीमम अलाटमेंट एलोकेशन किया जाता है, वह भी ईंट भट्टा उद्योग को नहीं दिया जाता है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह ईंट भट्टा उद्योग को उद्योग का दर्जा दे, क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने के कारण रैक और कोयला देने पर विचार नहीं किया जा रहा है, और ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी भी गोदामों में दो-तीन हजार बोरी हजार बोरी गेहूं खराब हो रहा है। जब मैंने लिखित सवाल पूछा था तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि मेरे यहां एक स्थायी और आठ अस्थायी गोदाम हैं और अनाज खराब नहीं हो रहा है। मैंने 7-3-92 को मौके पर जाकर नार्मल स्कूल के प्रांगण में देखा कि वहां पर गेहूं बिक्री कर दिया गया है और बचा-बचाया राख बन चुका है और त्रिपाल से ढंका है। 15-3-1992 को मैं मौके पर गया तो वहां सफाई हो रही थी। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार तथा अधिकारियों की मिलीभगत से बिक्री करके पैसा बांटकर खा लिया गया। आज भी वहां पर रख-रखाव के नाम पर सरकारी पैसा निकालकर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पता नहीं कैसे मंत्री महोदय ने यह गलत बयान दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसी ईमानदार शासक या प्रशासक द्वारा मौके पर जाकर जांच कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नलबाड़ी जिले के सोनेकुरिहा मे हाल ही में बारूदी सुरंग के विस्फोट से छः जवान तथा इन जवानों को ले जा रहे ट्रक के ड्राइवर और उसके सहायक की मृत्यु हो गई। इससे नलबाड़ी जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उत्पन्न हुई गंभीर तथा असाधारण स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम इस बम विस्फोट की निन्दा करते हैं और हर समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा, अलगाववादी ताकतों ने यह कार्य किया है।

लेकिन बम विस्फोट के बाद क्या हुआ ? सेना ने पूरे जिले में निर्दोष और साधारण लोगों विशेषकर दस से सत्तर वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों को आतंकित किया। ग्रामीण लोग उत्पीड़न की आशंका से वहां से भाग गए। युवा लोगों को यह अत्याचार अधिक सहना पड़ा जैसे युवा होना शाप है। महिलाओं को भी नहीं बक्शा गया। प्रायः हर गांव के लोगों को सताया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अनेक लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हुए। श्री पारस बर्मन की इस पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। सशस्त्र सेनाओं ने उल्फा को समाप्त करने के

बहाने आम लोगों पर अकथनीय बरबर्तापूर्ण अत्याचार किए। निर्दोष और आम लोगों पर बदले की भावना से ऐसे अकथनीय अत्याचार अलगाववादी प्रचार और ताकतों को बढ़ावा देंगे। हम देखते हैं कि आम लोगों और अलगाववादियों के बीच अन्तर नहीं किया जा रहा है। इस घृणित आतंकवादी बम विस्फोट के लिए उत्तरदायी लोगों को अलग-थलग करने में मदद नहीं मिलेगी।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि घायल निर्दोष लोगों को मुआवजा दिया जाए और पारस बर्मन की हत्या की परिस्थितियों की भी जांए कराए।

डा० सी० सिल्वेरा (मिजोरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार विशेषकर गृह तथा विदेश मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि इन मंत्रालयों को मेरे तथा मिजोरम सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद मिजो पासपोर्ट आवेदकों को केन्द्र सरकार द्वारा अनावश्यक रवैया अपनाने के कारण मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवेदकों के लिए राज्य और केन्द्र अर्थात गृह मंत्रालय दोनों की खुफिया दोहरी जांच पड़ताल होती है। मैं समझता हूं कि मिजोरम ही भारत में ऐसा राज्य है जिसके लोगों के प्रति ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है।

मैं मिजोरम के लोगों के हित में इस प्रक्रिया की पुरेजार निन्दा करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इस 'दोहरी जांच' प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और मिजो लोगों के प्रति इस द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसे व्यवहार को समाप्त किया जाए तथा उनके साथ देश के अन्य नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाए।

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : महोदय, पिछले वर्ष वर्षा नहीं हुई। इस कारण केरल राज्य भर में सूखे की स्थिति है। हम जानते हैं कि केरल रोपण फसलों में प्रमुख है। रोपण फसलों के कारण विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इस वर्ष क्या स्थिति है? रोपण के पेड़ सूखे के कारण नष्ट हो रहे हैं और लोगों को पेय जल प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह केरल राज्य और केरल के लोगों की मदद करे और उन्हें सूखे से बचाए।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री का ध्यान दुहाई रेलवे हाल्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह दुहाई रेलवे हाल्ट गुलधर और मुरादनगर के बीच में पड़ता है। इस रेलवे हाल्ट 1969 में स्व० प्रकाशवीर जी शास्त्री ने उस समय के उप-रेल मंत्री श्री रोहन लाल चतुर्वेदी से मंजूर करवाया था। 1969 से···

अध्यक्ष महोदय : रेलवे हाल्ट के बारे में आप उनसे मिलकर देख लीजिए···

डा० रमेश चन्द तोमर : मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जनता में नाराजगी है।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे हॉल्ट बंद नहीं होना चाहिए···

डा० रमेश चन्द तोमर : साहब, वे बंद कर रहे हैं और 1969 से ऐसे ही चल रहा है···

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, आप संक्षेप में बोल दीजिए···

डा० रमेश चन्द तोमर : यह रेलवे हॉल्ट 1969 में मंजूर करवाया गया था। वहां पर तब से 1990 तक टिकटों की बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अब दो साल से लाखों रुपये का घाटा दिखाकर इस रेलवे हॉल्ट को बंद किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं कि उस रेलवे हॉल्ट को बंद न किया जाए। 21 वर्षों से पुराने रेलवे हॉल्ट को रेलवे स्टेशन में बदल दिया जाए क्योंकि वहां से काफी सवारियां गुजरती हैं।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में रांची बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी के समय रांची में एक फिल्म एवं टी०वी० प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना को स्वीकृति दी गयी थी परन्तु खेद है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसे रांची में न खोलकर दूसरी जगह खोलना चाहते हैं जहां पर पहले ही से प्रशिक्षण केन्द्र है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत इस फिल्म एवं टी०वी० प्रशिक्षण संस्थान को रांची में खोला जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में घोर अकालजन्य संकट और पेयजल का संकट पैदा हो गया है जिससे लाखों लोग परेशान हैं। राजस्थान में घोर दुर्भिक्ष की भयावह स्थिति के कारण पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। लाखों लोग रोजगार, खाद्यान्न तथा पेयजल के अभाव से संकटग्रस्त हैं। पशु-पालक अपनी भेड़ें, ऊंट, गायें दूसरे प्रदेशों में ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे घोर अकाल की विभीषिका में लोगों को मूलभूत आवश्यकतायें मुहैय्या कराने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, कुयें, तालाब, बावड़ियां, हैण्डपम्प और ट्यूबवैल सब सूख गये हैं। पीने का पानी दुर्लभ हो रहा है। अतः अकाल की विभीषिका और महामारियों को फैलने से बचाने के लिए, पेय-जल की व्यवस्था करने तथा रोजी-रोटी की व्यवस्था जुटाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। राजस्थान वैसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके वित्तीय साधन अत्यंत कम हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष से प्राप्त राशि बहुत कम है। अतः विशेष परिस्थिति एवं निरंतर प्राकृतिक आपदाओं से राजस्थान राज्य को ग्रसित मानकर भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा कोष से ज्यादा राशि उपलब्ध कराए और केन्द्रीय प्रेक्षक दल भेजकर भयावह स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व ही आवश्यक कदम उठाए।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, सरकार और योजना आयोग दोनों ही विदर्भ और मराठवाड़ा के परंपरागत खेती के क्षेत्रों में सिंचाई योजनाएं शुरू करने के काम को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए जनता से ऋण लेकर इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं पर···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास नियम 377 के अधीन बोलने का अवसर है और यह पहले ही स्वीकार हो चुका है। इसलिए आप इसे बाद में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर रोज बोलते हैं उनको आज नहीं बोलना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं तो बोलता ही कम हूं। शायद ही कभी मौका मिलता है···।

अध्यक्ष महोदय : ···दूसरों को ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गंभीर प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं आपकी इंडलजेन्स भी इसमें चाहता हूं। दिल्ली मिल्क स्कीम के द्वारा जो दूध की आपूर्ति की जा रही है, दिसबंर, 1991 के बाद उस नीति में परिवर्तन हुआ है। पहले दिल्ली की कोआपरेटिव सोसाइटीज और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान मिल्क कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा ही दूध की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन दिसंबर, 1991 से नीति में परिवर्तन हुआ और प्राइवेट कान्ट्रैक्टर से भी दूध लिया जाने लगा। अब प्राइवेट कांट्रैक्टर से जो दूध लिया जा रहा है, किस प्रकार से उसमें घोटाला हो रहा है, किस प्रकार से अधिक दाम पर दूध लिया जा रहा है, इसको मैं बाद में कहूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दूध में तीन चीजें होती हैं—पानी के अलावा फैट और सॉलिड नाट फैट।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सब ये बातों जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं बता देता हूं यह कितना गंभीर है। जो सॉलिड नॉट फैट कंटेण्ट है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है मिल्क पाउडर और लिक्विड स्कीम्ड मिल्क के द्वारा, लेकिन ये दोनों महंगी चीजें हैं। एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है कि मिल्क कांट्रैक्टर से जो दूध लिया जा रहा है, वे अपने दूध में सॉलिड नॉट फैट कंटेण्ट को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल

कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये वही यूरिया है जिसको देशी शराब में मिलाया जाता है और उससे शराब इतनी जहरीली हो जाती है कि उसको पीने से कई जगह लोग मरे हैं और यह बात मैं बहुत जबाबदेही से कह रहा हूं और इसलिए आपसे बार-बार समय मांग रहा था। यह यूरिया प्राइवेट कांट्रैक्टर के द्वारा मिलाया जा रहा है और यह डी०एम०एस० का दूध···

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, कॉस्टिक सोडा भी इसमें मिलाया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : दूध फट न जाए इसके लिए उसमें कॉस्टिक सोडा भी मिलाया जाता है। और तो और, फैट कंटेण्ट बढ़ाने के लिए लोहे को काटने के लिए जिस तेल का इस्तेमाल होता है, मेटल कटिंग ऑयल भी इसमें मिलाया जा रहा है फैट कंटेण्ट बढ़ाने के लिए। यह मैं पूरी जबावदेही के साथ कह रहा हूं। इस काम को मैं देख चुका हूं। इसलिए इसको कह रहा हूं यह दूध पिलाया जा रहा है अस्पताल के मरीजों को, हमारे नौनिहाल बच्चों को, मेम्बर्स पार्लियामेंट को और वही दूध प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति के यहां भी जा रहा है और वही दूध गर्भवती महिलाओं को पिलाया जा रहा है। कौन-सी चीज हम देश के लोगों को पिला रहे हैं यह हम बताना चाहते हैं। इस पूरी बात पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए कि इसमें यह क्या मिलाया जा रहा है और इस बात की ओर जब नीचे के अधिकारियों ने एक बार रिजेक्ट किया है—"नानक फूड इंडस्ट्रीज" नाम की कंपनी को फेवर किया गया है। हम कंपनी का नाम बोल रहे हैं, आदमी का नाम नहीं बोल रहे हैं।··· (व्यवधान)···

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, अगर नाम बोलें तो इसमें क्या हर्ज है। अभी आपने एक-दूसरे मामले में बोल दिया कि पार्लियामेंट में नाम नहीं बोल सकते जो देश के साथ दुश्मनी कर रहा है !

अध्यक्ष महोदय : नाम के लिए नहीं है। वह किसी ऑफिसर की ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट के लिए है।

श्री चन्द्र शेखर : ऑफिसर का ट्रांसफर-अपॉइंटमेंट का मामला नहीं था। एक ऑफिसर जो सस्पेंडेड था करप्शन के चार्ज में, और सी०बी०आई० की इनक्वायरी चल रही है, उसको रीइंस्टेट किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले भी उठ चुकी थी और मैंने कहा था कि ऑफिसर की ट्रांसफर-अपॉइंटमेंट के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर करिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

···(व्यवधान)···

श्री चन्द्र शेखर : जो आफिसर 22 महीने से सस्पेंड है, सी०बी०आई० इंक्वायरी चल रही है, आप उसको री-इन्स्टेट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चन्द्र शेखर : लेकिन हमारे पास पूरी जानकारी है। आपको उन सदस्य को सुनना चाहिए था। आपने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से यह बहुत गलत है। यदि आप चाहते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले पर सभा में विचार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : यह नियुक्ति से संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे जान सकता हूं ?

श्री चन्द्र शेखर : तब आपको उन्हें सुनना चाहिए था। सारा मामली यह है कि आपने उन्हें नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला श्री नाईक द्वारा उठाया गया था। मैंने उस समय भी उन्हें अनुमति नहीं दी थी ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बड़ा गम्भीर मामला है, आप जरा दूध के बारे में सुन लीजिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर यह गंभीर मामला है तो इस पर विचार किया जा सकता है। यह ऐसा मामला है जबकि उचित नोटिस नहीं दिए जाते। हम यहां पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी नियम का पालन न हो तो ऐसा ही कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : कोई मापदंड होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में मदद कर सकते हैं। यह किसी पर भी लागू हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उसके बाद प्राइवेट कान्ट्रैक्टर्स को, दिसम्बर, 1991 में नीति में परिवर्तन के बाद, उसमें इन्वाईट किया गया, कान्ट्रैक्ट में इन्वाईट किया गया। लोगों के टेंडर पड़े

लेकिन लोएस्ट को नहीं दिया गया। मुझे उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है लेकिन नानक और सुखबीर नाम की दो पार्टियों को, जो एक ही परिवार के लोग हैं, उन्हें दिया गया 8 रुपये 10 पैसे प्रति लिटर की दर से दूध की आपूर्ति करने का कान्ट्रैक्ट, जबकि दूसरे लोग 7 रुपया 60 पैसे पर दूध देने के लिये तैयार थे, उनसे नहीं लिया गया, या कम लिया गया। कोआपरेटिव सोसायटीज तैयार थीं, लेकिन आजकल जबकि ट्रांजिटरी पीरियड चल रहा है, मार्च और अप्रैल में, इस बीच उनसे 60 परसेंट दूध ही लिया जाता है, जबकि वे कहती हैं कि हम 60 परसेंट से ज्यादा देने के लिये तैयार हैं परन्तु उनसे कहा जाता है कि हम 60 परसेंट से ज्यादा नहीं लेंगे। नानक और सुखबीर को कान्ट्रैक्ट पूरा दिया जा रहा है। सुखबीर और नानक कौन से दूध की आपूर्ति कर रहे हैं और किस प्रकार दबाव दिया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने यह डाक्यूमैंट है, मेरे पास सवेरे समय नहीं था, अन्यथा मैं इन दस्तावेजों को आपके पास आकर दिखला देता। इसमें नीचे के अधिकारियों ने लिखा है, जब नानक का दूध का टैंकर आता है, उन्होंने लिख दिया कि इस दूध में बर्फ डाली हुई है इसलिये इस दूध को नहीं लेना है क्योंकि इसमें दोनों कन्टैंटस कम हो गये हैं— सॉलिड नॉट फैट कन्टैंट और फैट कन्टैंट भी नीचे चला जाता है जब दूध में बर्फ डाली होती है। उन्होंने ऐसा लिख दिया कि इस दूध में बर्फ है, लेकिन उसके आगे लिखा जाता है कि मैनेजर प्रोक्योरमैंट और जनरल मैनेजर का हुक्म है, अत: हम इस दूध को ले रहे हैं।

ऐसे दूध को लिया जाता है, जो फट चुका है, उस दूध की आपूर्ति ली गयी। जिस टैंकर के लिये कहा गया कि बाहर कर दो, उसकी नम्बर प्लेट बदलकर, उसे ले लिया जाता है। यह सब एक आदमी के चलते वहां हो रहा है जो वहां घोटाला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कोआप-रेटिव सोसायटीज को ये मार रहे हैं, उनसे दूध की आपूर्ति नहीं ली जा रही है, प्राइवेट पार्टीज जो कम पैसे पर दूध देना चाहती हैं, उनसे दूध नहीं लिया जा रहा है बल्कि रद्दी दूध की आपूर्ति की जा रही है। इसके पीछे कौन अधिकारी है, एक अधिकारी वहां पर है, जनरल मैनेजर, जिसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा क्योंकि आप मुझे नाम लेने से रोक देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं डिसाइड कर लीजिये, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सबका नाम आने दीजिये, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं एक स्टेटमैंट करने जा रहा था, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपकी मदद करूंगा।

श्री नीतीश कुमार : डी० एम० एस० के जनरल मैनेजर को सी० बी० आई० ने दो लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सी० बी० आई० के आफिसर उन्हें ले गये, उनकी गिरफ्तारी हुई लेकिन तुरन्त तिरुपति से काल आती है, फोन आता है और उस व्यक्ति को एक व्यक्तिगत मुचलके पर, पर्सनल बौण्ड पर छोड़ दिया जाता है, आज तक उसे सस्पेंड नहीं किया गया।

इससे आगे, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय के इसी पशु-पालन विभाग के, मैं यहां नाम लूंगा, श्री के० सी० लेंका का, जो चाहते हैं कि इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाये लेकिन उनके पास फाइल तक नहीं भेजी जा रही है। अखबार की चर्चा करना बेकार है क्योंकि स्वयं करेंट नामक अखबार में छपा हुआ है, अखबार को मैं यहां कोट नहीं करूंगा, मेरे पास प्रमाणित करने के लिये दूसरे दस्तावेज मौजूद हैं।

मंत्री जी का खुद बयान आया है कि अगर मेरे पास फाइल आयेगी तो मैं उसे सस्पेंड कर

दूंगा, मगर उनके पास फाइल तक नहीं भेजी जा रही है, एक व्यक्तिगत अधिकारी को बचाने के लिए, जो अधिकारी डी० एम० एस० को रद्दी दूध की आपूर्ति करा रहा है, रद्दी ही नहीं, बल्कि खतरनाक जहर दे रहा है, जो हमारी पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ी का नाश कर देगा। वैसे दूध की आपूर्ति कराने वाले अधिकारी को, फेवर करने के लिये, उसका पक्ष लेने के लिये, सीधे-सीधे राजनीति में उच्च पदस्थ लोग इसमें शामिल हैं और वह आदमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ऊपर का है क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इसमें कोई कसूर नहीं है। वे तो चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाये, मगर वह उनसे ऊपर का है। सरकार को देखना चाहिये कि नानक के साथ उसके क्या कनेक्शन्स हैं। नानक फूड्स के साथ, क्या कारण है, जिसके कारण से उसको समूची मदद की जाती है, इसको देखा जाए। हम आपसे मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर सरकार अपना वक्तव्य दे और कौन-सी स्थिति है जिसके कारण उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा, उसको भी आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है और खतरनाक तथा जहरीले दूध की आपूर्ति आज डी० एम० एस० के द्वारा करवाई जा रही है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले पर जो हो रहा है, इस पूरे मामले पर आग्रह करेंगे कि इस पर सरकार बयान दे।

यहां सदन में आज वरिष्ठ विरोधी सदस्य भी मौजूद हैं और सरकार के लोग भी मौजूद हैं इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर पूर्ण रूप से अपना वक्तव्य दे, ताकि आज जो लोगों के दिमाग में ऐसी एप्रीहेंशन आ गई है कि हम यूरिया वाला दूध पी रहे हैं, वह दूर हो।

अध्यक्ष महोदय, क्या होगा उन बच्चों का जो इस दूध को पी रहे हैं, क्या होगा उन गर्भवती महिलाओं का जो इसको पी रही हैं और क्या होगा हमारा और आपका जो हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर सरकार पूरा वक्तव्य दे ताकि वास्तविकता पूरे सदन के सामने आ जाए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि यह बहुत सीरियस मामला है। एक आदमी पकड़ा गया, जेल गया, उसके बाद भी उसको रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सबके ट्रांसफर्स के डिस्कशन को यहां अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाह रहा था कि अगर इसके अन्दर यूरिया मिलाया जा रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : कास्टिक सोडा मिलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

यूरिया या कास्टिक सोडा मिलाया जा रहा है तो गवर्नमेंट इसकी पूरी तरह से केमिकल

जांच-पड़ताल करेगी, उसके बारे में रिपोर्ट देगी। अब उसके बाद आफिसर वगैरह की सस्पेंशन की बात है, यह तो आपके और उनके बीच की बात है। अगर आप उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, वह भी महत्वपूर्ण है। वह सस्पेंड क्यों नहीं हो रहा है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया मामला भी बहुत गंभीर है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे इस प्रकार आसानी से लिया जाए। हम एक निजी ठेकेदार द्वारा सप्लाई हो रहे दूध में मिलावट को देखते हुए मामले की जांच करेंगे और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा, सरकार उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। माननीय सदस्य यह चिन्ता न करें कि यह 'एक्स' मंत्री ने किया है या 'वाई' मंत्री ने किया है। अब पूरे जोर से यह मामला सभा के सम्मुख लाया गया। सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी और सभा को सूचित करेगी। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : महोदय, यह बहुत चिन्ता का मामला है। हम दुविधा में हैं कि डी० एम० एस० का दूध पीएं या न पीएं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने लगभग 15 दिन पहले रेल इंजन के आयात के संबंध में एक नोटिस दिया था। मेरा नोटिस काफी समय से लम्बित है। यद्यपि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्तुत मूल्य सबसे कम था लेकिन रेल इंजन के आयात का आर्डर एशिया ब्राउन बावेरी कम्पनी को दिया गया। एशिया ब्राउन बावेरी कम्पनी को रेल इंजन की सप्लाई का आर्डर दिया गया और एक रेल इंजन की लागत 10 करोड़ रुपये है। भारतीय रेल की हमारी एक रेल इंजन निर्माण इकाई ने 5,000 हार्स पॉवर के एक रेल इंजन का निर्माण किया है और रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ इस रेल इंजन का उद्घाटन करेंगे। इस इकाई की क्षमता 6,000 हार्स पॉवर का विद्युत रेल इंजन तैयार करने की है। इसलिए जब हमारी स्वदेशी इकाई बी० एच० ई० एल० के पास इसी प्रकार के रेल इंजन के निर्माण की प्रौद्योगिकी है तो विद्युत रेल इंजन की सप्लाई के लिए इस कम्पनी को 550 करोड़ रुपये का आर्डर क्यों दिया गया ? समाचारपत्रों में छपा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एशियाई विकास बैंक से ऐसा निदेश था। एशियाई विकास बैंक चाहता था कि यह आर्डर इस कम्पनी को दिया जाए जिसके एक रेल इंजन की कीमत 10 करोड़ होगी और सी० एल० डब्ल्यू० 6,000 हार्स पॉवर के एक रेल इंजन का निर्माण 40.22 लाख रुपये में कर सकता है। महाप्रबन्धक ने पहले ही यह कहा है कि उनके पास इसके निर्माण की क्षमता है। मुझे बताया गया कि आपने सोमवार के लिए आधे घंटे की चर्चा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह चर्चा सोमवार को होगी। लेकिन इस आधे घंटे की चर्चा से इस मामले से न्याय नहीं हो सकेगा। हम पूर्ण चर्चा चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कांड है। महोदय, हम चाहते हैं कि इस बारे में नियम 193 के तहत चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री महोदय चाहते थे कि इसके लिए चर्चा तय की जाए। मैंने कहा कि : "हमें इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करनी चाहिए और फिर इस पर चर्चा करनी चाहिए।"

श्री बसुदेव आचार्य : नियम 193 के तहत चर्चा हो, आधे घंटे की चर्चा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस सलाह के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय ले क्योंकि हम आधे घंटे की चर्चा में सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते। इसके पीछे अनेक मुद्दे हैं। यह एक बड़ा कांड है। इसलिए हम इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ आपसे एक इनफारमेशन लेना चाहते थे। काफी दिन पहले 120 एम० पीज० ने चीफ इलैक्शन कमिश्नर की इमपीचमेंट के संबंध में लिखकर दिया था। मैं समझता हूं कि उस पर आप गंभीरता से जरूर विचार कर रहे होंगे। मैं उसी संबंध में जानकारी चाहता था, चूंकि अब संसद का सत्र 8 तारीख तक है, कुछ बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। उस संबंध में क्या उसमें कुछ प्रगति हुई है, हम आपसे ही जानना चाहते थे। यह बहुत गंभीर मामला है और कांसटीट्यूशन का जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत 120 एम० पीज० ने लिखकर, चीफ इलैक्शन कमिश्नर के द्वारा जो गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, स्वीकृति के लिए दिया है। हम जानना चाहते हैं कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : जनरली ऐसे मैटर्स के संबंध में मैं हाउस में नहीं बोलता लेकिन 120 एम० पीज० ने लिखकर दिया है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इस मैटर को इस प्रकार से डील करना जरूरी होगा जिस प्रकार से कोर्ट में डील किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें प्राईमा-फेसी केस है या नहीं, यह देखना पड़ेगा। उसके बाद कांसटीट्यूशन के कौन से प्रोवीजन एप्लाई होते हैं और जजेस इन्क्वारी ऐक्ट का प्रोवीजन एप्लाई होता है या नहीं, वह देखना पड़ेगा। मैंने इन चीजों को देख लिया है और उसके बारे में आपको भी नोटिस दिया है कि आकर हमको बताएं कि किस-किस ग्राउंड्स पर प्राईमा-फेसी केस है। मैं दूसरी पार्टी को उसके संबंध में बताने की इजाजत दूंगा। वह सुनने के बाद जैसे कि कोर्ट में जजमैंट दी जाती है, बिल्कुल वैसी नहीं मगर उस प्रकार की देने की कोशिश करेंगे। यह मैटर जूडिशियल नेचर का है, यहां पर भी ठहरने वाला नहीं है, वह किसी भी कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट उसमें जो प्रोवीजन फौलो करता है वैसे ही फौलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आफिस में लिखकर दिया है कि आपको बुला लें और आपको चांस दे दें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, 18 अप्रैल को मधुबनी में शांताक्रूज हवाई अड्डे पर एक गम्भीर दुर्घटना घटी है। महोदय, पहले आप नागर विमानन मंत्री थे। आपको याद होगा

कि सितम्बर, 1988 में आपने 36 करोड़ रुपये की लागत से उसके एक नये टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। यह कहा जाता है कि यह एक अत्याधुनिक टर्मिनल है। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल की सायं को किया गया था और 19 अप्रैल की सुबह को कलकत्ता के लिए प्रथम उड़ान भरी जानी थी। जिस हवाई-सीढ़ी से विमान को जोड़ा जाना था, वह ढह गई। यह केवल अपने आप ही नहीं टूटी, बल्कि यह एयर-बस का दरवाजा भी उड़ा ले गई। इस दुर्घटना का मुख्य और अति महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कहा जाता है कि तीन वर्षों से आयात की गई मशीनरी पर खुले में पड़ी होने के कारण जंग लग रहा था।

वहां जो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि यह प्रचालन के लिये उपर्युक्त नहीं थी। पहले इसके जो परीक्षण किये गये थे, वह विफल रहे थे। इसके बावजूद भी, यह आग्रह किया गया था कि उद्घाटन होना चाहिये और यह हुआ।

यद्यपि नागर विमानन मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा अनुरोध यह है कि इसके बारे में एक विस्तृत जांच करवाई जानी चाहिये।

वहां अशान्ति व्याप्त है; वहां के इंजीनियरों तथा वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। अत:, इस सारे मामले की जांच होनी ही चाहिए कि यह कैसे हुआ। मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये। मुझे हैरानी है कि नागर विमानन मंत्री हर जगह बहुत से विषयों पर वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वह सभा में एक वक्तव्य देने के लिये नहीं आये। उन्हें यहां वक्तव्य देना चाहिए। यदि उस सीढ़ी पर यात्री होते, तो क्या घटित होता? अत:, यह एक गम्भीर दुर्घटना है और सरकार को आगे बढ़कर ब्यौरा देना ही चाहिये कि क्या घटना घटी है? यही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा-पटल पर रखे जाने हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जो उन्होंने कहा है, वह इतना गम्भीर नहीं है। इसे प्रेस में हवा दी गई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमें इसके बारे में पता चलेगा, वैसे ही हम उन्हें अवगत करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा-पटल पर रखे जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आपने कहा कि हाथ मत उठाइये, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, फिर आपने क्यों हमें छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हल्ला को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हल्ला करने वालों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो सबसे ज्यादा बोलते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कभी पीछे बैठने वालों को भी तो चांस देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, परसों इतवार को बिहार के उत्तरी ग्रिड से विद्युत का देना बन्द कर दिया जाएगा। बिहार में विद्युत का अकाल है। इस कारण से वहां भयंकर हाहाकार होने जा रहा है। बिहार के विद्युत बोर्ड का 103-104 करोड़ रुपया बकाया है और बिहार सरकार इसमें अपने वचन को पालन करने में विफल हो गयी। यह एक तथ्य है, मगर इसका दंड पूरे बिहार के उद्योग, कृषि और जन-गण को मिले तो यह अच्छा नहीं होगा। अभी बिहार में साढ़े 19 किलोवाट प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत का उत्पादन है जबकि सारे देश में साढ़े 66 परसेंट है और साढ़े तीन सौ गुना बिहार से ज्यादा अपना राष्ट्रीय विद्युत का उत्पादन का हाल है। बिहार में कुल विद्युत क्षमता है 1400 मेगावाट का, वह बहुत ही कम है लेकिन उसमें अभी साढ़े तीन सौ मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। पहले की सरकार 35% की क्षमता पर इसको ले आई थी, हमारी वर्तमान सरकार उसको 25% पर ले आई है। तस्करी नीचे ओर हुई है, ऊपर की ओर नहीं हुई है। ऐसी हालत में यह ग्रिड बन्द हो जायेगा तो आप अंदाज कर सकते है कि क्या हाहाकार हो जाएगा। जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, बिहार बंगाल उड़ीसा का, उससे ताप विद्युत निगम अधिक कीमत पर लेता है यानी कि 80 पैसे प्रति यूनिट पर जबकि पश्चिमी क्षेत्र के लिए साढ़े 47, उत्तरी क्षेत्र के लिए साढ़े 51। नतीजा इसका यह निकल रहा है कि दाम उसके बढ़ गए हैं और वही दाम 103 करोड़ रुपए का है, जिस बकाए के लिए परसों से बन्द होने जा रहा है। हमारा जो ताप विद्युत निगम है, उसकी ओर भी पूर्वी क्षेत्र में मात्र 6 प्रतिशत विद्युत उत्पादन के लिए खर्च किया गया है। अन्य क्षेत्रों में यह 22 परसेंट और 20 परसेंट, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, लेकिन वह 6.5 परसेंट हुई है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि सारे देश में एक दर हो। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की दर में काफी फर्क है, दुगुने-तीगुने का फर्क हैं। अगर फर्क हो तो पिछड़े राज्यों के लिए उसकी सहूलियत हो, नहीं तो बराबरी का स्तर हो। यह इतना भयंकर है कि बर्दाश्त के बाहर है। बिहार में तीन गुना का फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो बकाया है, समान दर के हिसाब से बकाया लें। किश्तों पर हो और जो परसों बन्द करने का निर्णय है, उसको स्थगित किया जाए।

इसके साथ ही मेरा आग्रह है, जो राष्ट्रीय क्षेत्र है, बिहार की बात तो आप छोड़ दीजिए बिहार के पिछलेपन की मैं सफाई नहीं दे सकता हूं और हम पिछड़े हैं, औद्योगिक उत्पादन में ही नहीं हर चीज में हैं। उसमें दल की बात नहीं है, उस मामले में हम सब बरार हैं। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का, जो कहलगांग का है, एक हजार मेगावाट की क्षमता है, उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिए राशि आबंटन नहीं की जा रही है। वैसे भी यह पतरातु और मैथन का मामला है, मुजफ्फर कांटी में जो दो यूनिट हैं, उसके स्रोत उत्पादन करने का मामला है। मेरा आग्रह है कि उत्पादन जो कम से कम राष्ट्रीय ताप विद्युम निगम का है, उसके बारे में योजना आयोग से बातचीत करके, उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। कर की दर को,

विद्युत की कीमत को, राष्ट्रीय स्तर पर एक समान लें, चाहे उत्तर, पश्चिम और पूर्व हो। बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो कोयला पैदा करता है और ताप बिजली जो पैदा होती है, उसकी कीमत कम है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा कीमत है।

एक बात मुझे कोल इंडिया के लिए कहनी है। अच्छा कोयला निजी क्षेत्र वाले ले जाते हैं रिश्वत देकर। मगर खराब कोयला बिहारी ताप घर और मैं तो कहता हूं कि उड़ीसा और बंगाल के ताप घर को मिलता है, जिससे मशीनें खराब होती हैं और उत्पादन क्षमता घटती है। यह भी कमं होता है। खास कर कोल इंडिया के जरिए से, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जरिये से विद्युत की कीमत को समान करके और राष्ट्रीय क्षेत्र में उनको बिजली पूरी करने का काम करें। यही मेरा आग्रह है और परसों जो विद्युत आपूर्ति न करने का जो निर्णय है, उसको स्थगित किया जाए। किस्त की राशि के साथ किया जाए मुनासिब दर पर और राष्ट्रीय दर पर लिया जाए।

———

01.43 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री के० विजय भास्कर रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1825/92]

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1826/92]

ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण तथा वस्त्र मन्त्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

[हिंदी]

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1827/92]

(3) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1828/92]

(5) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1829/92]

मद्रास पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, कोचीन पत्तन न्यास और कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1999-91 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण आदि

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री जगदीश टाईटलर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मद्रास पत्तन न्याय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1830/92]

(ख) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1831/92]

(ग) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1832/92]

(घ) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1833/92]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1830-33/92]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

नागर विमानन तथा पर्यटन मन्त्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1834/92]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) न्यासी (शेयरों और डिबेंचरों के धारकों की घोषणा) संशोधन नियम, 1992, जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 26 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1835/92]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1991, जो 26 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 755(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1836/92]

वित्त मन्त्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

वित्त मन्त्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1837/92]

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचना, गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरीडीह एवं नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० निं० 93(अ), जो 11 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में किसी व्यक्ति को स्वर्ण आभूषण या बहुमूल्य रत्नों को भारत में लाने और भारत से बाहर भेजने की अनुमति देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1838/92]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरीडीह का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1839/92]

(दो) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1840/92]

(तीन) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टुमकुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1841/92]

(चार) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1842/92]

(पांच) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1843/92]

(3) भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 195(अ), जो 9 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा इसके द्वारा श्रीमती आर० लक्ष्मणन, अवर सचिव, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1844/92]

1.44 म० प०

लोक लेखा समिति

बीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किशनगढ़ में 1296 आवासीय इकाइयों के निर्माण सम्बन्धी 97वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना सम्बन्धी 162वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्यवाही सम्बन्धी बाईसवां प्रतिवेदन।

01.44½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नबरंगपुर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)—भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन संबंधी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

01.45 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जे० चोक्का राव के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य, निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जे० चोक्का राव के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य, निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

1 46 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के गंगानहर जिले के उन किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता जिनकी भूमि भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की तहसील श्रीगंगानगर, करनपुर, रायसिंह नगर व अनूपगढ़ क्षेत्र से लगती पाक सीमा के साथ-साथ लगी कंटीले तारों की बाड़ वहां के काश्तकारों की भूमि में से बनाई गयी है। यह कृषि योग्य भूमि सीमा लाईन से 500 फुट दूर कृषकों की भूमि में है।

काश्तकारों को उस भूमि पर काश्त करने के लिए बहुत दूर से होकर जाना पड़ता है। इस तरह इन दुविधाओं की वजह से, कंटीले तारों के पीछे की जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता।

ऐसी स्थिति में काश्तकारों की वाजिब क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। किन्तु सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हजारों किसानों ने जो अपनी कीमती कृषि भूमि देश की रक्षा व्यवस्था में योगदान करने हेतु छोड़ दी है, उसका उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाये।

(दो) पड़ोसी राज्यों से अत्यावश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए तमिलनाडु में कुवम और बुकिंघम नहरों को उपयोग-योग्य बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, लगभग दो दशक पहले, मद्रास नगर में कुवम तथा बुकिंघम नामक दो मुख्य नहरें थीं, जो कि पड़ोसी राज्यों यथा—आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से नमक, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, कच्चा कोयला इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुएं मद्रास में लाने के लिए जीवन-रक्षक कड़ी का कार्य किया करती थीं। पड़ोसी राज्यों से इन अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई का यह सबसे सस्ता साधन था। इन अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई केवल बहुत सस्ती ही नहीं, बल्कि शीघ्रता से होती थी।

विभिन्न कारणों से, इन दो नहरों का अन्तर्देशीय जल-यातायात के लिए न केवल अपसर्जन ही किया जाता है, बल्कि पानी प्रदूषित हो रहा है और यह मद्रास शहर की घनी आबादी के लिए

एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन गया है। इन दो नहरों के खड़े पानी में मच्छर पैदा होने के कारण शहर और इसके साथ लगे जिलों में मलेरिया और हाथीपांव जैसी बीमारियां फैल गई हैं।

एक अन्य नदी, जिसे अड्डयर नदी कहा जाता है, वह भी मद्रास नगर के लोगों के लिए काफी स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर रही है क्योंकि नदी से समुद्र में निकास का रास्ता तीव्र तटीय प्रवाह से बने रेत-रोधक द्वारा रोक दिया जाता है।

अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन नहरों को उपयोगी बनाने के लिए, विशेषकर पड़ोसी राज्यों से एक अति-न्यून दर पर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए, तुरन्त कदम उठाए।

(तीन) महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को जनता से ऋण लेकर धन एकत्र करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल (नान्देड़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार और योजना आयोग दोनों ही कृष्णा घाटी तथा विदर्भ और मराठवाड़ा के परम्परागत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तेजी के साथ सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के काम को उच्च प्राथमिकताएं देते रहे हैं। लेकिन इसके लिए जनता से ऋण लेकर इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है।

इन परियोजनाओं पर 4800 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें से केवल कृष्णा घाटी परियोजना में ही 1,850 करोड़ रुपए लग जायेंगे और नयी परियोजना पर 1989-90 के मूल्य पर 650 करोड़ रुपए और लग जायेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से जनवरी, 1991 में एक सुझाव भेजा गया है कि आठवीं योजना में 750 करोड़ रुपए और नौवीं पंचवर्षीय योजना में जनता से ऋण लेने की अनुमति दी जाए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि यदि सरकार ऐसी अनुमति देने के पक्ष में नहीं है तो इन परियोजनाओं के लिए वह अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें ताकि ये योजनाएं शीघ्र पूरी हो सकें।

(चार) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए० प्रताप साय (राजमपेट) : महोदय, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के अति पिछड़े क्षेत्र की अनेक सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बे समय से मंजूरी के अभिलम्ब पड़ी हैं। रायलसीमा क्षेत्र में कुद्दापाह, अनन्तपुर, चितूर और कुरनूल चार जिले हैं जहां एक वर्ष में केवल

600 मि०मी० तक ही वर्षा होती है। कभी-कभी 600 मि०मी० से भी कम वर्षा होती है। 19वीं सदी में हर पांच साल में एक बार अकाल पड़ता था। 20वीं सदी में हर तीन साल में अकाल पड़ता रहा है। अधिकांश लोग पीने के पानी की कमी के कारण परेशान हैं। इन सभी कारणों से तेलगु गंगा, अयालेरु नागरी हिन्दीयरी-नीवा जैसी मुख्य परियोजनाएं लंबित हैं और इन्हें स्वीकृति दी जानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। यदि उक्त परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाए तब 25 से 30 लाख एएड़ भूमि को और फायदा पहुंचेगा। रायलसीमा की सभी लंबित परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपए होगी। यदि 15 वर्ष में सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाता है तभी मरुस्थल का विकास रुक सकता है, जैसा कि भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने जानकारी दी है। यह कार्य आंध्र प्रदेश की 287 लाख हैक्टेयर खेती योग्य भूमि को 3900 टी०एम०सी० उपलब्ध पानी से सिंचित करने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे गरीबी दूर करने, मरुस्थल का विकास रोकने, अकाल और सूखा रोकने में सहायता मिलेगी तथा रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे।

(पांच) अजमेर रेजीमेंट को फिर से गठित किए जाने और सेना में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से और अधिक जवानों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अजमेर जिले की युद्धप्रिय लड़ाकू जातियों के जवानों को अंग्रेजी राज में भर्ती करने में कई रियायतें तथा प्राथमिकताएं प्रदान की जाती थीं। अंग्रेजी काल में 44 मेरवाड़ा बटालियन, अजमेर रेजीमेंट, ग्रेनेडियर्स आदि की भर्ती में रावत मेहराव और मीणा जाति के लोगों को विशेष रूप से भर्ती किया जाता था। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् उन रेजीमेंटों तथा बटालियनों को अकारण ही तोड़ देने से अजमेर जिले के लोगों को सेना में भर्ती के अवसर कम उपलब्ध होते हैं। अलग-अलग कोरों में फुटकर भर्ती होने से उन्हें उन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। पहले भर्ती मेला होते थे तथा विभिन्न पुराने कस्बों भर्ती केन्द्रों पर भर्ती अभियान चलाकर नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाता था। वह भी अब भर्ती की प्रणाली बदलने से बन्द हो गया है। अतः मैं भारत सरकार से विशेष अनुरोध करता हूं कि अजमेर रेजीमेंट को पुनर्जीवित किया जाए तथा उसमें अजमेर के भर्ती केन्द्र पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के वीर एवं साहसी नौजवानों को विशेष रूप से भर्ती किया जाए और उन्हें सेना में भर्ती में प्राथमिकता दी जाए।

(छः) कानपुर देहात में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : कानपुर देहात प्रदेश का एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ पिछड़ा जिला है तथा यहां के अधिकांश व्यक्ति आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। लेकिन वहां की जनता चूंकि कृषि की नवीन तकनीकों व प्रगति से अवगत नहीं है। इसलिए आज भी वहां के लोग परम्परागत तौर तरीकों से ही कृषि कार्य करते हैं, परिणामस्वरूप उनकी आय अनिश्चित व निमित्त मात्र होती है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है तथा उसमें कोई सुधार की संभावना नहीं रहती

है। कानपुर देहात में यदि लोगों को कृषि के आधुनिक तरीकों व तकनीकों की जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो इससे उस क्षेत्र के कृषि सेक्टर को नई दिशा मिल सकती है तथा लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार हो सकता है। इसके लिए मैं वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग निरन्तर करता हूं लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सका है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर देहात जैसे पिछड़े क्षेत्र में कृषि की प्रगति पर ध्यान देने तथा लोगों की आर्थिक बेहतरी के लिए शीघ्र ही वहां पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र की खोलने की व्यवस्था की जाए जिससे कि लम्बे समय से चली आ रही क्षेत्रीय जनता की मांग को पूरा किया जा सके तथा उनको आर्थिक उन्नति के अवसर दिए जा सकें।

(सात) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी शहर के नवाबबाड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट-बेंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर बंगाल की जनता की लंबे समय से लंबित इस मांग की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जलपाईगुड़ी प्रमण्डलीय कस्बे में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट-बेंच स्थापित की जाए। 3 जून, 1988 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सर्किट-बेंच स्थापित करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए जलपाईगुड़ी कस्बे के नवाबबाड़ी में कुछ कमरे निश्चित किए गए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी कस्बे में नवाबबाड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की गश्ती पीठ (सर्किट-बेंच) स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

(आठ) हरियाणा में 'टाडा' के दुरुपयोग के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वोच्च सदन का ध्यान हरियाणा सरकार द्वारा "टाडा" कानून के दुरुपयोग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगस्त, 1991 में हिसार में हरियाणा विकास पार्टी के विधायक पर "टाडा" क प्रयोग किया गया जो केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के कारण बाद में वापिस ले लिया गया। तब गृह मंत्री ने इसी सदन में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि राजनैतिक व्यक्तियों के खिलाफ "टाडा" का गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। फिर भी राजनैतिक विरोधियों को कुचलने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हथियार के रूप में "टाडा" का इस्तेमाल हो रहा है। मेरा प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हरियाणा में "टाडा" के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मुकद्दमों का पुनर्निरीक्षण का आदेश दिया जाए ताकि इस कानून को मनमाने ढंग से प्रयोग करने पर अंकुश लग सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.00 म०प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.55 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.06 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि गृह राज्य मंत्री को त्रिपुरा के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पहले सूची में उल्लिखित है। यदि आपको कोई कठिनाई नहीं हो तब आप गृह मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकते हैं। वह भी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। हम भी उनका वक्तव्य सुनना चाहते हैं। बाद में इस पर वाद-विवाद हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सूचीबद्ध विषयों को लें और उसके बाद वक्तव्य दिया जा सकता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हमारी एमनीओसेंटिस समिति की बैठक भी है। मंत्री महोदय तैयार हैं। यदि आप हमें उन्हें सुनने का मौका दे दें, तब हम संयुक्त प्रवर समिति की बैठक में जा सकते हैं। मंत्री महोदय भी तैयार हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अत:, हम बसुदेव आचार्य जी की ही बात मान रहे हैं और····

श्री गुलाम नबी आजाद : विशेष रूप से गीता जी की।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

3.08 म० प०

मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य

त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं के साथ कथित बलात्कार

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : अध्यक्ष महोदय के निदेशों का अनुपालन करते हुए, मैं, त्रिपुरा में कुछ आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कथित घटनाओं और यौन इच्छा की पूर्ति के लिए उत्पीड़ित करने के आरोप तथा एक सरकारी अनाथालय में रहने वाली लड़की द्वारा आत्महत्या करने के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित तथ्यों के बारे में इस सदन को बताना चाहता हूं।

20-2-1992 को सतनाला गांव के कुछ गैर-आदिवासी लोग दो गैर-आदिवासियों जिनके बारे में संदेह था कि उनका अपहरण ए० टी० टी० एफ० द्वारा किया गया है, की तलाश करने के लिए स्वास्तीपाड़ा तथा ओरियंगपाड़ा गए। लगभग एक महीने के बाद श्री समर चौधरी, विधायक, सी० पी० आई० (एम) तथा जिला परिषद के सदस्य सी० पी० आई० (एम) के श्री सुरेन्द्र रियांग ने कंचनपुर पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि 20-2-1992 को कुछ गैर-आदिवासी बदमाशों ने छह आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं परन्तु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तथापि, मौखिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत की जांच-पड़ताल की। सर्किल इन्स्पेक्टर तथा एस० डी० ओ०, कंचनपुर, ने घटना स्थलों का दौरा किया। शिकार हुई किसी भी महिला ने न तो बलात्कार किए जाने की किसी घटना के बारे में बताया तथा न ही आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत प्राप्त हुआ। श्री समर चौधरी तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जो कि त्रिपुरा के मुख्य सचिव को सम्बोधित था, 20 मार्च, 1992 को प्राप्त हुआ, जिसमें कंचनपुर पुलिस थाने के अधीन छोटा कुम्हार ग्राम सभा के स्वास्तीपाड़ा में गैर-आदिवासी समाज विरोधी तत्वों द्वारा 6 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। कंचनपुर के एस० डी० एम०, जो कि एक आदिवासी अधिकारी हैं, को आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया। जिन्होंने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने तथाकथित बलात्कार की शिकार हुई 6 में से पांच महिलाओं से मुलाकात की परन्तु उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके साथ बलात्कार किया गया।

उदयपुर सब-डिवीजन में एक दवाजानगर ध्रुनन्दन नामक अनाथालय वर्ष 1979 से कार्यरत है। जिसे राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से स्थानीय अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है। इसमें 50 निवासी हैं जिनमें से 23 लड़कियां हैं। वर्ष 1990 के शुरू में इस संस्थान में यहां की एक लड़की द्वारा आत्महत्या करने की घटना सूचित की गई। शव परीक्षा करने से पता चला था कि लड़की गर्भवती थी। स्पष्टत: लड़की किशोर आयु की होने के कारण उसका पड़ोस के एक लड़के के साथ शारीरिक यौन संबंध स्थापित हो गया था। इसके अलावा, बलात्कार अथवा गर्भवती होने की कोई अन्य घटना सूचित नहीं हुई। निवासी लड़कियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को इस आशय के सख्त अनुदेश

जारी किए गए हैं कि लड़कियों को पृथक् भवन में एक साथ अलग रखा जाए तथा बेहतर पर्यवेक्षण द्वारा वहां कड़ा अनुशासन लागू किया जाए।

महोदय, मेरे पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है। अनाथालय के सम्बन्ध में राज्य सरकार से और जानकारी प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है।

एक बच्चे को छोड़कर, अनाथालय के सभी रहने वालों को, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक स्थानीय पाठशाला में दाखिल करवाया गया है। लड़कियों को बांसों की दीवार बना कर अलग निवास, रसोई तथा प्रवेश द्वार उपलब्ध करवाया गया है। अनाथालय में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक रात्रि पहरेदार तैनात किया गया है। वे लड़कियां जो शादी की आयु में पहुंच गई थीं, उनकी शादी कर दी गई तथा वे शिशुसदन छोड़ कर अपने पतियों के साथ रह रही हैं। एक स्थानीय लड़के से 1987 में विदाई के पश्चात् इस अनाथालय की एक लड़की अब फोटो स्टूडियो चला रही है। वे लड़कियां जिनके कानूनी संरक्षक हैं, उन्हें उन परिवारों को सौंप दिया जाता है। 12 वर्ष की आयु से कम तथा 12 वर्ष की आयु से अधिक के लड़के लड़कियों के लिए अलग-अलग अनाथालय उपलब्ध करवाने के लिए अनाथालयों के पुनर्गठन की कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अगर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है तो सतर्कता क्यों बढ़ाई जा रही है? यह रिपोर्ट झूठी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यद्यपि साधारणतया स्पष्टीकरण नहीं मांगे जाते हैं, परन्तु, इस मामले में हम दो तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार जो भी कदम इस सम्बन्ध में उठा सकती थी, उसने उठाये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह मामला महिला राष्ट्रीय आयोग को सौंपा जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी कोई माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं तो वे नियम 372 के अन्तर्गत ऐसा करते हैं जिसमें कि यह कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई भी मंत्री सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर वक्तव्य दे सकता है, परन्तु वक्तव्य देते हुए कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अगले विषय पर चर्चा होने दीजिए।

(व्यवधान)

3.13 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

श्रम मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57 पर चर्चा तथा मतदान करेगा जिसके लिए पांच घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

इस समय सदन में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान के लिए मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, अगर वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे जिस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं उसकी क्रम संख्या पर्ची पर लिख कर 15 मिनट के भीतर उसे सभा पटल पर भेज दें। उन्हीं कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया जायेगा।

उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या जिन्हें प्रस्तुत की गई समझा जायेगा, उनकी एक अलग सूची सूचना पटल पर लगा दी जायेगी। अगर किसी सदस्य को सूची में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वे उसे अविलम्ब सभा-पटल पर बैठे अधिकारी की जानकारी में लायें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों में अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

श्रम मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1992-93 के लिए लोक सभा द्वारा स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले अनुदानों की मांगें :

मांग की संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
श्रम मंत्रालय					
57. श्रम मंत्रालय		6991,00,000	12,00,000	34954,00,000	61,00,000

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम आपका ध्यान राज्य सभा में उपलब्ध एक प्रावधान की ओर दिलवाते हैं जिसके अन्तर्गत मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात् स्पष्टीकरण पूछे जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, राज्य सभा के नियम यहां लागू नहीं होते। हमारे यहां ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री गुमान मल लोढ़ा से चर्चा आरम्भ करने का निवेदन कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हुई इसी प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में पहले भी गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। हमने इस सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन किया। आप यह नहीं कह सकते कि जानकारी को छिपाया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आप इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग को क्यों नहीं सौंप देते ? **(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य सत्य पर आधारित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : त्रिपुरा में कई आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। इस सम्बन्ध में चर्चा करवाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम सदन द्वारा ही बनाये गये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल जब माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था तो श्री पासवान ने स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण मांगने के लिए उन्होंने निष्ठापूर्ण प्रयास किया। सदन ने नियम 372 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा इस सदन में हुआ है। हमने स्पष्टीकरण पूछे हैं। कल भी हमने ऐसा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मामले को किसी विशेष नियम के अन्तर्गत किसी और तरह से उठा सकते हैं, परन्तु अभी नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले दिनों में इस विषय पर चर्चा करवाई जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम केवल सदन के मार्गदर्शन के लिए नहीं हैं बल्कि पीठासीन अधिकारियों के लिए भी नहीं हैं। प्रत्येक को नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। हमें इन नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। अगर आपको शिकायत है, अगर आप माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किसी न किसी रूप में इस मुद्दे पर चर्चा करवा सकते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में आश्वासन दे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में नियमों को बदलना पड़ेगा। उपयुक्त समय पर आपको नियमों में परिवर्तन की अनुमति मिलती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नियम समिति में हमने ऐसे प्रावधान के सम्बन्ध में चर्चा की थी तथा कार्यवाही में इस बात का निर्णय लिया गया तथा उल्लेख किया गया कि नियमों में परिवर्तन न किया जाये। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दिया जाये। उसके पश्चात् कई अवसरों पर स्पष्टीकरण पूछने की पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई। स्पष्टीकरण पूछे गये तथा मंत्री महोदय द्वारा उनका उत्तर दिया गया।

श्री गुलाम नबी आजाद : अगर इसकी अनुमति दी गई तो अधिकतर अवसरों पर इसका वही परिणाम होगा जो कि शून्य काल का होता है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने स्पष्टीकरण पूछे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपने शून्यकाल में 12.00 बजे से लेकर 2.00 म० प० तक चर्चा की हैं। आप यह मुद्दा भी उठा सकते थे। आपने उस समय इस मुद्दे पर चर्चा करने की नहीं सोची। आप इन दो घण्टों के दौरान इस विषय में चर्चा कर सकते थे। 12.00 बजे मध्यान्ह से लेकर 2.00 म० प० तक आपको दो घण्टे का समय दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपने उस समय इस सम्बन्ध में चर्चा करना ठीक नहीं समझा। अब इस विषय में हमसे चर्चा मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब से भारत स्वतंत्र हुआ, तब से सम्बन्धित आज तक किसी भी बजट में ऐसे प्रस्ताव नहीं आये। स्व० कल्याण की योजनाओं में कुछ कटौती नहीं की गयी। सदन में सरकार की ओर से बढ़ती हुई पापुलेशन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई भुखमरी की बात कई बार दोहरायी गयीं

है। इसके बाद भी श्रम मंत्रालय की योजनाओं में कटौती की हो और पहले से जितना धन उन पर खर्च किया जाता था, उसे कम कर देना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा करके घड़ी को उल्टा घुमा दिया गया है।

ये जो आज हम डिमांड्स लेकर पधारे हैं, उनके बारे में मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया पहले वह यह देखें कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की आज क्या हालत है। इसमें लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। 1983-84 के अन्दर 37.4 परसेंट गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद आज स्थिति यह है कि सारे भारत में 53.8 परसेंट गरीबी की रेखा से नीचे जीवन और मरण के बीच में संघर्ष करने वाले व्यक्ति हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, इन व्यक्तियों को पांच रुपए प्रतिदिन की भी आय नहीं होती है। उन्हें दो जून की रोटी नहीं मिलती है। इससे बुरी हालत है भारत के उन 45 करोड़ लोगों की जो केवल दो रुपए प्रतिदिन की आमदनी से जीवन निर्वाह करते हैं। ये व्यक्ति पावर्टी लाइन से नीचे हैं। उनमें भी बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन, बहुत कमजोर इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनके बारे में आपरेशन मिशन ग्रुप का यह कहना है कि इनकी आमदनी केवल दो रुपए है। ऐसे 20 करोड़ व्यक्ति भारत के अन्दर हैं और 45 करोड़ बिलो पावर्टी लाइन है। होना यह चाहिए था कि श्रम कल्याणकारी योजनाओं में, नौकरी देने की योजनाओं में, काम देने की योजनाओं में बढ़ोत्तरी की जाती लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर इस बात से चिन्तित है कि बहुत रिट्रेंचमेंट होंगे और वे नौकरी से हटा दिए जाएंगे। मल्टीपरपज कंपनियां आई हैं। इन कंपनियों के द्वारा कंपीटिशन होगा। भारत के उद्योगों में जो श्रमिक आज काम करते हैं वे अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम आशा करते थे कि माननीय वित्त मंत्री जी नई डाइमेंशन देंगे और धनपतियों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, कुल्का के लिए नहीं बल्कि गरीब, निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए देंगे ताकि इस देश की जनता जो 54 प्रतिशत से भी अधिक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है, उनको कुछ राहत मिलेगी। वहां दूसरी ओर उनकी डाइमेंनशन से पता लगता है कि कि 1991-92 का जो बजट का एलोकेशन है। उस बजट एलाटमेंट में लेबर एम्पलाई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, सोशियल सिक्योरिटी फॉर लेबर, इनकी टोटल डिमांड छः करोड़ रुपए थी। इसके बाद 1992-93 में यह 5.53 करोड़ नॉन प्लान में आ गई है। इसी प्रकार से अन्य मदों के अन्दर कटौती की है। अतः मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इस पर गहराई से विचार करें। एक समय था, यद्यपि उस समय भी केवल घड़ियाली आंसू ही बहाए गये थे, क्रोकोडायल-टीयर्स, लेकिन सन् 1971 में यह कहा गया था कि रोशनी आ रही है। नई रोशनी गरीबों के लिए आ रही है।

3.26 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

गरीबी मिटाने के लिए नई रोशनी आ रही है, इसलिए दरवाजे और खिड़कियां खोल कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए आइए। सभापति महोदय, आज ऐसा समय आ गया है, जब यह कहा जा रहा था कि नयी रोशनी आ रही है, नयी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल

पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, लेकिन यह अमीरों के लिए आ रही है, धनवानों के लिए आ रही है। गरीबों की लाश के ऊपर, मजदूरों के शोषण के ऊपर और सारे देश के अन्दर जो गरीब तबका है, उसकी पूरी तरह से तबाही करके, हमारे यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाकर, उनके धन्ना सेठों को लाकर भारत के ऊपर शोषण करने के लिए, नई औद्योगिक नीति हमारे देश के अन्दर लाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। एम्पलायमेंट ओरिएंटेड योजना हो, वोकेशनल एजूकेशन ट्रेनिंग के लिए रुपया खर्च किया जाए। हमारे देश के अन्दर जितने व्यक्ति हैं, उनको दो जून की रोटी भी नहीं मिलती है। अगर आप शहरों के अन्दर जाएं, तो सड़कों के ऊपर देखेंगे कि जहां पर खाना खाने के बाद अपनी जूठन फेंकी जाती है, तो उसमें एक ओर तो कुत्ते उसको खाने के लिए दौड़ कर आते हैं और दूसरी तरफ, मेरे इस देश का दुर्भाग्य है, गरीबों के बच्चे वहां उनके बीच में दौड़ कर खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश के अन्दर हमने लेबर के लिए, श्रम के लिए विशेष तौर से एग्रीकल्चरल लेबर के लिए हमने किसी प्रकार से उनको राहत देने का प्रयास नहीं किया। आर्गेनाइज्ड लेबर, जो कि बैंक्स, एल० आई० सी० की हैं जिनकी ट्रेड यूनियन्स हैं, उनके पास इफैक्टिव शक्ति है, वे स्ट्राइक कर सकते हैं। वे सरकार को बाध्य कर सकते हैं या उद्योगपतियों को बाध्य कर सकते हैं। उन्हें तो फिर राशि मिल जाती है। गांवों के अन्दर गरीब किसानों के पास, जो खेतिहर मजदूरी करते हैं, जिनकी खेती वर्षा पर निर्भर होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की राहत इस राष्ट्र में नहीं है। हमने यह तय किया, लेबर के लिए कमीशन बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट दी और पिछले समय में यह कहा गया कि कम से कम मिनिमम वेज 20 रुपए होगी। जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ी है, वह मिनिमम वेज भी कम हो गया और वही मिनिमम वेज आज भी दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि कई प्रदेशों के अन्दर, मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा, आज ऐसी स्थिति है कि उनको मिनिमम वेज नहीं दी जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर 15 रुपए मिनिमम वेज है, बिहार में 16.50, गुजरात में 15.00, गोवा में 12.00, जम्मू-काश्मीर में 15.00, कर्नाटक में 12.00, केरल में 12.00 और मध्य प्रदेश में 13.00 तथा महाराष्ट्र में 12.00 रुपए मिनिमम वेज है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपाय करने में असफलता। (1)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने में असफलता। (2)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश के युवकों में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए कारगर उपाय करने में असफलता। (3)

श्री हराधन राय (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कर्मकारों के हित में "एग्जिट नीति" को रद्द करने में असफलता। (4)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की रिफैक्टरी और सिरेमिक इकाइयों के कर्मकारों के लिए अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने में असफलता। (5)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय करने में असफलता। (6)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

गुप्त मतदान के माध्यम से संघ को मान्यता देने की आवश्यकता। (15)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता को क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (16)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

महिलाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने में असफलता। (7)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बाल श्रम के शोषण पर रोक लगाने में असफलता। (8)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

कर्मकारों को छंटनी से बचाये जाने की आवश्यकता (14)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

ऐसे सभी कर्मकारों तथा कर्मचारियों के लिए, जिनकी छंटनी की गयी है, उत्पादक स्व-रोजगार योजना हेतु वैकल्पिक नौकरियां या जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (23)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता (74)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

उद्योग के उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभ में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (75)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

एक व्यक्ति को एक नौकरी तक सीमित रखने तथा अन्य सभी लोगों के लिए उत्पादक स्वरोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (76)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

प्रत्येक उद्योग में गुप्त मतदान के माध्यम से केवल एक ही श्रम संगठन बनाये जाने की आवश्यकता (77)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की रामेश्वर नगर (बिहार) इकाई में कार्य आरम्भ करके कर्मकारों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता। (78)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करके बन्द पड़े तथा घाटा दिखाने वाले उद्योगों को पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता। (79)

श्री राजेश कुमार (गया) : मैं प्रस्ताव करता हूं।—

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता के लिए उचित उपाय किए जाने में असफलता। (61)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने में असफलता। (62)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश में शिक्षित युवकों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में असफलता। (63)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

महिलाओं के लिए नौकरी के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफलता। (64)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बाल श्रम के शोषण, विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के शोषण पर प्रभावी रूप से रोक लगाने में असफलता। (65)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कृषि श्रमिकों के लिए वर्ष भर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराने का आवश्यकता। (66)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उन्हें पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता। (67)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

कर्मकारों को छंटनी से बचाने के लिए उचित उपाय किये जाने की आवश्यकता। (68)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

देश में विभिन्न खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक कल्याण निधि का गठन किए जाने की आवश्यकता। (69)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

औद्योगिक इकाइयों में तालाबन्दी, कामबन्दी तथा बन्दी पर प्रतिषेध लगाकर कर्मकारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता। (70)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता। (71)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

विभिन्न उद्योगों में ठेका श्रम प्रणाली का उत्सादन किये जाने की आवश्यकता। (72)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

छंटनी किये गये कर्मकारों के लिए जीवनयापन/स्व-रोजगार के उचित साधन उपलब्ध कराके उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता। (73)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना के विस्तार की आवश्यकता। (97)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान की आवश्यकता। (98)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए जिनकी छंटनी की गयी है, वैकल्पिक नौकरियां या जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (99)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

समुचित रोजगार हेतु देश में युवाओं को उचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता। (100)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (101)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

कर्मकारों को छंटनी से बचाने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता। (102)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कृषि तथा अन्य कार्यों में नियोजित महिलाओं तथा बाल श्रमिकों की कार्य दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (103)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

विशेष रूप से राजस्थान में अनुसूचित जातितों के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (104)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

बाल श्रम से सम्बन्धित नियमों को प्रभावकारी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता। (105)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (106)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कृषि श्रमिकों के लिए वर्ष भर रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (107)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

गुप्त मतदान के माध्यम से श्रमिक संघ को मान्यता देने की आवश्यकता। (108)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (109)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की आवश्यकता। (110)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

देश में विभिन्न खानों में काम करने वाले कर्मकारों के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (111)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

विभिन्न उद्योगों में ठेका श्रम प्रणाली का उत्सादन किए जाने की आवश्यकता। (112)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता। (113)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

राष्ट्रीय श्रम नीति तैयार करने की आवश्यकता। (114)

सभापति महोदय : अब हम विधेयकों के पुरःस्थापन पर चर्चा करेंगे।

———

3.30 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 155 में संशोधन)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.31 म० प०

गुवाहाटी में उच्च न्यायालय (सिलचर में स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिल्चर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिल्चर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

———

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 158 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 24-4-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.32½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्रीमती दिल कुमारी भंडारी द्वारा 10 अप्रैल, 1992 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात्—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : सभापति महोदय, श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया और जिस पर पिछली बार उन्होंने अपने विचार रखे और मैंने भी अपने विचार रखे, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि सरकार इस विषय में जितनी जल्दी निर्णय कर सके, उतना ही ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, यह एक विडम्बना है कि नेपाली और मणिपुरी दोनों ऐसी भाषायें हैं जो अपने-अपने प्रदेशों में, जहां पर इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, वहां पर अधिकृत रूप से मान्यता प्राप्त है जो बहुत समय से और वर्षों से है। सिक्किम तो पहले हमारे हाथ में नहीं था लेकिन आज सिक्किम की अधिकृत भाषा नेपाली है। फिर पश्चिमी बंगाल में भी नेपाली भाषा को मान्यता प्राप्त है क्योंकि पश्चिमी बंगाल के एक प्रमुख हिस्से में और विशेषकर दार्जिलिंग में नेपाली भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार से मणिपुरी मणिपुर में राजभाषा है, अदालत की भाषा है और इसका एक प्राचीन इतिहास है, साहित्य है और इसीलिए यह तर्क देना कि इन्हीं दोनों भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से अन्य जो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित

होने वाले दावेदार भाषायें हैं, उनके साथ अन्याय हो जायेगा, मैं इस तर्क को ठीक नहीं मानता। मैं तो यह कहता हूं कि उनका जो दावा है, उसको अलग तौर पर विचार करके उसके बारे में निर्णय किया जाये।

मैं उनकी गिनती नहीं करवाता हूं। कम से कम चार-पांच भाषाएं मेरे ध्यान में हैं कि जिनके बारे में लगातार मांग की जाती है कि इनको भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन वह चार-पांच भाषाएं ऐसी हैं जो अपने-अपने प्रदेश में भी मान्यता प्राप्त नहीं हैं यद्यपि उनको प्रदेश में भी मान्यता मिलनी चाहिए। नेपाली के मामले में, मणिपुरी के मामले में प्रदेश की इकाई ने ही सिफारिश नहीं की है तो जैसे नेपाली है, तो नेपाली के बारे में चार अलग-अलग प्रदेशों की विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से मांग की है कि नेपाली को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस समय इंद्रजीत जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं इस संदर्भ में उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि खासकर पिछली बार जब इंद्रजीत जी ने आपत्ति की थी तो मैंने सहज रूप से कहा था कि अगर भाषा पर सहमति है और भाषा का नाम क्या होना चाहिए इसी पर कोई विवाद है तो फिर आप ऐसा करिए कि "नेपाली-गोरखाली" करके मान्यता दे दीजिए। लेकिन बाद में जब मुझे बहुत सारे नेपाली भाषी लोग मिले तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि यह "नेपाली" शब्द पर आपत्ति क्यों है और उस आपत्ति को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं इस "नेपाली-गोरखाली" के पक्ष में हिमायत नहीं कर सकता और मैं आग्रह करूंगा, वैसे ही मेरी पार्टी का जो घोषणा-पत्र है, उसमें केवल नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को मान्यता देने की बात की गई है और मैं समझता हूं कि इस कारण दिल कुमारी भंडारी जी का जो विधेयक है, उसका मैं ज्यों का त्यों समर्थन करने का पक्षपाती हूं। उसमें गोरखाली को आदि शब्द को लाने से यह विवाद खड़ा होता है। मैं उसका भी उल्लेख करूं क्योंकि जिन्होंने इस विवाद को खड़ा किया है, उनका कहना है कि नेपाली विदेशी भाषा है इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता और मानता हूं कि यहां पर बसे हुए लोग वर्षों से रहने वाले नेपाली भाषी लोग हैं, उनके बारे में यह धारणा पैदा हो कि विदेशी हैं, यह बहुत ही गलत होगा और इसीलिए जो "नेपाली" शब्द का प्रयोग विधेयक में किया गया है, उसका ज्यों का त्यों समर्थन करने का मैं पक्षपाती हूं।

मैं एक बात कहकर इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, वह यह है कि हमारा यह लोकतंत्रीय देश है और यदि लोकतंत्रीय देश में किसी भी चीज को सरकार से मनवाने की जो विधि है उस विधि का आदर होना चाहिए। अब तक माना जाता था कि अगर बहुत बड़ा समुदाय है जो वैधानिक रूप से आकर अपनी पैटिशन देता है, रिप्रजेंटेशन देता है, प्रस्ताव पास करता है और उसी आधार पर चुनाव लड़कर जीतकर आता है इत्यादि-इत्यादि, तो स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वे इन बातों को देखकर उसका आदर करके बात खत्म करेंगे। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जनसाधारण में यह भावना फैल रही है कि केवल प्रस्ताव पास करना, केवल जाकर ज्ञापन देना, यूनैनिमस रिसॉल्यूशन करवा देना भी पर्याप्त नहीं है जब तक कुछ दंगा-फसाद उसके साथ नहीं होता। जब तक उसके साथ कुछ हिंसा नहीं होती तब तक नई दिल्ली के कान पर जूं नहीं रेंगती। यह धारणा बहुत ही खतरनाक है और इस धारणा को बढ़ने नहीं देना चाहिए और इस कारण भी..., मैं अभी पिछले दिनों मणिपुर गया था

और वहां पर मैंने जो स्थिति देखी—वहां पर लोगों को उत्तर नहीं दिया जा सकता कि क्यों सरकार मान्यता नहीं दे रही जबकि इतनी बार विधान सभा की ओर से कहा गया है, वहां की सारी जनता कह रही है, एक-एक पक्ष कह रहा है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप वहां पर कुछ महीनों से एक आन्दोलन चल रहा है जो आठवीं अनुसूची की बाकी सब भाषाओं के खिलाफ है। क्योंकि हमको मान्यता नहीं देते तो हम भी आपकी बाकी भारत की भाषाओं को मान्यता नहीं देते। कोई फिल्म दूसरी भाषा की आएगी तो हम नहीं चलने देंगे, कोई बोर्ड लगा हुआ होगा किसी और भाषा को तो हम उसको हटा देंगे। यह जो स्थिति है, मैं समझता हूं उसमें किसी दूसरी भाषा का विरोध निहित नहीं है। वे किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। जब मैं वहां गया था तो मैं हिन्दी में ही बोला था, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि आप हिन्दी में मत बोलिये, हमें हिन्दी पसन्द नहीं है बल्कि उन्होंने हिन्दी में मेरी बात सुनी। अगर हम बाहर देखें तो लगेगा कि जैसे वे हिन्दी के विरोधी हैं और हिन्दी में लिखे बोर्ड के विरोधी हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि वे हिन्दी के विरोधी नहीं हैं, वे भारत के भी विरुद्ध नहीं हैं बल्कि इस बात से वे अपनी इस वेदना को व्यक्त करते हैं कि हमारी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है और इस वेदना को इस सीमा तक जाने नहीं देना चाहिये।

नेपाली के बारे में, मैं इतना जानता हूं कि सिक्किम के मुख्य मंत्री स्वयं मुझसे कम से कम तीन बार इस विषय में मिले थे। इस सदन के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने, सांसदों ने, 100 से अधिक की संख्या में, लिखकर दिया है, इस सरकार को भी, इससे पिछली सरकार को भी और उससे पिछली सरकार को भी, वे लगातार ज्ञापन देते आये हैं, लगातार प्रस्ताव करते आये हैं, और जो वैधानिक ढंग हो सकते हैं जनमत को अभिव्यक्त करने के, उनकी अभिव्यक्ति होती रही है। उसके बावजूद भी जब यहां से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा निवेदन मैंने प्रारम्भ में किया था और मैं जानता हूं कि यह एक गैर-सरकारी विधेयक है और यहां एक परम्परा बनी हुई है, गैर-सरकारी विधेयक पर मोटी-मोटी बातें कह देना और दूसरी तरफ से आग्रह करना कि आपकी बात में वजन है, आपकी भावना का हम आदर करते हैं लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने विधेयक को वापस ले लीजिये और उस आधार पर विधेयक वापस ले लिया जाता है। मेरा कहना यह है कि गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, यह मामला ऐसा है जिसमें जितना भी विलम्ब किया जायेगा, उतना ही नुकसान हो रहा है। धरती पर नुकसान हो रहा है और धरती पर होने वाले नुकसान को रोकने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, वे मुझसे सहमत होंगे कि शैडयूल में किसी भाषा को जोड़ देने से, सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ता, एक कौड़ी का भी, एक पैसे का बोझ भी नहीं पड़ता। हां, संविधान के उस पृष्ठ को छापने में, प्रिंट करने में जरूर कुछ व्यय आयेगा परन्तु उतना व्यय तो एक गैर-सरकारी विधेयक का भी पड़ जाता है। (व्यवधान)

इसलिये जब मैंने इस विधेयक को देखा तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा यह विधेयक है और इसमें कोई कमी भी नहीं रहती, इसलिये इसे यदि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाये तो

बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसे जैकब साहब आज ही स्वीकार कर सकते हैं और एक इतिहास बना सकते हैं।

जहां तक मुझे याद है, स्मरण आता है कि हिन्दुस्तान में केवल एक ही बार एक गैर-सरकारी विधेयक पारित किया गया था, पास हुआ था, और वह था—फिरोज गांधी विधेयक, जिसे बाद में फिरोज गांधी विधेयक के नाम से पुकारा जाने लगा। उसमें यह था कि संसद की कार्यवाही या विधान मण्डलों की कार्यवाही को कवर करने वाले जो पत्रकार हैं, पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए, यदि वे किसी कार्यवाही को ठीक प्रकार से कवर करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जैसे किसी सांसद के ऊपर कोई डिफेमेशन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही उनके ऊपर भी नहीं हो सकता।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे तो प्रधानमंत्री के दामाद थे। अगर बाकी सदस्य भी दामाद के रूप में पेश करें तो यह सरकार उसे मानेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल इसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूं क्योंकि वह एक प्रिसिडेंट है। इस विधेयक में कानूनी तौर पर यदि कोई कमी हो तो उसको दो मिनट में एक आफिशीयल संशोधन लाकर ठीक किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि जिन 7-ए और 8-ए का इसमें जिक्र है, जैसे पहले जब भी परिवर्तन हुआ है, वे 7-ए और 8-ए न होकर, उन्हें री-नम्बरिंग किया जा सकता है, जहां पर भी वे आती हैं, दोनों भाषाएं जोड़ी जा सकती हैं और फिर 15 के स्थान पर 17 भाषाएं उसमें हो जायेंगी, अनुसूची में। यदि इन्हें 7-ए और 8-ए के स्थान पर भी रखें तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन 7-ए और 8-ए को बदल कर, उन्हें और किसी स्थान पर लिखना चाहें, 8 नम्बर की भाषा 10वें नम्बर पर लिख दी जाये, सभी भाषाओं की री-नम्बरिंग कर दी जायें तो वह सारा काम दो मिनट में हो सकता है और मुझे विश्वास है कि सारा सदन इससे सहमत होगा, इसे मान लेगा। लेकिन मेरा एक अनुरोध इस मामले में यह है कि समय का महत्व है, टाइम की महत्ता है, इसे पहचान कर, इसे एक साधारण विधेयक हम न मानें बल्कि एक अहम विधेयक मानें और सरकार इसे स्वीकार कर ले। यही अनुरोध करते हुए मैं श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी के विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

3.45 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

सभापति महोदय : मैं श्री मोरेश्वर सावे को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति देता हूं। श्री मोरेश्वर सावे।

*दिनांक 24-4-1972 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोरेश्वर सावे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.45-1/2 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)—जारी

सभापति महोदय : सदन श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखेगा। अब श्री झांट्ये बोलेंगे।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा लाए गए विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं, जिसमें मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई है। इससे इन भाषाओं को उचित मान्यता मिलेगी तथा इससे इन भाषाओं को बोलने वाले लाखों लोगों की इच्छाएं भी पूरी होंगी और ये भाषाएं और समृद्ध होंगी।

एक दूसरी भाषा, जिसे बहुत पहले ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए था, वह है कोंकणी भाषा। गोवा इस भाषा का मुख्य बिन्दु है और गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों में 50 लाख से अधिक लोग इस भाषा को बोलते हैं।

कोंकणी एक आधुनिक भारत-आर्य भाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की भांति कोंकणी की व्युत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है तथा मराठी। हिन्दी और गुजराती से इसका घनिष्ठ संबंध है। यह गोवा की राजभाषा है तथा प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम है। फिलहाल यह सेकण्डरी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का एक विषय भी है। यह अखिल भारतीय स्तर पर प्राध्यापकों की भर्ती और कनिष्ठ अनुसंधान शोधवृत्ति प्रदान करने के लिए यू०जी०सी०/एन०ई०टी० परीक्षाओं के लिए निर्धारित विषयों में भी शामिल है।

सन् 1975 में साहित्य अकादमी, जो कि देश में सर्वोच्च साहित्यिक संस्था है, ने कोंकणी को देश की स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। तब से कोंकणी भाषा के कवियों

और लेखकों को भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं ।

कोंकणी में हर वर्ष सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । कोंकणी भाषा की पुस्तकों के मुख्य प्रकाशन केन्द्र गोवा, बम्बई, मैंगलूर और कोच्चि हैं । गोवा, बम्बई, मैंगलूर और केरल से कई पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । आकाशवाणी के मुम्बई केन्द्र से कोंकणी भाषा में एक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किया जा रहा है ।

कोंकणी भाषियों की प्रबल भावनाओं को समझते हुए गोवा विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है । अगस्त, 1988 में टोरन्टो, कनाडा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय गोवाई सम्मेलन ने भी इन मांगों को के लिए एक पत्र केन्द्र को भेजा है । परन्तु आश्वासनों के अतिरिक्त सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

कोंकणी भाषी समुदाय उसके द्वारा पिछले चार दशकों से अधिक समय से बार-बार उठाई जा रही उचित मांगों के प्रति दिखाई जा रही उदासीनता से बेचैन हो रहे हैं । कोंकणी भाषियों में अब यह भावना जागृत हो रही है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है । असंतोष की इस भावना को महसूस करते हुए कर्नाटक राज्य में कारवाड़ में 8 और 9 फरवरी, 1992 को आयोजित हुए ग्यारहवें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य सम्मेलन में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से कोंकणी भाषा को अविलंब भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा कोंकणी भाषी समुदाय के साथ अब तक हो रहे अन्याय को समाप्त करने का आग्रह किया गया है । अत: सरकार से हमारी गुजारिश है कि मणिपुरी और नेपाली भाषाओं के साथ ही कोंकणी भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी ने इस सदन में दिल जीतने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया है । इसलिए मैं अपना और अपने दल का दिल उन्हें समर्पित करता हूं ।

बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज का सभी पक्षों की ओर से समर्थन निरन्तर किया जाना चाहिए उस चीज के लिए भी सरकार की परिपाटी और परम्परा हो गई है कि जब तक किसी प्रश्न पर विद्रोह का स्वर नहीं उभरेगा, तब तक सरकार उसके न्यायसंगत प्रसंग को स्वीकार करते हुए भी उसे कानून का स्वरूप नहीं देती है । महत्वपूर्ण प्रश्न पर निरन्तर आश्वासन के बावजूद आठवीं अनुसूची में इसको अधिकार नहीं मिलता, दर्जा नहीं प्राप्त होता ।

आज वहां हिन्दी के विरुद्ध बगावत हो रही है । क्यों हो रही है ? एक भावना उनके अंदर पैदा हो गई कि हिन्दी का जो साम्राज्यवाद है वह मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध है । यह बात वहां तक पहुंच गई है । भारत का संविधान क्या कहता है । भारत का संविधान और भारत के राष्ट्रपति कहते हैं, 345 धारा में :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा लेकिन जिसका इसके पहले प्रयोग किया जाता था। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलकर यह आयोग बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और यह आयोग संघ के शासकीय प्रयोग के लिए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग संघ के सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए की जाने वाली भाषा और उसके स्वरूप के विस्तार के ऊपर शासन को सुझाव देगा।"

आज मणिपुरी को स्वीकार न करने से हिन्दी के विस्तार, फैलाव और उसके अधिकाधिक प्रयोग की जो हमारे संविधान की भावना और मंशा है, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। इसलिए संविधान की धारा 343 और 344, यदि इसकी मंशा को पूरा करना है तो मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में स्वीकार किया जाना चाहिए।

दूसरी धारा 347 में कहते हैं :

"यदि इस निमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति महोदय को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वाका मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य के सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे, शासन द्वारा मान्यता दी जाएगी"।

इस अधिकार के तहत अदालत की भाषा मणिपुर में मणिपुरी हो गई। विधानमंडल की भाषा मणिपुरी होगी, माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की सम्पूर्ण भाषा मणिपुरी होगी, लेकिन केन्द्र के साथ पत्राचार की भाषा मणिपुरी न होने से एक अलगाववादी प्रवृत्ति इस क्षेत्र में घर कर रही है। इसलिए शासन का दायित्व है कि सम्पूर्ण भारत में यदि समरसता का भाव पैदा करना है तो जिन इलाकों में जो क्षेत्रीय भाषायें बोली जाती हैं, नये सिरे से उनका समावेश किया जाना चाहिए।

1968 में इस सदन में एक नया विधेयक प्रस्तुत करके सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में हिस्सा बनाया गया था। हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि नेपाल का बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजों ने संधि करके गोरखाओं से अपनी सुख और सुविधा के लिए भारत से मिलाया था और बहुत सारा हिस्सा भारत का नेपाल को उस संधि के तहत दिया था। इस नतीजा यह है कि आज उत्तरी हिन्दुस्तान का पूरे कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल का इलाका और गोरखपुर और बिहार से मिला हुआ नेपाल का जो तराई का इलाका है, उस सम्पूर्ण इलाके से उत्तर प्रदेश और बिहार का घनिष्ठ संबंध है। इस सम्पूर्ण इलाके में नेपाली भी बोली जाती है।

सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं है। एमरजेंसी के बाद यह स्थिति आई कि भारत के सम्पूर्ण भूगोल का हिस्सा सिक्किम भी बन गया। हमारे संविधान के तहत उसे एक राज्य का

दर्जा दिया गया। जब संविधान लिखा जा रहा था, जब भाषाओं का प्रावधान किया जा रहा था, जब राजभाषा ऐक्ट बन रहा था तो उस समय सिक्किम भारत में न रहने से नेपाली को भारत की भाषाओं में सम्मिलित न करके एक चूक हो गई थी। उसका एक बहाना था, उसका एक कारण था। जब सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया और उस सम्पूर्ण राज्य के सम्पूर्ण कामकाज की भाषा नेपाली है तो उसको भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न किए जाने का कोई तार्किक आधार नहीं है। इसलिए नये सिरे से आज जो सम्पूर्ण भारत के संघीय स्वरूप पर आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण के पीछे भाषा भी एक कारण है। भाषा केवल इसलिए नहीं अनुसूची में शामिल की जानी चाहिए कि कोई सम्पन्न और बड़े इतिहास और बड़ी लम्बी परंपरा वाली भाषा है बल्कि इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए कि भाषायें आंचलिक जीवन को वहां की सांस्कृतिक विरासत को, वहां के इतिहास को, वहां की परम्परा को प्रतिध्वनित करने वाली एक बहुत बड़ी परम्परागत शब्दावली है। यदि हम भारत की एकता चाहते हैं, समरसता चाहते हैं तो उस विरासत को उस संस्कृति को भारत में समाहित करने के लिए इन दोनों भाषाओं को, जो पूर्वी हिन्दुस्तान की प्रमुख भाषायें हैं, भारत के संविधान में उन्हें दर्जा दिया चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जो दिल कुमारी भंडारी जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका पुरजोर तरीके से इसलिए अनुमोदन करता हूं कि आज पूर्वी हिन्दुस्तान में जो अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें भाषा भी एक बहाने के रूप में काम कर रही है, एक उकसावे के रूप में काम कर रही है। वह बहाना और उकसावा खत्म हो जाए क्योंकि सुनीत कुमार चटर्जी जैसे महान जो लिंगविस्टिक सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे और प्रवर्तक थे, उन्होंने इस बात को कहा कि सीमित दायरे में मणिपुरी बोली जाती है लेकिन भाषा के हिसाब से इतनी सम्पूर्ण भाषा हिन्दुस्तान की बहुत कम भाषायें होंगी। ऐसा उस महान विद्वान और महान विचारक का ख्याल और विचार है। जितने संस्कृत के ग्रंथ हैं—चाहे रामायण हो, महाभारत हो, त्रिपिटक हो प्राकृतिक भाषा के, जो जन-साधारण से संबंधित जितने धर्म ग्रंथ हैं, सबका अनुवाद मणिपुरी भाषा में मिलेगा। जो संस्कृत का सम्पूर्ण वांग्मय है, उसका अनुवाद मणिपुरी में मिलेगा। भाषा की प्रचुरता, विशालता और सम्पन्नता के हिसाब से मणिपुरी का एक अधिकार बनता है कि भारत की भाषाओं में उसको शामिल किया जाए।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं दिल कुमारी भंडारी जी के इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि केवल इसलिए इसकी उपेक्षा न हो कि यह किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ विधेयक है; बल्कि सरकार ही इस देश के पूर्वी हिन्दुस्तान की जनता का दिल जीतने के लिए इस विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करें। इसी के साथ आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने राय रखने के लिए समय दिया।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रीमती दिल कुमारी भंडारी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया। वास्तव में वह उन विभिन्न

दलों के अनेक सदस्यों की भावनाओं का प्रतीक हैं जो इसी सभा में ऐसे ही विधेयक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में लाना चाहते थे। दुर्भाग्य से, पहले इन विधेयकों को इस सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। लेकिन इस समय मैं सत्ता पक्ष और सरकार से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

हमारे देश में सभी राजनैतिक दल नेपाली और मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के पक्ष में हैं। श्री आडवाणी ने गैर-सरकारी सदस्य के एक विधेयक का उल्लेख किया है जिसे इस सभा ने स्वीकार करके कानून बनाया था। मेरे पास ऐसे चौदह उदाहरण हैं जबकि इस सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को सरकार के सहयोग से पारित किया गया है और कानून बनाया गया है। मैं इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के मामले में भी ऐसा ही चाहता हूं।

महोदय, यह विधेयक इस भावना से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तेजित हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाली सदस्या तथा अन्य माननीय सदस्यों ने हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी को शामिल करने के लिए बहुत जोरदार तर्क दिए हैं। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि इस सभा अथवा सरकार के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि इन दोनों भाषाओं को शामिल करने से इंकार किया जाए। वस्तुत: यदि तीसरी भाषा पर भी विचार किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए यह मांग है कि कोंकणी को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। कोई भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि कुछ भाषाओं को संविधान में क्यों शामिल किया गया और इतनी ही विकसित, साहित्य, विज्ञान व जीवन के विभिन्न पहलुओं को उतने ही रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने में सक्षम कुछ अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसूची में स्थान क्यों नहीं मिला और उन्हें मान्यता क्यों नहीं दी गई? क्या हमारे देश में ऐसे भेदभाव को और अधिक अनुमति दी जा सकती है? क्या विभिन्न भाषाओं के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार किया जा सकता है? यदि कोई मुझसे पूछे कि आठवीं अनुसूची में बंगाली क्यों शामिल है और नेपाली क्यों नहीं, तो मेरे पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। श्री सुभाष घीसिंग कह सकते हैं कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल न किया जाए क्योंकि यह विदेशी भाषा है, दूसरे देश में बोली जाती है। यह बहुत गलत तर्क है। तब अंग्रेजी का जन्म भी विदेशी भाषा के रूप में हुआ है वह भी आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं की जा सकती थी।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : क्या वास्तव में उन्होंने आपत्ति की थी?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : समाचारपत्रों में ऐसा उल्लेख था। मुझे वास्तव में नहीं पता। मेरा कहना है कि इस प्रकार का भ्रम पैदा करना आवश्यक नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसमें इस प्रकार का भ्रम पैदा करने की क्या जरूरत है। यह बहुत पुरानी मांग है कि आठवीं अनुसूची में नेपाली को शामिल किया जाए। यह मांग सभी दलों की है और विभिन्न दलों ने इस मांग का समर्थन किया है। बहुत पहले, स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की थी कि इन दोनों भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। महोदय, हमारे देश की चार राज्य

विधान सभाओं—पश्चिम बंगाल विधान सभा, त्रिपुरा विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा और सिक्किम विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव एक बार नहीं अनेक बार पारित किया है लेकिन अगर इसके बावजूद भी सरकार इस भाषा को मान्यता देने से इंकार करती रहेगी तो देश के इस भाग में रह रहे लोग अपने को पृथक् समझेंगे और विभिन्न विखंडनकारी ताकतों का शिकार हो जाएंगे। भाषा एकता का माध्यम होना चाहिए। हम देश में एकता समाप्त करने के लिए इस भाषा के मुद्दे को अनुमति नहीं दे सकते। यह बहुत पुरानी भाषा है। मैं इसके विकास के साहित्य का अध्ययन कर रहा था और मैंने पाया कि वर्ष 1975 में नेपाली भाषा को साहित्य अकादमी ने एक मुख्य भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी। मैंने पाया कि 1911 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नेपाली को क्षेत्रीय विपत्र के रूप में शुरू किया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1921 में ऐसा किया गया था। नेपाली उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में डिग्री स्तर तक शिक्षा का माध्यम है और ऑनर्स तथा पी० एच० डी० के छात्रों के लिए एक ऐच्छिक विषय है। नेपाली पश्चिम बंगाल में लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भी मान्य है। नेपाली पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षा का माध्यम है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने नेपाली अकादमी का गठन किया है। यह आकाशवाणी के गंगटोक स्टेशन तथा कर्सियांग स्टेशन में प्रसारण की मुख्य भाषा है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को कहना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि किसी प्रकार की देरी इस मामले में घातक होगी।

मैं नहीं समझता कि अगर कोई वित्तीय मामला नहीं है तो क्यों कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लिया गया है और कुछ अन्य को यह दर्जा नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि मणिपुरी एक बहुत पुरानी भाषा है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह साहित्यिक रंग देने, मानव के विचारों को व्यक्त करने में बहुत समृद्ध है। यह बहुत समृद्ध विरासत लिए हुए है। ये लोग काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं। वे यहां नई दिल्ली आए थे और अनशन किया था। हम इन लोगों से मिले। मणिपुर में जो आन्दोलन हो रहा है आडवाणी जी ने उसका उल्लेख किया था। उनमें असंतोष है और वे इस बारे में उत्तेजित हैं। वे कह सकते हैं कि यदि उनकी भाषा को मान्यता नहीं मिली तो वे अपने स्थान पर अन्य भाषा के प्रसार के किसी कार्यक्रम को अनुमति नहीं देंगे। हम इसे अलगाववादी आन्दोलन के रूप में नहीं मानते; यह मणिपुर के लोगों का सही आन्दोलन है। वे यहां आए थे और हम उन्हें देश के प्रधानमंत्री के पास ले गए थे। भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें विभिन्न बोलियां होती हैं। हम समझते हैं कि हमें अपनी एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। यदि हम ऐसी सभी भाषाओं को उचित मान्यता दे दें तो इससे क्या नुकसान होगा ? हम इस बारे में गलत सोचते हैं। हम यह गलत सोचते हैं कि एक भाषा को लागू करके ही हम देश की एकता और अखंडता की वास्तव में रक्षा कर सकते हैं। नहीं। एक विशेष भाषा पर एक विशेषाधिकार लाद कर और यही विशेषाधिकार अन्य भाषाओं को न देकर हम इस एकता और अखंडता को कायम रखने में मदद नहीं कर रहे। हम एकता के विकास में मदद नहीं कर रहे। हम वास्तव में लोगों में विषमता उत्पन्न करने में मदद कर रहे हैं।

भाषाओं के मामले में हमारा रवैया एकदम स्पष्ट है। देश में कुछ भाषाएं हैं जिनकी अपनी

लिपि नहीं है। ऐसी भाषा त्रिपुरा में थी। कोगबरक भाषा है। पहले उनके पास इस भाषा की लिपि नहीं थी। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने उनकी मदद की और वास्तव में इसके लिए एक लिपि विकसित की गई। पार्टी ने यह नहीं किया बल्कि लोगों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों ने ऐसा किया। यह लोकतांत्रिक रवैया होना चाहिए। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी शिक्षा प्राप्त करने और सरकार से सम्पर्क करने में अपनी भाषा के उपयोग की अनुमति दी जाए। हम ऐसा अधिकार देकर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें लोग स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। हमने विभिन्न पार्टियों के दो सौ से भी अधिक संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया था। मैं आपको एक बात बताता हूं। हमने प्रधानमंत्री से जो वार्ता की वह पहली बार सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि : "सरकार जिस प्रकार आंखें बन्द किए हुए थी वह और अधिक नहीं चल सकती"। उन्होंने कहा कि : "कोई शुरूआत होनी चाहिए। सूची को विस्तृत करना होगा।" उन्होंने संकेत दिया और मुझे खुशी है कि तीन भाषाओं के मामले में सरकार के विचार बहुत आगे हैं। यदि ऐसी बात है और प्रधान मंत्री ने यह बात गृह मंत्री को बता दी थी, तो उन्हें एक स्पष्ट वचन देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और इस सभा द्वारा इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को स्वीकार करने में मदद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भाषा के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से निपटना है।

हमारे यहां पर विकसित, कम विकसित और अविकसित, अनेक भाषाएं हैं। हमारे यहां अनेक बोलियां हैं। हमें उनके बारे में एकदम जानकारी नहीं थी। हमारा बहुत बड़ा और महान देश है जिसमें अनेक भाषाएं हैं और विश्व को सही तरीके से बताया जाए और इसमें गलत नहीं है कि वैधानिक तरीके से कि इस देश में 2000 भाषाएं एक सम्पर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही हैं और यह किसी तरह से थोपा हुआ नहीं है, किसी को विशेषाधिकार और अन्य को इससे इन्कार करना नहीं है। इसलिए यदि कोई वास्तव में एकता को बढ़ावा देना चाहता है और हमारे सदस्यों में देश में एक सम्पर्क भाषा की भावना है तब उसे यह सुनिश्चित करने में भी निष्ठा दिखानी चाहिए कि अन्य सभी भाषाओं, जिनके बारे में हमारे देश में मांग है कि उन्हें उचित मान्यता दी जाए और उचित स्थान दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह मांग लोकतांत्रिक मांग है और इसे स्वीकार किया जाए। इसे एक लोकतांत्रिक आन्दोलन द्वारा भी समर्थन दिया गया है।

यदि हम वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमारा दिमाग वैज्ञानिक तरीके से कार्य कर रहा है तो हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए।

इसलिए मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि आठवीं अनुसूची को बड़ा करने में कुछ गलत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। यदि हम इन तीन या दो भाषाओं को अनुमति दे दें तो अन्य मांगें भी आ सकती हैं।

हमें इससे डरना नहीं चाहिए; हमें इससे नुकसान नहीं होगा। हमें लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को बढ़ने देना है और इसी तरीके से हम इस देश की एकता को मजबूत करने में मदद करेंगे और हमने पहले जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं वे और अधिक उपलब्धियां होंगी, जब हमें नई सभ्यता के लिए समृद्ध विरासत को आगे ले जाना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि सरकार पहल करेगी और इस विधेयक का वास्तव में समर्थन करेगी और इस विधेयक के माध्यम से की गई इन मांगों को शामिल करने में और अधिक देरी नहीं करेगी।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का आपने जो अवसर दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी जी ने दो समृद्ध भाषाओं, मणिपुरी और नेपाली; को मान्यता देते हुए आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के पारित होने की कम ही गुंजाइश होती है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में गैर-सरकारी विधेयक को पारित करना, इस महान सभा की प्रक्रिया अथवा प्रथा नहीं है; लेकिन यह किसी मुद्दे को प्रकाश में लाने का, अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे को सभा के ध्यान में लाने का और चर्चा के द्वारा सम्पूर्ण देश को इस अविलम्बनीय कार्य की आवश्यकता को बताने का अवसर देता है। इस संदर्भ में इस विधेयक का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण है हालांकि मैं इस विधेयक को पारित करने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मुझे, श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी जी से, जिन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था, यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं विधेयक की अन्तर्वस्तु और उसमें निहित भावना का समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी जी का भाषण सुनने के बाद, यदि मैं ऐसे कहूं कि क्या मैं उन्हें ये याद दिला सकता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल के दौरान क्या-क्या घटना घटी थी। यद्यपि मैंश्री सैफुद्दीन चौधरी के भाषण को सुनने तक ऐसा नहीं कहना चाहता था। मार्क्सवादी दल इस सरकार का समर्थन कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री वी०पी० सिंह जी से स्पष्ट रूप से यह आश्वासन मिला था कि नेपाली भाषा को स्वीकृति मिलेगी। लेकिन अभी भी वह समस्या बनी हुई है।

जब वर्ष 1977-80 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, कम से कम श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी जी ये जानती होंगी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेपाली भारतीय भाषा नहीं है। आपको ये बातें नहीं भूलना चाहिए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : नेपाली भाषा को बोलने वाले भारतीयों ने उसका पर्याप्त रूप से विरोध एवं खण्डन किया। और भारत सरकार, जहाँ अब कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, ने कहा था कि नेपाली भाषा को 'विदेशी भाषा' नहीं माना जाएगा। क्या आप उस बात का विरोध कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वे पत्र और विधेयक में निहित भावना का समर्थन करते हैं। लेकिन, फिर वे कहते हैं कि वे इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है। यदि ऐसे प्रजातंत्रात्मक देश में ये भावना है, जिस पर हमें इस बात का गर्व है कि यह विश्व का महान जीवं प्रजातंत्रात्मक देश है, तो इसका मुझे बहुत खेद है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इस तरह से सोचते हैं, तो मुझे इसका बहुत खेद है।

सभापति महोदय : वाद-विवाद के समाप्त होने पर, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य ने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। मैंने यह कहा था कि श्री सैफुद्दीन चौधरी के भाषण को सुनने के बाद मैं उनसे कह रहा था कि वर्ष 1977-80 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह एक भारतीय भाषा नहीं है और मैं यह कह रहा हूं कि नेपाली एक भारतीय भाषा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के सूत्र को स्वीकार नहीं किया। हम उस दृष्टिकोण का खण्डन करते हैं और इस सत्ता में किसी ने भी इस सूत्र को स्वीकार नहीं किया।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : इस संबंध में, मैं ससम्मान श्री मोरारजी देसाई का नाम लेती हूं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि सिक्किम को राज्य में मिला लेना उचित नहीं है। क्या आप उस बात को स्वीकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा था कि सिक्किम का विलय समामेलन था और लोक सभा और राज्य सभा, इन दोनों सभाओं द्वारा इस कार्य की निन्दा की गई थी। यदि आप उनके शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको सिक्किम भी छोड़ना पड़ेगा। यह मेरा विरोध है।

श्री ए० चार्ल्स : मैं आपके विचार से सहमत हूं। मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस विधेयक का और उसके अन्तर्वस्तु का समर्थन कर रहा हू और मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मान लें कि नेपाली एक भारतीय भाषा नहीं है तो यह भी कहना और अच्छा होगा कि नेपाली लोग भारतीय नहीं हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? वे भी मुख्य धारा में शामिल हैं। वे इस देश के अच्छे नागरिक हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान नेपालियों के नेतृत्व को कभी भी नहीं भूल सकते। वे इस देश के अभिन्न अंग हैं और मेरी यह धारणा है कि यथा शीघ्र उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि श्री सैफुद्दीन चौधरी जी ने पूछा था, और भी अन्य भाषायें हैं, और भी अन्य दावें हैं और उत्तरदायी सरकार को इन सभी पर विचार करना चाहिए और मैं यह कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी, आंकड़ों से पता चला है—मैं भी इस बात में सही हूं, कि पश्चिम बंगाल में ही लगभग 277 भाषाएं अथवा बोलियां हैं और उनमें से लगभग 35 विदेशी भाषाएं हैं और 277 में से 18 की अपनी लिपियां हैं। और शेष बोलियां हैं।

मैं ये कहना चाहता हूं कि यह कहना आसान है कि प्रत्येक भाषा को समान महत्व दिया जाए लेकिन यह संभव नहीं है। नेपाली एक समृद्ध भाषा है। वह एक विकसित भाषा है। सत्ता पक्ष की ओर से इस संबंध में हमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन यह तो केवल प्रक्रिया की बात है। मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक महिला ने उन्हें बहुत ही गलत समझा है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, हमारा देश महान है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, हजारों भाषाएं तथा विभिन्न बोलियां, विभिन्न विशेषके एवं विभिन्न संस्कृतियां हैं। हालांकि हम यह

दावा करते हैं कि हमें मिश्रित संस्कृति विरासत में मिली है, यह हमारा उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है तब हर छोटे वर्ग की पहचान को बनाए रखना, वह कितना भी छोटा वर्ग क्यों न हो, हमारा उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य है। तब ही एकता और अखण्डता को बनाए रखा जा सकता है जो कि हमारे प्रजातंत्र के स्रोत का सार है।

मैं इस विधेयक के खिलाफ नहीं हू। फिर भी, उद्देश्यों और कारणों के कथन से ये ज्ञात हुआ है कि मांगों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है। आखिरकार ऐसी दो सरकारें हैं सिक्किम और पश्चिम बंगाल जहां पर इस भाषा को राजभाषा के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। और अन्य चार राज्य सरकारों ने नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

और अन्य मामले भी हैं, जैसे कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं जो डोगरी भाषा बोलते हैं। यहां तक कि गोवा के माननीय मंत्री जी, वे वहां पर दस वर्ष तक मंत्री रह चुके हैं, ने कहा कि वे भी कोंकणी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अतः मेरा यह कहना है कि अनुच्छेद 345 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत, सरकार को यथा शीघ्र उपयुक्त कानून के साथ सामने आना चाहिए कि किस भाषा को स्वीकार करने की आवश्यकता है। तब ही काफी समय से लम्बित पड़ी हुई मांगें पूरी हो सकेंगी और जनता की उच्च आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग, जो कई भाषाएं बोलते हैं, उन सभी भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। यह बात नेपाली और मणिपुरी भाषाओं के शामिल होने में अवरोधक नहीं बन सकती क्योंकि इन दोनों भाषाओं को निश्चित रूप से आठवीं अनुसूची में शामिल करना होगा। निःसन्देहतः इन दोनों भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अब हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में कई समस्याएं हैं। भाषा, धार्मिक और क्षेत्रीय भावना ये सब देश के लिए हानिकारक हैं जिससे देश की अखण्डता खतरे में पड़ सकती है। अतः ऐसे समय में हमें इन सभी विषयों के बारे में पुनः सोचना चाहिए।

मैं भाजपा के सदस्यों को सचेत करना चाहता हूं अथवा अपने विचार बताना चाहूंगा। हालांकि कश्मीर मुद्दे का इससे सीधे संबंध नहीं है, फिर भी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं उसके लिए चिन्तित हूं। हर वर्ग के लोगों में, हर धर्म के लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि वे इस महान देश के नागरिक हैं। संविधान में अनुच्छेद 370 दी एक ऐसी धारा है जो कश्मीर को इस महान देश से मिलाती है। और यदि यह संदेश···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, माननीय सदस्य से कहें कि अपने विषय पर बात कहें। जो ये कह रहे हैं यह इनके विषय से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : सभापति महोदय, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं अनुच्छेद 370 के विषय में उनके विचार ठीक नहीं है।

इस देश के कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में, हमारे संविधान का आदर करना हमारा कर्त्तव्य है। महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से उनसे एक प्रश्न कर सकता हूं ? क्या उन्होंने ये घोषणा नहीं की थी कि वे संविधान के अन्तर्गत है और वे संविधान के प्रत्येक धारा का आदर करेंगे ? वे इतने निडर होकर कैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जाए। यह इस महान देश के प्रति बड़ा अन्याय होगा। इससे देश की अखण्डता की नींव भी कमजोर पड़ सकती है। उनकी एकता यात्रा और रथ यात्रा इस देश को कहीं भी नहीं ले जा सकेगी। श्री आडवाणी जी मेरे प्रिय मित्र हैं। वह दूसरी बात है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों की भी यह भावना होनी चाहिए कि वे इस देश के नागरिक हैं और हमें ऐसे नाजुक मुद्दों को लेते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक का ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा, जो कि गृह मंत्रालय के प्रभारी हैं, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, कि वे इस पर विचार करें। मंत्री जी अवश्य ही दोनों सभाओं की भावना समझेंगे। मैं सोचता हूं, यह सर्वप्रदत्त भावना है। और नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को वह मान्यता देनी चाहिए जिसकी वे पात्र हैं। यह एक लम्बे समय से निलम्बित मामला है।

मैंने कोंकणी भाषा का उल्लेख किया था। मैंने डोगरी भाषा का जिक्र किया था। मैंने कुछ अन्य भाषाओं का भी जिक्र किया था। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह संविधान में संशोधन लाने के लिए एक समिति का गठन करें तथा निश्चित समय के अन्दर अल्पसंख्यकों और उपेक्षित लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त विधान लाए ताकि वे लोग अपने आपको मुख्य धारा से अलग न समझें।

मुझे विश्वास है कि कम से कम अब तो श्रीमती भण्डारी जी हमारी उस भावना को समझ सकेंगी, जिसका इस पक्ष के लोग उस महान उद्देश्य के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए वे और उनकी जनता संघर्ष कर रही हैं। वे लगभग 10 मिलियन लोग हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हमें उनकी भावना को स्वीकार करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि यह महान कदम उठाया जाता है, तो वे 10 मिलियन लोग जो कि पहले से ही मुख्य धारा में आए हुए हैं और जिन्होंने इस देश के निर्माण में अत्यधिक योगदान दिया है—सर्वदा आगे होंगे ताकि यह देश, एक महान देश के रूप में, सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करते हुए, 21वीं सदी की ओर बढ़ सकें।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, विशिष्ट सदस्या श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

मुझे इस समय स्मरण आता है कि और भाषाओं को भी आठवीं सूची में सम्मिलित करने

का मुद्दा संसद में कई तरीकों से जैसे कि संसदीय प्रश्नों के द्वारा, वक्तव्यों के द्वारा तथा गैर-सरकारी विधेयकों इत्यादि के माध्यम से उठाया जाता रहा है। सरकार द्वारा बार-बार एक ही उत्तर दिया जाता रहा है जो कि आज अर्थहीन हो गया है। वह आज सुसंगत नहीं रहा। वास्तव में यह उत्तर कभी भी विश्वसनीय नहीं लगा। सरकार का उत्तर सदैव यही रहा कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषायें हैं। हम सभी भाषाओं का विकास चाहते हैं। परन्तु तब तो सभी भाषाओं को आठवीं सूची में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी भेदभाव के कारण ऐसी राजनैतिक स्थिति पैदा हुई है कि जिसके बारे में मणिपुर के संदर्भ में विपक्ष के नेता द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। भाषा का प्रश्न मात्र भाषा का प्रश्न नहीं होता। यह लोगों की भावनाओं तथा भावुकता से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जो कि राष्ट्रीय स्वरूप रखता है। हमारे लिए सबसे मीठी भाषा वही है जिस भाषा में हमने अपनी मां की लोरियां सुनी हैं। हमारी सबसे मीठी भाषा वही है जिसमें हमने सर्वप्रथम बोलना सीखा तथा जिसके द्वारा हमने कुछ शब्दों में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इससे अधिक और कुछ भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता। इसलिए, हमारे जैसे बहुभाषीय राष्ट्र में अगर कोई नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी भाषा को बराबरी का दर्जा तथा पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जा रहा है, उसे मान्यता नहीं मिल रही है तो निश्चय ही उसे ठेस पहुंचेगी। सह-नागरिकों के रूप में हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए तथा उनके मन से इस कड़वाहट को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने आपको सुखद स्थिति में अनुभव करें तथा अपने आपको दूसरों के बराबर समझें और उनमें यह विश्वास जागृत हो कि उनसे भेदभाव नहीं हो सकता। आज हम विश्व में एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे जातीय युग कहा जा सकता है तथा किसी भी सामाजिक वर्ग की जातीय पहचान का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू भाषा ही होता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सभी भाषाएं मान्यता की मांग करती हैं तथा सभी भाषीय समूह राष्ट्र के समक्ष समानता चाहते हैं।

मैं आपको कनेडा का उदाहरण स्मरण करवाना चाहता हूं। फ्रेंच भाषा को बराबरी का दर्जा देकर ही कनेडा ने अपने आपको विनाश और टूटने से बचाया।

अपने राजनैतिक जीवन की सबसे आश्चर्यजनक घटना मुझे याद आ रही है। मैं एक सम्मेलन में भाग ले रहा था जिसे फ्रांस के विदेश मंत्री ने सम्बोधित करना था। तभी मैंने यह अनुभव किया कि वे अंग्रेजी की बजाय फ्रेंच भाषा में बोल रहे हैं तथा उसके पश्चात् उन्होंने फिर अंग्रेजी में बोलना आरम्भ कर दिया। सम्मेलन के अन्त में मैं इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उनके पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कानूनी रूप से यह स्वीकार किया है कि फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बराबर हैं। इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक तथा आधिकारिक वक्तव्य देते हुए वे एक पैरा अंग्रेजी में बोलते हैं तथा फिर एक पैरा फ्रेंच भाषा में। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार राष्ट्रों का निर्माण होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत किया जाता है। जोर जबरदस्ती, अवहेलना, लापरवाही तथा लोगों की भावनाओं का अनादर करके नहीं।

हमारा देश एक बहु-भाषीय राष्ट्र है। यद्यपि हम जिनकी अनेक भाषाओं तथा सैंकड़ों बोलियों की चर्चा करते हैं, परन्तु कुछ विकसित भाषाएं हैं, वे भाषाएं जिनका अपना व्याकरण

तथा अपना साहित्य है तथा जिन्हें किसी भी दृष्टि से बोलियां नहीं कहा जा सकता है। उनमें से कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती हैं, कम से कम कुछ प्रशासनिक एककों, अथवा कुछ राज्यों के कुछ जिलों अथवा कुछ जिलों के उप-जिलों में बहु-संख्या में लोग इन्हें बोलते हैं ?

मेरे पास 1981 की जनगणना के भाषा पर आधारित आंकड़े हैं। जो भाषाएं वर्तमान में आठवीं सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें 95 प्रतिशत लोग बोलते हैं। देश की 5 प्रतिशत जनसंख्या ये भाषाएं नहीं बोलती। परन्तु कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में लोग इन भाषाओं को नहीं जानते। उदाहरणार्थ जम्मू तथा कश्मीर में 27 प्रतिशत से भी अधिक लोग आठवीं सूची में सम्मिलित भाषाओं की परिधि में नहीं आते। उदाहरणार्थ, मणिपुर में 98 प्रतिशत, मेघालय में 86 प्रतिशत, नागालैण्ड में 90.7 प्रतिशत, सिक्किम में 93.65 प्रतिशत तथा त्रिपुरा में 23 प्रतिशत लोग इन भाषाओं की परिधि में नहीं आते। अगर आप छोटे राज्यों को लें तो अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत, गोआ में 58 प्रतिशत तथा मिजोरम में 91 प्रतिशत लोग इन भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। कम से कम आठ राज्यों—मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम तथा दादरा और नगर हवेली, जो कि एक छोटा-सा संघशासित क्षेत्र है में बहुसंख्या में लोग आठवीं सूची में सम्मिलित भाषाओं की परिधि में नहीं आते। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल राज्यों को ही लें जो कि संघ में बराबरी के सदस्य हैं तो इन राज्यों की बहुसंख्यक जनसंख्या यह अनुभव कर रही है कि उनकी भाषाओं को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जा रहा है तथा उन्हें आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। हम उन्हें यह कहकर सांत्वना नहीं दे सकते कि हम आपकी भाषाओं की ओर पूरा ध्यान देते हैं परन्तु हम उन्हें आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं सरकार से यह पूछता हूं कि अगर ऐसी ही बात है तो आठवीं सूची को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषायें हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं, इसलिए आपको एक राष्ट्रीय मापदण्ड अपनाना चाहिए। भाषायी स्थिति स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील होती है तथा बदलती रहती है। हम एक मापदंड निर्धारित करके यह कह सकते हैं कि जो भी भाषाएं इस मापदंड को पूरा करेंगी उन्हें स्वतः ही आज नहीं तो कल आठवीं सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अन्य शिकायतें भी हो सकती है। आज हम केवल मणिपुरी तथा नेपाली की बात कर रहे हैं तथापि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मेरे विचार में यह केवल मणिपुरी अथवा नेपाली भाषा का ही प्रश्न नहीं है; बल्कि कोंकणी तथा संथाली भाषा का भी प्रश्न है जिसे बिहार में एक पूर्ण भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। यह डोगरी, मैथिली और खासी तथा राजस्थानी भाषा का भी प्रश्न है—श्री लोढा यहां पर उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है तथा मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न भोजपुरी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से हूं। अन्य भाषाओं के साथ मैं भोजपुरी का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। अब हमें इस सम्बन्ध में एक समान मापदंड अपनाना चाहिए तथा जैसा कि मैंने कहा है कि यह कोई बोली नहीं है बल्कि एक भाषा है जिसमें पुस्तकें तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिसका अपना एक साहित्य है तथा राष्ट्र की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, कुल जनसंख्या का लगभग एक प्रतिशत

इसे अपनी मातृ भाषा घोषित करता है, तथा एक राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग, 10 प्रतिशत के लगभग लोग इसे अपनी मातृ-भाषा तथा घरेलू भाषा स्वीकार करते हैं। राष्ट्र की कुल जनसंख्या का एक प्रतिशत तथा कुल राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या का दस प्रतिशत लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि शायद दस लाख से भी अधिक है तथा अगर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता मिली हुई हो, जो कि नेपाली को प्राप्त है तथा यह मान्यता केवल स्कूल स्तर तक ही नहीं बल्कि उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर तक मिली हुई हो, अगर इसे प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई जाने वाली भाषा की बजाय विश्वविद्यालय तक पढ़ाई जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो, अगर साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए इस भाषा को मान्यता प्राप्त हो, जैसी कि नेपाली, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, आदि को प्राप्त है तथा अगर यह जन संचार की भाषा है, जिसमें कि फिल्मों का निर्माण होता हो तथा समाचार पत्र प्रकाशित होते हों, तो ऐसी भाषा को जो कि इन शर्तों में से कुछ शर्तों को पूरी करती हो, तो उसे एक या उससे अधिक राज्यों द्वारा तथा अगर पूरे राज्य के लिए नहीं तो किसी विशेष जिले के लिए उसे अवश्य ही राजभाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए तथा अगर एक बार एक भाषा को किसी राज्य द्वारा पूरे राज्य के लिए अथवा राज्य के किसी विशेष हिस्से के लिए राजभाषा के रूप में मान्यता दे ही जाती है, तो इस भाषा को स्वतः ही संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए।

जहां तक नेपाली भाषा का प्रश्न है, जो श्रीमती भंडारी पहले ही इस दिशा में कर चुकी हैं, मैं उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपना मुद्दा बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यही एकमात्र भाषा है जिसके पक्ष में चार राज्य विधानमंडलों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां कि बड़ी संख्या में नेपाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। मैं यह संख्या 10,000 से अधिक मानता हूं। दो राज्य तो ऐसे हैं जिनमें इस भाषा को बोलने वालों का वर्चस्व है। जैसा कि मैंने कहा है कि सिक्किम में 94 प्रतिशत लोग नेपाली बोलते हैं जबकि पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ जिलों में यह बहुसंख्या में हैं। उनके सम्बन्ध में यथाशीघ्र ऐसा ही रवैया अपनाया जाएगा।

नेपाली भाषा के विदेशी भाषा होने के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा? मेरी समझ में यह तर्क नहीं आ सका है। नेपाली कोई विदेशी भाषा नहीं है। एक तो यह कि यह भारतीय आर्य भाषा है तथा दूसरे 15 लाख से भी अधिक भारतीय लोगों ने इसे अपनी मातृ-भाषा घोषित किया है।

श्री पीटर जी मरबनियांग (शिलांग) : नहीं, एक करोड़ लोगों ने।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं 1981 की जनगणना की बात कर रहा हूं। आपको आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता। मेरी जानकारी के अनुसार एक देश के राज्य में नेपाली भाषा बोलने वालों की बहुसंख्या है। इस तथ्य को सामने रखते हुए मैं अंग्रेजी को भी विदेशी भाषा नहीं मानता।

इस प्रकार नेपाली भाषा का मुद्दा बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। सत्ताधारी

पार्टी के साथ-साथ अन्य सभी दलों ने पिछले चुनावों के दौरान नेपाली तथा मणिपुरी भाषा को प्रोत्साहन देने पर समर्थन अभिव्यक्त किया था।

मेरा यह सुझाव है कि श्रीमती भंडारी द्वारा प्रस्तुत एक गैर-सरकारी विधेयक को स्वीकृत करने के अतिरिक्त सरकार के पास और कोई सर्वोत्तम विकल्प नहीं है। इस विधेयक को सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। फिर भी हम सरकार से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहेंगे कि सरकार उन अन्य भाषाओं सम्बन्धी दावों पर भी विचार करेगी जो कि उन मापदंडों पर पूरा उतरते हैं. जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं तथा भारत में कुछेक लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है। भारत में ऐसे भी कई राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जिन्होंने अपने कुछ कारणों से अंग्रेजी को अपनी राजभाषा स्वीकार किया है।

सभी भाषाएं मानव की ही बनाई हुई हैं और जहां तक मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का प्रश्न है, हम भाषाओं के आधार पर मानव जाति में विभेद की रेखा नहीं खींच सकते। उदाहरण के लिए क्या अमरीका को अंग्रेजी भाषा का इसलिए त्याग कर देना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति मूलत: इंगलैंड से हुई है ? मैंने आपको कनाडा का उदाहरण दिया है जिसने फ्रेंच भाषा को अपना लिया है। अत: मेरी स्पष्ट राय है कि यह बहुत ही दकियानुसी तर्क है कि नेपाली भाषा एक विदेशी भाषा है। इसमें 'नेपाल' शब्द है। और नेपाल एक अन्य देश का नाम है। यह बात जरूर है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन भारतीय नेपाली लोग भारत के नागरिक हैं। लाखों ऐसे लोग भारत में रहते हैं। उनकी मातृ भाषा नेपाली है। अतः हममें इतनी शालीनता होनी चाहिए कि हम खुले दिल से नेपाली को भारतीय भाषा के रूप में, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में ग्रहण करें।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा में विचार करने के लिए रखे गए विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं श्रीमती भंडारी के विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक ऐसा ही विधेयक मैंने संसद के दूसरे सदन में पुर:स्थापित किया था और इस पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन उस समय सरकार ने जो रवैया अपनाया उसकी वजह से यह विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सका।

महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने नेपाली और मणिपुर के मामलों पर काफी कुछ कहा है अतः इस समय यह जरूरी नहीं है कि मैं इस मुद्दे विशेष पर और आगे कुछ कहूं जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की इन दो महान भाषाओं को शामिल करने से संबद्ध है। भाषा के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्ध हमारे संविधान के अध्याय 17 में निहित है। अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 350(क) और 351 सभी भाषाओं से ही सम्बद्ध है। महोदय, दुर्भाग्य से हमारे देश की भाषाओं के सम्बन्ध में एक पूरा अध्याय होने के बावजूद संविधान में इसके बारे में कोई भी मूलाधार या प्रावधान नहीं है। संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल किए जाने की अहर्ता के बारे में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है—ऐसा कुछ नहीं है कि कौन-सी भाषाएं इसमें है और क्यों हैं तथा किस तर्काधार पर और किस कारण से एक

विशेष भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल है तथा क्योंकि भाषा विशेष को इस आठवीं अनुसूची में स्थान ही नहीं मिलता है। यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, महोदय, नि:संदेह मुझे 16 अगस्त, 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी से एक पत्र प्राप्त हुआ था। मेरे उस वर्ष इस नेपाली भाषा के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में उन्होंने मुझे लिखा था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। वह चाहती थीं कि मैं नेपाली भाषा को अन्य भाषाओं के साथ न मिलाऊं जिनका स्वयं आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में इच्छाएं जाहिर की गयी हैं। उनका साधारण तौर पर यह कहना था कि वह किस भाषा को चुने और किस भाषा को न चुनें, मैं इस तरह किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में उनकी एक समस्या थी और समस्या यह थी कि किसे चुनें। यही उनकी चिन्ता का कारण था तथा उनकी चिन्ता बिल्कुल ठीक थी। महोदय, मैं वह पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था कि नेपाली के मामले पर विचार किया जा सकता है यदि इसे अन्य भाषाओं से न जोड़ा जाय। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है यह वायदा उन्होंने अपने पत्र में किया था। दूसरी तरफ, मुझे याद आता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाषा के सम्बन्ध में अपनी सोच थोड़ी लचीली रखी थी। उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था आठवीं अनुसूची में रखी गई भाषाओं की सूची पूरी तरह संपूर्ण नहीं है, अर्थात आठवीं अनुसूची में जो 15 भाषाएं हैं वे अन्तिम नहीं हैं। इसका विस्तार किया जा सकता है कई अन्य भाषाएं शामिल की जा सकती हैं। इससे यह साफ जाहिर है। अत: महोदय, मैं श्री शहाबुद्दीन के इस विचार से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई संविधानिक प्रावधान होना चाहिए, या कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाली भाषा के स्तर का मूल्यांकन कर सकें। वास्तव में मैं तो यह महसूस करता हूं कि प्रत्येक भाषा एक राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी प्रांतीय भाषा नहीं हो सकती है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती है क्योंकि पंडित नेहरू जी के अनुसार प्रत्येक भाषा का अलग ही अपना इतिहास, अपना विकास, अपना प्रचलन और विस्तार होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भिन्न शब्दावली अपनी व्यक्त करने की शैली, संरचना आदि है। अत: प्रत्येक भाषा को समान ढंग से लिया जाना चाहिए और समानता के आधार पर उसे पूरे देश के लोगों से आदर मिलना चाहिए और यही आदर भाव स्वयं संविधान को भी दिखाना चाहिए। इससे एकजुटता की भावना बढ़ेगी, इससे एकता आएगी तथा इससे भारत बहुभाषीय, बहुजातीय, अखंड शक्तिशाली, समृद्धशाली और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अत: इस सम्बन्ध में एक मानक होना चाहिए। इस मानक को कई भाषाविदों से व्यापक चर्चा करने के बाद निश्चित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री शाहाबुद्दीन से कुछ सुझाव मिले हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, पुन: नेपाली की बात करते हुए कहूंगा कि डा० सुनीती चक्रवर्ती के सिंधी और नेपाली दोनों के बारे में एकदम सुस्पष्ट विचार थे। उन्होंने कहा था :

> "आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को जैसे सिंधी, नेपाली को उनके बोलने वाले लोगों की इच्छानुरूप और उनके महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया जाना चाहिए।"

यह बहुत ही संतोष की बात है कि सिंधी को पहले ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका

है। लेकिन नेपाली को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और मैं समझता हूं कि अब इसे शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : समय खत्म होने जा रहा है। इस विधेयक के लिए हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम डेढ़ घंटा और बढ़ा सकते हैं ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : कई सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। अतः हम इस विधेयक के लिए डेढ़ घंटा समय बढ़ाते हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में भी अपना विचार व्यक्त किया था कि आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाली भाषा का मान्यता प्रदान करने के लिए क्या व्यापक मानक होना चाहिए। उन्होंने कहा था :

> "यदि किसी भाषा को मान्यता प्रदान करनी है तो इसे दो महत्वपूर्ण कटौतियां पर पूरा उतरना चाहिए एक भाषा ज्यादा प्रचलित हो तथा काफी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हो।"

ये मानक उन्होंने सुझाये थे और मैं समझाता हूं कि इन मानकों से नेपाली और मणिपुरी इन दोनों भाषाओं का आठवीं अनुसूची में स्थान आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा।

नेपाली भाषा को विदेशी भाषा कह कर कुछ आपत्तियां उठाई गयी हैं। मैं समझता हूं कि इस संसद को भी इस आपत्ति विशेष पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था। एक संसदीय प्रश्न के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा भारत की नागरिकता के अधिकार के मानक से संबद्ध नहीं है। नागरिकता अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जन्म से, उत्तराधिकार से भारतीय नागरिक के रूप में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अतः किसी भी नेपाली बोलने वाले भारतीय नागरिक को हमारे देश के इस कानून विशेष के अन्तर्गत नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। अब यह प्रश्न कि वह नेपाली बोलता है या बंगाली या कोई अन्य भाषा यह सब देश की नागरिकता प्राप्त करने का मानक नहीं है। अतः हमारा नागरिकता का अधिनियम बहुत स्पष्ट है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी भाषा को बोल सकता है तथा किसी भाषा का बोलना उसके नागरिकता सम्बन्धी निर्णय का मानक नहीं हो सकता है। हां, यह सच है कि नेपाल में, जो कि भारत का एक प्रभुता सम्पन्न भिन्न देश है, नेपाली भाषा अधिकांश लोग बोलते हैं। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि चूंकि नेपाली, नेपाली नागरिकों द्वारा नेपाल में बोली जाती है अतः नेपाली एक विदेशी भाषा है।

4.57 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस संबंध में अपना गलत निर्णय लिया था। नेपाली बोलने वाले

नेपाली भी भारतीय नागरिक हैं। मैं सब बातों में समानता का पक्षधर हूं। बंगलादेश एक स्वतंत्र, प्रभुतासम्पन्न मित्र देश है। अधिकांश बंगलादेशी नागरिक बंगाली बोलते हैं। हम भी बंगाली बोलते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बंगाली बोलना ही गलत बात है। बंगाली मेरी मातृ-भाषा है। बंगाली बंगलादेशियों की भी मातृभाषा है। अतः भारतीय नागरिक नेपाली बोलें या नेपाली नागरिक नेपाली बोलें इससे विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले एक भाषायी समूह के मध्य दुराव नहीं हो जायेगा। अतः यह तर्क सही नहीं है।

गोरखाली के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया है। मैं भाषा के प्रश्न से जुड़े किसी भी भावनात्मक विषय पर मतभेद में नहीं पड़ना चाहता हूं। वस्तुत:, नेपाली एक जानी पहचानी भाषा है। मैं इस बात के लिए शुद्धि के अध्यधीन हूं कि गोरखाली कोई भी भाषा नहीं है। यदि कोई नेपाली को गोरखाली का नाम देना चाहे तो मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। यदि गोरखाली नेपाली का ही अंग है तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए कि यह नेपाली है या गोरखाली है। और यह विवाद कतिपय वर्ग ने नेपाली भाषा को मान्यता न मिलने के लिए उठाया है।

मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि यह विधेयक जिसमें दो भाषाओं मणिपुरी और नेपाली को शामिल करने की बात है तुरन्त स्वीकार किया जाना चाहिए।

5.00 म० प०

जहां तक अन्य भाषाओं को शामिल करने का संबंध है, खासी, मैथिली, राजस्थानी, कोंकणी, डोगरी और अन्य सभी भाषाओं को भी बाद में सरकार द्वारा सभी संबंधित दलों से परामर्श करके कतिपय मानक निश्चित करके आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे देश की किसी भी समस्या को हल करने का यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही वह एकमात्र तरीका है कि कैसे भारत को बहुभाषाई और बहुजातीय आधार पर एकता के सूत्र में बांधा जाय और इससे राष्ट्र के समग्र रूप से शक्तिशाली बनने में सहायता मिलेगी।

इस अपील के साथ मैं समाप्त करता हूं और एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि नेपाली भाषा और मणिपुरी भाषा को मान्यता दी जाय। इन दोनों भाषाओं को तुरन्त आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय।

कई मित्रों ने पहले ही मणिपुर में हाल ही में हुए आन्दोलन के बारे में जिक्र किया है जिससे देश की एकता को खतरा है क्योंकि कुछ मणिपुरी भाषा को मान्यता देने संबंधी समिति के प्रवक्ताओं ने गलत मार्ग अपनाया है, हिन्दी विरोधी मार्ग अपनाया है। यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है।

हिन्दी हमारे देश की राज-भाषा है। यह एक राष्ट्रीय भाषा है। हम सभी चाहते हैं कि इसका हमारे देश की मुख्य भाषा के रूप में विकास हो लेकिन इसका विकास दूसरे भाषाओं के अवरुद्ध का कारण नहीं बनना चाहिए।

इसलिये मेरा मणिपुरी भाषा मान्यता हेतु समिति के नेताओं से आग्रह है कि वे संकीर्णता-वाद और हमारे देश के कतिपय स्वार्थी तत्वों के दुष्प्रचार का शिकार न बने, जोकि देश में एकता लाने की बजाय इसे बांटना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को देश के संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लेने का आग्रह करता हूं।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : सभापति महोदया, मैं सिक्किम की माननीय सदस्या, श्रीमती दिल कुमारी भंडारी द्वारा प्रस्तुत इस गैर-सरकारी सदस्य विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

भारत एक महान देश है जहां विभिन्न ऊंचाइयों पर (विभिन्न डालों पर) विभिन्न प्रकार के सौन्दर्य धारण किये हुए सैंकड़ों रंग-बिरंगे फूल एक साथ खिलते हैं। ये सारे फूल समग्र रूप में इस देश की महानता में योगदान देते हैं।

हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब आठवीं अनुसूची का निरूपण किया था, उस वक्त हमें अपने इस महान देश के स्वतंत्र नागरिक बने मुश्किल से चार वर्ष हुए थे।

विदेशी सत्ता के अधीन होने के कारण इस देश के कई पहाड़ी इलाकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास करने का अवसर नहीं मिल पाया और वे शासक इन क्षेत्रों की भाषाओं के विकास के महत्व को समझने में समर्थ नहीं थे।

चूंकि संविधान की आठवीं सूची को जल्द बाजी में तैयार किया गया था, इसलिये इस महान देश के कई प्रचलित भाषाओं को इस सूची में शामिल करने के लिए मान्यता नहीं मिल सकी थी।

हमें स्वतंत्र नागरिक बने तथा विकास और प्रगति के पथ पर चलते हुए 40 वर्ष हो चुके हैं और हम उसका लाभ भी उठा रहे हैं। इन चालीस वर्षों में हमारे देश के लोगों ने इस देश को महान बनाने की खातिर हरसंभव प्रयास किया है। इस संसद में जो लोग हैं, उनमें से कुछ ने तो संविधान के निर्माण में भी मूल रूप से अपना योगदान दिया था—वे लोग इसकी पुनरीक्षा करके संविधान में संशोधन कर देंगे। अतः, उन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात सोचने का अब समय आ गया है, जो इसकी कसौटी पर सही उतरते हों।

मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के माननीय सदस्या द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि नेपाली भाषा भी एक भारतीय भाषा ही है, जो विभिन्न चरणों में समृद्ध हुई है। भारत में रहने वाले एक करोड़ लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। विभिन्न लेखकों द्वारा इस भाषा में कई महान पुस्तकें लिखी गयी हैं। विभिन्न राष्ट्र कवियों ने इस भाषा में काव्य रचना की है जिन्हें साहित्य अकादमी तथा दूसरे संस्थाओं ने सराहा है। अखिल भारतीय सम्मेलन में कई बार संकल्प पारित किये गये जिसमें भारत सरकार से नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई।

मैं सिक्किम की माननीय सदस्या, श्रीमती भंडारी के कथनों से पूर्णतया सहमत हूं, जिन्होंने बहुत ही अविवादित रूप में इस विधेयक को इस अविवादास्पद सदन में पारित करवाने के लिये अत्यधिक परिश्रम किया है।

मैं इस सदन की ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहता हूं। मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मेघालय का रहने वाला हूं। मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि मणिपुरी भाषा की भांति ही खासी भाषा भी उस स्तर को प्राप्त कर चुकी है जिसमें उसे साहित्य अकादमी से शीघ्र मान्यता मिलने की जरूरत के साथ-साथ भारत सरकार से भी शीघ्र मान्यता मिलने की आवश्यकता है जिससे उसे भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके।

'नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी' द्वारा खासी भाषा को डाक्टरेट डिग्री तक मान्यता प्रदान की गई है। शोध-पत्र जमा करने वाले विभिन्न शोधकर्ताओं को डाक्टरेट की उपाधि दी जा चुकी है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि खासी भाषा भी उस स्तर को प्राप्त कर चुकी है जिससे कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता मिल सके। वह भाषा इसकी अधिकारिणी है।

खासी भाषा में हमारी अपनी व्याकरण, कविता, उपन्यास, समाचार-पत्र और दूसरे साहित्यिक विधायें मौजूद हैं। यहां तक कि इस भाषा में बाइबिल और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हमने तैयार की हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की एक भाषा के रूप में खासी भाषा को यह स्थान प्राप्त है जिस पर आठवीं सूची में इसे शामिल करने के लिये विचार की जा सकती है। इसलिये मैं यहां उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें इस पर पुनर्विचार करने के लिये समय की जरूरत हो तो वह यह जरूर याद रखें कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की दूसरी भाषाएं भी हैं जिनको मान्यता दी जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मिजो, गारो, कोंकणी और भाषाओं का नाम लिया जा सकता है जिन पर गृह मंत्री को विचार करना होगा। मेरा यह कहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मेरी तो उनसे अपील है, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल करने वाली इस विधेयक को पारित करने की अनुमति दें। यह एक गैर-सरकारी विधेयक है जिसे कि सिक्किम की एक माननीय महिला संसद सदस्या ने प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सभी इस विधेयक का समर्थन करें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदया, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए और मेरे दल की ओर से माननीय श्री आडवाणी जी ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसी श्रृंखला में अपनी बात कहने के लिए समुपस्थित हूं।

भाषा की अभिव्यक्ति एक ऐसा माध्यम है, जिससे सहज रूप में मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है और इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का अपना-अपना महत्व है और

अपना-अपना स्थान भी है। प्रस्तुत विधेयक में नेपाली और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में जोड़े जाने का आग्रह किया गया है, मांग की गई है। नेपाल और मणिपुरी, दोनों भाषायें भाषायिक क्षेत्र में एक प्रकार से समृद्ध भाषायें कही जा सकती हैं। भाषा की दृष्टि से जो मानदंड हो सकते हैं, किसी भाषा को भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के, उन मानदंडों के आधार पर भी यह भाषा खरी उतरती है और ठीक उतरती है। जिस भाषा का अपना व्याकरण हो, जिस भाषा का अपना साहित्य हो, जिस भाषा के पीछे एक सांस्कृतिक इतिहास भी हो, जो भाषा पर्याप्त संख्या में बोली जाने वाली लोगों की भाषा हो, इस दृष्टि से यदि हम नेपाली भाषा को देखेंगे, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह समृद्ध भाषा है। इसका अपना एक साहित्य है, इसका अपना व्याकरण है और इस दृष्टि से देखें तो बड़ी संख्या में, बल्कि कहा जाए लाखों की संख्या में बोली जाती है। इस रूप मे इस भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाना उपयुक्त है, व्यावहारिक है। मणिपुरी की भी यही स्थिति है। एक समृद्ध भाषा है। बहुत बड़े भागों में बोली जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी दृष्टि से अपने घोषणा पत्र में मणिपुरी और नेपाली दोनों भाषाओं को जोड़े जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है। मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जहां पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न समस्याओं के बारे में इस घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है वहां पर इस बात का भी उल्लेख किया है कि मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जायेगा। इस दृष्टि से मेरे दल की मान्यता है कि दोनों ही भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो यहां पर कही गई हैं कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा, चाहे साहित्यिक अकादमी हो, चाहे साहित्य की अन्य संस्थायें हों, उनके द्वारा भी इन दोनों भाषाओं को एक विशिष्ट दर्जा और स्थान दिया गया है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि एक मांग जो वर्षों से चली आ रही है, उसको पूरा किया जाये। क्योंकि नेपाली भाषा केवल एक वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, जाति विशेष की भाषा नहीं है, वह बहुत बड़े भाग में बोली जाने वाली भाषा है, वह शिक्षा का माध्यम है। प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालीय स्तर तक वह भाषा उस क्षेत्र में पढ़ने लिखने वाले सभी लोगों का माध्यम बनी हुई है।

यहां इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस भाषा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने जिनमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम है, जहां यह भाषा भी बोली जाती है कुछ राज्यों ने वहां राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी हुई है। अत: इसे आठवीं अनु-सूची में जोड़ा जाना चाहिए। जब हमारी विभिन्न विधि-विधाई संस्थायें या हमारी विधायिका इस बारे में कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करें तो निश्चित रूप से इस सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहां हमारे चार राज्यों ने इस भाषा के बारे में यह कहा है कि इसको आठवीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाना चाहिए, मैं समझता हूं उसको जोड़ा जाना व्यावहारिक भी होगा। यह ज्यादा उचित होता कि इन भाषाओं के बारे में यहां सरकार की ओर से कोई विधेयक लाया जाता और वह सर्वसम्मत रूप से पारित किया जाता, लेकिन मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि इस विधेयक को भले ही सरकार की ओर से नहीं लाया गया है, लेकिन सर्वसम्मति से पारित किया जाये ताकि करोड़ों लोगों की जो मनोभावना है उसकी पूर्ति की जा सके। कुछ लोग इसे हिन्दी के सन्दर्भ में देखते हैं।

किंतु हाल ही में मैं पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर गया था। मुझे वहां कहीं भी हिन्दी का विरोध नहीं दिखाई दिया। जबकि यह कहा जाता है कि मणिपुर में हिन्दी का विरोध है, वहां

ऐसी कोई बात नहीं है। वे चाहते हैं कि वहां उनकी भाषा को मान्यता मिले, उसके न मिलने से उनका सभी भाषाओं से विरोध है। क्योंकि जब तक उनको अपनी भाषा की मान्यता नहीं मिलती वे अन्य भाषाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए यह गलत धारणा है कि वहां हिन्दी का विरोध है। वे चाहते हैं कि मणिपुरी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने अपने आग्रह को प्रकट किया है। सदन में कई बार यह विषय आया है और इस दृष्टि से आज उपयुक्त समय है कि हम उस बात को स्वीकार करें। यद्यपि यह भी कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर भी भाषायें हैं जो बोली के रूप में हैं। उनका स्वाभाविक व्याकरण नहीं है, उनका विस्तृत साहित्य नहीं है, उनके पीछे कोई सांस्कृतिक परम्परा नहीं है इस दृष्टि से ये भाषायें केवल बोली का रूप धारण किये हुए हैं। भाषा के रूप में अंगीकार करना उचित नहीं होगा। उनको भाषा भी कहा जा सकता है, लेकिन उस रूप में जब तक वे परिणत नहीं होती जिस रूप में अन्यान्य भाषाओं को परिणत किया गया है और उल्लिखित किया गया है और आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करे। हमारे दल के नेता ने जो बातें कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्या दिल कुमारी भण्डारी जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि नेपाली और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये और इस विधेयक को इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाये और वे इसको पारित करने में अपना योगदान दें।

[अनुवाद]

श्री स्वरूप उपाध्याय (तेजपुर) : *सभापति महोदय, मैं श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी को उनके इस संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। उनके इस सत्प्रयास के कारण भारत के नेपाली-भाषी लोगों को बहुत ही आशान्वित हुए हैं।

मुझे पता है कि मैं नेपाली नहीं बोल सकता हूं, इसलिये मैंने आसामी भाषा में अपना भाषण आरम्भ किया है कि जो कि 15 भाषाओं की सूची में शामिल है। यही एक बाधा है जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। यह हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन यहां इस देश के कई लोग और नागरिक हैं जो अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले पाते हैं। आखिर क्यों, इसमें उनका क्या दोष है? हम कहते हैं कि हमने अपने संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है। लेकिन उन नागरिकों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी मातृभाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? यहां तक कि वे इस गरिमामय सदन के अन्दर अपनी मातृ-भाषा में शपथ तक नहीं ले सकते हैं।

यही कारण है कि सिर्फ नेपाली-भाषी लोगों के मन में ही नहीं बल्कि इस देश के दूसरे भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक समूह के लोगों, सुविधाविहीन लोगों और पिछड़े लोगों के मन में भी यह भाव व्याप्त है कि कहने को तो यह एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन व्यवहार में यहां विकसित, बहुसंख्यक नागरिकों और भाषायी अधिसंख्यक समूहों की अधिनायकवाद है। अगर कल को ये लोग यह बात उठाना शुरू कर दें और देश की गली-गली में इस प्रकार का नारा लगाने लगे तो इसके काट्य में हमारे पास कोई जबाव नहीं होगा।

*मूलत: असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आज जब नेपाली-भाषी लोग अपनी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वह एक विदेशी भाषा है। दूसरे लोग यह कह सकते हैं कि वह एक विकसित भाषा है जिसका सम्बन्ध संस्कृत, हिन्दी और अन्य भाषाओं से जुड़ा हुआ है। निःसंदेह ऐसा है। लेकिन अगर संस्कृत या हिन्दी से वह नहीं भी जुड़ी हुई हो तो क्या उनको अपनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करने का अधिकार नहीं है या उन्हें वह अधिकार नहीं है कि वे अपनी भाषा को उस सूची में शामिल देखें ? क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार सिर्फ आर्य के भाषाओं को ही संविधान में शामिल किया जा सकता है या किसी विशेष समूहों के भाषाओं को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर प्रतिबन्ध है ?

आखिर इसमें क्या बाधा है ? क्यों नहीं इन सारी भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जो उन लोगों के मन में उठता है।

मैं अब गोरखा और नेपाली भाषाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह तो एक निराशा से उत्पन्न स्थिति है जिसके कारण कुछ वर्गों के लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि नेपाली एक विदेशी भाषा है क्योंकि यह नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। इसलिये वे वह इस भाषा की नामावली बदलने के लिये कह रहे हैं। ठीक है, इसे गोरखा भाषा ही कहिये। मैं गोरखा और नेपाली भाषा के बारे में विश्वासपूर्वक कुछ बातें कहना चाहता हूं। वर्तमान में जिसे हम नेपाली भाषा कहते हैं, प्रारम्भिक अवस्था में वह खस भाषा के नाम से जानी जाती थी। विकास के क्रम में इसे पर्वतीय भाषा के नाम से जाना जाने लगा। उसके कुछ समय पश्चात् उसे गोरखा भाषा कहा जाने लगा और फिर उसके बाद का यह विकसित रूप वर्तमान का नेपाली भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले को नेपाली समुदाय के रूप में जाना जाता है। अगर मुझे अपने समुदाय का परिचय देना होता है, तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं नेपाली हूं और असम से आया हूं।

यदि आप मुझे गोरखा कहते हैं तो मैं महसूस नहीं करता क्योंकि मुझे एक गोरखे और एक नेपाली में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। इनमें बिल्कुल कोई अन्तर नहीं है। अतः, यह गोरखा और नेपाली भाषाओं के बीच एक संदेह पैदा करने वाली बात है। अगर हम इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के उनके अधिकार से इन्कार करते हैं, तो यह इस देश के नेपाली भाषी लोगों के प्रति एक अन्याय होगा।

अब मैं अपनी दूसरी भाषा पर आता हूं, जोकि एक विकसित भाषा है और राज्य में बोली जाती है। यह लोग अपनी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि यदि हम इस बाढ़-द्वार को खोल देते हैं तो क्या स्थिति होगी ? मेरा उनको यह उत्तर है कि हम इस बाढ़-द्वार को नहीं खोलते हैं, तो क्या क्या स्थिति होगी ? यदि कल सारी पिछड़ी जनता, भाषाई अल्पसंख्यक लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि यह लोकतन्त्र नहीं है; वह विकसित-राष्ट्रवादियों की तानाशाही है और हम इसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तब, क्या हालत होगी ? आओ हम इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक भाषाई वर्ग प्रत्येक जातीय अथवा नीतिपरक वर्ग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही, ऐसी जातियां इस देश की अन्य विकसित जातियों के बराबर

विकसित होने की इच्छुक हैं। यदि वे देखते हैं कि संविधान में, प्रशासन में, इस देश की सामाजिक पद्धति में, उनके चहुमुखी विकास में कोई अड़चन है, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज, यह लड़ाई कमजोर दिखाई देती है, लेकिन कल, यही लोग, इस देश के यही उपेक्षित लोग और इस देश के उपेक्षित राष्ट्रवादी उठ खड़े होंगे तथा संघर्ष शुरू कर देंगे। इससे पूर्व कि वे उठें और यह महसूस करना प्रारंभ करें कि हमारा देश और हमारा संविधान उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है, हमें उनकी न्यायसम्मत मांग को मान ही लेना चाहिए। हमें उनकी न्याय संगत मांग को पूरा करना ही चाहिए।

नेपाली और मणिपुरी लोग उनकी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं। आओ हम इसी से शुरूआत करें और उन्हें यह मान्यता दे दें। यह सभी छोटे राष्ट्रवादियों तथा छोटे वर्गों को एक संदेश होगा कि यदि हम मांग करते हैं और यदि हम उन्हें राजी कर लेते हैं, तो फिर हमारी भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा तथा इस प्रकार यह उनको आश्वासन होगा; इस आश्वासन का अर्थ यह है कि उन्हें इस देश के समान नागरिक समझा जायेगा।

यदि आप कहते हैं, कि नेपाली विदेशी हैं, तो ठीक है नेपाली विदेशी हैं; इसलिए उनकी भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल न करें। मैं यह स्वीकार करता हूं। लेकिन संथाली के बारे में क्या है? वे भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं। वे इस देश में पहले आए थे। क्या आपने उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल किया अथवा क्या आपने उनकी भाषा के विकास की कोशिश की? क्या आपने ऐसा करने का प्रयत्न किया? इसी प्रकार से मुंडरी के बारे में क्या है? असम के सीमावर्ती लोगों के बारे में क्या है? नागा-जाति के बारे में क्या है? करीब-करीब, वे इस देश के निवासी हैं। क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? आप उनके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। यह मेरा कथन नहीं है; बल्कि वे ही ऐसा कह रहे हैं। आप इसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। आप तो केवल इस देश की विभिन्न जातियों की अधिकारपूर्ण मांग को नकारने के कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। यदि हम उन्हें शामिल नहीं करते हैं, यदि हम उन्हें इस देश की मुख्य धारा में लाने को कोशिश नहीं करते हैं, इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। यही कारण है कि महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सभा और इस सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यदि सम्भव हो, जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है, सरकार को यह विधेयक लाना चाहिए और संसद से पारित करवाना चाहिए। अगर यह सम्भव नहीं है और अगर सरकार यह महसूस करती है कि क्योंकि यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक है, इस विधेयक को पारित करना उचित नहीं हैं, तो सरकार को तत्काल यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये एक विधेयक लाने जा रही है। इसके साथ ही, भारत के लोग और भारत की यह सम्मानीय-सभा इस देश के छोटे राष्ट्रवादियों—इस देश के छोटे भाषाई वर्गों— को यह आश्वासन दे रही है कि राष्ट्र उनकी भाषाओं को विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है और राष्ट्र यह देखना चाहता है कि विकसित होने के एक दिन बाद, उनकी भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जायेगा।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदया, मैं श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा

नेपाली और मणिपुर भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सभा में यह मुद्दा अनेकों बार उठाया गया है और यहां तक कि इस अधिवेशन में भी, यह मामला उठाया गया है।

नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर हम सर्वसम्मत हैं। मुझे यह कहने में अत्यन्त खेद है कि ऐसी कौन-सी बाधाएं हैं जिनकी वजह से सरकार इन भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार नहीं कर रही है। हमें किसी भाषा को असमृद्ध नहीं समझना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर इस देश की सभी भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। किसी भी भाषा को असमृद्ध समझना उचित नहीं है। क्या सरकार इसी प्रकार विचार कर रही है कि यदि इन दो भाषाओं अथवा अन्य भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है, तो आठवीं अनुसूची में पहले से सम्मिलित 15 भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा? यदि नहीं, तो सरकार इस विधेयक को लाने में विचार क्यों नहीं कर रही है? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करना, देश की अखंडता को चोट पहुंचाने का साधन होगा। हम राष्ट्र की एकता और देश की अखंडता बनाये रखने हेतु अत्यधिक सचेत हैं। लेकिन सरकार इन बातों पर और अल्पसंख्यकों तथा उनकी भाषाओं के बारे में नहीं सोच रही है।

सभी राजनैतिक दलों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है कि नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बहुत-बड़ी संख्या में लोग ये भाषाएं बोलते हैं। ये भाषाएं नेपालियों और मणिपुरियों की मातृ-भाषाएं हैं। मैं रवीन्द्र नाथ टैगोर को उद्धृत करना चाहता हूं। "मातृ-भाषा मातृ-दुग्ध है।" हम जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र खुशहाल अथवा प्रगति नहीं कर सकता, अगर वह अपनी भाषा से वंचित रहता है। इस स्थिति में, इन दो भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस अवस्था में, हम इन दो भाषाओं की महत्ता को नकार नहीं सकते। महोदया, आप जानती ही हैं कि नेपाली भाषा सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की राज-भाषाएं घोषित कर दी गई हैं। चार राज्य, अर्थात्, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सर्वसम्मत्ति से यह मांग कर रहे हैं कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं उत्तरी बंगाल से हूं। उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा को स्नातकोत्तर, निष्णात, स्नातक उपाधि तक अध्ययन के विषयों में एक विषय समझा जाता है। प्रश्न इन भाषाओं में तैयार किए जाते हैं और छात्र नेपाली भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालय भी उत्तरी-बंगाल विश्वविद्यालय के इस पथ का अनुकरण कर रहे हैं। अनेक परीक्षाओं में प्रश्न नेपाली भाषा में तैयार किए जाते हैं। साहित्य-अकादमी ने भी नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी है और मणिपुरी को मणिपुर की राज्य-भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब मणिपुर और सिक्किम के लोग, जो नेपाली और मणिपुरी बोलते हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया है। यह आंदोलन एक ऐसी अवस्था में आ जायेगा कि एक बार तो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से भी बाहर

हो जायेगा। पश्चिम-बंगाल सरकार नेपाली भाषा को उचित सम्मान देने का प्रयत्न कर रही है और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि नेपाली भाषा और अन्य भाषाओं को उचित सम्मान दिया ही जाना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद केंद्रीय सरकार चुप्पी साधे हुए है। मैं पूर्व सरकार की बात कर रहा हूं। मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं और उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह इस गम्भीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ? इन परिस्थितियों मे, मैं इस माननीय सभा के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करें और सरकार पर दबाव डालें ताकि वह बिना किसी हिचक के नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के इस विधेयक को अविलम्ब स्वीकार करें।

5.40 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

23 अप्रैल, 1992 को दिल्ली में हुआ बम-विस्फोट

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री श्री एम० एम० जैकब से 23 अप्रैल को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने के लिए अनुरोध कर सकती हूं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदया, आज शून्य काल में श्री मदन लाल खुराना, श्री खंडेलवाल और श्री आडवाणी ने 23 अप्रैल को दिल्ली में पहाड़गंज में बम विस्फोट का मामला उठाया था। श्री कुमारमंगलम ने सभा को आश्वासन दिया था कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे और वह सभा को देंगे। चूंकि जानकारी एकत्र कर ली गई है और वह मेरे पास है इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसे सभा को देना चाहता हूं।

मैं इस सम्मानीय सभा के माननीय सदस्यों को 23 अप्रैल, 1992 को पहाड़गंज में खन्ना सिनेमा हाल के पास विवेक होटल में हुई बम विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहता हूं।

23 अप्रैल, 1992 को 8.47 म० प० पर विस्फोट के बारे में जानकारी मिली थी। पहाड़गंज थाने की स्थानीय पुलिस मौके पर गई। दिल्ली के उपराज्यपाल तथा पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए।

जांच से पता चलता है कि विस्फोट के समय रेस्टोरेंट विदेशी पर्यटकों से उभरा हुआ था। लगभग 24 वर्ष के एक भारतीय, जिसके छोटे-छोटे बाल थे और छोटी दाढ़ी थी तथा कद लगभग 5 फुट 7 इंच था, रेस्टोरेंट में आया तथा खाली पड़ी एक मेज पर बैठ गया। उसने अपने लिए खाने का आदेश दिया तथा भोजन के दौरान उसने शौचालय का रास्ता पूछा। रेस्टोरेंट में शौचालय नहीं था बल्कि शौचालय होटल में था, और वहां जाने का रास्ता बाहर से था। जाते

हुए उसने बैरा से यह कहा कि वह अपना थैला वहीं छोड़ रहा है और वह शीघ्र ही वापिस आ जाएगा। उसके जाने के पांच मिनट के अन्दर उस थैले में विस्फोट हुआ जिससे 14 व्यक्ति घायल हो गए।

घायलों में एक भारतीय, एक नेपाली, चार इजरायली, दो ब्रिटेन के नागरिक, तीन होलैंड के नागरिक, एक कनाडा का नागरिक तथा चार जर्मन के नागरिक थे। सात घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तीन को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल तथा चार को गोल्फ लिंक में पूर्व-पश्चिम चिकित्सा केन्द्र (ईस्ट-वेस्ट मेडिकल सेन्टर) में ले जाया गया। जिन सात घायल व्यक्तियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था उनमें से पांच विदेशी थे और उन्होंने ईस्ट-वेस्ट मेडिकल सेन्टर में जाने की अनुमति मांगी। उनकी टांगों में चोटें लगी थीं तथा उनमें से तीन जल भी गए थे। चार इजरायली जो ईस्ट-वेस्ट मेडिकल सेन्टर में थे उन्हें प्रथम उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। पांच विदेशी (दो जर्मन तथा तीन होलैंड के नागरिक) अभी भी ईस्ट-वेस्ट मेडिकल सेन्टर में हैं। दो ब्रिटेन के तथा एक कनाडा का नागरिक अभी भी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल तीन मरीजों में से दो को मामूली चोटें आई हैं तथा तीसरे को कुछ समय तक अस्पताल में रहना होगा लेकिन वह खतरे से बाहर है।

न्यायलिक विशेषज्ञ ने घटना स्थल की जांच करने के बाद कहा कि विस्फोट बैटरी के साथ किया गया था जिसके साथ घड़ी लगी हुई थी। इसे और अधिक विस्फोटक बनाने लिए कीलें और इस्पात के टुकड़े उसमें डाले गए थे। रेस्टोरेंट में जहां यह विस्फोट हुआ वहां लगभग 2½" गहरा तथा एक फुट घेरे का एक गड्ढा हो गया। विस्फोट के कारण आग भी लग गई जिसे लोगों ने स्वयं ही बुझा दिया।

लीमा रेस्टोरेंट, जो विवेक होटल के भवन, जहां यह विस्फोट हुआ, में स्थित है, के प्रबंधक श्री के० एस० चौहान के बयान पर पहाड़गंज थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4, टाडा की धारा 3 और 4 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत दिनांक 23-4-1992 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 192 दर्ज की गई। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी (रेड अलर्ट) कर दी गई थी तथा अनेक छिपने के ठिकानों की जांच की गई थी। गेस्ट हाउस की जांच की गई थी लेकिन अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भी मेरे साथ इस कायरतापूर्ण कार्य की निन्दा करें जिसमें विदेशियों सहित 14 व्यक्ति घायल हुए। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम अपराधी को पकड़ने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। हम अपने नागरिकों को पूरी सुरक्षा तथा संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदया, मैं एक सहानुभूतिपूर्वक मामला उठाना चाहता हूं··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया यह गैर-सरकारी कार्य का समय है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, जो एक कायरतापूर्ण कृत्य हुआ है, उसकी हम यहां निन्दा करते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनायें कब तक होती रहेंगी ? क्या विदेशी लोग ऐसे मारे जाते रहेंगे ? आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं किसी स्पष्टीकरण को अनुमति नहीं दे रही हूं। अब हम गैर-सरकारी कार्य जारी रखेंगे।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)—जारी

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदया, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं उस माननीय सदस्य को बधाई देता हूं जिसने आठवीं अनुसूची में मणिपुरी और नेपाली भाषा शामिल करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया।

यह बहुत समय से लंबित मांग है और प्राधिकारियों के समक्ष बहुत बार यह मांग रखी गई थी। बहुत बार प्राधिकारी इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि यह तर्कसंगत है कि नेपाली और मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अतः अनेक गैर-सरकारी विधेयक बेकार हो गए।

अनेक आश्वासन दिए गए थे कि यह विधेयक लाया जाएगा अथवा उस पर विचार किया जाएगा लेकिन अनेक कारणों से आश्वासनों को सरकारी विधेयक का रूप नहीं दिया गया। लेकिन इस विधेयक का सभी सदस्य समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी ने भिन्न विचार प्रकट किए हैं। आठवीं अनुसूची का उद्देश्य भी उन भाषाओं को शामिल करना है जो इसके लिए उचित समझी जाए और यह भारत की मिली-जुली संस्कृति को मान्यता प्रदान करता है।

जैसा कि कुछ सदस्यों ने यहां पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचारों का उल्लेख किया है कि यदि यह भाषा अनेक लोगों द्वारा बोली जाती है और यह बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा के रूप में उभरती है तब इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। संविधान की आठवीं अनुसूची का उद्देश्य इस प्रकार भाषाओं को उसमें शामिल करना तथा एकता को बढ़ावा

देना है। मेरे विचार से श्रीमती गांधी और अन्य नेताओं ने भी इस भाषा को शामिल करने का विरोध नहीं किया था बल्कि कहा था कि इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

1967 में सिंधी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक आन्दोलन हुआ था। सिंधी भाषा उतने व्यक्तियों द्वारा नहीं बोली जाती है जितनी यह भाषा बोली जाती है। लेकिन सिंधी भाषा को शामिल किया गया। मैं इसका कोई कारण नहीं समझता कि इस भाषा के साथ कोई भेदभाव किया जाए क्योंकि यह लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है और यहां पर भी कुछ मित्रों द्वारा बोली जाती है। यह लगभग एक करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। मैं समझता हूं कि सभी संस्कृतियों, क्षेत्रों तथा भारत की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस भाषा को मान्यता देकर अनेक लोगों की संस्कृति का सम्मान करें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि किसी भी कारण से इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उस आश्वासन की याद आ रही है जो यहां किसी एक सदन में गैर-सरकारी विधेयक लाने पर दिया गया था। उस समय विधेयक भाषा के बारे में नहीं था बल्कि यह लोगों को शामिल करने के बारे में था जिन्हें एक धर्म विशेष में विश्वास था ताकि उन्हें राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के लाभ मिलें। उस किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने का कारण नहीं है जिसका किसी धर्म विशेष में विश्वास हो। उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जब किसी एक सदन के समक्ष वह विधेयक लाया गया था तब यह आश्वासन दिया गया था कि एक समुचित विधेयक लाया जाएगा। लेकिन यह दुख की बात है कि ऐसे समुदाय को शामिल करने के लिए कोई विधेयक नहीं लाया गया।

मैं उस माननीय सदस्य के प्रयासों की सराहना करता हूं जो यह विधेयक लाए। वास्तव में हम सबने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। मेरे विचार से 100 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। मेरे विचार से यदि विभिन्न दलों के सदस्य ऐसे वक्तव्य दें तब सरकार की ओर से तत्काल एक विधेयक लाया जाना चाहिए।

मैंने राष्ट्रपतीय आदेश में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को शामिल करने के लिए कहा था क्योंकि इसमें नव-बुद्धवाद को शामिल किया गया था। उस समय राज्य सभा में आश्वासन दिया गया था। लेकिन वह विधेयक नहीं लाया गया। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसी प्रकार का एक विधेयक लाने के बारे में सोच रही है।

मैंने भेदभाव के बारे में भी कहा था। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उस भाषा को शामिल कर लिया जाए जो कम लोगों द्वारा बोली जाती है तथा उसे शामिल न किया जाए जो अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है।

इसी प्रकार मैंने ईसाईयत को शामिल करने के लिए कहा था ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले लाभ मिल सकें। ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए भेदभाव क्यों किए जाएं कि वह एक धर्म विशेष में विश्वास रखते हैं ? अतः मैं इसी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता था।

मेरा कहना है कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं और आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को कोई आपत्ति है। लेकिन कुछ लोगों ने यह आपत्ति उठाई है कि अनेक भाषाएं शामिल करना सही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमें इसे वृहद परिप्रेक्ष्य में लेना है और यदि हम यह देखें कि कुछ लोगों द्वारा एक भाषा विशेष बोली जाती है और यदि वे अपनी भाषा के प्रतिनिधि हैं तब उसका सम्मान किया जाए तथा उसे शामिल किया जाए।

इससे बहुसंख्यक भाषा, संस्कृति अथवा विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः मैं एक बार फिर विधेयक की भावना का आदर करते हुए विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि सरकार को इस बारे में एक विधेयक अवश्य लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस गम्भीर मसले के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय दिल कुमारी जी ने सदन में जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उन्होंने देश के लाखों की तादाद में जो नेपाली भाषा लोग बोलते हैं उनके दिल की बात इस सदन में रखी है। इसी के साथ दूसरी भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं, जो मणिपुरी हैं, जो कोंकणी हैं, मैथिली हैं, त्रिपुरा में कोरबोरक हैं, अण्डमान निकोबार में निकोबारी भाषा है, इन भाषाओं को बोलने वाले सभी लोगों की बात बोलने के लिए सदन के सामने उन्होंने यह मौका हम सबको दिया है। इस बिल के द्वारा संविधान में संशोधन करके नेपाली और मणिपुरी भाषा को मान्यता देने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ने की बात कही गई है, इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि यह बात आज की नहीं है, काफी दिनों से यह चर्चा देश भर में सब जगह चल रही है।

महोदया, आप खुद जानती हैं, जिस प्रदेश से आप आती हैं उधर उसको लेकर आन्दोलन भी हुआ है। कुछ लोग यह बोलते हैं कि नेपाली भाषा हो या गोरखाली हो या कोई और हो, लेकिन मैं समझता हूं भाषा के नाम पर कोई फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन जुबान को मान्यता प्राप्त हो जिससे लोगों को अपना सम्मान महसूस हो।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : माननीय सदस्य, श्री स्वरूप उपाध्याय ने अपने भाषण के दौरान यह भी बताया था कि गोरखाली भाषा शुरू में नेपाली भाषा का ही एक हिस्सा थी। अतः यह नेपाली भाषा का परिष्कृत रूप है और जो लोग यह भाषा बोलते हैं वे इसे नेपाली भाषा कह सकते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है कि लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि हम पीछे मुड़ कर देखें ?

श्री मनोरंजन भक्त : इस मामले में मेरा आपसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बात यही

है जो अन्य लोगों ने कहा है, मैंने तो केवल यही कहा है कि मेरे इस बारे में अलग विचार नहीं हैं कि यह नाम होना चाहिए अथवा वह नाम होना चाहिए।

[हिन्दी]

भाषा एक खास महत्व रखती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जुबान में भाषा में बात करता है, उसमें शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उस भाषा को खुला हुआ देखना चाहता है, उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं, मैं जिस स्थान से आता हूं, अण्डमान-निकोबार द्वीप से वहां देश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो न बोली जाती हो।

6.00 म० प०

और उस जगह को छोटा-सा भारत कहा जाता है और हम लोगों ने इस भाषा के मसले को, जो लोगों के सामने सेंटिमेंट्स हैं, उनको देखते हुए यह तय किया कि कोई भी मातृभाषा में अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वह उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस पर और बोलना चाहते हैं अथवा आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने अभी शुरू किया है। मैं कुछ समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : जब बाद में इस पर चर्चा होगी तब आप इस पर बोल सकते हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 अप्रैल, 1992/7 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53